रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122024-259461 **CG-DL-E-17122024-259461**
xxxGIDHxxx xxxGIDE**xxx**

भाग **II**—खण् ड **3**—उप-खण् ड **(ii)**
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. **5033]**नई दिल्ली, सोमवार, दिसम् बर **16, 2024/** अग्रहायण **25, 1946**

No. 5033] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/ AGRAHAYANA 25, 1946

संचार मंत्रालय (डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम् बर , 2024

का.आ. 5440(अ).—महाननिशक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोिन से, डाकघर अधिननयम, 2023 (2023 का 43) की ि◌ारा 13 द्◌ारा प्रित्त शक्तियों का प्रयोग करि हुए, ननम्नललखिि वर्ननयम बनाि◌े हैं, अर्◌ावि:-

अध्याय 1

प्रारंभभक

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन वर्ननयमों का संक्षिप्ि नाम डाकघर वर्ननयम, 2024 है।

(2) ये 16 दिसंबर, 2024 के दिन से प्रर्◌ृत्त होंगे।

8137 GI/2024 (1)

2. पररभाषाएं.- (1) इन वर्ननयमों में, जब ि◌क कक संि◌र्व से अन्यर्◌ा अपेक्षि◌ि न हो,-

(क) "लेखादेय डाक-ि◌स्तु" से ऐसी स्◌ि◌ु से अलर्प्रेि◌ि है जो बुककंग के समय ट्रैक एरं ट्रेस (डाक-स्◌ि◌ु की मूर्मेंट का चरणर्◌ार इलेतट्रॉननक डेटा) के ललए रसीि◌ि प्रिान करिी हैं और डडललरी का साक्ष्य ि◌ेने के ललए स्◌ि◌ु की प्राक्प्ि◌ि पर प्राप्ि◌िकाव, आिा◌ि◌ा या उनके प्राधिकृि◌ि व्यक्ति के हस्◌ि◌ाि◌र (स्याही या डडक्जटल में) की अपेक्षि◌ि होि◌े हैं और इसमें इंडडया पोस्ट पासवल, स्पीड पोस्ट, मैगजीन पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सेर्◌ाएं (ईएमएस), इंटरनेशनल एयर पासवल, इंटरनेशनल ट्रैतड पैकेट्स, इंटरनेशनल रक्जस्ट्रीकृि◌ि पत्र स्◌ि◌ुएं, मनीऑडवर और मूल्य र्धिवि सेर्◌ाओं जैसे रक्जस्ट्रीकरण, बीमा और कैश-ऑन-डडलीरी (सीओडी) र्◌ाली स्◌ि◌ुएं सक्म्मललि हैं;

(ि◌) **"अधिननयम"** से डाकघर अधिननयम, 2023 (2023 का 43) अलर्प्रेि◌ि है;

(ग) "प्रेवषती" प्राप्ि◌िकाव या र्ह व्यक्ति, क्जसे कोई स्◌ि◌ु पररित्त की जानी है अलर्प्रेि◌ि है;

(घ)"प्रशाससननक अनुदेश" से यर्◌ाक्स्नि केन्द्रीय सरकार या वर्ननयम 178 या वर्ननयम 179 या वर्ननयम 180 के अिीन वर्ननदिवष्ट महाननिशक द्◌ारा जारी कायवकारी या प्रशाससनक आि◌ेश या अनुि◌ेश क्जसके अिीन मागविशवक लसद्◌ि◌ांि◌ र्◌ी सक्म्मललि हो, अलर्प्रेि◌ि है;

(ड.) "प्राधिकृत व्यक्तत" से ऐसा व्यक्ति, क्जसे प्रेविि◌ी द्◌ारा डाक-स्◌ि◌ु प्राप्ि◌ि करने के ललए या उसकी ओर से ि◌िन प्राप्ि◌ि करने के ललए वर्धिर्◌ि◌् प्राधिकृि◌ि ककया गया हो, अलर्प्रेि◌ि है;

(च) "पररदान" से ककसी र्स्ि के डडललरी प्रेविि ी प्राप्ि किाव के पि पर, या प्रेविि ी या अन्द्य व्यक्ति या स्र्ान पर क्जसे प्रेविि ी ि क र्स्िओं के डडललरी के सामान्द्य ि रीके के अनुसार र्स्ि प्राप्ि करने के ललए प्राधिकृि माना जाि ा है;

(छ) "ननदेशक (डाक सेि ाएं)" से डाकघर के ककसी प्रशाससनक कायावलय में ननिशक या ननिशक (डाक सेर्ाएं) की शक्तियों का प्रयोग करने र्ाला अधिकारी अलर्ेि है;

(ज) "डाक द्ि ारा पारेषण के अनुक्रम में" डाकघर द्र्ारा ककसी र्स्ि की प्राक्प्ि से लेकर प्रेविि ी ि क उसके डडललरी या प्रेि क को र्ापस करने या अन्द्यर्ा ननपटान ि क की अर्धि अलर्ेि है;

(झ) "लेटर बॉतस" से डाकघरों या मेल कायावलयों या सार्वजननक स्र्ानों पर स्र्ावपि बॉतस अलर्ेि है, क्जसमें पूणवि: पूर्वर्ुगिान र्ाले पत्र, पोस्टकाडव, लेटर काडव और बुक पोस्ट डाक-र्स् ि ु पोस्ट ककए जाि े हैं;

(ञ)"प्राप्तकताा" से ऐसा व्यक्ति जो ि न प्रेि ण सेर्ाओं के माध्यम से ि न प्राप्ि करिा है, अलर्ेि है;

(ट) "डाक" से डाक नेटर्कव द्र्ारा र्स्ि ुओं के संग्रहण, ननकासी, छंटाई, प्रेि ण, पररर्हन और वर्रण के ललए कोई प्रणाली अलर्ेि है;

(ठ) "पोस्टमास्टर" से यर्ाक्स्र्नि, जनरल पोस्टऑकिस जीपीऊ के ननिशक या मुख्य पोस्टमास्टर या प्रिान डाकघर के र्रष्ठ पोस्टमास्टर या हेड पोस्टमास्टर या पोस्टमास्टर की शक्तियों का प्रयोग करने र्ाला कोई अधिकारी, जो ऐसे डाकघर का प्रमुि है, अलर्ेि है;

(ड) "पुननरादेश" से ककसी वर्ननदिवष्ट कारण के ललए ककसी र्स्ि ु को उस पि के अलार्ा ककसी अन्द्य पि पर ननदिवष्ट या ननिलशि करने की कारवर्ाई अलर्ेि है, जो प्रारंर् में दिया गया र्ा;

(ढ)"ि न प्रेषणकताा" से ऐसा व्यक्ति जो ि न प्रेि ण सेर्ाओं के माध्यम से ि न प्रेविि करिा है, अलर्ेि है;

(ण) " ननयम" (रूल्स) से डाकघर ननयम, 2024 अलर्ेि है और "ननयम"(रूल) पि से उति ननयमों के ननयम, अलर्ेि है;

(त)"अनुसूची" से इन वर्ननयमों से संलग्न अनुसूची अलर्ेि है;

(थ) "प्रेषक" से ऐसा व्यक्ति जो कोई डाक-र्स् ि ु र्ेजिा है, अलर्ेि है; **और**

(द) "ि जन" से जब ि क कक अन्द्यर्ा कधर्ि न हो के लसर्ाय सकल र्जन या आयिन र्जन जो र्ी अधिक हो, अलर्ेि है।

(2) शब्ि ों और पिों को जो इसमें प्रयुति हैं, ककन्द्ि ु पररर्ावि ि नहीं हैं; उनका हीं अर्व होगा, जो अधिननयम या डाकघर ननयम, 2024 में पररर्ावि ि हैं।

अध्याय II

सामान्य

3. कारबार घंटे.- (1) डाकघर में कारबार घंटे, क्जसके ि ौरान जनिा के सार् कारोबार ककया जाि ा है, सामान्द्यि: सामान्द्य कायवदिसों पर, जो डाकघर के ललए अर्काश या सरकारी अर्काश नहीं हैं, ननम्नानुसार होंगे, अर्ावि: -

क्रम सं.	काया	कारबार के घंटे
(i)	संि र्व एर्ं पूछिाछ के ललए	कायावलय के सम्पूणव कायव समय के ि ौरान
(ii)	काउंटर सेर्ाएं क्जनमें र्स्ि ुओं की बुककंग और डाक-र्स् ि ुओं की पोक्स्टंग, बीमा प्रीलमयम का संग्रह शालमल है	छह घंटे
(iii)	ि न प्रेि ण- इलेतट्रॉननक मनीऑडवर, र्ारीय पोस्टल ऑडवर आदि ।	छह घंटे
(iv)	बचि बैंक	छह घंटे

(2) शाि◌ा डाकघरों को एक दिन में अधिकिम पांच घंटे ि क ि◌ुला रि जाएगा।

4. (1) सककवल प्रमुि, ि◌ेत्रीय प्रमुि और संर्◌ागीय प्रमुि अपने अधिकार ि◌ेत्र के अंि◌गवि प्रत्येक डाकघर की उस अर्धि को वर्ननदिवष्ट करने के ललए सशति हैं, क्जसके ि◌ौरान जनिा या ग्राहक के सार् कारोबार ककया जाि◌ा है और र्ह समय क्जस पर डाक-र्स् ि◌ु वर्◌िरि और र्◌ेजी जाि◌ी है, क्जसमें अधिकिम कायव घंटे, कारोबारी घंटे, स्◌ानीय सुवर्◌िा और डाक-र्स् ि◌ुओं के आगमन और प्रस्◌ान का समय और डाकघर काउंटरों की कायवप्रणाली को ध्यान में रि जाि◌ा है।

(2) सककवल प्रमुि या ि◌ेत्रीय प्रमुि, यदि जनिा की आर्श्यकिा को पूरा करना आर्श्यक या समीचीन हो, या ककसी वर्शेि◌ पररक्स्◌ति में, वर्ननदिवष्ट कर सकेगा-

(क) कारोबार के घंटे और कायव दिर्सों को छोड़कर अन्य दिन, क्जनमें रवर्◌ार और छुट्दटयां र्◌ी शालमल हैं, क्जनमें डाकघर कारोबार के ललए ि◌ुले रहेंगे ;

(ि) ऐसे कारोबारी घंटों के ि◌ौरान उपलब्◌ि संव्यर्हार (लेन-ि◌ेन) के प्रकार; और

(ग) डाकघर में काम की अधिकिा को पूरा करने ि◌र्◌ा जनिा को सुवर्◌िाओं की समान उपलब्◌ि◌िा सुननक्श्चि करने के ललए कारोबारी घंटों के ि◌ौरान बुककंग के ललए प्रस्◌ुि की जाने र्◌ाली र्स्◌ि◌ुओं की अधिकिम संख्या।

5. डाक शुल्क और ि◌स्तुओं पर प्रभाया अन्य राभशयों का भुगतान.- (1) डाक शुल्क का र्◌ुगिान सामान्यिः ननयम 9 में उक्ल्लखि◌ि ि◌रीकों से ककया जाएगा।

(2) इन वर्ननयमों में अन्यर्◌ा उक्ल्लखि◌ि के लसर्◌ाय ककसी र्स्◌ि◌ु पर ि◌ेय डाक शुल्क एरं अन्य रालश का पूर्व-र्◌ुगिान अननर्◌ायव होगा।

6.गैर-लेखादेयडाक-ि◌स् तुओं और असंदत्त डाक-ि◌स् तुओं पर डाक शुल्क.- (1) यदि गैर-लेि◌ाि◌ेय डाक-र्स् ि◌ुओं पर, क्जन पर डाक दटकट एम्बॉस्ड है, अपेक्षि◌ि डाक शुल्क उन पर मुदरि दटकट के मूल्य से अधिक है, ि◌ो अंि◌र की र्रपाई अपेक्षि◌ि मूल्य के अनिररति डाक दटकट लगाकर की जाएगी। (2) असंि◌त्त ककए गए या अपयावप्◌ि संि◌त्त ककए गए सामान को उन पर ि◌ेय डाक शुल्क र्सूलने के ललए रोक कर रि◌ा जा सकिा है।

7. डाक शुल्क और प्रभाया राभशयाँ पू◌ि◌ा संदत्त योग्य नह ं मानी जाएंगी.- ककसी र्स्◌ि◌ु पर प्रर्◌ायव डाक शुल्क और अन्य रालशयों को उधचि स्टाम्प या फ्रैंककंग छाप या वर्क्रय केन्द्र की रसी◌ि के माध्यम से पूर्व संि◌त्त नहीं समझा जाएगा, यदि-

(क) स्टाम्प या स्टाम्प की छाप या ऐसी छाप जो इन वर्ननयमों या ननयमों के अि◌ीन डाक दटकट या फ्रैंककंग छाप या बबक्री रसी◌ि के रूप में उपयोग के ललए उपलब्◌ि नहीं कराई गई है;

(ि◌) स्टाम्प हट गया हो, वर्कृि◌ हो गया हो, ि◌ट गया हो, कट गया हो या अन्यर्◌ा ि◌िनिग्रस्◌ि हो गया हो;

(ग) स्टाम्प या फ्रैंककंग छाप या बबक्री रसी◌ि पर कोई शब्◌ि, अिर, आकृनि या डडजाइन क्जसे पोस्ट ककए जाने से पूर्व महाननिेशक द्र्◌ारा या छावपि न करर्◌ाया गया हो; या

(घ) स्टाम्प को ककसी उर्रे हुए ललाि◌ि◌े या पोस्टकाडव या आर्रण से काटा गया है या अन्यर्◌ा अलग ककया गया है:

परंि◌ु इस वर्ननयम की कोई बाि◌ि होि◌ि◌े हुए र्◌ी डाक दटकटों पर छोटे-छोटे छेि◌ करने उनके आरंलर्क अिर या अन्य पहचान धचह्न अंककि करने से नहीं रोकेगी:

परंि◌ु यह और कक इस वर्ननयम की कोई बाि◌ि बुक-नाउ-पे-लेटर (बीएनपीएल) डाक-र्स् ि◌ुओं या समय-समय पर प्रशासननक अनुि◌ि◌ेशों द्र्◌ारा वर्ननदिवष्ट अन्य डाक-र्स् ि◌ुओं के पारेि◌ण को नहीं रोकेगी।

8.डाक टटकटों की आपूनता.- (1) डाक दटकटों की आपूनिव, अलर्रि और बबक्री के ललए पररचालन संबंि◌ी दिशाननिश समय-समय पर प्रशासननक अनुि◌ि◌ेशों द्र्◌ारा वर्ननदिवष्ट ककए जाएंगे।

(2)कोई र्◌ी व्यक्ति या इकाई या संस्◌ान या संगठन या इलेतट्रॉननक प्लेटिॉमव महाननिेशक की पूर्व अनुमनि के बबना डाक दटकटों की बबक्री या वर्◌िरण नहीं करेगा या ककसी अन्य ि◌ीके से डाक दटकटों का सौि◌ा नहीं

करेगा।

(3)जो कोई उपरोति वर्ननयम(2) के उपबंि◌ोंं या इसके अिीन जारी अनुमनि के ककसी र्◌ी ननबंि◌न या शिव का उल्लंघन करिा है, ि◌ो र्ह ि◌त्समय प्रर्◌ृत्त ि◌ेश की लागू वर्धि व्यर्स्◌ा के प्रासंधगक उपबंि◌ोंं के अिीन ि◌ंडनीय होगा।

9. डाक-टटकटों का कपटपूणा उपयोग.- (1) यदि कोई पूर्व में उपयोग ककए गए डाक दटकट का कपटपूर्वक या सरकार को हानन पहुंचाने के इराि◌े से उपयोग करने का कायव करिा है, ि◌ो र्ह ि◌त्समय प्रर्◌ृत्त ि◌ेश की लागू वर्धि व्यर्स्◌ा के अिीन ि◌ंडनीय होगा।

(2) यदि कोई ऐसा डाक दटकट पहले से र्◌ेजी गई ककसी र्स्◌ि◌ु पर पाया जाि◌ा है, ि◌ो उस र्स्◌ि◌ु को वर्◌िरिि नहीं ककया जाएगा ि◌र्◌ा ऐसे मामले में समय-समय पर यर्◌ावर्ननदिवष्ट प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा कारर्◌ाई की जाएगी।

10. डाक टटकटों का अिै◌ि◌ विननमााण या उपयोग.- (1) यदि कोई डाक दटकटों का अर्◌ैि◌ वर्ननमावण और उपयोग है, जैसे ककजाली, नकली या ि◌जीडाक दटकट बनाि◌ा है, ि◌ो र्ह ि◌त्समय प्रर्◌ृत्त ि◌ेश की लागू वर्धि के अिीन ि◌ंडनीय होगा।

(2) दटकटों का पुनरुत्पाि◌न केर्ल डाक दटकट संग्रह संबंि◌ी प्रकाशन में, या डाक दटकटों से पूणविः संबंधि◌ ककसी सामग्री, जो ककसी प्रकाशन में या सामान्द्य स्◌रूप में प्रयोग में आ सकिा है, दृष्टांि◌ के प्रयोजनों के ललए ही अनुज्ञाि◌ ककया जाएगा, और ऐसा पुनरुत्पाि◌न केर्ल ऐसे प्ररूप में होगा, जैसा कक समय-समय पर प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा वर्ननदिवष्ट ककया जाए।

11 टटकट-संग्रहण- (1) दटकट संग्रहण, दटकटों, डाक स्टेशनरी, पोस्टमाकव और अन्द्य दटकट संग्रहण सामधग्रयों का अध्ययन और संग्रह है।

(2) डाक दटकट संग्रह से संबंधि◌ि पररचालन प्रकक्रयाएं समय-समय पर प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

12. डाक टटकट संग्रहण सामग्री.-(1) डाक दटकट सामग्री डाकघर द्◌ारा जारी समय-समय पर प्रशासननक अनुि◌ेशों के अनुसार वर्ननदिवष्ट की जाएगी।

(2) डाक दटकट सामग्री में शालमल हैं -

(क) डाक दटकट संग्रहण;

(ि◌) प्रर्म दिर्स आर्रण, ब्रोशर या सूचना पत्र, वर्शे◌ि आर्रण, मैक्तसम काडव, र्◌ाविवक पैक, डाक स्टेशनरी और वर्लन्द्र्ड डाक दटकट संग्रहण प्रकाशन और सहायक सामग्री;

(ग) कलाकृनियााँ, प्रूफ़, प्रगनिशील शीट, मुदरि शीट और डाक दटकट संग्रहण दटकटों की मुरण प्लेटें; ि◌र्◌ा

(घ) डाक दटकट, स्लोगन डाइस और डाक दटकट संग्रहण दटकटों के उत्पाि◌न के संबंि◌ में प्रयुति अन्द्य कलाकृनियााँ।

(3) महाननिेशक प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा डाकघरों में बेची जाने र्◌ाली डाक दटकट संग्रहण सामग्री को वर्ननदिवष्ट करेगा।

(4) डाक दटकट संग्रह संग्रहण सामग्री के उत्पाि◌न और ननगवमन से संबंधि◌ि सर्◌ी गनिवर्धियां समय-समय पर जारी ककए गए प्रशासननक अनुि◌ेशों के अनुसार की जाएंगी।

13.डाक टटकट जार करना.- डाक दटकट ननम्नललखिि◌ प्रकार से जारी ककए जाएंगे, अर्◌ावि◌ः-

(क) ननयत श्रृखंला के डाक-टटकट : पररननक्श्चि दटकट डाक र्ं दटकट होि◌ि◌े हैं, जो वर्शे◌ि रूप से दिन-प्रनिदिन की डाक आर्श्यकिाओं को पूरा करने के ललए जारी ककए जाि◌ि◌े हैं और एक वर्शे◌ि श्◌ृंि◌ला के स्टॉक समाप्◌ि होने ि◌क बबक्री के ललए उपलब्◌ि कराए जाि◌ि◌े हैं, क्जन्द्हें डाकघर की आर्श्यकिा के अनुसार वर्लन्द्र्ड मूल्यर्गों में मुदरि और पुनमुवदरि ककया जाएगा।

(ख) स्मारक टटकट:

(i) स्मारक दटकट र्ह डाक दटकट हैं जो ककसी घटना, संस्ा, वर्ि य और व्यक्तित्र् के स्मरणार्व जारी ककए गए दटकट, जो केर्ल एक बार, सीलमि संख्या में मुदरि ककए जाएंगे और किलैटेललक ब्यूरो, डाक दटकट संग्रहण काउंटर, ऑनलाइन चैनलों या प्राधिकृि कायावलयों के माध्यम से सीलमि अर्धि के ललए बेचे जाएंगे, क्जसे कक समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जा सकिा है ।

(ii) स्मारक दटकटों को संग्रहणीय र्स्ि ु के रूप में रिा जा सकिा है ि्र्ा डाक शुल्क के र्ुगिान के ललए इनका उपयोग ककया जा सकिा है ।

(ग) विशेष टटकट : वर्शेि दटकट र्े डाक दटकट होि्े हैं जो ककसी वर्लशष्ट घटना का स्मरण ककए बबना र्नस्पनि, जीर्, र्ास्ि ुकला या कला जैसे वर्ि यगि होि्े हैं।

(घ) संयुतत जार टटकट: संयुति जारी दटकटर्े डाक दटकट हैं जो र्ारि और ककसी अन्द्य ि्ेश द्ारा पारस्पररक रूप से सहमि शिों और ननयमों पर जारी ककए जाि्े हैं।

(ड.) मेरा टटकट (माई स्टैम्प): मेरा दटकट ऐसे दटकट हैं जो ग्राहक या प्रस्ि्ार्क द्ारा प्रिान ककए गए व्यक्तिगि या अनुकूलि मुरण ि्त्र्ों के आिार पर जारी ककए जाि्े हैं, जो समय-समय पर ननदिवष्ट प्रशासननक अनुि्ेशों की पुक्ष्ट के अिीन होि्े हैं।

14. (1) **स्मारक डाक टटकट जार करना.-** र्ारि का कोई र्ी नागररक समय-समय पर वर्ननदिवष्ट प्रशासननक अनुि्ेशों के अनुसार स्मारक डाक दटकट जारी करने का प्रस्ि्ार् प्रस्ि ुि कर सकिा है।

(2) ऐसे सर्ी प्रस्ि्ार्ों की जांच केन्द्रीय सरकार द्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट प्रशासननक अनुि्ेशों के आिार पर की जाएगी।

(3) संस्ाओं या आयोजनों या संगठनों से संबंधि स्मारक डाक दटकट जारी करने के प्रस्ि्ार्कों को समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्ारा यर्ा वर्ननदिवष्ट संख्या में ऐसे दटकटों की अननर्ायव िरीि करनी होगी:

परंि ु अपर्ाि्ात्मक एर्ं आर्श्यक मामलों में केन्द्रीय सरकार इस शिव में छूट ि्े सकेगी।

(4) डाक दटकटों के मूल्यर्गव घरेलू और अंिरावष्ट्रीय डाक शुल्क के अनुरूप होंगे।

(5) ककसी जीवर्ि व्यक्ति पर कोई डाक दटकट जारी नहीं ककया जाएगा।

(6) स्टाम्प का डडजाइन और मूल्यर्गव केन्द्रीय सरकार द्ारा अनुमोदि होगा।

(7) सर्ी डाक दटकट संग्रह दटकट (किलैटली), ब्रोशर, प्रर्म दिर्स कर्र और डाक दटकट संग्रह संबंि्ी सहायक सामग्री डाकघर द्ारा ननिावररि मूल्य पर या समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्ारा ननदिवष्ट मूल्य पर बेची जाएंगी।

15. डाक टटकट संग्रहण सलाहकार सभमनत.- (1) डाक दटकट संग्रहण सलाहकार सलमनि स्मारक दटकटों, वर्शेि दटकटों और उससे संबंधि अन्द्य संबद्ि मामलों के मुद्ि्े पर सलाह ि्ेगी ।

(2) संचार मंत्रालय के प्रर्ारी केन्द्रीय मंत्री डाक दटकट संग्रहण सलाहकार सलमनि के पिन अध्यि होंगे ि्र्ा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट प्रशासननक अनुि्ेशों के अनुसार सलमनि के सरकारी और गैर-सरकारी सिस्यों को नामननदिवष्ट करेंगे।

16.डाकटटकट धचपकाने का तर का.- (1) ककसी र्स्ि ु पर धचपकाए गए दटकट पूरी ि्रह से उस र्स्ि ु से धचपके होने चादहए, न कक उसकी सामग्री के ककसी र्ाग से या र्स्ि ु से बंि्े या संलग्न ककसी पृर्क लेबल या अन्द्य उपकरण से।

(2) दटकटों को पि र्ाली ि्रि के ि्ादहने ऊपरी कोने पर धचपकाया जाना चादहए।

(3) इस वर्ननयम के उपबंि सम्पूणव डाक-र्स् ि ुओं की फ्रैंककंग पर लागू होंगे।

17.डाक टटकटों और स्टेशनर की कीमत.- (1) डाक दटकट, पोस्टकाडव, लेटर काडव और एरोग्राम उन दटकटों के अंककि मूल्य पर बेचे जाएंगे।

(2) उर्रे (एंबॉस्ड) ललिाि्े और रक्जस्ट्रीकरण ललिाि्े अनुसूची I की सारणीvii में उक्ल्लखिि कीमिों पर बेचे जाएंगे।

(3) वर्शेि राि्ी ललिाि्े संबंधिि सककवल प्रमुि द्र्ारा ननिावररि मूल्य पर बेचे जाएंगे।

18. घरेलू िस्तुओं पर पते के मानक.- (1) ककसी डाक-र्स्ि का एक से अधिक वर्रण पिा नहीं होगा;

परंिु इस उप-वर्ननयम की कोई बाि ककसी र्स्ि को ककसी अन्द्य ऐसे पि पर पहुंचाने से नहीं रोकेगी, क्जसे समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जाए।

(2) पिा, चाहे हस्िललखिि हो या मशीन से मुदरि, में ननम्नललखिि िि्र् और क्रम शालमल होंगे, जैसा कक नीचे दिया गया है: -

नाम
माि्वि, पुत्री, पुत्र, पत्नी, पनि
मोबाइल नंबर (र्ैकक्ल्पक)
मकान/ इमारि (मंक्जल सदहि)/ अपाटवमेंट (मंक्जल सदहि)
गली / सड़क / लेन
सीमाधचह्न
ि्ेत्र / इलाका / सेतटर
गांर्/कस्बा/शहर
डाक घर
क़्िला
राज्य
वपन कोड/ पोस्टकोड

(3) प्रेवि्ी का पिा ललिाि्े के सामने र्ाले र्ाग के मध्य में ललिा जाएगा ि्र्ा प्रेिक का पिा ललिाि्े के सामने र्ाले र्ाग के ननचले बाएँ र्ाग में ललिा जाएगा।

(4) प्रेवि्ी और प्रेिक का पिा क्रमशः "सेर्ा में" और "की ओर से" शब्ि्ों से शुरू होना चादहए।

(5) ललिाि्े के बाएं, नीचे और ि्ाएं ि्रि न्द्यूनिम 15 लममी का ररति स्ान रिा जाएगा ि्र्ा प्रेवि्ी के पि र्ाले ब्लॉक में ऊपर से न्द्यूनिम 40 लममी का अंि्र होगा।

(6) स्टाम्प या फ्रैंक छाप ऊपरी ि्ादहने कोने पर अधिकिम 74 लममी ि्ेत्र में धचपकाई जाएगी। (7) प्रेवि्ी और प्रेिक का पिा ललिाि्े की लंबाई के समानांि्र ललिा जाना चादहए।

(8) पिा ब्लॉक के चारों ओर 10 लममी का ि्ेत्र ककसी र्ी मुरण या लेि्न से मुति होना चादहए। (9) गैर-पिा संबंि्ी जानकारी जैसे कक प्रेिक का कोड, सीररयल या ि्ाि्ा संख्या या अन्द्य जानकारी को आम ि्ौर पर प्राप्ि्किाव के पि में शालमल नहीं ककया जाना चादहए और यदि आश्र्यक हो, ि्ो इसे पि की पहली पंक्ति के ऊपर मुदरि ककया जाना चादहए, लेककन कर्ी र्ी अंनिम पंक्ति के नीचे नहीं। (10) पिा पंक्तियों के बीच की ि्ूरी एक समान होगी ि्र्ा 1 लममी से अधिक ि्र्ा 5 लममी से कम होगी।

(11) शब्ि्ों के बीच ररति स्ान को छोड़कर प्रनि पंक्ति र्णों की अधिकिम संख्या 40 र्णव है। (12) डाकघर में प्रेि्ण के ललए प्रस्ि्ुि कोई जर्ाबिारी र्स्ि्ु िब िक स्ीकार नहीं की जाएगी जब िक कक र्ई ककसी वर्शेि व्यक्ति या ि्मव या संस्र्ा को संबोधिि न हो।

(13) ककसी वर्लशष्ट व्यक्ति या ि्मव को संबोधिि ऐसी र्स्ि्ुएं, माि्वि पोस्ट बॉतस और उस कायावलय का नाम जहां पोस्ट बॉतस क्स्ि् है, र्ी स्ीकार ककए जाएंगे, परंिु र्े उन व्यक्तियों या ि्मों को संबोधिि हों क्जनके नाम पर पोस्ट बॉतस रक्जस्ट्रीकृि हो ;

परन्द्ि्ु यदि पहुंच कायावलय में यह पाया जाि्ा है कक प्राप्ि्किाव के नाम पर कोई पोस्ट बॉतस नहीं है, या प्राप्ि्किाव पोस्ट बॉतस का ककरायेि्ार नहीं रह गया है, ि्ो र्स्ि्ु प्रेिक को र्ापस कर ि्ी जाएगी।

19.रिा सेि्ा काभमाकों के भलए डाक.- रिा सेर्ा कालमवकों के ललए उन र्स्ि्ुओं के मामले में, क्जन्द्हें

सेना डाकघरों के माध्यम से वर्ि रि ककया जाना है, पि में ननम्नललखिि वर्र्ण प्रस्ि ुि ककए जाएंगे:- संख्या
रैंक
नाम
इकाई
ऐसी डाक-र्स् ि ुओं को माि वि (सी/ओ) 56 एपीओ या माि वि (सी/ओ) 99 एपीओ को संबोधि ि ककया जाना चादहए।

20. कुछ मामलों में ककसी डाक-ि स् तु पर पता भलखने की विधि में छूट.- ऐसे प्राधिकाररयों को संबोधि ि र्ा ललाि े पर वर्ननदिवष्ट उपररलेि के सार् डाकघर में प्रस्ि ुि की गई र्स्ि ुएं, समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र ारा वर्ननदिवष्ट प्रेि क के नाम और पूणव पि के बबना प्रेि ण के ललए स्र ीकार की जाएंगी।

21. अंतराष्ट्र य डाक-ि स् तुओं पर संबो ि न के भलएमानक.- (1) ककसी डाक-र्स् ि ु का एक से अधिक वर्ि रण पि ा नहीं होगा:

परंि ु इस उप-वर्ननयम में कोई बाि ककसी र्स्ि ु को ककसी अन्द्य ऐसे पि पर पहुंचाने से नहीं रोकेगी, क्जसे समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र ारा वर्ननदिवष्ट ककया जाए।

(2) पि ा, चाहे हस्ि ललखिि हो या मशीन से मुदरि, सटीक, पूणव और सुपाठ्य ि रीके से ललि ा जाएगा ि ाकक र्स्ि ु का आसानी से संचरण सुननक्श्च हो सके और गंि व्य ि ेश या ि ेत्र में प्रेविि ी ि क उसका वर्ि रण हो सके।

(3) प्रेि क और प्रेविि ी का पि ा रोमन अिरों और अरबी अंकों में ललि ा जाना चादहए, और जहां आर्श्यक हो, प्राप्ि किाव का पि ा गंि व्य ि ेश या ि ेत्र की र्ा ि ा में र्ी ललि ा जा सकि ा है।

(4) गंि व्य स्र ान और गंि व्य ि ेश या ि ेत्र का नाम बड़े अिरों में सही पोस्ट कोड संख्या या डडलीर्री ि ेत्र संख्या के सार् ललि ा जाएगा, जो र्ी लागू हो।

(5) प्रेि क और प्राप्ि किाव के पि में ऐसे ि त्र, जो र्ी लागू हों, और नीचे दिए गए क्रम में होंगे, जब ि क कक अन्द्यर्ा ननदिवष्ट न हो :-

नाम
मोबाइल नंबर (र्ै कक्ल्पक)
इमारि (ि रर्ा़ि ा, मंक्जल, सीढी, वर्ंग, इमारि, अलग-अलग उिाहरण)
गली (गली का नाम/संख्या/प्रकार, प्रार्लमक मागव, द्वर्ि ीयक मागव)
पी. ओ बॉतस
डाक घर
शहर/कस्बा/ग्रामीण ि ेत्र
प्रशासननक ि ेत्र (ि ेत्र स्ि र)
पोस्टकोड
ि ेश/ि ेत्र

(6) ललाि ेे पर प्रेविि ी का पि ा सामने की ओर ि ाईं ओर ि र्ा प्रेि क का पि ा सामने की ओर बाईं ओर नीचे ललि ा जाएगा।
(7) प्रेविि ी और प्रेि क का पि ा क्रमशः "सेर्ा में" और "की ओर से" शब्ि ोंे से शुरू होना चादहए।

(8) ललाि ेे के बाएं, नीचे और ि ाएं ि रि कम से कम 15 लममी का ि ाली स्र ान रि ा जाएगा और प्रेविि ी के पि े के ब्लॉक में ऊपर से कम से कम 40 लममी का अंि र होगा। ऊपरी ि ाएं कोने पर अधिकिम 74 लममी के ि ेत्र में दटकट या फ्रैंक छाप लगाई जाएगी।

(9) पि ा ब्लॉक के चारों ओर 10 लममी का ि ेत्र ककसी र्ी मुरण या लेि न से मुति होना चादहए। (10) गैर-पि ा संबंि ी जानकारी जैसे कक प्रेि क का कोड, सीररयल या ि ाि ा संख्या या अन्द्य जानकारी को आम ि ौर पर प्राप्ि किाव के पि े में शालमल नहीं ककया जाना चादहए और यदि आर्श्यक हो, ि ो इसे पि े की पहली पंक्ति के ऊपर मुदरि ककया जाना चादहए, लेककन कर्ी र्ी अंनिम पंक्ति के नीचे नहीं।

(11) पिा पंक्तियों के बीच की ि ूरी एक समान होगी ि र्ा 1 लममी से अधिक ि र्ा 5 लममी से कम होगी।

(12) शब्ि ोंे के बीच ररति स्र्ान को छोड़कर प्रनि पंक्ति र्णों की अधिकिम संख्या 40 र्णव है।

(13) डाकघर में प्रेि ण के ललए प्रस्ि ुनि की गई लेि ाि ेय डाक र्स्ि ु ि ब ि क स्र्ीकार नहीं की जाएगी जब ि क कक उन्द्हें वर्ननयम 18, 19 और उप-वर्ननयम (5) के अनुसार संबोधि ि न ककया गया हो।

22. डाक-ि स् तुओं का भेजना.-डाक-र्स् ि ुओं को डाक से र् ेजने के ललए ननम्नललखि ि रीकों का उपयोग ककया जा सकिा है:-

(क) **पत्र पेट** - पत्र, पत्र काडव, एरोग्राम, पोस्टकाडव, एयरमेल पोस्टकाडव, बुक पोस्ट, छोटे पैकेट, मुदरि पत्र और दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य पत्र पेटी में डाले जाएंगे, परंि ु कक ि ेय डाक शुल्क का पूणव र् ुगिान पूर्व में ककया गया हो।

टटप्पणी 1: रक्जस्र कृत समाचार पत्र सामग्री, आर्थिक पोस्ट सामग्री और फ्रैंतड डाक-र्स् ि ुएं इन पत्र में पोस्ट नहीं की जाएंगी और यदि पोस्ट की जाि ी हैं ि ो इन्द्हें अित्त माना जाएगा और इनका ननपटान वर्ननयम 71 के अनुसार ककया जाएगा।

टटप्पण 2: लेखादेय डाक-र्स्ि ुएंर् ी पत्र पेदटयों में नहीं डाली जाएंगी।

टटप्पण 3 : बड़ी मिं, जो अपने आकार के कारण लेटर-बॉतस में पोस्ट नहीं ककए जा सकि, उन्द्हें डाकघर की खिड़की पर हार् से प्राप्ि ि ककया जा सकिा है। हालाँकक, ऐसी डाक-र्स् ि ुओं को लेि ाि ेय डाक-र्स्ि ुएं नहीं माना जाएगा।

(ि) **डाकघर काउंटर.**- सर्ी लेि ाि ेय डाक-र्स्ि ुएं डाक द्र ारा पारेि ण के ललए डाकघर के काउंटर पर प्रस्ि ुनि की जाएंगी।

(ग) **फ्रेंचाइजी आउटलेट.**- समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र ारा वर्ननदिवष्ट डाक-र्स् ि ुएं डाकघर के फ्रेंचाइजी आउटलेट के माध्यम से प्रस्ि ुनि की जा सकिी हैं।

(घ) **स्ि -बुककंग ककयोस्क.**- अलर्दहि डाकघरों में उपलब्ि स्र्-बुककंग ककयोस्क का उपयोग प्रशासननक अनुि ेशों द्र ारा वर्ननदिवष्ट डाक-र्स् ि ुओं को पोस्ट करने के ललए ककया जा सकिा है।

टटप्पण: ि ेत्रीय प्रमुि को उन डाकघरों को अलर्दहि करने का अधिकार है, जहां स्र्-बुककंग ककयोस्क की सेर्ा उपलब्ि है।

(ङ) **ि ेब या मोबाइल एप्ल केशन.**- प्राधिकृि र् ेब पोटवल या मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र ारा वर्ननदिवष्ट डाक-र्स् ि ुओं को पोस्ट करने के ललए ककया जा सकिा है।

23. डाक द्ि ारा पारेषण के भलए रसीद.- उस व्यक्ति को रसीि ि ी जाएगी जो डाक द्र ारा पारेि ण के ललए लेि ाि ेय डाक-र्स्ि ुएं प्रस्ि ुनि करिा है।

24. डाक-ि स् तुओं का स्ि ाभमत्ि .- (1) घरेलू डाक-र्स् ि ुओं के ललए, कोई डाक-र्स् ि ु ि ब ि क प्रेि क की संपवत्त बनी रहेगी जब ि क र्ह सही प्रेविनि को नहीं पहुंचा ि ी जाि ी, लसर्ाय उस ि िा के जब उस डाक-र्स् ि ु को ित्समय प्रर्ृनि ि ेश की वर्धि के अिीन अलर्ग्रहण कर ललया जाि ा है।

(2) अंि रावष्ट्रीय डाक-र्स् ि ुओं के ललए, कोई डाक-र्स् ि ु ि ब ि क प्रेि क की संपवत्त बनी रहेगी जब ि क र्ह सही प्रेविनि को नहीं पहुंचा ि ी जाि ी, लसर्ाय उस ि िा के जब उस डाक-र्स् ि ु को उस मूल ि ेश या उसके राज्यित्र या अलर्ग्रहन अर्ि ा गंि व्य स्र्ान की ककसी वर्धि के अिीन अलर्ग्रहण कर ललया जाि ा है।

25. घरेलू डाक-ि स् तुओं का प्रनतषेि.- (1) इन वर्ननयमों के उपबंि ोंे के अिीन रहि हुए, कोई र् ी व्यक्ति डाक द्र ारा ननम्नललखि ि नहीं पारेवि ि करेगा, -

(क) कोई वर्स्ि ोटक, ि िरनाक, गंि ा, अपायकर या हाननकारक पिार्व, कोई ि ीक्षण उपकरण जो समुधचि रूप से संरक्षि ि न हो, या कोई जीवर्ि प्राणी जो डाक या डाकघर के ककसी अधिकारी द्र ारा पारेवि ि ककए जाने के ि ौरान अपायकर हो या क्जससे डाक-र्स् ि ुओं को ि नि पहुंचने की संर्ार्ना हो; या

(ि) डाक द्ारा पारेवि ककए जाने के ि ौरान ककसी मि, या डाकघर के ककसी अधिकारी को ि नि पहुंचने की संर्ार्ना र्ाली कोई चीज; या

(ग) लॉटरी से संबंधि कोई दटकट, प्रस्ि ार्, वर्ज्ञापन या कोई अन्द्य वर्ि य, लसर्ाय उस ि शा के जहां लॉटरी केंरीय सरकार या राज्य सरकार द्ारा आयोक्ज या प्राधिकृि हो; या

(घ) कोई र्ी अलशष्ट, अनैनिक या अश्लील मुरण, पेंदटंग, ि ोटोग्राि, ललर्ोग्राि, उत्कीणव, पुस्ि क या काडव, या कोई अन्द्य डडक्जटल मीडडया, या कोई अन्द्य अलशष्ट, अनैनिक या अश्लील मि; या

(ङ) कोई र्ी डाक-र्स् ि ु क्जस पर या उसके कर्र पर अलशष्ट, अश्लील, राजरोही, गंि े, ि मकी र्ें या घोर घृणोत्पाि क प्रकृनि के कोई शब्ि, धचह्न या डडजाइन हों; या

(च) कोई ऐसी डाक-र्स् ि ु क्जस पर या उसके कर्र पर कोई ऐसी बाि हो जो कानून और व्यर्स्र्ा बनाए रिने पर प्रनिकूल प्रर्ार् डाली हो; या

(छ) कोई डाक-र्स् ि ु क्जस पर या उसके आर्रण पर ककसी ऐसे व्यक्ति का धचत्रात्मक प्रनिननधित्र् हो जो उद्घोवि अपरािी हो या क्जसे ि ेश में ित्समय प्रर्ृि ककसी वर्धि के अिीन ि ंडनीय अपरािि के ललए ि ोिलसद्ि ककया गया हो; या

(ज) कोई डाक-र्स् ि ु क्जसके आर्रण पर, उसके पि र्ाले र्ाग पर कुछ ललिा, मुदरि या अन्द्यर्ा अंकि या संलग्न हो, क्जसके कारण या ि ो उसे शुल्क के र्ुगिान के ललए प्रयुति दटकटों के रूप में समझे जाने की सम्र्ार्ना हो या ककसी ऐसे दटकट से असुवर्ि ाजनक ननकटि हो या पिा आसानी से और शीघ्रि से पढे जाने में बाि ा उत्पन्द्न हो; या

(झ) अंिरावष्ट्रीय स्र्ापक ननयंत्रण बोडव द्ारा यर्ा पररर्ावि स्र्ापक और मन:प्रर्ार्ी पिार्व, या अन्द्य अर्ैि ओिधियां जो गंि व्य ि ेश या उसके राज्यिेत्र, मूल ि ेश या उसके राज्यिेत्र, केंरीय सरकार, राज्य सरकारों या ककसी प्राधिकृि अलर्करण में प्रनिविद्ि हैं; या

(ञ) कूटकृि और पायरेटेड मिें; या

(ट) कोई र्ी ऐसी चीज, जो अपनी प्रकृनि या पैककंग के कारण पि ाररयों या जनसाि ारण को ि िरे में डाल सकिी है, या अन्द्य मिों, डाक उपस्करों या ि ीसरे पि की संपवत्त को गंि ा या नुकसान पहुंचा सकिी है; या

(ठ) ि िरनाक माल, स्र्ापक और मन:प्रर्ार्ी पिार्व, प्रनिविद्ि ओिधियां और सौंियव प्रसाि न मिें, अंिरावष्ट्रीय र्ायु पररर्हन संघ (आईएटीए), अंिरावष्ट्रीय नागररक उड्डयन संगठन (आईसीएओ), र्ंर्जीर् वर्र्ाग और ओिधि और प्रसाि न सामग्री अधिननयम, 1940 (1940 का 23) द्ारा या उसके अिीन प्रनिविद्ि डाक-र्स् ि ुएं या ि ेश की ककसी वर्धि द्ारा प्रनिविद्ि मिें; या

स्पष्ट्ट करण.- इस ि ंड के प्रयोजन के ललए, "ि िरनाक माल" से र्े डाक-र्स् ि ु या पिार्व अलर्प्रेि हैं जो स्र्ास्र््य, सुरि, संपवत्त या पयावर्रण के ललए जोखिम उत्पन्द्न करने में सिम हैं, क्जसके अिीन वर्स्ि ोटक, गैसें, ज्वलनशील ि रल पिार्व, वर्ि ाति और संक्रामक पिार्व, सं ि ारक और अन्द्य वर्वर्ि डाक-र्स् ि ुएं सक्म्मलि हैं जो स्र्ास्र््य और सुरि के ललए पररसंकटमय हैं:

परंि ु बैटरी और अन्द्य मिें, क्जनका र्ायु मागव से पारेि ण प्रनिविद्ि है, प्रेविनि िक केर्ल सिही माध्यम से ही र्े जी जाएंगी; या

(ड) इन वर्ननयमों में अन्द्यर्ा अनुज्ञाि के लसर्ाय जीवर्ि पशु ; या

(ढ) वर्शे ि प्रकक्रया के माध्यम से अनुमनि प्राप्ि के लसर्ाय लसतके, बैंक नोट और अन्द्य मूल्यर्ान डाक-र्स् ि ुएं :

परंि ु यह आि ेश, र्ारिीय ररजर्व बैंक के दिशा-ननिशों, वर्ि ेशी मुरा प्रबंि न अधिननयम, 1999 (1999 का 42) के अिीन बनाए गए वर्ि ेशी मुरा प्रबंि न (मुरा का ननयावि और आयाि) वर्ननयम, 2015 या इस वर्ि य पर ि ेश में ित्समय प्रर्ृि ककसी अन्द्य वर्धि के अनुरूप होगा:

परंि यह और कक करेंसी नोट, लसतके या बैंक नोट हमेशा बीमाकृि डाक-र्स् ियों के रूप में पारेवि ककए जाएंगे; या

(ण) अन्य मिें, क्जनका आयाि या पररचालन मूल या गंव्य ि ेश या राज्यिेत्र में प्रनिविद्ि है; या

(ि) र्िमान और व्यक्तिगि पत्राचार की प्रकृनि र्ाले िस्ि ारेज, अलर्लेि ीय सामधग्रयों के अपर्ाि के सार् जो प्रेिक और प्रेविनि या उनके सार् रहने र्ाले व्यक्तियों से लर्द्र अन्य व्यक्तियों के बीच आिान-प्रिान ककए गए हों; या

(र्) वर्श्र् डाक संघ (यूपीयू) या ककसी अन्य संगठन द्र्ारा अंिरावष्ट्रीय डाक सेर्ाओं में प्रनिविद्ि कोई चीज; या

(ि) केन्द्रीय सरकार द्र्ारा समय-समय पर प्रनिविद्ि कोई अन्य चीज।

26. अंतरााष्ट्र य डाक-िस् तुओं का प्रनतषेि.- इन वर्ननयमों में अधिकधर्ि शिों को पूरा न करने र्ाली अंिरावष्ट्रीय डाक-र्स् ियों को प्रर्ेश नहीं दिया जाएगा िर्ा कपटपूणव कायव को आगे बढाने के ललए या डाक या अन्य डाक शुल्क के र्ुगिान से बचने के इराि े से र्ेजी गई डाक-र्स् ियों को प्रर्ेश नहीं दिया जाएगा।

27. अंतरााष्ट्र य डाक-िस् तुओं पर विननयम 25 का लागू होना.- ननम्नललखिि मामलों के लसर्ाय वर्ि ेश या उसके राज्यिेत्र से डाक द्र्ारा पारेवि की जाने र्ाली अंिरावष्ट्रीय डाक-र्स् ियों पर वर्ननयम 25 लागू होगा, अर्ावि:-

(क) ऐसे ि िरनाक माल, जो मूल ि ेश या उसके राज्यिेत्र और गंव्य के बीच डाक द्र्ारा पारेवि ककए जा सकि हैं, क्जन्द्होंने उन्द्हें पारस्पररक रूप से या एक दिशा में स्र्ीकार करने की अपनी इच्छा की घोिणा की है, परंि ु र्े राष्ट्रीय और अंिरावष्ट्रीय सुसंगि वर्धियों के अनुपालन में हों;

(ि) जीवर्ि पशु, क्जन्द्हें ननम्नललखिि में प्रर्ेश दिया जाएगा-

(i) बीमाकृि डाक-र्स् ियों से लर्द्र डाक पत्र मिें: मिुमक्तियां, जोंक और रेशम के कीड़े; हाननकारक कीटों के परजीर्ी और वर्ध्र्सक, जो उन कीटों के ननयंत्रण के ललए आशनयि हैं और आधिकाररक रूप से मान्द्याप्राप्ि संस्र्ाओं के बीच आिान-प्रिान ककए जाि े हैं; जैर्-धचककत्सा अनुसंि ान के ललए ड्रोसोकिललडे पररर्ार की मक्तियां, क्जनका आधिकाररक रूप से मान्द्या प्राप्ि संस्र्ाओं के बीच आिान-प्रिान ककया जाि ा है;

(ii) पासवल: जीवर्ि पशु क्जनका डाक द्र्ारा प्रर्ण संबद्ि ि ेशों या राज्यिेत्रों के डाक वर्ननयमों या लागू वर्धियों द्र्ारा प्राधिकृि है।

28. बहुमूल्य ि ातुओं और बहुमूल्य पत्थरों का पारेषण.- (1) बहुमूल्य ि ाि ुएं (क्जसके आिीन सोना, चांि ी, प्लेदटनम या अन्य बहुमूल्य ि ाि ुएं सक्म्मललि हैं), बहुमूल्य पत्र्र (क्जसके आिीन हीरा या अन्य बहुमूल्य पत्र्र सक्म्मललि हैं), आर्ूिण या इनका कोई संयोजन, चाहे वर्ननलमवि हो या नहीं, लसतके, बैंक नोट, करेंसी नोट, ि ारक को ि ेय ककसी र्ी प्रकार की प्रनिर्ूनियां, यात्री चेक, अन्द्यर्ा वर्ननदिवष्ट के लसर्ाय, ककसी र्ी क्स्र्नि में, बीमा रदहि लेटर-पोस्ट डाक-र्स् ि ु में डाक द्र्ारा पारेवि नहीं ककए जाएंगे।

(2) उप-ननयम (1) के उपबंि ों पर प्रनिकूल प्रर्ार् डाले बबना, कोई र्ी ि ेश या राज्यिेत्र, अपने राज्यिेत्र से प्रारंर् होने र्ाले या उसके पि पर आने र्ाले या उसके राज्यिेत्र में अलर्हन (ि ुले अलर्हन) में पारेवि ककए गए बीमाकृि या गैर-बीमाकृि पासवल में स्र्णव बुललयन के संलग्नीकरण पर इस प्रकार पारेवि डाक-र्स् ि ुओं के र्ास्ि वर्क मूल्य िक प्रनिबंि लगा सकिा है ।

29. कनतपय मामलों में दृक्ष्टह नों के भलए डाक-िस् तुओं का ननषेि.- ननम्नललखिि शिों के आिीन दृक्ष्टहीनों के ललए मुदरि पत्र और सादहत्य के रूप में सामग्री के पारेि ण पर प्रनिबंि रहेगा, अर्ावि:-

(क) उस पर कुछ उत्कीणव नहीं होगा या कोई पत्र-व्यर्हार नहीं होगा;

(ि) उन मामलों के लसर्ाय जहां डाक-र्स् ि ु में एक काडव, ललिाि ा या आर्रण संलग्न हो, इसमें कोई डाक दटकट या पूर्वर्ुगिान का प्ररूप, चाहे रद्ि ककया गया हो या नहीं, या ि नीय मूल्य ि शावने र्ाला कोई

कागज नहीं होगा, क्जस पर डाक-र्स् ि ु के प्रेि क या मूल डाक-र्स् ि ु के पोक्स्टंग या गंि व्य के ि ेश या राज्यिेत्र में उसके प्राधिकृ ि व्यक्ति का मुदरि पिा हो, जो र् ापसी के ललए पूर्वर् ुगिान ककया गया हो।

30. विननयम 27 के उल्लंघन में पारेवषत मदें.- (1) वर्ननयम 27 के उल्लंघन में ककसी डाक-र्स् ि ु को ककसी र् ी पररक्स्र्नि में यर् ाक्स्र्नि उसके गंि व्य स्र् ान पर नहीं र् ेजा जाएगा, प्रेविनियों को नहीं सौंपा जाएगा, या मूल स्र् ान पर नहीं लौटाया जाएगा जो र् ी लागू हो ।

(2) जहां उप-वर्ननयम (1) में वर्ननदिवष्ट कोई डाक-र्स् ि ु अलर्हन के ि ौरान पाई जाि ी है, उसे अलर्हन के ि ेश या उसके राज्यिेत्र के लागू वर्धि के अिीन संर्् ाला जाएगा।

[भागII—खण् ड3(ii)] भारत का रा िपत्र : असाधारण 15

(3) जहां उप-वर्ननयम (1) में वर्ननदिवष्ट कोई डाक-र्स् ि ु पारेि ण के ि ौरान पाई जाि ी है, उसे प्रशासननक अनुि ेशों द्र् ारा वर्ननदिवष्ट रीनि से हटाया और ननपटाया जा सकेगा ि र्् ा शेि डाक-र्स् ि ुओं को उसके गंि व्य स्र् ान पर अग्रेवि ि कर दिया जाएगा, सार् ही ऐसी अग्राह्य डाक-र्स् ि ु के ननपटान के बारे में सूचना र् ी ि ी जाएगी।

31. सीमा शुल्क ननयंत्रण.- (1) डाकघर में प्रस्ि ुि सर् ी अंि रावष्ट्रीय आउटबाउंड मिें, सीमा शुल्क ननयंत्रण ि र्् ा मूल ि ेश या उसके राज्यिेत्र और गंि व्य ि ेश या उसके राज्यिेत्र के लागू वर्धियों के अिीन होंगी।

(2) सर् ी अंि रावष्ट्रीय आर्क मिें, सीमा शुल्क ननयंत्रण और ि ेश में ि त्समय प्रर्् ृि वर्धि के अिीन होंगी।

(3) सीमा शुल्क वर्् ाग द्र् ारा लगाया गया कोई र् ी सीमा शुल्क, अनुसूची III की सारणी XII में उक्ल्लखि ि अनिररति डाक शुल्क के सार्, डडललर्री के समय प्रेविनि से प्रर् ाररि ककया जाएगा।

32. डाकघर को सीमा शुल्क आटद एकत्र करने के भलए प्राधिकृत ककया जाना.- डाकघर को, यर् ाक्स्र्नि, डाक-र्स् ि ुओं के प्रेि क या प्रेविनि से सीमा शुल्क ि र्् ा अन्द्य सर् ी शुल्क जो ि ेय हों, एकत्र करने के ललए प्राधिकृ ि ककया जाएगा।

33. ककसी विधि के उल्लंघन में भेजी गई मदें.- ककसी अधिननयम, ननयम, वर्ननयम या ि ेश के ककसी अन्द्य वर्धि के उल्लंघन में डाक द्र् ारा र् ेजी गई ककसी र् ी डाक-र्स् ि ु को, यर् ाक्स्र्नि, प्रर्् िवन अलर्करण या प्राधिकरण या अधिकारी द्र् ारा ननिलशि रीनि से ननरू द्ि ककया और ननपटाया जा सकि ा है।

34. अन्तरू द्ि डाक-ि स् तुओं का ननपटान.- (1) यदि डाकघर के ककसी पि ि ारी या अधिकारी को समुधचि आिारों पर सं ि ेह हो कक ककसी डाक-र्स् ि ु के पारेि ण के ि ौरान-

(क) इसमें कोई ऐसी डाक-र्स् ि ु सक्म्मललि है क्जसके संबंि में कोई अपरा ि ककया जा रहा है या अपरा ि करने का प्रयास ककया जा रहा है; या

(ि) इसमें कोई ऐसी डाक-र्स् ि ु सक्म्मललि है जो ककसी अपरा ि के ककए जाने का साक्ष्य प्रस्ि ुि करिी हो; या

(ग) ककसी अपरा ि के अग्रसरण में र् ेजी जा रही हो; या

(घ) क्जसे रिा, लोक सुरिा या लोक व्यर्स्र्ा के दहि में, प्राप्ि करने और परीक्षि ि करने की आर्श्यकिा हो,

ऐसा पि ि ारी या अधिकारी, ननयमों के उपबंि ोंं के अनुसार संबंधि ि वर्धि प्रर्् िवन प्राधिकरी द्र् ारा परीि ा के प्रयोजनार्व डाक-र्स् ि ु को ननरुद्ि करने के ननिेश के ललए सिम प्राधिकारी को सूधचि करेगा।

(2) यदि उप-वर्ननयम (1) के अिीन ककसी डाक-र्स् ि ु की परीि ा करने पर र्ह सं ि ेह क्जसके कारण उसकी जांच की गई र् ी-

(क) प्रमाखणि हो जाि ा है, ि ो उस डाक-र्स् ि ु को आपराधिक अलर्योजन में साक्ष्य के प्रयोजनों के ललए ननरुद्ि ककया जा सकि ा है या नष्ट ककया जा सकि ा है या ऐसी अन्द्य रीनि से ननपटाया जा सकि ा है जैसा कक वर्धि प्रर्् िवन प्राधिकाररयों के आि ेशों में प्राधिकृ ि हो;

(ि) प्रमाखणि नहीं होि्ा है, ि्ो डाक-र्ि ु को उस व्यक्ति को क्जसे र्ह संबोधिि है या प्राधिकृि व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा ।

35. ऐसी डाक-ि्स् तुएं क्जनमें खतरनाक पदाथा होने का संदेह है.- (1) जहां ककसी डाक-र्ि ु में कोई वर्स्ि्ोटक, ि्िरनाक, अपायकर, हाननकारक या गंि्ा पिार्व या कोई ऐसी डाक-र्ि ु होने का संि्ेह है क्जससे डाक या डाकघर के ककसी अधिकारी को ि्नि पहुंचने की संर्ार्ना है, जहां ऐसा पि चलि है, उसे पारेि्ण बबंि्ु पर अन्द्ि्रूवद्ि ककया जाएगा और ननरूद्ि ककया जाएगा और डाकघर का प्र्ारी अधिकारी मामले की सूचना ि्ुरंि् यर्ाक्स्नि, पुललस प्राधिकाररयों, डाकघर प्राधिकाररयों और अन्द्य अलर्दहि प्राधिकाररयों को ि्ेगा।

(2) डाक-र्ि ु के संबंि् में आगे की आर्श्यक कारवर्ाई उप-वर्ननयम (1) में वर्ननदिवष्ट प्राधिकाररयों के ननिेशों के अनुसार की जाएगी।

36. प्रकट करण पर ननबंि्न.- कोई र्ी व्यक्ति ककसी संचार या सूचना का प्रकटन नहीं कर सकिा है, जो इन वर्ननयमों के अनुसार उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कि्यों के पालन में प्राप्ि की गई है, लसर्ाय इसके कक-

(क) ककसी अन्द्य व्यक्ति को, क्जसे इन वर्ननयमों के अनुसार अपने कार्यों के समान प्रयोग या पालन के ललए इसकी आर्श्यकिा हो;

(ि) ऐसी सूचना क्जसका ककसी वर्धि के अनुसार या ककसी न्द्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रकटन ककया जाना अपेक्षि हो।

37. खोल गई डाक-ि्स् तुओं का ननपटान.- (1) यदि ननयमों के अि्ीन वर्ननदिवष्ट डाक अधिकारी द्र्ारा ि्ोली गई या परीक्षि की गई कोई डाक-र्ि ु वर्धिवर्रूद्ि या प्रनिविद्ि डाक-र्ि ु पाई जाि्ी है, ि्ो ऐसी डाक-र्ि ुओं का ननपटान वर्ननदिवष्ट प्राधिकाररयों के ननिेशों के अनुसार ककया जाएगा।

(2) यदि उप-वर्ननयम (1) में वर्ननदिवष्ट मि, वर्धिवर्रूद्ि या प्रनिविद्ि नहीं पाई जाि्ी है, ि्ो उसे उसके गंि्व्य स्ान पर इस प्रकार र्ेजा जाएगा मानो उसे ि्ोला या परीक्षि नही ककया गया हो।

38. ककसी डाक-ि्स् तु को खोलने की सूचना.- जहां कोई डाक-र्ि ु वर्धिवर्रूद्ि पाई जाि्ी है, उसे अधिननयम की ि्ारा 9 के अि्ीन डाक अधिकारी या पि्िारी द्र्ारा ि्ोला जाि्ा है, ि्ो प्रेधिक को और यदि र्ह नहीं पाया जाि्ा है, ि्ो प्रेविनि को सूचना र्ेजी जाएगी ।

39. दानयत्ि से राहत नह ं.- अधिननयम या ननयमों या इन वर्ननयमों के अि्ीन ककसी डाक-र्ि ु को ननरूद्ि ककया जाना, ि्ोलना, परीि्ण करना, नष्ट करना या ननपटाना ककसी व्यक्ति को इन वर्ननयमों के वर्रुद्ि ककसी अपरा्ि के ललए ि्ानयत्र् से मुति नहीं करेगा।

40. प्रनतकर का कोई अधिकार नह ं.- ककसी व्यक्ति को अधिननयम या ननयमों या वर्ननयमों या ि्ेश की ि्त्समय प्र्ृि वर्धि द्र्ारा प्रित्त शक्तियों के अि्ीन ककसी डाक-र्ि ु या उसके संलग्नक को ननरूद्ि करने, ि्ोलने, परीि्ण करने, अलर्ग्रहण करने, नष्ट करने या ननपटाने, के कारण प्रनिकर का कोई अधिकार नहीं होगा, न ही संचार मंत्रालय के डाक वर्र्ाग या उसके ककसी अधिकारी या कमवचारी द्र्ारा कोई ि्ानयत्र् उपगि ककया जाएगा।

अध्याय III

डाक-ि्स् तुओं के डडभलिर की र नत

41. लेखादायी मदें.- ले्ि्ाि्ायी डाक-र्ि ुओं का डडललर्री इस प्रकार ककया जाएगा-

(क) रक्जस्ट्रीकृि मि, बीमाकृि मि, कैश ऑन डडलीर्री, मनीऑडवर के मामले में प्रेविनि या प्राधिकृि व्यक्ति को;

(ि) स्पीड पोस्ट मि, इंडडया पोस्ट पासवल आदि के मामले में प्राधिकृि व्यक्ति को या उसके पि पर।

42. लेखादायी डाक-ि्स् तुओं के डडभलिर के भलए जार ककया जाना.- (1) ले्ि्ाि्ायी डाक-र्ि ु डडललर्री के ललए जारी की जाएगी और यदि ककसी कारणर्श प्रर्म प्रस्ि्ुनि पर उसका डडललर्री नहीं ककया

जाि्ा है, ि्ो उसे डडललर्री के ललए पुनः जारी ककया जाएगा। यदि ि्ो प्रयासों के बाि र्ी डडललर्री नहीं ककया जा सकिा है, ि्ो ककसी र्ी क्स्नि में इसे डडललर्री के ललए पुनः जारी नहीं ककया जाएगा।

(2) ि्र्ावप, लेि्ाि्ायी डाक-र्स् ि्ु के आगमन की सूचना प्रेविनि को जारी की जाएगी, ि्ाकक र्ई स्यं या डाकघर के प्राधिकृि व्यक्ति द्र्ारा ऐसी डाक-र्स् ि्ु का डडललर्री ले सके।

43. प्रेवषनत द्ि्ारा रसीद पर हस्ताि्र करना.- (1) लेि्ाि्ायी डाक-र्स् ि्ु का प्रेविनि या प्राधिकृि व्यक्ति, उस डाक-र्स् ि्ु की रसीि और डडललर्री के सबूि पर, यदि र्ई उससे संबंधिि हो, हस्ि्ाि्र करेगा, जब ि्क कक आर्रण के बाहरी स्रूप से छेड़छाड़ का संि्ेह उत्पन्द्र न हो।

(2) जहां लेि्ाि्ेय डाक-र्स्ि्ुए के आर्रण के बाहरी स्रूप के बारे में संि्ेह हो कक उसमें छेड़छाड़ की गई है, हाँ डाक-र्स् ि्ु को डाकघर में पोस्टमास्टर की उपक्स्नि में ि्ोला जाएगा और उसकी अंि्र्वस्ि्ु को एक सूची में ि्जव ककया जाएगा, जो ि्ो प्रनियों में ि्ैयार की जाएगी और क्जस पर प्रेविनि द्र्ारा हस्ि्ाि्र ककए जाएंगे।

(3) डाकघर द्र्ारा प्रेि्क को हस्ि्ाि्ररि सूची की एक प्रनि, उसके सार् संलग्न डडललर्री के अहस्ि्ाि्ररि सबूि के सार् अग्रेविि की जाएगी और यदि उस डाकघर के कमवचाररर्ृंि, जहां से डाक-र्स् ि्ु परररित्त की जानी है प्रेविनि या प्राधिकृि व्यक्ति को नहीं जानि है, ि्ो डाकघर के कमवचाररर्ृंि्ोंं के ककसी पररधचि व्यक्ति द्र्ारा प्रेविनि या प्राधिकृि व्यक्ति की पहचान ककया जाना या पोस्टमास्टर की संि्ुक्ष्ट के ललए उसकी पहचान स्र्ावपि करने र्ाले साक्ष्य का प्रस्ि्ुि ककया जाना आर्श्यक होगा, यदि डडललर्री करने र्ाले डाकघर के पि्ाारी द्र्ारा ऐसी अपेि्ा की जाए।

44. लेखादेय डाक-ि्स्तुओं से भभन्न अन्य डाक-ि्स् तुओं का पत्र डडभलिर बॉतस.- (1) ऐसे प्रेविनि के ललए, क्जसने पोस्ट बॉतस या पोस्ट बैग की सुवर्ि्ा का उपर्ोग ककया है, डाक-र्स् ि्ुओं का डडललर्री पोस्ट बॉतस या पोस्ट बैग में ककया जा सकेगा।

(2) पोस्ट बॉतस या पोस्ट बैग का उपर्ोग न करने की क्स्नि में, डाक-र्स् ि्ुओं का डडललर्री प्रेविनि के पररसर में संस्र्ावपि पत्र डडललर्री बॉतस के माध्यम से ककया जाएगा।

(3) प्रेविनि द्र्ारा उप-वर्नननयम (2) में वर्ननदिवष्ट प्रत्येक घर या र्ॅन के र्ूि्ल पर, क्जसमें प्रेविनि अक्स्र्ि है, एक पत्र डडललर्री बॉतस, क्जस पर नाम और पि्ा ललिा हो और जो प्रेविनि की

अपेि्ानुसार आयाम का हो, संस्र्ावपि ककया जाएगा और ऐसे पत्र डडललर्री बॉतस सुवर्ि्ाजनक स्र्ान पर रि जाएंगे, जो डाककया या डडललर्री करने र्ाले व्यक्ति के ललए आसानी से पहुंच योग्य हो।

स्पष्ट करण.- इस उप-वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए, "र्ॅन" पि से ि्ो या अधिक मंक्जलों र्ाले संननमावण से है, क्जसमें ऊंची इमारिं र्ी सक्म्मललि हैं, और जो अक्स्ित्र् में हैं या क्जनका ननमावण पूरा हो चुका है;

परंि्ु एक इमारि या इमारि की एक ही मंक्जल पर क्स्ि एक या अधिक या सर्ी प्रेविनियों द्र्ारा एक ही पत्र डडललर्री बॉतस को एक सामान्द्य पत्र बॉतस के रूप में प्रिान ककया जा सकिा है:

परंि्ु यह और कक जहां रसीि के वर्रुद्ि परररित्त की जाने र्ाली मि, प्रेविनि की अनुपलब्ि्ि्ा के कारण परररित्त नहीं की जाि्ी है, ि्ो उससे संबंधिि सूचना, पत्र डडललर्री बॉतस या डडक्जटल संचार के माध्यम से ि्ी जा सकिी है।

(4) प्रत्येक ऐसे पत्र डडललर्री बॉतस में शीि्व पर क्स्ि एक पोक्स्टंग नछर होगा जो सामने की ओर होगा, क्जसमें पोक्स्टंग नछर के ननचले ककनारे से अंि्र की ओर ननकला हुआ एक ि्ैनिज ककनारा सक्म्मललि होगा।

(5) जहां ऐसा पत्र डडललर्री बॉतस स्र्ावपि नहीं है, ऐसी डाक-र्स् ि्ुओं का डडललर्री केर्ल डाकघर में ही ककया जाएगा, जब ि्क कक पत्र डडललर्री बॉतस स्र्ावपि न हो जाए।

(6) जहां ककसी वर्शेि्ा र्ॅन में इस आि्ेश के उपबंि्ोंं का अनुपालन करने में र्ास्ि्वर्क कदठनाई हो, हाँ प्रर्ागीय प्रमुि, अलर्ललखिि ककए जाने र्ाले कारणों से, उति र्ॅन को इस वर्ननयम के उपबंि्ोंं से छूट ि्े सकि हैं।

(7) ऐसे आकार की डाक-र्स् िुएं क्जन्द्हें पत्र डडललर्री बॉतस में पररित्त नहीं ककया जा सकिा है, ि्र्ा बबना र्ुगिान की गई या अपयावप्ि र्ुगिान की गई डाक-र्स् िुओं को डाककया या डडललर्री करने र्ाले व्यक्ति के माध्यम से प्रेविन या प्राधिकृि व्यक्ति को या पि पर पररित्त ककया जाएगा।

(8) बबना र्ुगिान की गई या अपयावप्ि र्ुगिान की गई डाक-र्स् िुओं का डडललर्री केर्ल अपेक्षिि डाक शुल्क र्सूल करने के पश्चाि् ही ककया जाएगी।

45. खखड़की द्ि ारा पररदान.- ककसी डाक-र्स् िु का प्रेविन, पोस्ट बॉतस या पोस्ट बैग प्रणाली की सुवर्ि ा के बबना, बबना ककसी प्रर्ार के, पोस्टमास्टर को ललखिि अनुरोि ि ेकर, व्यार्सानयक घंटों के ि ौरान डाकघर में डाक-र्स् िु प्राप्ि करने की सुवर्ि ा का लार् उठा सकिा है और ऐसे मामले में, डाक-र्स् िु को ि ररॉजे पर डडललर्री के ललए डाककया को नहीं दिया जाएगा।

46. पोस्ट बॉतस.- (1) कोई व्यक्ति, िमव या अन्द्य ननकाय, पोस्ट बॉतस संख्या र्ाली पूणव प्रीपेड डाक-र्स् िुओं की पोस्ट बॉतस के माध्यम से डडललर्री के ललए अनुसूची I की सारणी IX में उक्ल्लखिि लागू ि ीस के सार् आर्े ेन करके कुछ डाकघरों में पोस्ट बॉतस की सुवर्ि ा का लार् उठा सकिा है।

(2) पोस्ट बॉतस से संबंधिि शिें समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

47. पोस्ट बैग.- (1) कोई व्यक्ति, िमव या अन्द्य ननकाय, पोस्ट बैग संख्या र्ाले पूणविः पूर्वर्ुगिान ककए गए डाक-र्स् िुओं को पोस्ट बैग के माध्यम से प्राप्ि करने और पररित्त करने के ललए अनुसूची

I की सारणी IX में उक्ल्लखिि लागू ि ीस के सार् आर्े ेन करके ककसी र्ी डाकघर में पोस्ट बैग की सुवर्ि ा का उपर्ोग कर सकिा है।

(2) पोस्ट बैग से संबंधिि शिें समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

48. स्माटा डडभलिर बॉतस.- (1) सकवल प्रमुि को डाकघरों या अन्द्य स्र्ानों को अलर्दहि करने के ललए प्राधिकृि ककया गया है, जहां स्माटव डडललर्री बॉतस की सेर्ाएं उपलब्ि हैं।

(2) ककसी र्ी व्यक्ति द्र्ारा समय-समय पर प्रशासननक ननिशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ि ीस या प्रर्ार के सार् डाकघर में आर्े ेन करके सेर्ा का लार् उठाया जा सकिा है।

(3) स्माटव डडललर्री बॉतस का उपयोग समय-समय पर प्रशासननक ननिशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट बॉतस के समनुि ेलशिी को संबोधिि ऐसी डाक-र्स् िुओं के डडललर्री के ललए ककया जाएगा।

49. लोक अधिकाररयों को पररदत्तगी.- (1) क्जन डाक-र्स् िुओं पर "र्ारि सरकार सेर्ार्व" ललिा हो और क्जनमें पि में लोक अधिकारी का नाम और पि ि ोनों हों या क्जनमें पि नहीं हो, उन्द्हें उनके पि के अनुसार ही पररित्त या पुनःननिलशि ककया जाएगा, लें ही अलर्दहि व्यक्ति अब पि पर न हो या ई अपना स्र्ान छोड़ चुका हो।

(2) क्जन डाक-र्स् िुओं पर "र्ारि सरकार सेर्ार्व" ललिा न हो, ककन्द्ि ु पि में लोक अधिकारी का नाम और पि ि ोनों हों, उन्द्हें उनके नाम के अनुसार ही पररित्त या पुनःननिलशि ककया जाएगा, जबकक क्जन डाक-र्स् िुओं पर पि में नाम नहीं हो, उन्द्हें संबोधिि व्यक्ति के पि के अनुसार ही पररित्त ककया जाएगा।

50. फमों आटद को डाक-ि स् तुएं पररदत्त करने की विशेष प्रकक्रया- (1) िमव या कंपनी को डडललर्री के ललए संबोधिि डाक-र्स् िुएं यर्ाक्स्र्नि, स्र्ामी, र्ागी ि ार या प्रोपराइटर द्र्ारा, प्राधिकृि व्यक्ति को पररित्त की जाएंगी।

(2) यर्ाक्स्र्नि, प्राधिकार पत्र, स्र्ामी या प्रोपराइटर या र्ागी ि ार द्र्ारा पररिान, उस राज्यैत्र के डाकघर के पोस्टमास्टर को ककया जाएगा जहां िमव या कंपनी का कायावलय क्स्र्ि है।

51. मृत व्यक्ततयों को संबोधित मदें.- मृि व्यक्तियों को संबोधिि डाक-र्स् िुओं को इस प्रकार माना जाएगा मानो र्े ि ार्ाकृि नहीं हैं ि र्ा उनका वर्ननयम 65 के उप-वर्ननयम (2) के उपबं ि ों के अनुसार ननपटान ककया जाएगा।

52. ि नतग्रस्त डाक-ि स् तु का पररदान.- जहां कोई ले ि ाि ेय डाक-र्स् िु ि निग्रस्ि क्स्र्नि में डडललर्री कायावलय में प्राप्ि होि ी है, ि ो प्रेविन को एक नोदटस र्ेजा जाएगा क्जसमें उसे डडललर्री लेने के ललए घरेलू डाक-र्स् िु के मामले में साि दिन के र्ीिर ि र्ा अंिरावष्ट्रीय डाक-र्स् िु के मामले में पंरह दिन के

र्ीर डाकघर में उपक्स्र्ि होने का अनुरोि ककया जाएगा िर्ा ऐसी डाक-र्स् ि ु का डडललर्री या ननपटान प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट रीनि से ककया जाएगा।

53. प्रेवषनत को सूचना.- डाककया द्र्ारा प्रेविनि को उन लेि ाि ेय डाक-र्स्ि ुओं के ललए सूचना ि ी जाएगी, जैसा कक समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जा सकिा है।

54. यटद आिश्यक हो तो प्रेवषनत की पहचान प्राप्त करना.- (1) डाककया या डडललर्री करने र्ाला व्यक्ति, डाक-र्स् ि ु पररित्त करने से पहले प्रेविनि या प्राधिकृि व्यक्ति की पहचान प्राप्ि कर सकिा है, यदि प्रेविनि या प्राधिकृि व्यक्ति उसे ज्ञाि नहीं है।

(2) पासपोटव, स्र्ायी ि ाि ा संख्या (पैन) काडव, ड्राइवर्ंग लाइसेंस और अन्द्य डाक-र्स् ि ुओं से संबंधि ि लेि ाि ायी डाक-र्स् ि ुओं के पररिान, समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट रीनि से प्रेविनि की पहचान प्राप्ि करने के पश्चाि् ही की जाएगी।

55. डाक-ि स् तुओं का पुन:ननदेशन.- (1) ककसी डाक-र्स् ि ु का प्रेि क, अनुसूची **I** की सारणी **VI** में उक्ल्लखिि डाक शुल्क का र्ुगिान करके, प्रेविनि की सहमनि के संि र्व के बबना, लेि ाि ेय घरेलू डाक-र्स्ि ु और अंि रावष्ट्रीय आर्क डाक-र्स् ि ु के संबंि में ननम्नललखिि सुवर्ि ा का लार् उठा सकिा है, अर्ाव्:-

(क) डाक से डाक-र्स् ि ु को र्ापस मंगाना:

परंि ु समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककसी र्ी कारण से बुककंग कायावलय से पारेविि ककए जाने से पहले डाक-र्स् ि ु को रद्ि ककया जा सकिा है; या

(ि) प्रेविनि के पि या नाम में पररर्ि वन।

(2) यदि मूल पिा और र्ैकक्ल्पक पिा एक ही डाकघर के डडललर्री ि ेत्र में हैं, ि ो डाक-र्स् ि ु का प्रेविनि पि में पररर्ि वन की सुवर्ि ा बबना ककसी प्रर्ार के प्राप्ि कर सकिा है; या अन्द्यर्ा, उप-वर्ननयम (1) में उक्ल्लखिि डाक शुल्क का र्ुगिान करके ऐसा कर सकिा है।

(3) डाकघर लागू ि ीस की रसीि ि ेगा।

56. कुछ सुवि ि ाओं का उपभोग करने का अनुरोि .- वर्ननयम 57 के अिीन ककसी डाक-र्स् ि ु के प्रेि क या प्रेविनि के अनुरोि पर वर्चार नहीं ककया जाएगा, यदि डाक-र्स् ि ु गंि व्य डाकघर में डडललर्री के ललए है, या संबंधि ि ेश की ककसी लागू वर्धि के अिीन अलर्ग्रदहि, अधिहररि या नष्ट कर ि ी गई है।

57. अनुरोि करने की र नत.- (1) कोई प्रेि क या प्रेविनि या प्राधिकृि व्यक्ति, वर्ननयम 55 में उक्ल्लखिि सुवर्ि ाओं का उपर्ोग करने के ललए, कारण सदहि, लागू ि ीस के सार् डाकघर को ललखिि अनुरोि कर सकिा है:

परंि ु ककसी वर्ि ेश या उसके राज्यिेत्र को संबोधि ि ककसी डाक-र्स् ि ु के मामले में ऐसा कोई अनुरोि स्र्ीकार नहीं ककया जाएगा, जब ि क कक ऐसी डाक-र्स् ि ु ककसी ऐसे ि ेश या उसके राज्यिेत्र को संबोधि ि न हो, क्जसे इस संबंि में प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जा सकिा है।

(2) डाक शुल्क और आर्ेि न ि ीस का र्ुगिान एक बार करने के पश्चाि्, ककसी र्ी पररक्स्नि में र्ापस नहीं ककया जाएगा।

58. डाकघर अनुरोि को पूरा न करने के भलए उत्तरदायी नह ं है—डाकघर, वर्ननयम 55 और वर्ननयम 56 में उक्ल्लखिि शिों के अिीन, प्रेि क के अनुरोि को पूरा न करने के ललए उत्तरिायी नहीं होगा और इस संबंि में ककए गए आर्ेि न के वर्परीि ककसी डाक-र्स् ि ु संबंि ी डडललर्री के कारण उस पर कोई ि ानयत्र् उपगि नहीं होगा :

परंि ु ऐसे मामलों में, ऐसे अनुरोि के ललए ली जाने र्ाली ि ीस र्ापस कर ि ी जाएगी ।

59. डडभलिर पर देय डाकशुल्क--पोस्टमास्टर या प्रर्ारी अधिकारी, यह सुननक्श्च करेगा कक ननम्नललखिि गों की डाक-र्स् ि ुओं पर उनकी उपक्स्नि में उधचि रूप से डाक शुल्क लगाया जाए :

(क) अपयावप्ि रूप से संि ित्त डाक-र्स् ि ु पर, क्जनको पूणव संि ित्त माना गया है ;

(ि) असंि ित्त की गई मिों, क्जन पर ि ेय डाकशुल्क स्टांप नहीं लगाया गया है ; और

(ग) ऐसी मिं, क्जन पर प्रेिण के कायावलयों द्र्ारा ि्ेय डाकशुल्क की पूरी रकम प्रर्ारिर नहीं की गई है।

60. देय-डाक शुल्क स्टांप-- (1) वर्ननयम 59 में उक्ल्लखिि डाक-र्स् ि्ुओं पर ि्ेय-डाकशुल्क स्टांप लगाया जाएगा और प्रेिण के कायावलय के ि्ेय-डाकशुल्क स्टांप द्र्ारा िलशवि रकम का उल्लेि पोस्टमास्टर या प्रर्ारी अधिकारी या अधिकृि कायावलय या अधिकारी के आद्याि्र के अिीन ककया जाएगा।

(2) वर्ि्ेश डाक द्र्ारा प्राप्ि ककसी डाक-र्स् ि्ु की ि्शा में, ककसी र्ी पररक्स्र्नि में, उस वर्ि्ेश डाकघर के अनिररति, क्जसके माध्यम से र्ई आिा है, ककसी अन्द्य डाकघर द्र्ारा डाकशुल्क नहीं ललया जाएगा।

(3) यदि वर्ि्ेश डाक की कोई असंि्त्त मि, क्जस पर मूल कायावलय द्र्ारा टी-स्टाम्प नहीं लगाया गया है और क्जस पर वर्ि्ेश डाकघर द्र्ारा स्पष्ट रूप से िलशवि गलिी से स्टाम्प नहीं लगाया गया है, डाकघर में डडललर्री के ललए प्राप्ि की जाि्ी है, ि्ो ऐसी डाक-र्स् ि्ुएं संबंधिि वर्ि्ेशी डाकघर को उधचि स्टाम्प लगाने के ललए र्ापस र्ेज ि्ी जाएगी और ि्ेय डाकशुल्क की र्ूली के पश्चाि् र्ापस प्राप्ि होने पर पररित्त की जाएगी :

परंि्ु मूल ि्ेश या ि्ेत्र को िलशवि करने र्ाली केर्ल मुदरि छाप, और ककसी डाकशुल्क की रकम संगृहीि नहीं ककया जाना िलशवि करने र्ाली, "कर अनुनय" अलर्व्यक्ति, क्जसका अर्व "प्रर्ार संगृहीि" है, "पोटव प्राक्प्िकिाव" अलर्व्यक्ति, क्जसका अर्व "डाकशुल्क संि्त्त" है, या मूल ि्ेश या ि्ेत्र की र्ाि्ा में इसी प्रकार की समान अलर्व्यक्ति, सदहि प्राप्ि डाक-र्स् ि्ुओं पर, वर्ननमय के कायावलयों द्र्ारा या वर्िरण के कायावलयों द्र्ारा कर नहीं लगाया जाएगा और इस प्रकार पररित्त ककया जाएगा, मानो पूणविया पूर्वसंि्त्त है ।

61. उन डाक-ि्स् तुओं का पररदान, क्जन पर सीमाशुल्क देय है--उन मिों, क्जन पर र्ूल ककए जाने र्ाला सीमाशुल्क, समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा यर्ावर्ननदिवष्ट रकम से अधिक है, का डडललर्री सामान्द्य रूप से डाकघर की खिड़की पर ककया जाएगा और ऐसे शुल्क का र्ुगिान या ि्ो नकि में या चेक द्र्ारा या ककसी अन्द्य वर्ननदिवष्ट रीनि द्र्ारा ककया जा सकेगा ।

62. ि्स्तुओं से इनकार--(1) ककसी डाक-र्स् ि्ु का प्रेविि्ी डाकघर को ि्ेय रालश का र्ुगिान करने के ललए बाध्य नहीं होगा, यदि र्ई इसका डडललर्री नहीं लेना चाहिा है और ऐसी ि्शा में, डाककया द्र्ारा कर्व पर "इनकार" शब्ि् ललिा जाएग ।

(2) अि्ार्ाकृि और इनकार की गई डाक-र्स् ि्ुओं को, ि्ुरंि्, प्रेि्क को डडललर्री के ललए र्ेजने र्ाले कायावलयों को सीि्े र्ापस कर दिया जाएगा और यदि र्ेजने र्ाले कायावलय को इस प्रकार लौटाई गई डाक-र्स् ि्ुओं का प्रेि्क नहीं पाया जाि्ा है, ि्ो र्स्ि्ुएं ररटनवड लेटर ऑकिस को र्ेजी जाएंगी।

(3) अंि्रावष्ट्रीय डाक-र्स् ि्ु के संबंि् में, ऐसी डाक-र्स् ि्ु को आगे के ननपटान के ललए वर्ि्ेश डाकघर को र्ापस कर दिया जाएगा।

63. प्रभाररत राभश का भुगतान करने का दानयत्ि्--जब कोई व्यक्ति ककसी ऐसी डाक-र्स् ि्ु की डडललर्री लेि्ा है, क्जस पर डाकघर को कोई रालश ि्ेय होि्ी है, ि्ो र्ई उस पर अंककि रालश का र्ुगिान करेगा ।

64. प्रेवषती के डाकघर में अपररदत्त डाक-ि्स् तुओं का ननरुद्ि् और ननपटान--(1) जब सर्ी पूछिाछ के पश्चाि् प्रेविि्ी को ढूढना असिल साबबि हुआ हो, ि्ब कोई डाक-र्स् ि्ु सामान्द्य ि्ौर पर उस डाकघर में साि् दिनों की अर्धि के ललए रिी जाएगी, क्जसका उस पर पिा है।

(2) कोई मि, प्रेविि्ी से प्राप्ि डाकघर में जमा करने के ललए अनुि्ेशों पर, ऐसी अर्धि के ललए, जो प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट की जाए, उस डाकघर में रहेगी, क्जसका इस पर पिा है।

65. कनतपय मामलों में अपररदत्त डाक-ि्स् तुओं का ि्ापस ककया जाना--(1) कोई अपररित्त मि,--

(क) क्जसका प्रेविि्ी ने डडललर्री लेने से इनकार ककया है या सम्यक् नोदटस के पश्चाि् लोप ककया है या समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा यर्ावर्ननदिवष्ट अर्धि के र्ीि्र प्रेविि्ी डडललर्री नहीं लेि्ा ; या

(ि) प्रेविि्ी द्र्ारा डाकघर को अपने पत्राचार के पुननविशन के बारे में संसूचना दिए बबना पिा छोड़ ि्ेना ज्ञाि हुआ है ; या

(ग) प्रेविि्ी मृि है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्जसे डाक-र्स् ि्ु ठीक से पररित्त की जा सके,

उस डाकघर में नहीं रिी जाएगी, क्जस पर उसका पिा है और यदि डाक-र्स् ि्ु पर प्रेि्क का नाम और पिा स्पष्ट रूप से ललिा हुआ है, प्रेि्क को र्ापस कर ि्ी जाएगी, या अन्यर्ा, संबंधि् र्ापसी पत्र कायावलय को र्ेज ि्ी जाएगी।

(2) उपवर्ननयम (1) में ननदिवष्ट डाक-र्स् ि्ु प्रेि्क या अधिकृि् व्यक्ति को पररित्त की जाएगी और उससे संलग्न डडललर्री के ककसी सबूि् को पररित्त और नष्ट नहीं ककया जाएगा।

(3) प्रेि्क को डाक-र्स् ि्ु के अपररित्त होने की ि्शा में, ऐसी डाक-र्स् ि्ु संबंधि् र्ापसी पत्र कायावलय (आरएलओ) को र्ेज ि्ी जाएगी।

66. अपररदत्त डाक-ि्स् तुओं पर मानक टटप्पखणयां--(1) अपररिान के कारण समय-समय पर प्रशाससनक अनुि्ेशों द्र्ारा यर्ावर्ननदिवष्ट मानक दटप्पखणयों के उपयोग द्र्ारा अलर्ललखिि् ककए जाएंगे।

(2) ककसी डाक-र्स् ि्ु का प्रस्ि्ुि् करना, क्जस पर डाकघर का आधिकाररक धचह्न है, यह ि्शावि है कक डाक-र्स् ि्ु को उपवर्ननयम (1) में यर्ावर्ननदिवष्ट ककसी र्ी मानक दटप्पणी द्र्ारा इंधगि ककए गए अनुसार ननपटाया गया है, इस प्रकार ि्शावए गए ि््य का प्रमाण होगा और क्जस व्यक्ति से डाक-र्स् ि्ु आने का ि्ात्पयव है, जब ि्क इसके वर्परीि् साबबि नहीं हो जाि्ा, उसे उसका प्रेि्क माना जाएगा।

67. ररटनाड लेटर ऑकफस (आरएलओ) में अपररदत्त डाक-ि्स् तुओं को रोकना और उनका ननपटान—ऐसी मिं, जोपि के सार्-सार् प्रेि्क को पररित्त न की जा सकी हों, ननम्नललखिि् अर्धि के ललए र्ापसी पत्र कायावलय में रिी जाएंगी,--

(क) पंरह दिन, जब र्े अनुत्तरिय हैं ; और

(ि) ि्ीस दिन, जब र्े उत्तरिय हों।

स्पष्ट करण--इस ननयम के प्रयोजन के ललए, "ररटनवड लेटर ऑकिस" से ऐसा कायावलय अलर्ेि् है, जो अि्ार्ाकृि् और इनकार की गई मिं, या बबना पि र्ाली मिं, या अननणीि् या अपूणव पि से संबंधि् कायव करिा है।

68. अपररदत्त डाक-ि्स् तुओं से संबंधित मामले में प्रकक्रया--(1) वर्ननयम 64 से वर्ननयम 66 में ननदिवष्ट अपररित्त डाक-र्स् ि्ुओं पर ननम्नानुसार कारवर्ाई की जाएगी :--

(क) आंि्ररक मूल्य के बबना, जैसे मुदरि या हस्ि्ललखिि् कागजों र्ाली डाक-र्स् ि्ुओं का, इसे अपलशष्ट कागज के रूप में बेचकर या नष्ट करके ि्ुरंि् ननपटान ककया जाएगा ;

(ि) ि्ेत्रीय प्रमुि् के वर्कल्प पर पबत्रकाओं, आर्धिक पबत्रकाओं और समाचार पत्रों का उपयोग ककसी र्ी सार्वजननक प्रयोजन के ललए ककया जा सकेगा ;

(ग) आंि्ररक मूल्य र्ाली डाक-र्स् ि्ुओं का नीलामी के माध्यम से ननपटान ककया जाएगा ;

(घ) क्जन पोस्टकाडों और लेटर काडों पर डाकशुल्क का पूर्व-र्ुगिान नहीं ककया गया है, उन्द्हें ि्ुरंि् नष्ट कर दिया जाएगा :

परंि्ु इस वर्ननयम की कोई र्ी बाि् लोक दहि के ललए आर्श्यक समझे जाने र्ाली ककसी र्ी डाक-र्स् ि्ु के ि्त्काल नष्ट ककए जाने को ननर्ारर नहीं करेगी ।

(2) वर्ननयम 67 में वर्ननदिवष्ट अर्धि की समाक्प्ि् पर, ककसी डाक-र्स् ि्ु का, ररटनवड लेटर ऑकिसमें संबंधि् सकवल प्रमुि् या ि्ेत्रीय प्रमुि् द्र्ारा उधचि समझी जाने र्ाली रीनि में ननपटान ककया जाएगा।

69. ि्ह अिधि, क्जसके भलए पते में पररिान के संबंि् में सूचना विधिमान्य रहती है--(1) कोई ननर्ासी, अपने आर्ासीय या आधिकाररक पि में पररर्ि्वन के संबंि् में, उसे संबोधि् या उसके नए पि को संबोधि् डाक-र्स् ि्ुओं के डडललर्री हेि्ु संबंधि् डाकघर को ललखिि् सूचना ि्े सकेगा ।

(2) ऐसी सूचना ि्ीन मास से अनधिक की अर्धि के ललए र्ैि् रहेगी ।

(3) वर्ननयम 55 के उपवर्ननयम (2) के उपबंि, आश्यक पररर्िवनों सदहि डाक-र्स् ि्ुओं के डडललरी के ललए लागू होंगे ।

70. ककसी शासकीय धचह्न को बनाने के भलए प्राधिकृत अधिकार या पदिार --(1) ननम्नललखिि अधिकारी या पिि्ारी उन डाक-र्स् ि्ुओं पर कोई शासकीय धचह्नबनाने के ललए प्राधिकृि हैं, जो यह प्रकट करिा है कक उसके संबंि में डाकघर को कोई डाकशुल्क या अन्य रालश ि्ेय है और ऐसा धचह्न इस बाि का प्रमाण होगा कक इस प्रकार प्रकट रालश ि्ेय है ; और यह कक डाक-र्स् ि्ु को लेने से इनकार कर दिया गया है या अस्र्ीकार कर दिया गया है या अि्ार्ाकृि है या ककसी अन्य कारण से पररित्त नहीं की जा सकिी है :--

(क) कायावलय का पोस्टमास्टर ;

(ि) संबंधिि पयवर्ेि्क और पिि्ारी, क्जन्द्हें डाक-र्स् ि्ुओं के डडललरी का कायव सौंपा गया है;

(ग) डाककया या डडललरी करने र्ाला प्राधिकृि व्यक्ति ।

(2) शाि्ा डाकघरों से संबंधिि मामलों में, उपवर्ननयम (1) में यर्ासंिलर्वि, पोस्टमास्टर और डाककया या डडललरी करने र्ाले प्राधिकृि व्यक्ति द्र्ारा ककए गए कायव का प्रत्यायोजन, क्रमशः डाक-र्स् ि्ुओं के डडललरी का कायव कर रहे ग्रामीण डाक सेर्क शाि्ा पोस्टमास्टर और ग्रामीण डाक सेर्क को ककया जाएगा ।

(3) इन वर्ननयमों के प्रयोजनों के ललए प्रकक्रया ऐसी होगी, जो समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाए ।

71. असंदत्त और अपयाप्त रूप से संदत्त घरेलू डाक-ि्स् तुओं के संबंि में देय की ि्सूल --कोई मि, क्जस पर डाकशुल्क या एयरमेल शुल्क पूर्वसंि्त्त नहीं ककया गया है, या अपयावप्ि रूप से पूर्वसंि्त्त है, डाक डाक-र्स् ि्ुओं के प्रेविि्ी को डडललरी पर, या अप्राप्य की ि्शा में, प्रेि्क को, अनुसूची I की सारणी VIII में उक्ल्लखिि ि्रों से प्रर्ाररि होगी ।

72.असंदत्त और अपयाप्त रूप से संदत्त अंतरराष्ट्र य डाक-ि्स् तुओं के संबंि में देय की ि्सूल —कोई आर्क अंि्रराष्ट्रीय मि, क्जस पर डाकशुल्क या एयरमेल शुल्क पूर्वसंि्त्त नहीं ककया गया है, या अपयावप्ि रूप से पूर्वसंि्त्त है, डाक डाक-र्स् ि्ुओं के प्रेविि्ी को डडललरी पर, या अप्राप्य की ि्शा में, प्रेि्क को, अनुसूची III की सारणी X में उक्ल्लखिि ि्रों से प्रर्ाररि होगी ।

(2) कोई जार्क अंि्रावष्ट्रीय मि, क्जस पर डाकशुल्क या एयरमेल शुल्क पूर्वसंि्त्त नहीं ककया गया है, या अपयावप्ि रूप से पूर्वसंि्त्त है, गंि्व्य को अग्रेविि नहीं की जाएगी, परंि्ु बबना ककसी शुल्क के प्रेि्क को पररित्त की जाएगी ।

.

अध्याय IV

प्रनतकर

73. घरेलू डाक-ि्स् तुओं के संबंि में प्रनतकर--(1) इन वर्ननयमों में उक्ल्लखिि शिों के अिीन, अन्द्यर्ा ननदिवष्ट के लसर्ाय ककसी डाक-र्स् ि्ु के नुकसान, आंलशक नुकसान या ि्ेरी की क्स्र्नि में संचार मंत्रालय में डाक वर्ि्ाग द्र्ारा डाक-र्स् ि्ु के प्रेि्क को प्रनिकर ि्ेय होगा।

(2) ककसी डाक-र्स् ि्ु के नुकसान, आंलशक नुकसान या ि्ेरी की क्स्र्नि में ि्ब ि्क प्रनिकर नहीं दिया जाएगा, जब ि्क ई मि,--

(क) ननम्नललखिि पररक्स्र्नियों में डडललरी करने योग्य नहीं मानी जाएगी, अर्ावि् :--

(i) असिल डडललरी के पश्चाि््, प्रेविि्ी ने रोकने की अधि के र्ी्र "संसूचना ि्ी गई" के अिीन अर्सर का लार् नहीं उठाया है ; या

(ii) पिा असुरक्षिि या असंरक्षिि है या यदि डडललरी बबंि्ु ि्क पहुंच को ननर्ाररि या बाधिि ककया गया है ; या

(iii) क्जस पि पर डाक-र्स् ि्ु वर्ि्रि की जानी है, उस पर ककसी र्ी व्यक्ति का स्र्ायी रूप से अधिर्ोग नहीं है ; या

(iv) डाक-र्स् ि्ु पर पूरी ि्रह से और सही ढंग से इस ि्रह से पिा नहीं ललिा गया है, क्जसमें पि के

सर्ी ित्र शालमल हैं, जो सामने, या ललिाि े के सामने संरक्षिि रूप से जुड़े लेबल पर (या अन्यर्ा इस िरह से कक पिा स्पष्ट रूप पूणविा से दिि ाई ि ेि ा है मानो इसे ललिाि े के सामने ललिा गया हो) स्पष्ट रूप से ललि गए हैं; या

(v) उसका पिा अपठनीय है; या

(vi) ककसी र्ी व्यक्ति के स्र्ास््य और सुरिा को जोखिम में डाला जा सकिा है; या (vii) ककसी अन्य कारण से, यदि यह पाया जाि ा है कक डाक-र्स् ि ु का डडललर्री करना अव्यार्हाररक या अयुक्तियुति है ;

(ि) इन वर्ननयमों में उक्ल्लखिि सर्ी शिों को पूरी िरह से पूरा नहीं ककया गया है ;

(ग) अनुरोि की गई सेर्ा के ललए अपयावप्ि डाकशुल्क र्ुगिान ककया गया है या कोई डाकशुल्क र्ुगिान नहीं ककया गया है ;

(घ) क्जसमें ककसी र्ी वर्धि द्र्ारा या अधिननयम या इन वर्ननयमों के अिीन ननविद्ि डाक-र्स् ि ु या प्रनिबंधिि डाक-र्स् ि ु अंिवर्वष्ट हैं ;

(ङ) क्जसके ललए ि ार्ा प्रस्ि ुि ककया गया है, असाि ारण रूप से गंर्ीर मौसम की क्स्र्नि, आिंकर्ाि या बबवरिा के कृत्यों सदहि ननयंत्रण के बाहर की पररक्स्र्नियों के कारण डडललर्री नहीं की गई है; (च) जहां नुकसान या ि नि या वर्लंब अव्यति या अंि ननवदहि ि ोि या प्राकृनिक हास के कारण हो ि ा है।

(3) घरेलू डाक-र्स् ि ुओं के डडललर्री में वर्लंब, हानन या ि नि या आंलशक ि नि की क्स्र्नि में ि ेय प्रनिकर ई होगा, जो अनुसूची I की सारणी V में उक्ल्लखिि है।

74. **बीिमत डाक-ि स् तुओं के संबंि में प्रनतकर**—संचार मंत्रालय में डाक वर्र्ाग द्र्ारा ककसी बीलमि डाक-र्स् ि ु के प्रेिक को ि ेय प्रनिकर, उस रालश से अनधिक होगा, क्जसके ललए डाक-र्स् ि ु का, डाक द्र्ारा पारेिण के ि ौरान, समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा यर्ावर्ननदिवष्ट मामलों में के लसर्ाय, ककसी डाक-र्स् ि ु या उसकी ककसी अंिवर्स्ि ु या उसे कारिि ककसी र्ी ि नि के ललए सामग्री के नुकसान के ललए या ककसी र्ी ि नि के ललए, बीमा ककया गया है:

परंि ु ककसी र्ी ि शा में, प्रनिकर ककसी डाक-र्स् ि ु या उसकी ककसी र्ी ि ोई हुई अंिवर्स्ि ु के मूल्य, या कारिि नुकसान की रालश से अधिक नहीं होगा, और परंि ु नुकसान की ि शा में, प्रेिक डाक-र्स् ि ु की अंिवर्स्ि ु के ब्यौरे और उसका मूल्य प्रस्ि ुि करेग ।

75. **घरेलू या बीिमत डाक-ि स् तुओं के संबंि में भशकायत**- (1) प्रेिक, सार् ही, ककसी डाक-र्स् ि ु का प्रेवि ि ी र्ी लशकायि कर सकिा है-

(क) ककसी डाक-र्स् ि ु की प्राक्प्ि न होने के ललए पंरह दिनों के पश्चाि् और साठ दिनों के र्ीिर;

(ि) डाक-र्स् ि ु की प्राक्प्ि के ि ो दिनों के र्ीिर, ि निग्रस्ि या नुकसान के मामले में।

(2) प्रनिकर के ललए कोई ि ार्ा स्र्ीकार नहीं ककया जाएगा, यदि इसे डाक-र्स् ि ु प्रेवि ि ककए जाने के साठ दिनों से अधिक समय पश्चाि् ककया जाि ा है।

76. भशकायत फ़ाइल कराना। -(1) समय-समय पर ननदिवष्ट प्रशासननक अनुि ेशों के अनुसार लशकायि फ़ाइल करनी होगी।

(2) वर्ननयम 82 में ननदिवष्ट िरीकों के माध्यम से लशकायिें की जा सकेंगी।

77.डाक-ि स् तुओं को खो जाने के रूप में माना जाना - (1) ई अधिकिम अर्धि, क्जसके पश्चाि प्रनिकर के र्ुगिान के उद्ि ेश्य से अंनिम डडललर्री की क्स्र्नि के अर्ार् में ककसी डाक-र्स् ि ु को ि ोया हुआ माना जा सकेगा, बुककंग की ि ारीि से साठ दिन या लशकायि की प्राक्प्ि की ि ारीि से ि ीस दिन,जो र्ी पश्चाि्र्ि ी है, होगी ,परन्ि ु लशकायि उति अर्धि के र्ीिर हुई हो।

(2) डाक-र्स् ि ु के प्रेिक को ि ार्े के वर्रुद्ि प्रनिकर, क्जसे ि ो जाने के रूप में घोविि ककया गया है, उसके पश्चाि् ि स दिनों की अर्धि के र्ीिर र्ुगिान ककया जाएगा।

(3) प्रेिक या प्रेवि ि ी इन वर्ननयमों के अिीन ननिावरिि प्रनिकर का ि ार्ा ललखिि रूप में मांग के सार् बुककंग का र्ैि प्रमाण प्रस्ि ुि करने पर कर सकेगा।

78. अंतरराष्ट्र य ि स्तुओं के दशा में प्रनतकर- (1) प्रनिकर संचार मंत्रालय में डाक वर्ि ाग द्र ारा लेि ाि ेय अंि रराष्ट्रीय स्ि ुओं से जुड़े मामलों में केर्ल इन वर्ननयमों में उक्तलखिि शिों के अिीन, अन्यर्ा उपबंधिि के लसर्ाय, ि ेय होगा।

(2) ककसी डाक-स्ि ु के नुकसान, आंलशक नुकसान या ि ेरी की क्स्नि में ि ब ि क प्रनिकर नहीं दिया जाएगा, जब ि क र्ह मि,--

(क) ननम्नललखिि पररक्स्नियों में डडललर्री करने योग्य नहीं मानी जाएगी, अर्ावि् :--

(i) असिल डडललर्री के पश्चाि्, प्रेवि ी ने रोकने की अर्धि के र्ीि र "संसूचना ि ी गई" के अिीन अर्सर का लार् नहीं उठाया है ; या

(ii) पिा असुरक्षिि या असंरक्षिि है या यदि डडललर्री बबंि ु ि क पहुंच को ननर्ाररि या बाधिि ककया गया है ; या

(iii) क्जस पि पर डाक-स्ि ु वर्ि ररि की जानी है, उस पर ककसी र्ी व्यक्ति का स्र्ायी रूप से अधिर्ोग नहीं है ; या

(iv) डाक-स्ि ु पर पूरी ि रह से और सही ढंग से इस ि रह से पिा नहीं ललिा गया है, क्जसमें पि के सर्ी ित्र् या वर्श्र् डाक संघ के एस 42 पि के मानक के अनुसार, शालमल हैं, जो सामने, या ललिाि े के सामने संरक्षिि रूप से जुड़े लेबल पर (या अन्यर्ा इस ि रह से कक पिा स्पष्ट रूप पूणवि से दि ाई ि े ि ा है मानो इसे ललिाि े के सामने ललिा गया हो) स्पष्ट रूप से ललि गए हैं।

स्पष्ट करण- इस ि ंड के प्रयोजनों के ललए, "एस42" से वर्श्र् डाक संघ द्र ारा वर्ननदिवष्ट पिा ललिने का मानक अलर्ेि है;

(v) उसका पिा अपठनीय है; या

(vi) ककसी र्ी व्यक्ति के स्र्ास्र्य और सुरिा को जोखिम में डाला जा सकिा है; या

(vii) ककसी अन्य कारण से, यदि यह पाया जाि ा है कक डाक-स्ि ु का डडललर्री करना अव्यार्हाररक या अयुक्तियुति है ;

(ि) इन वर्ननयमों में उक्तलखिि सर्ी शिों को पूरी ि रह से पूरा नहीं ककया गया है ;

(ग) अनुरोि की गई सेर्ा के ललए अपयावप्ि डाकशुल्क र्ुगिान ककया गया है या कोई डाकशुल्क र्ुगिान नहीं ककया गया है ;

(घ) क्जसमें ि त्समय ककसी र्ी वर्धि द्र ारा या अधिननयम या इन वर्ननयमों के अिीन ननवद्ि डाक-स्ि ु या प्रनिबंधिि डाक-स्ि ु अंि वर्वष्ट हैं और या ि ो यह नष्ट कर ि ी गई है या सिम प्राधिकारी द्र ारा जब्ि कर ली गयी है ;

(ङ) कोई डाक-स्ि ु क्जसके ललए ि ार्ा प्रस्ि ुि ककया गया है, असाि ारण रूप से गंर्ीर मौसम की क्स्नि, आंकर्ाि या बबवरिा के कृत्यों सदहि ननयंत्रण के बाहर की पररक्स्नियों (अप्रत्यालशि घटना) के कारण डडललर्री नहीं की गई है,गंि व्य ि ेश या राज्य ि ेत्र को अपनी घरेलू वर्धि के अनुसार ननणवय लेने का अधिकार होगा कक तया पररक्स्नियां ननयंत्रण के बाहर है ;

(च) जहां नुकसान या ि नि या वर्लंब अव्यति या अंि ननवदहि ि ोि या प्राकृनिक हास के कारण है;

(छ) डाक-स्ि ु एक रक्जस्ट्रीकृि बल्क बैग (एम बैग) है;

(ज) ननयंत्रण से परे पररक्स्नियों में अलर्ेि ोि ं के नष्ट होने के कारण डाक-स्ि ु का ननपटान का पिा नहीं लगाया जा सकिा है, जब ि क कक ि ानयत्र् को अन्य साि नों द्र ारा साबबि नहीं ककया जाए;

(झ) सीमा शुल्क या ककसी सिम प्राधिकारी के ननणवय के कारण डाक-स्ि ु डडललर्री नहीं ककया जा सका;

(ञ) डाक-स्ि ु ि ो जाि ी है और जब ऐसा नुकसान या ि नि प्रेि क की चूक या लापरर्ाही के कारण हुई है, या सामग्री की प्रकृनि से उत्पन्द्र होि ी है;

(ट) डाक-र्स् ि ु बीलमि है और बीलमि डाक-र्स् ि ुओं के मामले में क्जनका सामग्री के र्ास्ि वर्क मूल्य से अधिक रालश के ललए ि ोि ाि ड़ी से बीमा ककया गया है;

(ठ) डाक-र्स् ि ु का डडललर्री नहीं ककया गया है और प्रेि क ने उस ि ारीि से क्जसको डाक-र्स् ि ु डाक से र् ेजी र् ी, रक्जस्ट्रीकृ ि, अं िरावष्ट्रीय ट्रैतड पैकेट सेर्ा, और पासवल के ललए छह मास के र् ीि र; और एतसप्रेस मेल सेर्ा के ललए चार मास के र् ीि र कोई जांच नहीं की है;

(ड) युद्ि-कै ि ी या लसवर्ललयन इंटनी पासवल के मामले में;

(ढ) जहां प्रनिकर प्राप्ि करने के उद्ि ेश्य से प्रेि क के कायों पर कपटपूणव आशय होने का संि ेह है, ि ीस दिन की अर्धि के र् ीि र पूरी जांच की जाएगी और यदि प्रेि क का ि ुर्ावर्नापूणव आशय जांच के अनुसार स्र्ावपि ककया जाि ा है, ि ो कोई प्रनिकर नहीं दिया जाएगा;

(ण) सिस्य ि ेश या राज्यिेत्र या उसके नामननदिवष्ट ऑपरेटर द्र्ारा अधिसूधचि ि ेश या गंि व्य के ि ेत्र के राष्ट्रीय वर्धि के अिीन डाक-र्स् ि ु को जब्ि कर ललया जाि ा है;

(ि) जहां गंि व्य ि ेश के राष्ट्रीय वर्ननयम उस ि ेश के नालमि ऑपरेटरों को एक ननजी मेलबॉतस या पोस्टबॉतस में रक्जस्ट्रीकृ ि डाक-र्स् ि ु डडललर्री करने की अनुमनि ि ेि ि े हैं और प्रेविि ी घोि णा करि ा है कक उसे डाक-र्स् ि ु प्राप्ि नहीं हुआ र्ा;

(र्) जहां एयरलाइन ट्रांसलमशन के ि ौरान ककसी मध्यर्ि ी ि ेश या राज्यिेत्र द्र्ारा ककसी र् ी डाक-र्स् ि ु को जब्ि ककया जाि ा है, तयोंकक ऐसी डाक-र्स् ि ु को हर्ा के माध्यम से प्रसाररि करने से प्रनिबंधि ि ककया गया र्ा, कोई प्रनिकर ि ेय नहीं होगा।

(3) अं िरावष्ट्रीय डाक-र्स् ि ु के डडललर्री में ि ेरी, नुकसान या ि ति या आंलशक ि ति की क्स्र्नि में ि ेय प्रनिकर का उल्लेि अनुसूची III की सारणी IX में ककया गया है।

79. अंतराष्ट्र् य डाक-ि स् तुओं के संबंि में भशकायत- (1) प्रेि क, सार् ही ककसी डाक-र्स् ि ु का प्रेविि ी र् ी लशकायि कर सकेगा -

(क) ि ति ग्रस्ि या आंलशक नुकसान या चोरी की ि िा में, डाक-र्स् ि ु की प्राक्प्ि के चौबीस घंटे के र् ीि र;

(ि) उस दिन से क्जस दिन डाक-र्स् ि ु पोस्ट ककया गया र्ा छह मास की अर्धि के र् ीि र, डाक से र् ेजे गए पासवल या रक्जस्ट्रीकृ ि या बीलमि डाक-र्स् ि ुओं की ि िा में,;

(ग) डाक से र् ेजी गई एतसप्रेस मेल सेर्ा डाक-र्स् ि ुओं की ि िा में, उस ि ारीि से चार मास की अर्धि के र् ीि र, क्जस दिन डाक-र्स् ि ु डाक से र् ेजी गई।

(2) प्रनिकर के ललए कोई ि ार्ा स्र्ीकार नहीं ककया जाएगा यदि यह उप-ननयम (1) में ननदिवष्ट समय सीमा के पश्चाि् ककया जाि ा है।

80. कनतपय दशाओं में कोई प्रनतकर नह ं टदया जाएगा- (1) संचार मंत्रालय में डाक वर्र्ाग द्र्ारा ननम्ललखिि की ि िा में कोई प्रनिकर ि ेय नहीं होगा, अर्ावि्: -

(क) जहां प्रेि क की गलिी या लापरर्ाही के कारण नुकसान या ि ति हुई है, या डाक-र्स् ि ु की प्रकृनि से उत्पन्द्न होि ी है;

(ि) जहां बीमा ि ोि ाि ड़ी से सामग्री के र्ास्ि वर्क मूल्य से अधिक रालश के ललए ककया गया है, या प्रेि क या प्राप्ि किाव की ओर से कोई अन्द्य ि ोि ाि ड़ी हुई है;

(ग) जहां बीलमि डाक-र्स् ि ु को प्रेविि ी को डडललर्री ककया गया है, या जहां डाक-र्स् ि ु प्रेि क को र्ापस कर ि ी गई है और, यर्ा क्स्र्नि, प्रेविि ी या प्रेि क, ने बबना ककसी वर्रोि के रसीि पर हस्ि ाि र ककए और उसे र्ापस कर दिया या ककसी बीलमि डाक-र्स् ि ु की ि िा में, कायावलय के प्रशासन को, डाक-र्स् ि ु के ननकाल ललए जाने या ि ति की लशकायि ककए बबना, क्जसने डाक-र्स् ि ु का डडललर्री ककया और यह साबबि ककया कक पत्र के डडललर्री से पहले अं िर्वस्ि ु को ननकाल ललया गया या ि ति हुई र् ी;

(घ) जहां प्रेि क ने डाक र् ेजने के दिन के पश्चाि् छह मास के र् ीि र नुकसान, ननकाल ललए जाने या ि ति की सूचना नहीं ि ी है;

(ड.)जहां नुकसान, ननकाल ललया जाना या ि ति अनुधचि या असुरक्षिि पैककंग के कारण र् ी;

(च) जहां कर्र या मुहरों को कोई दृश्य िनि नहीं है;

(छ) ननयंत्रण से बाहर के मामलों में जैसे ि◌ूि◌ान, पोि◌-वर्ध्स्, र्◌ूकंप या युद्ि◌;

(ज) जहां ननयंत्रण से परे कारणों से इससे संबंधि◌ि◌ स्ि◌ार्◌ेजों के नष्ट हो जाने के पररणामस्र्रूप बीलमि डाक-र्स् ि◌ु का पिा नहीं लगाया जा सकिा है, जब ि◌क कक डाक-र्स् ि◌ु के संबंि◌ में प्रनिकर का र्◌ुगिान करने के ललए डाकघर के ि◌◌ानयत्र् का प्रमाण अन्द्यर्◌ा प्रस्ि◌ुि◌ नहीं ककया गया है;

(झ) जहां बीलमि डाक-र्स् ि◌ु में कुछ ऐसा सक्म्मललि है, क्जसका डाक द्र्◌ारा पारे◌ि◌ण ननविद्ि◌ है;

परंि◌ु कक प्रनिकर केर्ल इस ि◌्य के कारण अस्र्◌ीकायव नहीं होगा कक एक बीलमि पासवल में कोई पत्राचार र्◌ा;

(ञ) जहां बीलमि डाक-र्स् ि◌ु ि◌◌ेश या गंि◌व्य के राज्यैत्र में ि◌त्समय प्रर्त्त ककसी वर्धि के अिीन जब्ि◌ की जाि◌◌ी है;

(ट) जब कोई बीमाकृि◌ पत्र या पासवल ि◌◌ो जाि◌◌ा है, या नष्ट हो जाि◌◌ा है, या उसकी सामग्री पूरी ि◌रह से ननकाल ली जाि◌◌ी है;

(ठ) जब डाक सेर्◌ा के कारण हुई ि◌नि के कारण प्रेवि◌◌ी बीमाकृि◌ पासवल की सुपुि◌वगी लेने से इनकार करिा है;

(2) पत्र, बॉतस या पासवल का प्रेि◌क क्जसके ललए प्रनिकर ि◌◌ेय नहीं है, उन शुल्कों और शुल्कों की र्◌ापसी का हकिार होगा जो र्◌ुगिान ककए गए हैं, और जब डाकघर की ओर से कोई त्रुदट जांच को उद्र्◌ूि◌ करिी है ऐसे पत्र, या पासवल के ननपटान के बारे में, ऐसी जांच के कारण र्◌ुगिान ककए गए ककसी र्◌ी शुल्क की आगे र्◌ापसी के ललए; परन्द्ि◌ु ऐसे पत्र, बॉतस या पासवल का प्रेि◌क ककसी र्◌ी मामले में बीमा के ललए र्◌ुगिान ककए गए शुल्क की र्◌ापसी का हकिार नहीं होगा।

(3) संचार मंत्रालय में डाक वर्◌ाग बीलमि आर्क या जार्क अंि◌रावष्ट्रीय पत्र डाक, या पासवल पोस्ट डाक-र्स् ि◌ुओं या उसकी सामग्री के ननकाल ललए जाने या ि◌नि के संबंि◌ में इन वर्ननयमों में उक्ल्लखिि◌ के अलार्◌ा प्रेि◌क या प्रेवि◌◌ी के प्रनि कोई ि◌◌ानयत्र् स्र्◌ीकार नहीं करेगा।

81.प्रनतकर के ननपटान की अिि◌- (1)प्रनिकर का ननपटान लशकायि की ि◌◌ारीि◌ या ि◌◌ार्◌ा आर्◌े◌ि◌न प्राप्ि◌ होने की ि◌◌ारीि◌ से ि◌◌ीस दिनों की अर्धि के र्◌ीि◌र ककया जाएगा:

परंि◌ु कक ललखिि◌ रूप में फ़ाइल ककए जाने र्◌ाले कारणों के ललए ककसी र्◌ी ि◌◌ेरी की क्स्नि में, समय-समय पर प्रशाससनक अनुि◌◌ेशों द्र्◌ारा ननदिवष्ट प्रनिकर का र्◌ुगिान ककया जाएगा।

(2) लशकायि फ़ाइल करना समय-समय पर ननदिवष्ट प्रशाससनक अनुि◌◌ेशों के अनुसार होगा।

(3) प्रशाससनक प्रेि◌क या प्रेवि◌◌ी इन वर्ननयमों के अिीन ननिावररि प्रनिकर के ललए मांग के सार् बुककंग का र्◌ैि◌ प्रमाण प्रस्ि◌ुि◌ करने पर ि◌◌ार्◌ा कर सकेगा , जैसा कक ननिेशों द्र्◌ारा ननदिवष्ट ककया गया है।

82.भशकायत, कैसे की जाए- (1) कोई प्रेि◌क या प्रेवि◌◌ी ननम्नललखिि◌ सा◌िनों के माध्यम से लशकायि कर सकेगा, अर्◌ावि्: -

(क) कायावलय के कायव समय के ि◌◌ौरान सर्◌ी डाकघरों में सुझार् और लशकायि पुक्स्ि◌का (सुझार् और लशकायिें फ़ाइल करने के ललए एक पुस्ि◌क उपलब्ि◌ है);

(ि◌) डाकघर का र्◌ेब पोटवल;

(ग) सोशल मीडडया र्◌ेबसाइट;

(घ) इस प्रयोजन के ललए टोल फ्री नंबर; और

(ड.) ललखिि◌ लशकायि।

(2) महाननिशक, प्रशाससनक अनुि◌◌ेशों द्र्◌ारा, ि◌◌ार्◌ा ककए गए प्रनिकर के आधर्वक और ि◌◌ेत्राधिकार के अनुसार संचार मंत्रालय में डाक वर्◌ाग के अधिकाररयों को ननदिवष्ट कर सकेगा, जो लशकायिकिाव को सुनर्◌ाई का उधचि अर्सर ि◌◌ेने के पश्चाि◌्, ललखिि◌ रूप में फ़ाइल ककए जाने र्◌ाले कारणों की जांच और ननपटान करेगा।

83. **अप्रत्याभशत पररक्स्थनतयों में प्रनतकर के भलए दानयत्ि** संचार मंत्रालय में डाक वर्ाग अप्रत्यालशि पररक्स्नियों में उत्पाि्ोंं और सेर्ाओं के डडललरी में ि्ेरी के बिले प्रनिकर प्रिान करने के ललए उत्तरिायी नहीं होगा।

84. **डाक-ि्स् तुओं के पारेषण का ननलंबन या प्रनतबंि्**- सकवल प्रमुि या ि्ेत्रीय प्रमुि, ककसी र्ी समय, अधिकाररि के र्ीि्र ककसी र्ी डाकघर के संबंि में, सर्ी या ककसी र्ी गर्व की डाक-र्स् ि्ुओं या वर्ग्ण या सर्ी या ककसी र्ी गर्व की स्र्ीकृि या प्रेविि की जाने र्ाली डाक-र्स् ि्ुओं के गर्व की स्र्ीकृनि या प्रेि्ण को ननलंबबि कर सकेगा।

85. डाक-ि्स् तुओं पर कारिाई और पारेषण.- (1) सर्ी डाक-र्स् ि्ुओं को, जो लेि्ाि्ेय र्स्ि्ु नहीं हैं, गैर-लेि्ाि्ेय डाक-र्स्ि्ुओं डाक-र्स् ि्ुओं के रूप में माना जाएगा और उन्हें उस ि्रीके से पारेविि ककया जाएगा जैसा कक समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जा सके ।

(2) उप-वर्ननयम (1) में ननदिवष्ट डाक-र्स् ि्ुएं समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ढंग या रीनि से पारेक्षि की जाएगी।

86. नकल मुद्रा का ननपटान.- डाकघर द्र्ारा ककसी र्ी प्रयोजन के ललए प्राप्ि नकली मुरा के संबंि में र्ारिीय ररजर्व बैंक या वर्त्त मंत्रालय द्र्ारा जारी नकली मुरा का पिा लगाने और जब्ि करने से संबंधिि अनुि्ेशों और दिशाननिेशों के अिीन उक्ल्लखिि ि्रीके से कारवर्ाई की जाएगी ।

अध्याय V

घरेलू डाक मदें

क. लेटर पोस् ट मद

87.पत्र- (1) पत्र र्ैयक्तिक पत्राचार की प्रकृनि का संचार है जो ककसी व्यक्ति को संबोधिि करके डाक महसूल के पूर्व र्ुगिान के सार् डाक द्र्ारा र्ेजा जाि्ा है।

(2) प्रत्येक पत्र सुरक्षिि रूप से बंि अर्स्ि्ा में पोस्ट ककया जाएगा।

(3) पत्र का र्जन 500 ग्राम से अधिक नहीं होगा।

(4) डाक द्र्ारा पारेविि प्रत्येक पत्र ननम्नललखिि अधिकिम और न्द्यूनिम आयामों के अनुरूप होगा, अर्ाि:-

(i) अधिकतम विमा:-

रोल ि्ॉमव में –

एकलवर्मा 800 लमलम

लंबाई और ि्ुगुने व्यास का योग 1000 लमलम

रोल ि्ॉमव के अनिररति अन्द्य रूप में –

एकल वर्मा 600 लममी

लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का योग **(ii) न्यूनतम विमा:-**

रोल ि्ॉमव में –

900 लमलम

एकल वर्मा 100 लमलम लंबाई

और ि्ोगुने व्यास का योग 170 लमलम रोल ि्ॉमव के अनिररति अन्द्य रूप में –

140 लममी x 90 लममी, +- 2 लममी की टालरेंस के सार्।

88. रोल फॉमा के अनतररतत अन्य पत्र.- (1) रोल ि्ामव के अनिररति अन्द्य पत्र ननम्नललखिि आकारों के ललिाि्ोंं में होंगे;

(क) न्द्यूनिम 140 x 90 लममी; और

(ि्) अधिकिम 458 x 324 लममी;

+-2 लममी के टालरेंस के सार्

(2) प्रत्येक ललिाि्े का फ्लैप या ि्ो लम्बे र्ाग के पीछे ऊपर की ओर होगा अर्ा ि्ायीं या बायीं ओर होगा।
(3) प्रत्येक ललिाि्ा 0.15 लममी से 0.5 लममी मोटाई र्ाले कागज-पत्र का बना होगा।
(4) ललिाि्े की सिह एक समान सिह संरचना के सार् समिल की जाएगी।
(5) प्रत्येक ललिाि्े को सर्ी ि्रि से लगाि्ार बंि् ककया जाएगा और इस बाि् का ध्यान रिा जाएगा कक ललिाि्े पर गोंि् का कोई अर्ंि् न रह जाए और ललिाि्े को बंि् करने के ललए ि्ाि्ु के क्तलप या स्टेपल का प्रयोग नहीं ककया जाएगा।
(6) प्रत्येक ललिाि्ा न्द्यूनिम 70 ग्राम प्रनि र्गव मीटर का बनाया जाएगा।
(7) प्रत्येक ललिाि्ा इिना लचीला होना चादहए कक र्ं "यू आकार" में मुड़ सके।
(8) खिड़की र्ाले प्रत्येक ललिाि्े में खिड़की का आकार 35-50 लममी (चौड़ाई) और 80-125 लममी (लंबाई) के बीच होगा और अं्ि्वर्स्ि्ु को इस ि्रह से रिा जाएगा कक केर्ल पिा ब्लॉक क्जसमें बार कोड शालमल है, खिड़की के माध्यम से दि्ि्ाई ि्ेगा।
(9) 35 ग्राम प्रनि र्गव मीटर का ग्लालसन पेपर, 40 ग्राम प्रनि र्गव मीटर का सेलो्ि्ेन कागज और 15-माइक्रोन मोटाई का पॉलीवर्नाइल तलोराइड या द्वर्ंिीय उन्द्युि् पॉलीप्रोपाइलीन खिड़की अं्ि्वर्स्ि्ु के रूप में उपयोग ककया जाएगा।

(10) ललिाि्े के बाएं ककनारे से खिड़की के बाएं ककनारे की ि्ूरी न्द्यूनिम 15 लममी होगी, खिड़की के ऊपरी ककनारे की ि्ूरी न्द्यूनिम 40 लममी होगी, और ललिाि्े के ननचले ककनारे से खिड़की के ननचले ककनारे की ि्ूरी न्द्यूनिम 15 लममी होगी।
(11) प्रे्ि्क की कंपनी का लोगो और नाम ऊपरी बाएं कोने पर ललिा जा सकिा है और प्राप्ि्काि्व का पिा ब्लॉक से कम से कम 10 लममी के अं्ि्र के सार् ऊपरी ि्ाएं कोने पर स्टाम्प या स्पष्ट मुरा लगाई जा सकिी है।
(12) ललिाि्े के नीचे बार कोड मुरण के ललए 15 लममी जगह छोड़ी जाएगी और 2डी बारकोड या त्ररर प्रनिकक्रया कोड के चारों ओर 5 लममी सा्ि्ा स्र्ान प्रिान ककया जाएगा और प्रे्ि्क का लोगो आकार 25x50 लममी से अधिक नहीं होगा और 2डी बारकोड या त्ररर प्रनिकक्रया कोड का न्द्यूनिम आकार 18x18 लममी होगा।
(13) मुदरि बार कोड या डडक्ज्टल कोड का आकार सा्ि्े ि्ेत्र सदहि ललिाि्े की खिड़की में न्द्यूनिम 60 लममी लंबाई और 10 लममी चौड़ाई में रिा जाएगा और स्पष्ट रूप से दि्ि्ाई ि्ेगा।
(14) वर्ननयम 87 और वर्ननयम 88 के उप-वर्ननयम (1) से उप-वर्ननयम (13) में उक्ल्लखिि् शिों के उल्लंघन की क्स्र्नि में, पत्र पर ि्ोगुना डाक महसूल लगाया जाएगा और **शुल्क ननिाारित करते समय उस पर भुगतान ककयागया कोई भी डाक महसूल भी ध्यान में रखा जाएगा।**
(15) पत्रों के ललए ग्राहकों को ि्ी जाने र्ाली छूट और मूल्य संर्ि्वन महाननिेशक द्र्ारा समय-समय पर ननिावरि मानिंडों के अनुसार प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जा सकिा है;
(16) पत्रों पर प्रर्ायव डाक महसूल ि्रें अनुसूची-I कीसारणी-Iमें उक्ल्लखिि् होंगी।
89. पत्र काडा.- पत्र काडव डाक द्र्ारा पारेविि् ककए जा सकेंगे, यदि र्ं ननम्नललखिि् वर्ननिेशों के अनुरूप हों, अर्ावि:-

(क) डाक महसूल का पूरा पूर्व र्ुगिान ककया जाएगा;
(ि्) पत्र काडव का र्जन पांच ग्राम से अधिक नहीं होगा;
(ग) पत्र काडव की वर्माएं, क्जसमें उसके फ्लैप र्ी शालमल हैं, जब उसे ि्ोला या मोड़ा गया हो, क्रमशः ननम्नानुसार होंगे: -

बबना मुड़ा हुआ

अधिकिम - 300 लममी x 210 लममी.

न्द्यूनिम - 282 लममी x 182 लममी;
फ्लैप्स –पत्रकाडव में ि्ीन फ्लैप होंगे, एक बाएं और एक ि्ाएं ि्रि् जो 15 लममी गुणा 100 लममी से अधिक नहीं होगा और ि्ूसरा ऊपर की ि्रि् जो 15 लममी गुणा 210 लममी से अधिक नहीं होगा और यदि पत्र काडव को ककसी अन्द्य प्रर्ार्ी प्रकक्रया द्र्ारा बंि् ककया जा सकिा है ि्ो फ्लैप्स की आर्श्यकिा नहीं होगी।

मुड़ा हुआ

अधिकिम - 210 लममी 100 लममी

न्द्यूनिम - 152 लममी 90 लममी ;

(घ) पत्र काडव में कुछ र्ी अनुलग्न या संलग्न नहीं ककया जाएगा;

(ड.) घरेलू प्रेिण के ललए आशनयि प्रत्येक मुड़े हुए पत्र के पि की ओर ऊपरी बाएं कोने पर बाहर की ओर शब्ि "पत्र काडव" मुदरि होंगे; और

(च) पत्रकाडव न्द्यूनिम 70 ग्राम प्रनि र्गव मीटर के कागज से बना होगा।

स्पष्ट करण 1.- इस वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए, "पत्र काडव" से िात्पयव कागज की उस शीट से है क्जसे सामान्यिः पत्र ललिने के ललए प्रयोग ककया जाि ा है और क्जसे उधचि रूप से मोड़ा और गोंि लगाया गया हो।

स्पष्ट करण 2.- ननजी वर्ननमावण के पत्र काडों को उपयुति रूप से मोड़ा जाएगा और ि ीन ि रि से ननरंि र गोंि से धचपकाकर या ककसी अन्य धचपकाने र् ाले पार्व से पूरी ि रह बंि ककया जाएगा, परंि ु इस वर्ननयम में उक्ल्लखिि वर्माओं और अन्य शिों का अनुपालन ककया जाए।

90. ि े शतें जहां उल्लंघन ककया गया.- (1) वर्ननयम 89 में वर्ननदिवष्ट शिों के उल्लंघन के मामले में, पत्र काडव को एक पत्र के रूप में माना जाएगा और ऐसे पत्र काडव के ललए पहले से र्ुगिान ककए गए डाक महसूल और पत्र के ललए ि ेय डाक महसूल के बीच की ि ोगुनी कमी के सार् वर्ि रण पर शुल्क ललया जाएगा।

(2) पत्र काडों पर प्रर्ायव डाक महसूल अनुसूची-I कीसारणी-Iमें उक्ल्लखिि होंगें।

91. पोस्टकाडा.- (1) पोस्टकाडव डाक द्र्ारा प्रेविि ककए जा सकेंगे, यदि र्ह ननम्नललखिि शिों के अनुरूप हो, अर्ावि:-

(क) डाक महसूल का पूरा पूर्व र्ुगिान ककया जाएगा;

(ि) पोस्ट काडव का र्जन पांच ग्राम से अधिक नहीं होगा;

(ग) उनकी वर्माएं 140 लममी x 90 लममी होगा और उन पर पिा की ओर दहंि ी या अंग्रेजी में "पोस्ट काडव" ललिा होगा या मुदरि होगा;

(घ) जहां ि क पार्व का संबंि है, र्े डाकघर द्र्ारा जारी ककए गए पोस्ट काडों की ि ुलना में न ि ो पिले होंगे और न ही अधिक लचीले होंगे;

(ड.) ककसी र्ी पोस्ट काडव को मोड़ा नहीं जाएगा, ककसी ललिाि े में बंि नहीं ककया जाएगा, काटा नहीं जाएगा या अन्यर्ा पररर्निवि नहीं ककया जाएगा, लसर्ाय इसके कक मुदरि डाक दटकट (यदि कोई हो) पर आद्याि र सदहि नछदरि ककए जा सकेंगे।

(च) पोस्टकाडव के पि र्ाले दहस्से का ि ादहना दहस्सा सर्ी मामलों में प्राप्ि किाव के पि के ललए, पूर्व र्ुगिान के ललए आर्श्यक डाक महसूल स्टांप या स्टांवपंग मशीन की छाप के ललए आरक्षिि है, क्जसे जहां ि क संर्ि हो, ऊपरी ि ादहने कोने में धचपकाया जा सकिा है, और डाक ननिेशों के ललए, लेककन पि र्ाले दहस्से का बायां आिा दहस्सा, सार् ही पीछे का दहस्सा, प्रेि क द्र्ारा संचार या एकल रंग या बहु रंग मुदरि वर्ज्ञापन के प्रयोजन के ललए उपयोग ककया जा सकिा है और प्रेि क का पिा पीछे के

ऊपरी बाएं कोने पर ललिा जा सकिा है, या उप -वर्ननयम (छ) में उक्ल्लखिि प्रनिबंि के अिीन अन्यर्ा ननपटाया जा सकिा है:

परंि ु पोस्टकाडव के पि र्ाले र्ाग के ऊपरी ि ादहने कोने पर, डाक दटकट धचपकाए जाने र्ाले स्र्ान को इंधगि करने के ललए रेि ाओं या सूक्ष्म बबन्दि ुओं द्र्ारा धचक्ह्ि एक छोटा स्र्ान छोड़ा जाएगा;

(छ) पोस्ट काडव के सार् ननम्नललखिि के अनिररति कुछ र्ी संलग्न नहीं ककया जाएगा-

(i) डाक शूल्क या अन्य डाक संबंि ी शुल्कों के र्ुगिान में स्टांप पोस्ट काडव के केर्ल पि र्ाले र्ाग पर धचपकाए जाएंगे ;

(ii) काडव पर पूरी िरह धचपका हुआ गोंि लगा हुआ लेबल, क्जस पर उस व्यक्ति का नाम और पिा अंककि हो क्जसे काडव र्ेजा गया है;

(iii) 50 लममी से अधिक लम्बा और 20 लममी से अनधिक चौड़ा एक समान लेबल क्जस पर काडव र्ेजने र्ाले का नाम और पिा अंककि हो; और

(iv) बहुि पिले कागज पर उत्कीणवन, धचत्रण, रेि्ाधचत्र और ि्ोटोग्राि जो काडव से पूरी िरह धचपके हों।

परंिु उप-ि्ंड (ii) और उप-ि्ंड (iii) में वर्णनदिवष्ट मिें, पि र्ाले र्ाग के पीछे या बायीं ओर के आिे र्ाग में धचपकाई जाएंगी।

स्पष्ट करण.- इस वर्णनयम के प्रयोजनों के ललए, "पोस्ट काडव" से ननिावररि आकार के आयिाकार काडव पर ि्ुला संचार अलर्ेि है, क्जस पर ननिावररि मूल्य का स्टाम्प लगा हो्ा है।

(2) उप-वर्णनयम (1) में वर्णनदिवष्ट ककसी शिव के उल्लंघन की क्स्नि में, पोस्टकाडव को पत्र माना जाएगा और डडलीर्री पर ऐसे पोस्टकाडव के ललए पहले से र्ुगिान ककए गए डाक महसूल और पत्र के ललए ि्ेय डाक महसूल के बीच की ि्ोगुनी रालश का प्र्ार लगाया जाएगा,जो न्द्यूनिम एक रुपए होगा और जहां ऐसी रकम का दहस्सा है, क्जसमें पैसे शालमल हैं, हीं रकम बढाकर एक रुपया कर ि्ी जाएगी।

(3) पोस्टकाडव पर प्र्ायव डाक िरें अनुसूची I कीसारणी Iमें उक्ल्लखिि होंगी।

92. बुक पोस्ट.- (1) ऐसी र्स्ि्ु क्जसमें बुक, काडव, पबत्रकाएं, जनवल, सर्ी प्रकार के प्रकाशन, कागज, शीट, बबल, चालान, ररपोटव या र्ाखणक्ज्यक, वर्धिक या व्यक्तिगि प्रकृनि का कोई ि्स्ि्ार्ेज एकल या एक से अधिक प्रनियों में हो, उसे डाक द्र्ारा "बुक डाक" के रूप में ननम्नललखिि शिों के अिीन प्रेविि ककया जा सकिा है, अर्ावि: -

(क) बुक पोस्ट का र्जन 5 ककलोग्राम से अधिक नहीं होगा;

(ि) बुक पोस्ट की वर्माएं ननम्नललखिि अधिकिम और न्द्यूनिम सीमाओं के अिीन होगा:-

(i) अधिकिम.

रोल ि्ॉमव में –

लंबाई 800 लममी

लंबाई और ि्ुगुने व्यास का योग 1000 लममी

रोल ि्ॉमव के अनिररति (ii) न्द्यूनिम

रोल ि्ॉमव में –

600x300x300 लममी

एकल वर्मा 100 लममी

लंबाई और ि्ोगुने व्यास का योग 170 लममी

रोल ि्ॉमव के अनिररति 140 लममी x 90 लममी

+- 2 लममी के टोलरेंस के सार्;

(ग) जब बुक पोस्ट को काडव के रूप में ि्ुला र्ेजा जाएगा, चाहे ई मुड़ा हुआ हो या नहीं, ि्ो ई पोस्टकाडव से न ि्ो पिला होगा और न ही अधिक लचीला होगा;

(घ) बुक पोस्ट को ननम्नललखिि आकारों के ि्ुले ललाि्े में र्ेजा जाएगा, परंिु इसकी वर्मा 140x 90 लममी से कम और 353 x 250 लममी से अधिक न हो; +- 2 लममी के टालरेंस के सार्; (ड.) डाक-र्स् ि्ु के पि की ओर "बुक पोस्ट" अंककि होगा;

(च) बुक पोस्ट को बबना कर्र के, या बबना बंि्े ललाि्े में, या बुक पोस्ट के अंिगवि कर्र में पोस्ट ककया जाएगा, क्जसे जांच के प्रयोजन के ललए बबना ककसी सील को ि्ोड़े या ककसी कागज को ि्ाड़े या ककसी धचपके हुए सिह को अलग ककए आसानी से हटाया जा सके और बबना कर्र के पोस्ट ककए गए पैकेट को बांि्ा नहीं जा सकिा है या अन्द्यर्ा इस िरह से व्यर्हार नहीं ककया जा सकिा है क्जससे आसान जांच को रोका जा सके;

(छ) ककसी बुक पोस्ट में "कागजी मुरा" नहीं होगी, क्जसमें इस वर्णनयम के प्रयोजनों के ललए अप्रकालशि डाक या

अन्द्य दटकट, हुंडी, चेक, बैंक पोस्ट बबल, वर्ननमय पत्र और िन के र्ुगिान के ललए सर्ी आिेश या प्राधिकार शालमल हैं:

परंिु बुक पोस्ट में एक दटकट लगा हुआ और पिा ललिा हुआ ललिाि्ा, पोस्ट काडव या आर्रण हो सकिा है क्जस पर पैकेट र्ेजने र्ाले का नाम और पिा या उस पर नालमि ककसी अन्द्य व्यक्ति का नाम अंककि हो;

(ज) बुक पोस्ट डाक-र्स् ि्ु में ननदहि कोई र्ी िस्ि्ाार्ेज ककसी प्राप्ि्किाव को संबोधिि नहीं ककया जाएगा और न ही डाक-र्स् ि्ु के अनिररति ककसी अन्द्य प्रेिक से आएगा:

परंिु बुक पोस्ट के रूप में र्ेजी गई सर्ी र्स्ि्ुओं को, यदि उनका र्जन 500 ग्राम िक है, ि्ो लेटर पोस् ट के रूप में माना जाएगा, या यदि उनका र्जन 500 ग्राम से अधिक है, ि्ो पासवल डाक के रूप में माना जाएगा।

(2) उप-वर्ननयम (1) में उक्ल्लखिि ककसी र्ी शिव के उल्लंघन की क्स्नि में, बुक पोस्ट को पत्र माना जाएगा और डडलीर्री पर, पत्र या र्ाररीय डाक पासवल पर ि्ेय डाक शुल्क का ि्ोगुना ललया जाएगा, जो र्ी कम शुल्क हो (ऐसी र्स्ि्ुओं की श्ेणी के ललए ननिावररि शिों की पूनिव के अिीन) और **उस पर भुगतान ककए गए ककसी भीडाक शुल्क को प्रभारों का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाएगा।**(3) बुक पोस्ट पर प्रर्ायव डाक िरें अनुसूची I कीसारणी Iमें उक्ल्लखिि अनुसार होंगी।

93. दृक्ष्टह नों के भलए साटहत्य.- (1) दृक्ष्टहीनों के उपयोग के ललए "ब्रेल" या अन्द्य वर्शेि प्रकार में छपी ककसी र्ी प्रकार की पत्र-पबत्रकाएं और पुस्ि्कें डाक द्र्ारा "दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य" डाक-र्स् ि्ु के रूप में र्ेजी जाएंगी, परंिु उन्द्हें ननम्नललखिि शिों के अनुसार र्ेजा जाए, अर्ाव्: -

(क) ऐसी र्स्ि्ुओं में केर्ल दृक्ष्टहीनों के उपयोग के ललए ऊपर र्खणवि अनुसार वर्शेि रूप से मुदरि सामग्री ही शालमल होगी, और इसमें बुक या पबत्रकाओं के शीिवक और वर्ि्य-सूची, वर्शेि प्रकार के उपयोग के ललए कुंजी या ननिेश, या पैकेट की र्ापसी के ललए लेबल के अनिररति कोई संलग्नक के, ललखिि या साि्ारण प्रकार में मुदरि कोई र्ी संचार शालमल नहीं होगा;

(ि) ऐसी र्स्ि्ुओं के बाहरी र्ाग पर "दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य" ललिा होगा और र्ेजने र्ाले का नाम और पिा ललिा या मुदरि होगा;

(ग) ऐसी र्स्ि्ुओं को या ि्ो बबना कर्र के रिा जाएगा या ि्ोनों लसरों से ि्ुले कर्र में रिा जाएगा, क्जसे जांच के प्रयोजन के ललए आसानी से हटाया जा सके;

(घ) "दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य" सामग्री का र्जन 7 ककलोग्राम से अधिक नहीं होगा; और

(ड.) ऐसी र्स्ि्ु की वर्माएं ननम्नललखिि अधिकिम और न्द्यूनिम सीमाओं के अनुरूप होंगी: -

(i) अधिकिम

रोल रूप में - लंबाई	800 लममी	
लंबाई और व्यास के ि्ुगुने का योग	1000 लममी	
रोल ि्ॉमव के अनिररति	600 x 300 x 300 लममी	(ii) न्द्यूनिम
रोल रूप में - लंबाई	100 लममी	
लंबाई और व्यास के ि्ोगुने का योग	170 लममी	
रोल ि्ॉमव के अनिररति	100 x 70 लममी	

स्पष्ट करण.- दृक्ष्टहीनों के उपयोग के ललए ध्नन ररकाडव ललिने के धचह्न र्ाली प्लेटें और डडस्क, किल्म, टेप और ि्ार, क्जन पर दृक्ष्टहीनों के ललए मौखिक संि्ेश ररकाडव ककए गए हैं, जब उन्द्हें दृक्ष्टहीनों के ललए आधिकाररक रूप से मान्द्या प्राप्ि् संस्र्ा द्र्ारा र्ेजा गया हो या उसे संबोधिि ककया गया हो, उन्द्हें "दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य" माना जाएगा।

(2) दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य पर कोई डाक महसूल नहीं लगेगा, लेककन हर्ाई मागव से पारेविि करने पर हर्ाई डाक शुल् क लगेगा।

(3) उप-वर्ननयम (1) में उक्ल्लखिि ककसी र्ी शिव के उल्लंघन के मामले में, "दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य" डाक-र्स् ि्ु पर, प्रासंधगक डाक डाक-र्स् ि्ु पर ि्ेय डाक शुल्क का ि्ोगुना शुल्क ललया जाएगा, जैसा र्ी लागू हो।

94. आिधक डाक.- (1) कोई प्रकाशन आर्धिक डाक के रूप में डाक द्र्ारा पारेविि ककया जा सकेगा, यदि र्ह-

(क) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) केअिीन "पबत्रका" शब्ि की पररर्ाि्ा के अिीन आि्े हैं ;

(ि) केर्ल र्ारि में प्रकालशि, मुदरि या प्रकालशि;

(ग) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) के अिीन र्ारि के प्रेस रक्जस्ट्रार जनरल के सार् पंजीकृि है और उसके पास प्रेस रक्जस्ट्रार जनरल द्र्ारा आर्ंदटि पंजीकरण प्रमाणपत्र है; और

(घ) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) के उपबंि्ों का अनुपालन करना ।

परंिु कोई बुक या पबत्रका, क्जसमें र्ैज्ञाननक, िकनीकी और शैिखणक प्रकृनि की बुक या पबत्रका र्ी शालमल है, को आर्धिक के रूप में डाक द्र्ारा पारेविि नहीं ककया जाएगा।

(2) पबत्रकाओं को डाक द्र्ारा पारेविि करने के ललए अलग से डाक पंजीकरण की आर्श्यकिा नहीं होगी।

परंिु उन पबत्रकाओं के ललए जो समाचार पत्र की पररर्ाि्ा के अंिगवि आिी हैं और डाक द्र्ारा पारेि्ण के ललए ररयायिी िर पर डाक िचव का लार् उठाना चाहिे हैं, स्र्ामी या प्रकाशक द्र्ारा (स्र्ामी के प्राधिकार के अिीन) पृर्क डाक पंजीकरण या लाइसेंस लेना अपेक्षि्ि है।

(3) पबत्रका के प्रर्म या अंनिम पृष्ठ पर ककसी र्ी सुवर्ि्ाजनक स्र्ान पर "र्ारि के प्रेस रक्जस्ट्रार संख्या ……..." अंकधि ककया जाएगा।

(4) उप-वर्ननयम (1) और (3) में वर्ननदिवष्ट ककसी र्ी शिव के उल्लंघन के मामले में, डाक-र्स् ि्ु को बुक पोस्ट डाक-र्स् ि्ु के रूप में माना जाएगा और उस पर शुल् क लगाया जाएगा और शुल्क का आकलन करि समय उस पर र्ुगिान ककए गए ककसी र्ी डाक महसूल को ध्यान में रि जाएगा।

(5) आर्धिक डाक पर प्रर्ायव डाक िरें अनुसूची-I की सारणी-I में उक्ल्लखिि होंगी।

95. पंजीकृत समाचारपत्र.- (1) कोई समाचारपत्र पंजीकृि समाचारपत्र के रूप में डाक द्र्ारा पारेि्ण के ललए डाक रक्जस्ट्रीकरण हेि्ु पात्र होगा, यदि र्ह-

(क) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) केअिीन "समाचार पत्र" शब्ि की पररर्ाि्ा के अंिगवि आि्े हैं ;

(ि) केर्ल र्ारि में ननकाली गई, मुदरि या ननकाली गई;

(ग) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) के अिीन र्ारि के प्रेस रक्जस्ट्रार जनरल के सार् पंजीकृि है और उसके पास प्रेस रक्जस्ट्रार जनरल द्र्ारा आर्ंदटि पंजीकरण प्रमाणपत्र है; और

(घ) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) के उपबंि्ों का अनुपालन करना।

(2) पंजीकृि समाचारपत्र से संबंधिि प्रशासननक और प्रचालनात्मक दिशाननिश समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककए जाएंगे।

(3) पंजीकृि समाचारपत्रों पर डाक िरें अनुसूची-I कीसारणी-Iमें उक्ल्लखिि हैं।

डाक - पासाल

96. भारतीय डाक पासाल.- (1) डाकघर व्यक्तिगि और र्ोक ग्राहकों को र्ारीय डाक पासवल की सेर्ा प्रिान करेगा और सर्ी पासवल को लेि्ाि्ेय डाक-र्स् ि्ुओं के रूप में माना जाएगा।

(2) ककसी र्ी डाक-र्स्ि्ु को र्ारीय डाक पासवल माना जाएगा, यदि र्ह ननम्नललखिि शिों में से कम से कम एक का अनुपालन करिी है, अर्ावि: -

(क) क्जसका र्जन 500 ग्राम से अधिक हो; या

(ि) क्जसके न्द्यूनिम वर्माएं हैं:

(i) रोल के रूप में 100 लममी, लंबाई और ि्ोगुने व्यास का योग 170 लममी;

(ii) रोल रूप से लर्न्द् न 140 x 90 लममी;

± 2 लममी की टालरेंस के सार्; और

(ग) क्जसकी लम्बाई 1.5 मीटर से अधिक न हो और लम्बाई ि्ा पररधि लमलाकर 3 मीटर से अधिक न हो; और

(घ) क्जसका सकल र्ार 35 ककलोग्राम या पररर्ावि आयिन र्ार से अधिक न हो;

परंतु जहां डाक-र्स् ि्ु वर्ननयम 87 का उप-वर्ननयम (1) में पररर्ावि एक पत्र डाक-र्स् ि्ु नहीं है, ग्राहक द्र्ारा इसे "माल" के रूप में घोवि ककया जाएगा।

(3) खिड़की पर प्रस्ि्ुि ककसी र्ी र्ारिीय डाक पासवल पर "र्ारिीय डाक पासवल" अंककि होगा और उसमें ऐसा मूल्य संर्िवन र्ी होगा, क्जसका र्ुगिान प्रेिक द्र्ारा ककया जा सकेगा।

(4) ननयम 9 में उक्ल्लखि र्ुगिान के ककसी र्ी ि्रीके के माध्यम से ककसी र्ारिीय डाक पासवल पर डाक-शुल् क का पूणवि: पूर्व र्ुगिान ककया जाएगा ।

टटप्पणी 1 : महाननिशक द्र्ारा अनुमोदि वर्क्रे ि्ाओं की फ्रैंककंग मशीनों के ऐसे मॉडलों के फ्रैंककंग इंप्रेशन को ककसी र्स्ि्ु पर डाक के पूर्व र्ुगिान का माध् यम माना जाएगा।

टटप्पणी 2: इस वर्ननयम में ननदहि कोई र्ी बाि र्ारिीय डाक पासवल की बुककंग को नहीं रोकेगी, जहां महाननिशक द्र्ारा अनुमनि के अनुसार डाक महसूल का संग्रहण बाि में ककया जाि्ा है।

(5) र्ारिीय डाक पासवल सामान्द्ि: केर्ल सिह मागव से ही प्रेवि ककया जाएगा।

(6) मूल्यर्धिवि सेर्ाएं, अर्ावि् प्राप्ि्काि वर्लशष्ट डडलीर्ी, कैश ऑन डडलीर्ी, बीमा और डडलीर्ी का प्रमाण, समय-समय पर प्रशाससनक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट शुल्क के र्ुगिान पर र्ारिीय डाक पासवल के ललए उपलब्ि होंगी ।

(7) सर्ी र्ारिीय डाक पासवल को समय-समय पर प्रशाससनक अनुि्ेशों के अनुसार प्रेिक या डाकघर द्र्ारा पैक ककया जाएगा और वर्ननिेशों के अनुरूप पैक नहीं ककया गया कोई र्ी र्ारिीय डाक पासवल बुककंग के ललए स्र्ीकार नहीं ककया जाएगा।

(8) यदि डाक के माध्यम से प्रेवि ककसी र्ारिीय डाक पासवल में ऐसी कोई र्स्ि्ु पाई जाि्ी है, क्जसका प्रेि्ण अधिननयम या ननयमों के उपबंि्ोंं का उल्लंघन करि है, ि्ो उसे उस स्र्ान के ननकटिम डाकघर में रोक ललया जाएगा, जहां र्ह पि चलि है और समय-समय पर प्रशाससनक अनुि्ेशों द्र्ारा यर्ावर्ननदिवष्ट ि्रीके से ननपटान ककया जाएगा।

(9) र्ारि के ककसी र्ी र्ाग को र्ेजे जाने र्ाले प्रत्येक र्ारिीय डाक पासवल के सार् समय-समय पर प्रशाससनक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट प्रारूप में घोि्णा संलग्न की जाएगी।

(10) अखिल र्ारिीय डाक पासवलों की बुककंग, प्रेि्ण और वर्ि्रण समय-समय पर प्रशाससनक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ि्रीके से ककया जाएगा।

(11) र्ारिीय डाक पासवलों पर प्रर्ायव डाक ि्रें अनुसूची I की **सारणी III** मेंउक्ल्लखि हैं।

97. सैन्यतंत्र डाक - (1) सककवल प्रमुि्ोंं को समय-समय पर प्रशाससनक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट कायावलय और नामननदिवष्ट स्र्ान वर्ननदिवष्ट करने के ललए अधिकृि ककया जाि्ा है, जहां "सैन्द्िंत्र" के अिीन डाक-र्स् ि्ु बुक ककए जा सकि हैं या उन्द्हें संबोधि ककया जा सकि है, समय-समय पर प्रशाससनक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

(2) सैन्द् यिंत्र डाक के अंिगवि डाक-र्स् ि्ुओं की पोक्स्टंग, बुककंग, पारेि्ण और डडललर्ी के ललए प्रचालन की शिें, समय-समय पर दिए गए प्रशाससनक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष् ट की जाएंगी।

98. स्पीड पोस्ट.- (1) प्रत्येक स्पीड पोस्ट में डाक द्र्ारा र्ेजे जाने के ललए ि्ो प्रकार की र्स्ि्ुएं होंगी, अर्ावि्:-

(क) स्पीड पोस्ट ि्स्ि्ार्ेि्; और

(ि) स्पीड पोस्ट पासवल।

टटप्पण: िस्ि◌ार्े◌ंि में वर्ननयम 87 के उप-वर्ननयम (1) में यर्ापररर्ावि◌ि पत्र या कोई अन्द्य संचार, ललखि◌ि, धचत्रकारी या मुदरि हो सकिा है, क्जसमें माल की सामग्री शालमल नहीं है ।

(2) स्पीड पोस्ट िस्ि◌ार्ेज और पासवल के डाक महसूल अनुसूची I की **सारणी IV** में उक्ल्लखि◌ि अनुसार होगा।

99. स्पीड पोस्ट दस्ताि◌ेज.- (1) प्रत्येक स्पीड पोस्ट संबंि◌ी िस्ि◌ार्ेज र्ायुमागव से प्रेवि◌ि ककया जाएगा:

परंि◌ु स्पीड पोस्ट िस्ि◌ार्ेज को सिही मागों पर प्रेवि◌ि ककया जा सकेगा, जहां यह ननिावररि हो जाि◌ा है कक यह हर्ाई मागव से अधिक ि◌ेज है।

(2) स्पीड पोस्ट िस्ि◌ार्ेज के ललए ककसी र्स्ि◌ु का र्जन आयिन र्ार सदहि 500 ग्राम से अधिक नहीं होगा।

(3) स्पीड पोस्ट िस्ि◌ार्ेज डाक-र्स् ि◌ु पर प्रर्ायव डाक महसूल और अन्द्य शुल्क, आयिन र्ार या सकल र्ार, जो र्ी अधिक हो, के अनुसार प्रर्ाररि ककया जाएगा।

(4) स्पीड पोस्ट िस्ि◌ार्ेज के ललए ककसी र्स्ि◌ु का आकार लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 420 लममी, 297 लममी और 24 लममी के वर्माओं से अधिक नहीं होगा।

(5) समय-समय पर प्रशासननक अनुि◌ेशों द्र्ारा यर्ावर्ननदिवष्ट वपक-अप सुवर्ि◌ा, डडलीरी का सबूि◌, बीमा, पंजीकरण और अन्द्य मूल्यर्धिवि सेर्ाएं, समय-समय पर प्रशासननक अनुि◌ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट शुल्क के र्ुगिान पर स्पीड पोस्ट डाक-र्स् ि◌ु के ललए उपलब्ि◌ होंगी।

(6) स्पीड पोस्ट के अिीन र्ेजी गई र्स्ि◌ु सामान्द्यिः पिा वर्लशष् ट होगी, अर्ावि उसे दिए गए पि◌े पर ही पहुंचाया जाएगा, जब ि◌क कक अन्द्यर्ा वर्ननदिवष्ट न ककया जाए।

100. स्पीड पोस्ट पासाल.- (1) र्ारिीय डाक पासवल से संबंधिि◌ वर्ननयम 96 के उप-वर्ननयम (1), (2), (4), (6), (7) से (10) ि◌क स्पीड पोस्ट पासवल पर यर्ाश्यक पररर्ि◌वनों सदहि लागू होंगे , लसर्ाय ननम्नललखि◌ि के: -

(क) प्रत्येक स्पीड पोस्ट पासवल हर्ाई मागव से र्ेजा जाएगा:

परंि◌ु स्पीड पोस्ट पासवल को सिही मागों से प्रेवि◌ि ककया जा सकेगा, जहां यह ननिावररि हो कक यह र्ायुमागव से प्रेवि◌ि होने की ि◌ुलना में अधिक ि◌ीव्र है:

परंि◌ु यह और कक यदि स्पीड पोस्ट पासवल सिह मागव से प्रेवि◌ि ककया जाि◌ा है, ि◌ो उसे प्रेि◌ण के प्रत्येक चरण में र्ारिीय डाक पासवल पर प्रार्लमकिा ि◌ी जाएगी; और

(ि◌) खिड़की पर प्रस्ि◌ुि◌ ककसी र्ी स्पीड पोस्ट पासवल पर "स्पीड पोस्ट पासवल" अंककि होगा और उसमें मूल्य संर्ि◌वन र्ी होगा, क्जसका र्ुगिान प्रेि◌क द्र्ारा ककया जा सकेगा।

अन्य डाक उत्पाद

101. डायरेत ट पोस् ट - (1) प्रत्यि डाक एक गैर-संबोधिि◌ मेल होगा, क्जसमें पत्र, काडव, ब्रोशर, प्रश्नार्ली, पैम्ि◌लेट, नमूने, प्रचार मि, कूपन, पोस्टर, मेलर या मुदरि संचार का कोई अन्द्य रूप शालमल होगा जो अधिननयम या इन वर्ननयमों द्र्ारा ननविद्ि◌ नहीं है ।

स्पष्ट करण- इस वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए, "डाक" से ऐसा मुदरि सामग्री अलर्ग्रेि◌ है, जो सामान्द्यिया एक बबक्री संि◌ेश या घोि◌णा ले जाि◌ी है, क्जसे सार्ि◌ानीपूर्वक चयननि उपर्ोिा या व्यार्सानयक बाजार से प्रनिकक्रया प्राप्ि◌ करने के ललए डड़ाइन ककया गया है ।

(2) इन डाक-र्स् ि◌ुओं को अलर्दहि डाकघर में र्ोक में स्र्ीकार ककया जाएगा और इसे पत्र बॉतस में पोस्ट नहीं ककया जाएगा ।

(3) अन्द्य शहरों में वर्ि◌रण के ललए बनी र्स्ि◌ुओं के मामले में, प्रत्यि डाक र्स्ि◌ुओं को डाक सूचकांक संख्या (वपन) कोड-र्ार बंडलों में स्र्ीकार ककया जाएगा ।

(4) डायरेत ट पोस् ट का लार् उठाने के ललए पररचालन शिं डाक की न्द्यूनिम मात्रा सदहि ऐसी होंगी जो समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जा सकेंगी ।

(5) डायरेत ट पोस् ट पर प्रर्ायव िरों का उल्लेि अनुसूची-।। की सारणी-।। में ककया गया है ।

102. मीडडया डाक - (1) मीडडया डाक एक वर्ज्ञापन िंत्र होगा क्जसे केंरीय सरकार या राज्य सरकार और कॉपोरेट ग्राहकों को अपने उत्पाि्ोंं और सेर्ाओं को बढार्ा ि्ेने में सहायिा करने के ललए डड़ाइन ककया गया है तयोंकक यह डाक स्टेशनरी और डाक पररसर जैसे वर्ज्ञापन माध्यमों की एक श्ृंि्ला प्रिान करिा है ।

(2) वर्ज्ञापन को डाकघर के पररसर में वर्ज्ञापन के ललए धचक्ह्नि ि्ेत्र में प्रिलशवि ककया जाएगा ।

(3) मीडडया डाक का लार् उठाने के ललए शिं समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी ।

(4) मीडडया डाक के अिीन प्रर्ायव िरों का उल्लेि अनुसूची 2 की सारणी 2 में ककया गया है ।

103. ई-डाक - (1) ई-डाक डाकघरों के नेटर्कव के माध्यम से इलेतट्रॉननक संचरण और र्ौनिक वर्रण के संयोजन के सार् र्ारि में ककसी र्ी पि पर संि्ेश र्ेजने की सुवर्ि्ा प्रिान करिा है ।

(2) ई-डाक इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के रूप में संि्ेश र्ेजिा है और इसे एक गैर-लेि्ाि्ेय पत्र डाक-र्स् ि्ु के रूप में हाडव कॉपी में प्रेवि्ी को वर्रररि ककया जाएगा ।

(3) यह सुवर्ि्ा ि्ुरिा ग्राहकों के सार्-सार् र्ोक ग्राहकों के ललए र्ी उपलब्ि है :

परंि्ु र्ोक ग्राहक ई-डाक सुवर्ि्ा का लार् उठाने के ललए डाकघर के संबंधि प्राधिकारी के सार् एक करार करेंगे ।

(4) ई-डाक र्ेजने के ललए प्रचालन शिं ऐसी होंगी जो समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाए ।

(5) ई-डाक के अिीन प्रिान की जाने र्ाली सेर्ाओं पर ि्ीस अनुसूची-।। की सारणी-।। में उपबंधि है।

104. ई-भुगतान- (1) ई-र्ुगिान डाकघर के संबंधि प्राधिकारी के सार् एक करार करके डाकघरों के माध्यम से ि्ीसरे पि के ललए बबल रकम या अन्द्य र्ुगिानों के संग्रह की सेर्ाएं प्रिान करिा है ।

(2) ई-र्ुगिान से संबंधि प्रचालन शिं और ि्ीस ऐसे होंगे जो समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ककए जाएं ।

105. ररटेल पोस् ट - (1) ि्ुरिा डाक इन उत्पाि्ोंं या सेर्ाओं को डाकघरों के माध्यम से अपने आसपास के ि्ेत्र में उपलब्ि कराकर जनसाि्ारण को सुवर्ि्ा प्रिान करने के उद्ि्ेश्य से वर्र्ागीय और ि्ीसरे पि के उत्पाि्ोंं या सेर्ाओं की बबक्री प्रिान करेगा।

(2) वर्र्ागीय उत्पाि या सेर्ाएं समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

(3) ि्ीसरे पि के उत्पाि्ोंं या सेर्ाओं को संबंधि सार्वजननक ि्ेत्र और ननजी ि्ेत्र की इकाइयों से करार करके प्रिान की जाएंगी।

(4) डाकघर की ओर से मंडल प्रमुि संबंधि पक्ब्लक सेतटर और प्राइर्ेट सेतटर की संस्ाओं के सार् करार करने के ललए अधिकृि है।

(5) ररटेल पोस् ट के अंिगवि प्रिान की जाने र्ाली सेर्ाओं पर शुल् क डाकघर द्र्ारा प्रिान की जाने र्ाली सेर्ा के पहलुओं पर वर्चार करने के पश् चाि् वर्ननदिवष् ट ककया जाएगा।

(6) ररटेल पोस् ट के ललए प्रचालन शिं समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

106. मैगजीन पोस् ट - (1) कोई र्ी प्रकाशन डाक द्र्ारा 'पबत्रका डाक' के रूप में प्रसाररि ककया जा सकेगा, यदि ई-

(क) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) के अिीन "ननयिकाललक" शब्ि की पररर्ाि्ा के अंिगवि कर ककया गया है;

(ि) केर्ल र्ारि में ननकाली गई, मुदरि या प्रकालशि हुए हो;

(ग) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) के अिीन र्ारि के महाप्रेस रक्जस्ट्रार के पास रक्जस्ट्रीकृि है और प्रेस रक्जस्ट्रार आॅ जनरल द्र्ारा आर्ंदटि रक्जस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो ;

(घ) प्रेस और ननयिकाललक पबत्रका रक्जस्ट्रीकरण अधिननयम, 2023 (2023 का 51) के उपबंि ों का अनुपालन करिा हो;

(ङ) उसके पास कम से कम 500 ग्राहकों की एक र्ास्ि र्वर्क सूची है ; ि र्ा

(च) न्द्यूनिम 500 प्रनियों एक बार में पोस् ट की जाि ी हों;

(2) प्रत्येक मैगजीन पोस् ट के लेि ाि ेय डाक-र्स् ि ु के रूप में डाक पर उक्ल्लखि ि पि पर डडललर्र ककया जाएगा ।

(3) मैगजीन पोस्ट के अिीन पबत्रकाओं पर प्रर्ायव डाक शुल् क के र्ुगिान के ललए ग्राहक द्र्ारा नकि र्ुगिान, अर्ी बुक करें और बाि में र्ुगिान (बीएनपीएल) और अधग्रम र्ुगिान की सुवर्ि ाओं का लार् उठाया जा सकेगा ।

(4) मैगजीन पोस् ट के ललए प्रचालन की शिें ऐसी होंगी जो समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी ।

(5) उप-वर्ननयम (1) में उक्ल्लखि ि शिों के उल्लंघन के मामले में, मैगजीन पोस् ट के अिीन प्रेवि ि की गई डाक-र्स् ि ु को स्पीड पोस्ट डाक-र्स् ि ु के रूप में माना जाएगा और प्रर्ारर्ि ककया जाएगा ।

(6) पबत्रकाओं की डाक पर प्रर्ायव डाक की ि रें अनुसूची-।। की सारणी-IV में यर्ाउक्ल्लखि ि होंगी ।

अध्याय VI

अंतरार्ाष्ट्र य डाक ि स् तुएं और से ि ाएं

107. अंतरार्ाष्ट्र य डाक - (1) अंि रराष्ट्रीय डाक में, लेटर पोस् ट (लेटर पोस् ट) में पत्र, पोस्टकाडव, एयरोग्राम, मुदरि पेपर (पुस्ि कें और रक्जस्ट्रीकृि समाचार पत्र, छोटे पैकेट, नेत्रहीनों के ललए सादहत्य, एम बैग र्स् ि ुएं और अंि रावष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेर्ा (आईटीपीएस) जैसे बल् क बैग र्स् ि ु शालमल होंगी ।

(2) अंि रराष्ट्रीय डाक में, "पासवल डाक" में अंि रराष्ट्रीय एयर पासवल, अंि रावष्ट्रीय सिह हर्ाई पासवल (एसएएल) और अंि रराष्ट्रीय सिह पासवल जैसे डाक-र्स् ि ु शालमल होंगे ।

(3) एतसप्रेस मेल सेर्ा (ईएमएस) ि ुननया र्ें में ि स्ि ार्ेज और माल र्ेजने के ललए सबसे ि ेज सेर्ा होगी ।

क. लेटर पोस् ट ि स् तुएं

108. पत्र (अंतरार्ाष्ट्र य)- (1) ऐसा पत्र, क्जसमें ललिाि े में अंि वर्वष्ट संसूचना हो सकेगी और 2 ककलोग्राम ि क के र्जन की सीमा के सार् पिा होगा, वर्ि ेशों या वर्ि ेशी ि ेत्रों में प्रेविनियों या प्रेि कों को/मंगर्ाया या प्रेवि ि ककया जा सकि है।

(2) पत्र ननम्नललखि ि अधिकिम और न्द्यूनिम आयामों के अनुरूप होंगे, अर्ावि् : -

(क) **अधिकतम आयाम** : लंबाई, चौड़ाई और गहराई संयुति रूप से : 900 लममी, ककं ि ु सबसे बड़ा आयाम 600 लममी से अधिक नहीं हो सकि है, 2 लममी की सह्यसीमा के सार् ; रोल प्ररूप में : लंबाई योग व्यास का ि ोगुना : 1,040 लममी, ककं ि ु सबसे बड़ा आयाम 900 लममी से अधिक नहीं हो सकि है, 2 लममी की सह्यसीमा के सार् ;

(ि) **न्यूनतम आयाम** : सिह माप 90 x 140 लममी न्द् यूनिम, 2 लममी की सह्यसीमा के सार् ; रोल प्ररूप में : लंबाई और व्यास का ि ोगुना : 170 लममी : ककं ि ु सबसे बड़ा आयाम 100 लममी न्द् यूनिम।

(3) पत्रों (अंि रावष्ट्रीय) पर प्रर्ायव डाक व्यय की ि रों का उल्लेि अनुसूची-।।। की सारणी-। में ककया गया है।

109. एयरोग्राम- (1) एयरोग्राम, जो एक प्रार्लमकिा र्ाली डाक-र्स् ि ु है क्जसमें कागज की एक शीट उपयुति रूप से मुड़ी हुई है और सर्ी ििरि से धचपकी है, वर्शेि रूप से र्ायुमागव से वर्ि्ेशों या वर्ि्ेशी ि्ेत्रों में/को प्रेविनियों को या प्रेिकों से र्ेजा/मंगर्ाया जा सकेगा।

(2) मंडल प्रमुि द्र्ारा वर्ननदिवष्ट डाकघरों द्र्ारा एयरोग्राम बेचा जाएगा :

परंि ु प्राइर्ेट वर्ननलमवि एयरोग्राम डाक द्र्ारा पारेविि नहीं ककया जाएगा ।

(3) एयरोग्राम ननम्नललखिि अधिकिम और न्द्यूनिम आयामों के अनुरूप होगा, अर्ावि् :-

(क) एक एयरोग्राम का अधिकिम आकार मोड़ दिए जाने पर 110 x 220 लममी से अधिक नहीं होगा और उस रूप में, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बराबर या उससे अधिक होगी, क्जसे ₹ 2 (अनुमाननि मूल्य : 1.4) से गुणा ककया जाएगा ;

(ि) मोड़े गए एयरोग्राम के ललए अनुमि न्द्यूनिम आकार अिरों के समान होगा, अर्ावि् 90 x 140 लममी ।

(4) एयरोग्राम पर प्रर्ायव डाक की िरों का उल्लेि अनुसूची-।।। की सारणी-V में ककया जाएगा ।

110. पोस्ट काडा (अंतराष्ट्र य) - (1) पोस्टकाडव 2 लममी की सह्यसीमा के सार् 120 x 235 लममी के अधिकिम आयामों के सार् कागज की एक शीट पर सिह द्र्ारा प्रसाररि एक ि ुला संचार है, परंि ु र्े बबना ककसी कदठनाई के प्रसंस्करण का सामना करने के ललए पयावप्ि रूप से कठोर हों ; और इसका 2 लममी की सह्यसीमा के सार् 90 x 140 लममी के न्द्यूनिम आयामों के सार् हो।

(2) डाकघरों द्र्ारा जारी ककए गए या ननजी ि ौर पर वर्ननलमवि ककए गए पोस्टकाडव वर्ि्ेशों या वर्ि्ेशी ि्ेत्र में पारेि ण के ललए स्र्ीकार ककए जाएंगे :

ककंि ु प्राइर्ेट रूप से वर्ननलमवि ककए गए पोस्टकाडव आयिाकार होंगे ि र्ा डाकघर द्र्ारा जारी ककए गए पोस्टकाडों के ललए प्रयुति सामग्री ि र्ा आयामों के समान होंगे।

(3) पोस्टकाडव (अंिरावष्ट्रीय) पर प्रर्ायव डाक ि ीस की िरों का उल्लेि अनुसूची-।।।की सारणी-। में ककया जाएगा।

111. **एयरमेल पोस्टकाडा**- (1) एयरमेल पोस्टकाडव ऐसा पोस्टकाडव है, क्जसे र्ायु मागव से पारेविि ककया जाि ा है।

(2) वर्ननयम 110 के उप-वर्ननयम (1) और (2) में यर्ाउक्ल्लखिि पोस्टकाडव के उपबंि एयरमेल पोस्टकाडव पर लागू होंगे।

(3) एयरमेल पोस्टकाडव पर प्रर्ायव डाक ि ीस की िरों का उल्लेि अनुसूची III के ि ाललका V में ककया जाएगा ।

छोटा पैकेट

112. छोटे पैकेट- (1) ऐसी पत्र डाक-र्स् ि ुएं, क्जसमें कम मात्रा में सामान जैसे उपहार, बबक्री योग्य मूल्य की र्स् ि ुएं और माल के नमूने होि े हैं, उन्द् हें डाक द्र्ारा छोटे पैकेट के रूप में प्रेविि ककए जा सकेंगे ।

(2) छोटे पैकेट में कोई उत्कीणव लेि नहीं होगा या र्ि वमान और व्यक्तिगि पत्राचार की प्रकृनि के ि स्ि ार्ेज या प्रेिक और प्रेविि ी के अलार्ा अन्द्य व्यक्तियों के बीच आिान-प्रिान ककए गए कोई ि स्ि ार्ेज को शालमल नहीं ककया जाएगा।

(3) छोटे पैकेट पत्रों के ललए ननम्नललखिि अधिकिम और न्द्यूनिम आयामों के अनुरूप होंगे, अर्ावि् :-

(क) **अधिकतम आयाम** : लंबाई, चौड़ाई और गहराई संयुति रूप से : 900 लममी, ककंि ु सबसे बड़ा आयाम 600 लममी से अधिक नहीं हो सकेगा, 2 लममी की सह्यसीमा के सार् ; रोल प्ररूप में : लंबाई

योग व्यास का ि ोगुना : 1,040 लममी, लेककन सबसे बड़ा आयाम 900 लममी से अधिक नहीं होगा, 2 लममी की सह्यसीमा के सार् ;

(ि) **न्यूनतम आयाम** : 2 लममी की सह्यसीमा के सार् 90 x 140 लममी की न्द् यूनिम सिह; रोल प्ररूप में : लंबाई योग व्यास का ि ोगुना : 170 लममी : लेककन सबसे बड़ा आयाम 100 लममी से कम नहीं होगा;

(4) छोटे पैकेटों का अधिकिम र्जन 2 ककलोग्राम और न्द्यूनिम र्जन 100 ग्राम होगा।

(5) छोटे पैकेटों पर प्रर्ायव डाक शुल् क की िरों का उल्लेि अनुसूची-।।। की सारणी-। में ककया गया है।

113. मुटद्रत कागजात- (1) लेटर पोस् ट मिें, क्जसमें केर्ल समाचार पत्र होिे हैं, मुदरि पत्रों के रूप में डाक द्र्ारा प्रेविि ककए जा सकेंगे ।

(2) कई मुदरि कागज एक ही डाक-र्स् ि ु में एक सार् र्ेजे जा सकि हैं परंि ु उनमें वर्लन्द्र्र प्रेविनियों के नाम और पि न हों ।

(3) मुदरि कागजाि इस िरह से ि ैयार ककए जाएंगे कक त्ररुरि और आसान सत्यापन की अनुमनि ि ेि े समय उनकी सामग्री पयावप्ि रूप से संरक्षिि हो ।

(4) मुदरि कागजाि का अधिकिम र्जन 2 ककलोग्राम और न्द्यूनिम र्जन 20 ग्राम होगा ।

(5) मुदरि पत्रों पर प्रर्ायव डाक-शुल् क की िरों का उल्लेि अनुसूची-।।। की सारणी-। में ककया गया है ।

114. एम-बैग (बल्क बैग) - (1) एम-बैग (बल्क बैग) वर्शेि बैग हैं क्जनमें मुदरि कागजाि, समाचार पत्र, पबत्रकाएं, पुस्िकें और समान मुदरि िस्ि ार्ेज हैं, जो एक ही प्रेविि के उसी पि के ललए धचक्ह्न हैं, जो वर्ि ेश या ि ेत्र में प्रेवि ि ी या प्रेिकों से पारेि ण/मंगर्ाने के ललए उत्कीणव लेि "एम" के सार् धचक्ह्न है।

(2) एम-बैग का अधिकिम अनुमेय र्जन 30 ककलोग्राम है।

(3) प्रत्येक एम-बैग के सार् प्रेिक द्र्ारा ि ैयार प्ररूप सीएन22 या प्ररूप सीएन23 होना अपेक्षिि है ;

स्पष्ट करण- इस उप-वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए, "प्ररूप CN22" या "प्ररूप CN23" से यूननर्सवल पोस्टल यूननयन द्र्ारा इस संबंि में वर्ननदिवष्ट सुसंगि प्ररूप अलर्ेि है।

(4) प्रत्येक एम-बैग प्रेिक द्र्ारा प्रिान ककए गए एक आयिाकार पि के लेबल से सुसक्ज्ि ककया जाएगा और प्रेवि ि ी से संबंधिि सर्ी जानकारी प्रिान की जाएगी और पिा लेबल पयावप्ि रूप से कठोर सामग्री से बना होगा और उसका 90 लममी x 140 लममी से अधिक माप नहीं होगा।

(5) एम-बैग के ललए र्ुगिान ककया गया डाक शुल् क बैग के पि के लेबल पर प्रिलशवि ककया जाएगा और एम-बैग के ललए र्जन सीमा 30 ककलोग्राम ि िक होगी, जो ि ेश या गंि व्य का ि ेत्र द्र्ारा वर्ननदिवष्ट अधिकिम स्र्ीकायव र्जन सीमा, जो र्ी कम हो के अिीन है।

(6) एम-बैग में ननम्नानुसार अन्द्य सामग्री र्ी हो सकिी है :

(क) सामग्री (ननमाविाओं और वर्ि रकों द्र्ारा र्ेजे गए र्ाखणक्ज्यक नमूने, या अन्द्य गैर-ि ीस योग्य र्ाखणक्ज्यक र्स्ि ुएं या सूचनात्मक सामग्री जो पुनवर्वक्रय के अिीन नहीं हैं) सूची के रूप में संलग्न या अन्द्यर्ा मुदरि कागजाि के सार् संयुति हैं ;

(ि) सामग्री वर्शेि रूप से मुदरि कागजाि से संबंधिि है क्जसके सार् उन्द्हें मेल ककया जा रहा है ;

(ग) प्रत्येक सामग्री का र्जन जो मुदरि पत्रों के संयोजन में है, 2 ककलोग्राम से अधिक नहीं है;

(घ) एम-बैग में शालमल मुदरि पत्रों के प्रत्येक पैकेट पर प्रेवि ि ी का पिा ि लशवि ककया जाएगा।

(7) एम-बैग पर प्रर्ायव डाक ि ीस की िरों का उल्लेि अनुसूची-।।। की ि ाललका-।। में ककया जाएगा ।

115. नेत्रह न के भलए साटहत्य (अंतराष्ट्र य) - (1) नेत्रहीन के उपयोग के ललए ककसी र्ी प्रकार के कागजाि (पत्रों सदहि), पबत्रकाओं, पुस्िकों और प्लेटों को "ब्रेल" या ककसी अन्द्य वर्शेि प्रकार से छापे गए नेत्रहीन (नेत्रहीन सादहत्य) के ललए सादहत्य के रूप में प्रेविि ककया जा सकेगा ।

(2) नेत्रहीन के ललए सादहत्य के रूप में पारेि ण के ललए ध्रन ररकॉडव ि र्ी स्र्ीकार ककए जाएंगे जब ये नेत्रहीन के ललए आधिकाररक रूप से मान्द्या प्राप्ि संस्र्ान द्र्ारा र्ेजे जाि े हैं/को संबोधिि ककए जाि े हैं और र्ारि में ऐसे संस्र्ानों की एक सूची समय-समय पर प्रकालशि की जाएगी ।

(3) नेत्रहीन सादहत्य के ललए अधिकिम र्जन 7 ककलोग्राम ि िक होगा ।

(4) नेत्रहीन के ललए सादहत्य को डाक शुल्क से छूट ि◌ी जाएगी लेककन लागू ि◌ीस का र्◌ुगिान करके सिह एयरललफ्ट या हर्◌ाई अधिर्◌ार का लार् उठाया जा सकेगा ।

116. अंतरााष्ट्र य रैत ड पैकेट से◌ि◌ा (आईट पीएस)- (1) सकवल प्रमु◌ि समय-समय पर उन कायावलयों को वर्ननदिवष्ट करने के ललए अधिकृ◌ि है, जहां अं◌िरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट नामक डाक-र्स् ि◌ु को ननम्नललखि◌ि शिों के अिीन बुक ककया जा सकेगा, अर्◌ावि् : -

(क) एक अं◌िरराष्ट्रीय ट्रैत ड ककए गए पैकेट का अधिकिम र्जन 2 ककलोग्राम होगा, परंि◌ु उति सीमा को समय-समय पर संशोधि◌ि ककया जा सकेगा ;

(ि◌) लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 90 सेमी से अधिक नहीं होगा और सबसे बड़ा आयाम 60 सेमी से अधिक नहीं होगा।

(2) ककसी अं◌िरराष्ट्रीय ट्रैत ड पैकेट को समय-समय पर प्रशाससनक ननिशों द्र्◌ारा वर्ननदिवष्ट ककए गए रीनि से बुक, प्रेवि◌ि और डडललर्र ककया जाएगा।

(3) अं◌िरराष्ट्रीय ट्रैत ड ककए गए पैकेट के ललए ग्राहकों को छूट और मूल्य पररर्◌िवन समय-समय पर प्रशाससनक ननिशों द्र्◌ारा वर्ननदिवष्ट ि◌ीके से प्रिान ककया जाएगा ।

(4) अं◌िरराष्ट्रीय ट्रैत ड ककए गए पैकेट के ललए डाक शुल्क अनुसूची-।।। की सारणी-VIII में उक्ल्लखि◌ि होगा ।

ख. पासाल पोस्ट ि◌स् तुएं

117. अंतरााष्ट्र य ि◌ायु पासाल- (1) अं◌िरावष्ट्रीय र्◌ायु पासवल ट्रैक और ट्रेस सुवर्◌िा र्◌ाले सर्◌ी वर्स् र् डाक संघ सिस्य ि◌ेशों को ि◌स्◌ि◌ार्◌ेजों और र्◌ाखणक्ज्यक माल (मचेंडाइज) के पारेि◌ण का ककिायी और ि◌ेज ि◌ीका प्रिान करि है।

(2) अं◌िरावष्ट्रीय एयर पासवल समय-समय पर प्रशाससनक ननिशों द्र्◌ारा वर्ननदिवष्ट ककए गए ननम्नललखि◌ि शिों के अिीन डाकघरों में बुक ककया जा सकेगा, अर्◌ावि् :-

(क) ककसी अं◌िरराष्ट्रीय एयर पासवल का अधिकिम सकल र्◌ार 20 ककलोग्राम होगा, जो गं◌िव्य ि◌ेश या के राज्यैत्र द्र्◌ारा वर्ननदिवष्ट अधिकिम स्◌ीकायव र्जन सीमा, जो र्◌ी कम हो या समय-समय पर संशोधि◌ि हो ; के अिीन होगा,

(ि◌) लंबाई से लर्न्द्र ककसी अन्द्य दिशा में मापी गई लंबाई और सबसे बड़ी पररधि के योग से अधिकिम आयाम 1.5 मीटर या 3 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(3) कोई र्◌ी अं◌िरावष्ट्रीय एयर पासवल पत्रों के ललए ननिावररि न्द्यूनिम आकार अर्◌ावि 90 लममी x 140 लममी से छोटा नहीं होगा।

(4) ककसी अं◌िरराष्ट्रीय एयर पासवल को प्रशाससनक ननिशों द्र्◌ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट रीनि से बुक, प्रेवि◌ि और डडललर्र ककया जाएगा।

(5) अं◌िरावष्ट्रीय एयर पासवल का डाक शुल्क अनुसूची-।।। की सारणी-VI में उक्ल्लखि◌ि होगा ।

ग. इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट से◌ि◌ाएं (ईएमएस)

118. अंतरााष्ट्र य स्पीड पोस्ट- (1) अं◌िरावष्ट्रीय स्पीड पोस्ट, क्जसे वर्श्स्◌ि पर एतसप्रेस मेल सेर्◌ा (ईएमएस) के रूप में जाना जाि◌ा है, ि◌स्◌ि◌ार्◌ेजों और माल के प्रसारण के ललए एक डाक एतसप्रेस सेर्◌ा है, और र्◌ौनिक साि◌नों द्र्◌ारा संर्◌ाव् य त्ररि डाक सेर्◌ा होगी ।

स्पष्ट करण- इस उप-वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए :-

(क) "ि◌स्◌ि◌ार्◌ेजों" में ककसी र्◌ी प्रकार के ि◌स्◌ि◌ार्◌ेज शालमल हैं क्जनमें र्णावनुसार, संख्यात्मक या ि◌कनीकी रूप में जानकारी या डाटा शालमल है, जो ि◌ीस योग्य या बबक्री योग्य नहीं हैं ; और

(ि◌) "र्◌ाखणज्य" में डाक द्र्◌ारा प्रेवि◌ि ि◌स्◌ि◌ार्◌ेजों से लर्न्द्र कोई र्◌ी स्◌ि◌ु या चीज शालमल है, क्जसका बीमा अननर्◌ायव नहीं है ।

(2) अं◌िरावष्ट्रीय स्पीड पोस्ट डाक-र्स् ि◌ु (ईएमएस) ि◌ेश र्ि के सर्◌ी डाकघरों से बुक ककए जा सकेंगे ।

(3) अंिरावष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ईएमएस) का लार् ननम्नललखिि शिों के अिीन उठाया जा सकेगा, अर्ावि:-

(क) अंिरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकिम सकल र्ार 35 ककलोग्राम होगा, जो गंिव्य ि ेश या राज्यिेत्र द्र्ारा वर्दहि अधिकिम स्ीकायव र्जन सीमा, जो र्ी कम हो या समय-समय पर संशोधिि हो : के अिीन है,

परंिु ककसी अन्द्य ि ेश या राज्यिेत्र को या उससे आने र्ाली अंिरावष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेर्ा के र्ार की उच्चिर सीमा प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जा सकेगी;

(ि) अंिरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेर्ा के ललए डाक-र्स् ि ु का आकार ककसी एक आयाम 1.5 मीटर और लंबाई ि र्ा लंबाई से लर्न्द् न ककसी अन्द् य र्ुजा में मापी गई पररधि का योग 3 मीटर से अधिक नहीं होगा ;

(ग) अंिरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के ललए ग्राहकों को छूट और मूल्यर्ृद्धि, समय-समय पर प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट रीनि से प्रिान की जाएगी;

(घ) एक अंिरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ईएमएस) को प्रशासननक ननिेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट रीनि में बुक प्रेविि और डडललर्री ककया जाएगा ;

(ङ) बहुमूल्य ि ाि ुओं (सोने, चांि ी, प्लेदटनम या अन्द्य बहुमूल्य ि ाि ुओं सदहि), बहुमूल्य पत्र्र (हीरे या अन्द्य बहुमूल्य पत्र्रों सदहि), आर्ूिण या इनमें से कोई र्ी संयोजन चाहे वर्ननलमवि हो या नहीं, लसतके, बैंक नोट, मुरा नोट, ि ारक को ि ेय ककसी र्ी प्रकार की प्रनिर्ूनियां, ट्रेर्लसव चेक, बीलमि एतसप्रेस मेल सेर्ा द्र्ारा प्रेविि ककए जाएंगे, और ऐसे बीमा का मूल्य ₹1,00,000 से अधिक नहीं होगा ;

परंिु ऐसी ककसी र्ी डाक-र्स् ि ु के संबंि में बीमा का उच्चिर मूल्य वर्ननदिवष्ट ककया जाएगा।

(4) अंिरावष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेर्ाओं का डाक शुल्क अनुसूची-।।। की सारणी-VII में यर्ा उक्ल्लखिि होगा ।

घ. अंतरराष्ट्र य डाक से संबंधित सामान्य विननयम

119. बुककंग : (1) अंिरराष्ट्रीय स्ि ुओं के ललए ि ेय डाक शुल्क का उल्लेि अनुसूची-।।। में ककया गया है ।

(2) सेर्ाओं के ननलंबन की क्स्नि में प्रेिक को डाक शुल् क, वर्शेि ि ीस और हर्ाई अधिर्ार र्ापस ककया जा सकेगा ।

120. इलेतरॉननक अधग्रम डाटा (ईएडी)- (1) माल युति डाक-र्स् ि ुएं गंिव्य ि ेश या राज्यिेत्र में इलेतट्रॉननक अधग्रम डाटा प्रिान करने के ललए वर्ननदिवष्ट आयाि सीमा ि ीस और सुरिा आिाररि अपेि ाओं के अिीन हो सकेंगे ।

(2) इलेतट्रॉननक अधग्रम डाटा का आिान-प्रिान अनिररति रूप से व्यक्तिगि डाटा की सुरिा और डाटा एतसचेंजों से संबंधिि अन्द्य िकनीकी पहलुओं के संबंि में द्वर्पिीय या बहुपिीय करारों या प्रोटोकॉल द्र्ारा शालसि ककया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक डाक-र्स् ि ु क्जसके ललए इलेतट्रॉननक अधग्रम डाटा प्रिान ककया जाि ा है, समुधचि सीमा ि ीस घोि णा प्ररूप सीएन22 या प्ररूप सीएन23 के सार् होगा :-

(क) सीएन 22- यदि अंिरराष्ट्रीय डाक-र्स् ि ुओं का घोविि मूल्य 300 वर्शेि आहरण अधिकार (एसडीआर) से कम या उसके बराबर है ;

(ि) सीएन 23-यदि अंिरराष्ट्रीय डाक-र्स् ि ुओं का घोविि मूल्य 300 वर्शेि आहरण अधिकार (एसडीआर) से अधिक है, ि ो सीएन 23 र्ी प्रिान ककया जाएगा।

स्पष्ट करण- इस उप-वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए, "प्ररूप सीएन22" या "प्ररूप सीएन23" से यूननर्सवल पोस्टल यूननयन द्र्ारा इस ननलमि वर्ननदिवष्ट सुसंगि प्ररूप अलर्प्रेि है।

(4) अंिरराष्ट्रीय डाक र्ेजने र्ाले को र्ाखणक्ज्यक र्स् ि ु र्ाले अंिरराष्ट्रीय मेल की बुककंग के ललए अपने ग्राहक को जाननए (केर्ाईसी) ि स्ि ार्ेज या इलेतट्रॉननक अपने ग्राहक को जाननए (ईकेर्ाईसी)

ि स्ि ा र्े ज प्रिान करना अपेक्षिि है।

(5) इस वर्ननयम के अिीन अपेि ाओं को पूरा करने के ललए आर्श्यक इलेतट्रॉननक अधग्रम डेटा, सर्ी मामलों में, समुधचि वर्श् र् डाक संघ सीमा ि ीस घोि णा प्रपत्र पर प्रलेखिि डाटा को ि ोहराएगा । (6) नेत्रहीन के ललए पत्राचार या डाक-र्स् ि ुओं र्ाले पत्र, पोस्टकाडव, मुदरि कागजाि (पुस्ि कों से लर्न्ह) या लेटर पोस् ट मि, जो सीमा ि ीस के अिीन नहीं हैं, उन्हें इलेतट्रॉननक अधग्रम डाटा अपेि ाओं से छूट ि ी जाएगी ।

(7) इलेतट्रॉननक अधग्रम डाटा अंगीकरण के ललए अपेक्षिि ननयामक और सुरिा अपेि ाओं का पालन करने के ललए ननम्नललखिि डाटा ित्र ोंं को बाध्यकारी रूप से प्रस्ि ुि करना अपेक्षिि है, क्जन्हें 7+1 डाटासेट के रूप में जाना जाि ा है :

(क) प्रेि क का नाम
(ि) प्रेि क का का पिा
(ग) प्रेवि ि ी का नाम
(घ) प्रेवि ि ी का पिा
(ङ) पैकेजों की संख्या
(च) कुल सकल र्ार (माप इकाई तर्ाललियर सदहि)
(छ) संक्षिप्ि माल या कागो वर्र्ण
(ज) पहचानकिाव

121. पैकेक्जंग-(1) सर्ी डाक-र्स् ि ुओं को सुरक्षिि रूप से और इस प्रकार से बनाया जाएगा कक उस डाक-र्स् ि ु में अन्य डाक-र्स् ि ुओं के ि ंसने डाक-र्स् ि ुओं का कोई जोखिम न हो और पैकेक्जंग डाक-र्स् ि ु के आकार, प्रकृनि और पररर्हन की क्स्ननि के अनुकूल होगी ।

[भागII—खण् ड3(ii)] भारत का रा िपत्र : असाधारण 53

(2) प्रत्येक डाक-र्स् ि ु इस प्रकार से ि ैयार की जाएगी कक ई पि ि ाररयों के स्र्ास्थ्य को प्रनिकूल प्रर्ावर्ि न करें और क्जससे कोई ि िरा न हो, यदि उसमें ऐसे प्रकार की डाक-र्स् ि ुएं अंि वर्वष्ट हों क्जनसे उसे संर्ालने के ललए बुलाए गए पि ि ाररयों को ि िनि होने की संर्ार्ना हो या अन्य डाक-र्स् ि ुओं या डाक उपकरणों को ि िराब करने या नुकसान पहुंचाने की संर्ार्ना हो ।

(3) मूल्य र्ेंवि सेर्ाओं सदहि अंि रराष्ट्रीय र्स्ि ुओं के ललए पैकेक्जंग की वर्स्ि ृि शिं समय-समय पर प्रशासननक ननिशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जा सकेंगी ।

122. गंतव्य देश या राज्यिेत्र में डडभलिर - (1) डाक-र्स् ि ुओं को उनकी सुसंगि वर्धियों या आंि ररक वर्ननयमों के अनुसार गंि व्य ि ेश या राज्यिेत्र में वर्ि ररि ककए जाएंगे ।

(2) डाकघर ककसी डाक-र्स् ि ु के वर्ि रण या बबना वर्ि रण के र्ापस लौटाए जाने के रीनि के ललए उत् ि ररियी नहीं होगा, यदि यह गंि व्य ि ेश या ि ेत्र के सुसंगि वर्धियों या आंि ररक वर्ननयमों के अनुसार ककया जाि ा है।

(3) डडललर्री न की जा सकने र्ाले डाक-र्स् ि ुओं के ननरुद्ि करने की अर्धि र्ी गंि व्य ि ेश या ि ेत्र के सुसंगि वर्धियों या आंि ररक वर्ननयमों द्र्ारा शालसि होगी।

ङ. अंतराष्ट्र य मेल आइटम की अन्य विशेषताएं

123. अन्य विशेषताएँ.- कोई र्ी जार्क लेि ाि ेय डाक-र्स् ि ु डाकघर में प्रस्ि ुि की जाएगी और ऐसे र्स् ि ु प्रस्ि ुि करने र्ाले व्यक्ति को रसीि ि ी जाएगी।

124. रैक और रेस सेि ा.- प्रत्येक लेि ाि ेय अंि रावष्ट्रीय डाक-र्स् ि ु के ललए, डाक-र्स् ि ुओं और ररसेप् टेकल् स की आर्ाजाही में पारिलशवि की सुवर्ि ा के ललए र्स् ि ु स्ि र, ररसेप् टेकल् स स्ि र और एयरलाइन्द्स स्ि र पर डाटा का इलेतट्रॉननक आिान-प्रिान उपलब्ि है, ि र्ावप, रक्जस्ट्रीकृि पत्र संबंि ी र्स् ि ुओं के ललए, गंि व्य के आंि ररक वर्ननयमों के अनुसार कुछ गंि व्यों के ललए यह सेर्ा उपलब्ि नहीं है।

125. आिक अंतराष्ट्र य मेल- (1) डाक द्र्ारा डाक-र्स् ि ुओं के पारेि ण की शिं समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

परंतु यह कक घरेलू रक्जस्ट्रीकृत समाचार-पत्रों से संबंधित वर्ननयम ककसी वर्त्तेश या राज्य त्तेत्र को र्ेजे जाने र्ाले समाचार-पत्रों के मामले में र्ी लागू माने जाएंगे।

(2) कोई र्ी आर्क लेत्तााित्तेय प्राप्तिकिाव को तब तक नहीं तिी जाएगी जब तक कक ककसी प्राधिकृत व्यक्ति ने उसके ललए रसीत पर हस्ताक्षर न कर तिे।

126. सुपुदागी लेने में असफलता.- (1) यदि ककसी अंतरावष्ट्रीय हर्ाई पासवल का प्राप्तिकिाव, पासवल की प्रर्म प्रस्तुतिीकरण की तारीत या उसके आगमन की सूचना के उसे या उसके प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुतिवगी की तारीत के पश्चात् साि दिन के र्ीतर सुपुतिवगी नहीं ले पाति है, तिो सुपुत्तुवगी के समय प्राप्तिकिाव से आठर्ें दिन से वर्लम्ब प्रर्ार सूल ककया जाएगा:

परंतु यह कक ककसी अन्द्तरावष्ट्रीय हर्ाई पासवल के मामले में, क्जसमें र्ैकक्ल्पक पिा दिया गया हो, यदि पासवल को मूल पिे पर वर्तरर नहीं ककया जा सकिा है, तिो प्रर्म प्राप्तिकिाव से संत्तेय वर्लम्ब तिीस वर्तरण के समय तिूसरे प्राप्तिकिाव से र्ी सूल ककया जा सकेगा।

(2) यदि

(क) आर्क अंतरावष्ट्रीय पैकेट (या बैग) या मुदरि कागजाि;

(ति) एक आर्क अंतरावष्ट्रीय छोटा पैकेट; या

(ग) एक आर्क अंतरावष्ट्रीय बीमाकृत पत्र या बीमाकृत बॉतस, का प्राप्तिकिाव

इसके प्रर्म प्रस्तुनि की तारीत से या इसे अपने पास या अपने प्राधिकृत व्यक्ति को इसकी सूचना की डडलीर्री की तारीत से साि दिन के र्ीतर इसकी डडलीर्री लेने में असिल रहिा है, और यदि इसका र्जन 500 ग्राम से अधिक है, तिो डडलीर्री के समय प्राप्तिकिाव से आठ दिन से वर्लम्ब प्रर्ार सूल ककया जाएगा।

(3) उप-वर्ननयम (1) और (2) में यर्ावर्ननदिवष्ट वर्लंब तिीस अनुसूची-।।। की सारणी-XI में उक्ल्लखिि अनुसार होंगे।

127. पोस्ट रेस्टेंट पासाल की डडल र लेने में विफलता.- (1) यदि ककसी अंतरराष्ट्रीय हर्ाई पासवल का प्राप्तिकिाव "पोस्ट रेस्टेंट" पिे पर डडलीर्री कायावलय में उसके पहुंचने की तारीत से साि दिनों के र्ीतर डडलीर्री लेने में वर्लि रहिा है, तिो डडलीर्री के समय प्राप्तिकिाव से आठर्ें दिन से वर्लम्ब प्रर्ार सूल ककया जाएगा।

(2) यदि

(क) मुदरि कागजाि या व् यार्सानयक कागजाि का आर्क अंतरावष्ट्रीय पैकेट (या बैग); या

(ति) आर्क अंतरावष्ट्रीय बीमाकृत पत्र या बीमाकृत बॉतस, का प्राप्तिकिाव

संबोधित "पोस्टे यदि" रेस्टेन्द्तिे " डडलीर्री कायावलय में पहुंचने की तारीत से साि दिनों के र्ीतर डडलीर्री लेने में वर्लि रहिा है, और यदि इसका र्जन 500 ग्राम से अधिक है, तिो आठर्ें दिन से डडलीर्री के समय प्राप्तिकिाव से ललया जाएगा।

(3) उप-वर्ननयम (1) और (2) में ननदिवष्ट वर्लंब तिीस अनुसूची-।।। की सारणी-XI में उक्ल्लखिि अनुसार होंगे।

अध्याय VII

विश् ि डाक सेति ा

128. विश् ि डाक सेति ा के अंतगात मेल सेति ाएं.- डाकघर, वर्श् र् मेल सेर्ाओं के अंगवि डाक सेर्ाओं के ननम्नललखिि उत्पाि की सुवर्तिा प्रिान करेगा, अर्ावि: -

(क) घरेलू

(i) पत्र

(ii) लेटर काडव

(iii) बुक पोस्ट

(iv) आर्थिक पोस्ट
(v) रक्जस्ट्रीकृि समाचार पत्र
(vi) दृक्टहीनों के ललए सादहत्य
(vii) इंडडया पोस्ट पासवल
(viii) पोस्ट काडव

(ख) अंतराष्ट्र य

(i) पत्र
(ii) एरोग्राम
(iii) पोस्ट काडव
(iv) एयरमेल पोस्ट काडव
(v) छोटा पैकेट
(vi) मुदरि पत्र
(vii) दृक्टहीनों के ललए सादहत्य
(viii) अंिरावष्ट्रीय हर्ाई पासवल

अध्याय VIII

सरकार पत्राचार

129. डाक सेि ाथा - डाकघर के अधिकाररयों, डाक लेि ापरीि ा अधिकाररयों और ऐसे अन्य अधिकाररयों द्र ारा, जो इस ननलमत्त प्राधिकृि ककए जाएं, डाकघर की सेर ा में ककसी र ी श्े णी की डाक-र्स् ि ुओं को डाक-ि ीस और अन्य सर ी डाक-शुल्कों से मुति र्े जा जाएगा।

130. (1) ननम्नललखिि डाक-र्स् ि ुओं का "डाक सेर ार्व" बीमा ककया जा सकेगा, अर ावि्: -

(क) आंिररक मूल्य र ाले डाक-र्स् ि ु ;

(ि) महत्र्पूणव ि स्ि ार्े ज जैसे सेर ा पुक्स्िका, र ाविवक ननष्पाि न मूल्यांकन ररपोटव (एपीएआर) ि ाइल, आधिकाररक ि ाइलें आदि;

(ग) अन्द्र्े ण, सिकवि मामले, परीि ा आदि से संबंधिि ि स्ि ार्े ज ; और

(घ) अन्य महत्र्पूणव ि स्ि ार्े ज क्जन्द्हें बीमाकृि डाक-र्स् ि ुओं के रूप में र्े जा जाना उधचि समझा जाए। (2) ननम्नललखिि डाक-र्स् ि ुएं "डाक सेर ार्व" रक्जस्ट्रीकृि की जाएंगी, अर ावि्: -

(क) महत्र्पूणव सरकारी ि स्ि ार्े ज- र ाविवक ननष्पाि न मूल्यांकन ररपोटव (एपीएआर), आदि;

(ि) रक्जस्ट्रीकृि डाक के माध्यम से र्े जी जाने र ाली मि, जैसे आरोप पत्र, आदि; और

(ग) अन्य महत्र्पूणव ि स्ि ार्े ज क्जन्द्हें रक्जस्ट्रीकृि डाक-र्स् ि ुओं के रूप में र्े जा जाना उधचि समझा जाए।

(3) स्पीड पोस्ट के अिीन र्े जी गई डाक-र्स् ि ुओं के ललए "डाक सेर ार्व" सुवर ि ा उपलब्ि नहीं होगी।

131.डाक मतपत्र या ननिाचन सामग्री.- (1) र ारि के ननर ावचन आयोग या राज्य ननर ावचन आयोग द्र ारा प्रस्ि ुि ननर ावचन सामग्री को समय-समय पर प्रशासननक अनुि ेशों द्र ारा वर्ननदिवष्ट प्रकक्रया के अनुसार बुक, प्रेविि और वर्ररि ककया जाएगा।

(2) उप-वर्ननयम (1) के उपबंि डाक मिपत्रों पर र ी समान रूप से लागू होंगे।

(3)उप-वर्ननयम (1) और (2) में ननदिवष्ट प्रत्येक डाक-र्स् ि ु को इस वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए आधिकाररक डाक-र्स् ि ु माना जाएगा और ि िनुसार प्रार्लमकिा ि ी जाएगी।

अध्याय IX

मूल्य संि धित सेि ाएं

क. घरेलू डाक-ि स् तुओं

132. घरेलू डाक-ि स् तुओं का रक्जस्र करण.- (1) प्रशासननक अनुि ेशों द्र ारा वर्ननदिवष्ट डाक-र्स् ि ुओं को अनुसूची-IV की सारणी-। में उक्ल्लखिि ि ीस का संि ाय करके रक्जस्ट्रीकरण के ललए प्रस्ि ुि ककया जा सकेगा:

परंि ु नेत्रहीन सादहत्य के रक्जस्ट्रीकरण के ललए कोई ि ीस नहीं ली जाएगी।

(2) इस वर्ननयम के अंिगवि रक्जस्ट्रीकृि मि, प्राप्िकिाव वर्शेि के ललए होगी ि्र्ा रसीि के आिार पर बुक की जाएगी, क्जसे हस्ि्ाांिररि रसीि के आिार पर प्राप्िकिाव या प्राधिकृि व्यक्ति को सौंपा जाएगा।

(3) ऐसा कोई डाक-र्स् ि्ु रक्जस्ट्रीकरण के ललए स्ीकार नहीं की जाएगी, जहां डाक-र्स् ि्ु का बीमा ककया गया हो या ककसी वर्लशष्ट रालश के ललए बीमा ककए जाने का आशय हो।

133. घरेलू डाक-ि्स् तुओं का बीमा.- (1) ककसी र्ी लेि्ाि्ेय डाक-र्स् ि्ु का बीमा, एकलाि रुपए से अनधिक मूल्य के ललए, ननिावररि बुककंग केन्द्रों या डाकघरों पर ि्र्ा अनुसूची-IV की सारणी-।। में उक्ल्लखिि ि्ीस के संि्ाय पर ककया जाएगा।

(2)जहां मुरा या बैंक नोट बीमाकृि डाक द्र्ारा र्ेजे जाि्े हैं, हाँ उनका मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।

परंि्ु ककसी र्ी मामले में ऐसा मूल्य बीमाकृि डाक-र्स् ि्ु की सामग्री के र्ास्ि्वर्क मूल्य से अधिक नहीं होगा:

परंि्ु यह और कक बहुमूल्य ि्ाि्ुओं (क्जनमें सोना, चांि्ी, प्लेदटनम या अन्द्य बहुमूल्य ि्ाि्ुएं सक्म्मललि हैं), बहुमूल्य पत्रों (क्जनमें हीरा या अन्द्य बहुमूल्य पत्र सक्म्मललि हैं), आर्ूि्ण या त्तत्समय पृव्रत्त ककसी संयोजन को ि्ेश के लागू वर्धि में ि्ी गई पररर्ाि्ाओं के अनुरूप या अन्द्य बहुमूल्य सामग्री के रूप में सक्म्मललि ककया गया हो, उनका बीमा ककया जाएगा और सामग्री के र्ास्ि्वर्क मूल्य के आिार पर बीमा ककया जाएगा।

(3) डाकघर द्र्ारा प्रशाससननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट बीमा सेर्ा ककसी ि्ृि्ीय पि बीमा प्रिाि्ा के माध्यम से र्ी प्रिान की जा सकेगी,

(4)प्रेि्क को बुककंग के समय डाक-र्स् ि्ु पर उसकी सामग्री का र्ास्ि्वर्क मूल्य घोवि्ा करना अपेक्षि्ा होगा।

(5)क्जन डाक-र्स् ि्ुओं पर बीमा प्रणाली लागू होगी, उनमें बैंक नोट, करेंसी नोट, बांड, कूपन, प्रनिर्ूनियां, मूल्यर्ान डाक-र्स् ि्ुओं र्ाले पासवल ि्र्ा इस प्रकार के अन्द्य ि्स्ि्ार्ेज सक्म्मललि होंगे।

(6) मूल्यर्ान ि्स्ि्ार्ेज जैसे वर्लेि्, योजनाएं, संवर्ि्ा, हस्ि्ाि्र, ि्ुलवर् पांडुललवपयां र्ी बीमाकृि डाक द्र्ारा र्ेजी जा सकेंगी, परंि्ु जहां ि्स्ि्ार्ेजों का मूल्य उनकी बनार्ट की लागि के कारण हो, हाँ बीमाकृि मूल्य डाकघर की अधिकिम सीमा ि्क हानन की क्स्नि में उन्द्हें बिलने की लागि से अधिक नहीं होगा।

(7) बीमा में, लसर्ाय प्राकृनिक आपिाओं या युद्ि्, ि्ंगे, नागररक वर्ि्ोर्, धगरफ्ि्ारी या रोक या वर्धिक प्रकक्रया, आि्ेश, प्रनिबंि् या ककसी ननिि् के आिीन केंरीय सरकार द्र्ारा अधिरोवपि डाक द्र्ारा पारेि्ण के क्रम में जब्ि्ी जैसी घटनाओं के सर्ी प्रकार के जोखिम सक्म्मललि होंगे ।

(8)इस वर्ननयम के अंि्गवि बीमाकृि डाक-र्स् ि्ु का प्रेि्क, प्राप्िकिाव या प्राधिकृि व्यक्ति द्र्ारा हस्ि्ाि्ररि सुपुि्वगी का प्रमाण ननःशुल् क प्राप्ि् करने का हकिार होगा:

परंि्ु यह और कक यदि रक्जस्ट्रीकृि डाक-र्स् ि्ु के प्रेि्क ि्क डडलीर्री का सबूि् नहीं पहुंचा है, ि्ो ग्राहक की मांग पर पोस्टमास्टर या डडलीर्रीडाकघर के प्रर्ारी अधिकारी द्र्ारा डडलीर्री का प्रमाण जारी ककया जाएगा और प्रेि्क को इलेतट्रॉननक रूप में प्रिान ककया जाएगा।

(9) ननम्नललखिि् में से ककसी र्ी डाक-र्स् ि्ु की ि्नि के ललए बीमा नहीं ककया जा सकिा है, लेककन उन्द्हें केर्ल हानन के ललए, उसी ि्रह ि्ीस का संि्ाय करने पर जैसे कक अन्द्य डाक-र्स् ि्ुओं के नुकसान या ि्नि के ललए बीमा ककया जाि्ा है, बीमा ककया जा सकिा है, अर्ावि्, ि्रल पार्व और पार्व जो आसानी से ि्रल हो जाि्े हैं, नाशर्ान डाक-र्स् ि्ु और र्ंगुर मि, जैसे कक चीनी कांच के बने पार्व, मेमों की माला, ग्रामोि्ोन ररकॉडव, आदि।

(10) ककसी डाक-र्स् ि्ु का प्रेि्क, प्राप्िकिाव के पि में प्रनिकर के अपने ि्ार्े का पररत्याग कर सकेगा।

(11) बीमाकृि डाक-र्स् ि्ुओं के ललए पैकेक्जंग की वर्स्ि्ृि शिें समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएंगी।

(12) बीमाकृि डाक-र्स् ि्ुओं के संबंि में प्रनिपूनिव वर्ननयम 74 में उक्ल्लखिि अनुसार संि्ेय होगी।

134. हिाई डाक सेि्ा.- हर्ाई मागव से पारेि्ण के ललए र्ेजी जाने र्ाले डाक-र्स् ि्ुओं पर, अनुसूची-। की सारणी-।। में उक्ल्लखिि वर्ननयमों के अिीन संि्ेय डाक और अन्द्य ि्ीस के अनिररति, हर्ाई डाक ि्ीस लगाई जाएगी।

135.कैश ऑन डडभलिर (सीओडी) डाक-ि्स् तु - (1) कैश ऑन डडललर्रीडाकघर द्र्ारा अनुसूची-IV की सारणी-।।। में उक्ल्लखिि ि्ीस के ललए उपलब्ि कराई जाएगी, जहां ऐसी डाक-र्स् ि्ु की डडलीर्री पर प्राप्ि्किाव से रालश र्सूल की जानी है और प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट रीनि से प्रेि्क को प्रेविि की जाएगी।

(2) ननम्नललखिि शिों के अिीन डाक-र्स् ि्ुओं के ललए कैश ऑन डडललर्रीका लार् उठाया जा सकिा है, अर्ावि: -

(क) ि्ुिरा ग्राहक और ग्राहक डाकघर के संबंधिि प्राधिकारी के सार् समझौि्े पर हस्ि्ाि्र करेंगे;

(ि) प्राप्ि्किाव से र्सूली के ललए ननदिवष्ट रालश समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट की जाएगी;

(ग) ऐसे डाक-र्स् ि्ुओं में कोई ननविद्ि डाक-र्स् ि्ु नहीं है; और

(घ) डडलीर्री पर नकि डाक-र्स् ि्ुओं का बीमा प्रेि्क द्र्ारा प्राप्ि् ककया जा सकिा है।

136. सुपुदागी का सबूत.- (1) ककसी घरेलू लेि्ायोग्य डाक-र्स् ि्ु का प्रेि्क सुपुि्वगी के सबूि् की मांग कर सकेगा, जो उसे डाक-र्स् ि्ु के सुपुि्व होने पर, ककसी अन्द्य मूल्यर्धिवि सेर्ा के ललए डाक ि्ीस या ि्ीस के अनिररति अनुसूची-IV की सारणी-IV में उक्ल्लखिि ि्ीस का संि्ाय करने पर प्रिान ककया जाएगा;

(2) सुपुि्वगी के सबूि् पर, प्रेविि्ी या प्राधिकृि् व्यक्ति द्र्ारा स्याही से हस्ि्ाि्र ककए जाएंगे, या यदि प्रेविि्ी ऐसा हस्ि्ाि्र करने से इंकार करिा है, ि्ो उसके सार् इस आशय का कर्न संलग्न ककया जाएगा कक प्रेविि्ी या उसके द्र्ारा प्राधिकृि् व्यक्ति ने ऐसा हस्ि्ाि्र करने से इंकार कर दिया है:

परंि्ु महाननिेशक प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा डडलीर्री का सबूि् ि्जव करने और उसे प्रेि्क के सार् साझा करने के अन्द्य रीनि वर्ननदिवष्ट कर सकि हैं।

(3) डडलीर्री के र्ौनिक सबूि् के मामले में, उसे लेि्ाि्ेय डाक-र्स् ि्ु के रूप में संसाधिि ककया जाएगा।

(4) प्रेि्क ननिावरर ि्ीस का संि्ाय करके मूल रसीि् की सत्यावपि प्रनि, समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट रीनि से प्राप्ि् कर सकेगा :

परंि्ु नेत्रहीन सादहत्य डाक-र्स् ि्ु पर ऐसा कोई ि्ीस नहीं ली जाएगी।

137. प्री-मेभलंग कायाकलापों से संबंधित सेि्ाएं - प्रत्येकडाकघर प्री-मेललंग कायवकलापों को प्रिान करेगा, क्जसमें वर्लर्न्द्र्ि डाक-र्स् ि्ुओं पर मुरण, संग्रहण, पिा और अंकन सक्म्मललि हो सकिी है, जैसा कक समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा और अनुसूची-IV की सारणी-V में उक्ल्लखिि ि्रों पर ननदिवष्ट ककया जा सकिा है ।

ख. अंतरााष्ट्र य मद

138. अंतरााष्ट्र य डाक-ि्स् तुओं का रक्जस्र करण.- (1) पत्र, पोस्ट काडव, छोटे पैकेट, मुदरि कागज, एरोग्राम, दृक्ष्टहीनों के ललए सादहत्य और एम-बैग को डाकघर द्र्ारा सेर्ा प्रिान ककए जाने र्ाले ि्ेशों या ि्ेत्रों और स्र्ानों को प्रेविि करने के ललए ककसी र्ी डाकघर में रक्जस्ट्रीकृि ककया जा सकेगा, ऐसे अपर्ाि्ो ं के अिीन, क्जन्द्हें समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा ननदिवष्ट ककया जा सकिा है।

(2) घरेलू डाक-र्स् ि्ुओं के रक्जस्ट्रीकरण से संबंधिि उपबंि वर्ि्ेशी डाक द्र्ारा र्ेजी या प्राप्ि् की गई रक्जस्ट्रीकृि डाक-र्स् ि्ुओं पर र्ी समान रूप से लागू होंगे।

(3) डाक िीस के अनिरति, अनुसूची-IV की सारणी-VI में उक्ललखिि अनुसार अंिरावष्ट्रीय डाक-र्स् िुओं के रक्जस्ट्रीकरण के ललए िीस ली जाएगी :

परंिु दृक्ष्टहीन सादहत्य पैकेट के रक्जस्ट्रीकरण के ललए कोई िीस संिेय नहीं होगी।

139. अंतरााष्ट्र य डाक-िस् तुओं का बीमा- (1) अंिरावष्ट्रीय पत्र डाक, पासवल डाक और एतसप्रेस मेल सेर्ा डाक-र्स् िुओं का बीमा ककसी र्ी डाकघर में ककया जा सकेगा :

परंिु बीमा के ललए प्रस्िुि पत्र पोस्ट डाक-र्स् िु को रक्जस्ट्रीकृि ककया जाना अपेक्षिि नहीं है।

(2) बीमा के ललए िीस अनुसूची-IV की सारणी-VII में उक्ललखिि अनुसार होगा।

(3) डाकघर द्र्ारा प्रशाससनक अनुिेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट बीमा सेर्ा ककसी िृिीय पि बीमा प्रिाि्ा के माध्यम से र्ी प्रिान की जा सकेगी।

140. बहुमूल्य िातुओं िाले अंतरााष्ट्र य मद.- (1) बहुमूल्य िाि्ुएं (क्जनमें सोना, चांिी, प्लेदटनम या अन्द्य बहुमूल्य िाि्ुएं सक्म्मललि हैं), बहुमूल्य पत्र्र (क्जनमें हीरा या अन्द्य बहुमूल्य पत्र्र सक्म्मललि हैं), आर्ूिण या इनमें से कोई संयोजन, चाहे ननलमवि हो या नहीं, लसतके, बैंक नोट, करेंसी नोट, िारक को संिेय ककसी र्ी प्रकार की प्रनिर्ूनियां, यात्री चेक, प्रशाससनक अनुिेशों द्र्ारा अन्द्यर्ा वर्ननदिवष्ट को छोड़कर, डाक द्र्ारा पारेिण के ललए स्र्ीकार नहीं ककए जाएंगे, जब ि क कक प्रेिक प्रशाससनक अनुिेशों द्र्ारा ननदिवष्ट सामग्री के र्ास्िवर्क मूल्य पर इसका बीमा करने के ललए सहमि न हो ।

(2) जहां कोई अंिरावष्ट्रीय बीमाकृि पत्र डाक, पासवल डाक या एतसप्रेस मेल सेर्ा मि, क्जसमें उप-वर्ननयम (1) में उक्ललखिि डाक-र्स् िु सक्म्मललि हैं, ककसी ऐसे िेश या राज्य िेत्र को र्ेजी जाि्ी है जहां बीमा उपलबि नहीं है, ऐसी डाक-र्स् िुओं का र्ारि की सीमाओं के र्ीिर घरेलू पारगमन के ललए सामग्री के र्ास्िवर्क मूल्य पर बीमा ककया जाएगा।

(3) यदि कोई गैर-बीलमि अंिरावष्ट्रीय मि, क्जसमें उप-वर्ननयम (1) में ननदिवष्ट मूल्य की कोई डाक-र्स् िु सक्म्मललि है या स्पष्ट रूप से सक्म्मललि है, ककसी वर्िेशी िेश या राज्य िेत्र से प्राप्ि होि्ी है, िो पासवल को गंिव्य ि क र्ेज दिया जाएगा और बीमा के ललए िीस के अिीन प्राप्िकिाव को, सामग्री के घोविि मूल्य पर, या सीमा िीस प्राधिकाररयों द्र्ारा अर्िाररि मूल्य पर, जो र्ी अधिक हो, सौंप दिया जाएगा।

परंिु ऐसी डाक-र्स् िु को प्राप्िकिाव द्र्ारा अस्र्ीकार कर दिए जाने पर, उसे मूल िेश या राज्य िेत्र में र्ापस कर दिया जाएगा।

141. पुननानादेभशत या लौटाई गई अंतरााष्ट्र य डाक-िस् तु - जहां कोई बीमाकृि अंिरावष्ट्रीय पासवल, क्जसे अवर्िरणीय के रूप में पुननविलशि या लौटा दिया गया है, इस प्रकार पुननविलशि या लौटाए जाने के कारण नए बीमा िीस के अिीन र्ारि में प्राप्ि होि्ा है, हाँ ऐसा िीस वर्िरण पर सूल ककया जाएगा, मानो र्ई डाक शुल् क बाकी हो।

142.संदेय प्रनतकर.- (1) जब कोई अंिरावष्ट्रीय लेटर पोस् ट या पासवलडाक डाकघर में पोस्ट ककया गया हो और उसका बीमा ककया गया हो और जब ऐसा पत्र या पासवल िो जाि्ा है या डाक द्र्ारा पारेिण के िौरान उसकी सामग्री ननकाल ली गई हो या िनिग्रस्ि हो गई हो, िो उस रालश से अधिक प्रनिकर, क्जसके ललए ऐसे पत्र या पासवल का बीमा ककया गया हो, प्रेिक को संिेय होगा, लसर्ाय ऐसे पासवल के मामले में क्जसके संबंि में गंिव्य िेश या राज्य िेत्र का प्रशासन उसी के अंिगवि प्राप्िकिाव को प्रनिकर िेने का वर्ननश्चय करि है:

परंिु ननम्नललखिि द्र्ारा र्ेजी गई या मंगाई पत्र पोस्ट, पासवल पोस्ट या एतसप्रेस मेल सेर्ा डाक-र्स् िु के संबंि में कोई प्रनिकर नहीं दिया जाएगा -

(क) युद्ि बंि्ी, या िो सीिे या बारहर्ें क्जनेर्ा कन्द्वेंशन अगस्ि, 1949, में ननदिवष्ट राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो या केंरीय सूचना अलर्करण के माध्यम से युद्िबंदियों के उपचार से संबंधिि;

(ि) एक युद्िरि, एक िटस् िेश में स्र्ीकार और नजरबंि ;

(ग) 12 अगस्ि, 1949 के क्जनेर्ा कन्द्रेंशन में यर्ापररर्ावि युद्ि के समय लसवर्लयन व्यक्तियों की सुरिा से संबंधिि, लसवर्लयन नजरबंि, या िो सीिे या राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो के माध्यम से या उस कन्द्रेंशन में ननदिवष्ट केंरीय सूचना अलर्करण के माध्यम से ; िर्ा

(घ) युद्िबंदियों के संबंि में राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो या केंरीय सूचना अलर्करण ।

(2) जब कर्ी ककसी प्राप्िकिाव ने पत्र डाक, पासवल डाक या एतसप्रेस मेल सेर्ा डाक-र्स् िुओं का वर्रिण लेिे समय आपवत्त िजव कराया हो, क्जनकी अंिर्वस्िु ननकाल ली गई हो या िनिग्रस्ि हो गई हो, या वर्रिण लेने के पश्चाि वर्रिण कायावलय के प्रशासन को िुरंि ननकासी या िनि की लशकायि कर िी हो और यह साबबि कर दिया हो कक ननकासी या िनि वर्रिण के पश्चाि नहीं हुई है, िो संिेय प्रनिकर प्रेिक को संिेय होगा और प्राप्िकिाव को प्रनिकर के संिाय के ललए कोई िार्ा स्ीकार नहीं ककया जाएगा।

(3) जब ककसी वर्िेशी प्रशासन द्रारा बीमाकृि कोई पत्र डाक, पासवल डाक या एतसप्रेस मेल सेर्ा डाक-र्स् िु िो जाि ी है, या उसकी अंिर्वस्िु ननकाल ली जाि ी है या िनिग्रस्ि हो जाि ी है, िो र्ारीय डाकघर द्रारा प्राप्िकिाव को उस रालश िक प्रनिकर संिेय होगा, जो उस रालश से अधिक नहीं होगी, क्जसके ललए उसका बीमा ककया गया है, यदि ई ऐसे प्रनिकर का िार्ा डडलीरी लेने में आपवत्त िजव करने के पश्चाि करिा है और यदि उसने यह सबूि प्रस्िुि कर दिया है कक प्रेिक ने प्राप्िकिाव के पि में ऐसे प्रनिकर के अपने अधिकारों का अधित्यजन कर दिया है।

(4) संिेय प्रनिकर ककसी र्ी मामले में डाक-र्स् िु के र्ास्िवर्क मूल्य, बीमाकृि मूल्य या डाक-र्स् िु की सामग्री के नष्ट हो जाने या उसे हुए नुकसान के कारण हुई हानन की रालश, जो र्ी कम हो, से अधिक नहीं होगा और पररणामस्रूप ऐसी होने र्ाली ककसी लार् की हानन या अन्द्य अप्रत्यि हानन को ऐसे प्रनिकर के मूल्यांकन में ध्यान में नहीं ललया जाएगा।

143. सतह हिाई परिहन और हिाई अधिभार.- (1) पत्र, छोटे पैकेट, मुदरि कागज, दृक्टहीनों के ललए सादहत्य, पोस्ट काडव और एम-बैग ककसी र्ी डाकघर में पारेिण के ललए स्ीकार ककए जा सकेंगे-

(क) सिही हर्ाई मागव द्रारा, प्रशासननक अनुिेशों द्रारा वर्ननदिवष्ट अपर्ाि ोिं के अिीन, सिही हर्ाई मागव द्रारा, सिही हर्ाई मागव से पररहन के ललए िीस के संिाय पर,अनुसूची-।।। की सारणी-।।।में यर्ाउक्ल्लखिि;

(ि) हर्ाई मागव द्रारा, अनुसूची-।।। की सारणी-IV में यर्ाउक्ल्लखिि हर्ाई अधिर्ार के ललए िीस का संिाय करके प्रशासननक अनुिेशों द्रारा वर्ननदिवष्ट अपर्ाि ोिं के अिीन।

(2)उप-वर्ननयम (1) में ननदिवष्ट िीस डाक और अन्द्य लागू िीस या प्रर्ारों के अनिररति संिेय होगा।

144. डडभलिर की सूचना.- (1) र्ारि में पोस्ट की गई और ककसी िेश या राज्य िेत्र को संबोधिि रक्जस्ट्रीकृि पत्र-डाक मि, अंिरावष्ट्रीय हर्ाई पासवल, बीमाकृि डाक-र्स् िु या एतसप्रेस मेल सेर्ा डाक-र्स् िु का प्रेिक, डाक िीस और अन्द्य िीस के अनिररति, अनुसूची-IV की सारणी-VIII में उक्ल्लखिि िरों पर िीस का संिाय करके पोस्ट करि समय प्ररूप सीएन 07 में वर्रिण की सूचना के ललए आिेिन करने का हकिार होगा।

स्पष्टीकरण: - इस उप-वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए, "प्ररूप सीएन07" से यूननर्सवल पोस्टल यूननयन द्रारा इस संबंि में ननदिवष्ट सुसंगि प्ररूप अलर्प्रेि है।

(2) जब प्रेिक ककसी डाक-र्स् िु की डडलीरी की सूचना के बारे में पूछिाछ करिा है जो सामान्द्य अर्ि के र्ीिर प्राप्ि नहीं होि ी है, क्जसे समय-समय पर प्रशासननक अनुिेशों द्रारा वर्ननदिवष्ट ककया जा सकिा है, िो पूछिाछ और सूचना के अनुरोि के ललए कोई िीस नहीं ली जाएगी।

(3) जब र्ारि में पोस्ट की गई और ककसी ऐसे िेश या राज्य िेत्र को संबोधिि ऐसी डाक-र्स् िु का प्रेिक, जो यूननर्सवल पोस्टल यूननयन का सिस्य है, ने डडलीरी की सलाह के ललए िीस का संिाय नहीं ककया है और ई डाक-र्स् िु के ननपटान के संबंि में डाकघर से जांच कराना चाहिा है, िो ई बबना ककसी प्रर्ार के इस सेर्ा का हकिार होगा।

(4) इस वर्ननयम में वर्ननदिवष्ट डाक-र्स् ि्ुओं की डडलीर्री की सूचना प्रेि्क को त्ररिि्म माध्यम से लौटाई जाएगी, क्जसमें डडलीर्री की सूचनाओं का इलेतट्रॉननक आिान-प्रिान र्ी सक्म्मललि है।

अध्याय X

ि्न प्रेषण सेि्ाएं

क. घरेलू

145. घरेलू मनीऑडार.- (1) मनीऑडवर (एमओ) डाकघर द्र्ारा जारी ककया गया एक आि्ेश होगा, क्जसमें ि्नप्रेि्णकिाव द्र्ारा उस व्यक्ति को ि्नरालश का संि्ाय ककया जाि्ा है क्जसके नाम पर मनीऑडवर र्े्जा गया है।

(2) ऐसी अधिकिम रालश क्जसके ललए एकल मनीऑडवर जारी ककया जा सकेगा, ि्स हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी और उसमें एक रुपए का अंश सक्म्मललि नहीं होगा:

परंि्ु यह और कक ककसी माह में व्यक्ति को ररटेल मनीऑडवर के माध्यम से प्रेवि्ि की जाने र्ाली कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(3) मनीऑडवर जारी करने पर संि्ेय कमीशन अनुसूची-V की सारणी-। में उक्ल्लखि्ि ि्र पर प्रर्ारर ककया जाएगा।

(4)प्रिानमंत्री राहि कोि्, पीएम केयसव ि्ंड (आपाि् क्स्ि्ि में प्रिानमंत्री नागररक सहायिा और राहि कोि्ि या मुख्यमंत्री राहि कोि्) या समय-समय पर अधिसूधचि ककसी अन्द्य ऐसे कोि् में अंशिान की रालश प्रेवि्ि करने के ललए मनीऑडवर के माध्यम से ि्न पारेि्ण, कमीशन के संि्ाय के बबना ननःशुल्क ककया जाएगा।

(5) उप-वर्ननयम (3) में कोई र्ी बाि्, समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा वर्ननदिवष्ट ननःशुल्क सेर्ा मनीऑडवर के पारेि्ण को नहीं रोकेगी।

146.मनीऑडार की चालू अिि.- मनीऑडवर की चालू अर्ि जारी होने के महीने के बाि् ि्ूसरे महीने के अंनिम दिन के अंि् में समाप्ि् हो जाएगी।

147.मनीऑडार की श्रेखणयााँ.- मनीऑडवर ननम्नललखि्ि श्ेखणयों के अंि्गवि बुक ककया जाएगा, अर्ावि: -

(क)ि्ुि्रा मनीऑडवर क्जसके आिीन ि्ेश के र्ी्ि्र एक व्यक्ति से ि्ूसरे व्यक्ति को ि्न प्रेवि्ि ककया जाएगा;

(ि्) बल्क मनीऑडवर क्जसके आिीन ननम्नललखि्ि मामलों में ि्न प्रेवि्ि ककया जाएगा **: -**

(i) जहां ककसी एक व्यक्ति द्र्ारा कई व्यक्तियों को ि्न प्रेवि्ि ककया जाि्ा है; या

(ii) जहां कई व्यक्तियों से एक व्यक्ति को ि्न प्रेवि्ि ककया जाि्ा है**;** और

(ग)सेर्ा मनीऑडवर क्जसके आिीन ि्न वर्ा्गीय या सरकारी प्रयोजनों के ललए प्रेवि्ि ककया जाएगा।

148. मनीऑडार की बुककंग.- (1) ि्नप्रेि्णकिाव द्र्ारा प्रशासननक अनुि्ेशों के अनुसार सम्यक रूप से र्री हुआ मनीऑडवर प्ररुप, मनीऑडवर की रकम और ि्ेय कमीशन के सार् ि्र्ा वर्ननयम 147 के ि्ंड (ि्) में वर्ननदिवष्ट मनीऑडवर की ि्शा में वर्धिमान्द्य पहचान पत्र सदहि, मनीऑडवर सेर्ा का लार् उठाने के ललए, प्रस्ि्ुि् ककया जा सकेगा।

(2) मनीऑडवर और उसके कमीशन के ललए उसके द्र्ारा संि्त्त की गई रकम के ललए ि्नप्रेि्णकिाव को एक रसीि् ि्ी जाएगी।

149. मनीऑडार का प्रेषक -

(क) लघु संि्ेश सेर्ा या ककसी अन्द्य डडक्जटल मोड के रूप में ऑडवर की रकम के संि्ाय की इलेतट्रॉननक सूचना; और

(ि्) बुककंग की ि्ारीि् से ि्ीन मास के र्ी्ि्र ककए जा रहे ऐसे अनुरोि् के अध्ीन रहि हुए ि्नप्रेि्णकिाव के अनुरोि् पर संि्ाय का प्रमाण पत्र ननःशुल्क प्राप्ि् करने का हकिार होगा ।

150.मनीऑडार का संदाय.- (1) मनीऑडवर का संि्ाय सामान्द्यिः आिाि्ा के पि् पर ककया जाएगा,-

(क) आााि्ा को; या

(ि) आााि्ा द्ारा प्राधिकृि ककसी र्ी व्यक्ति को।

(2)यदि मनीऑडवर का आााि्ा अर्यस्क या ननरिर है, या उसकी शारीररक या मानलसक क्स्नि ऐसी है क्जससे ि्न प्राप्ि करने का साक्ष्य प्रिान करने में असमर्व है, ि्ो संि्ाय के ललए आााि्ा की पहचान को ऐसी रीनि से, जो महाननिेशक द्ारा समय-समय पर प्रशासननक अनुि्ेशों द्ारा वर्ननदिवष्ट की जाए। सत्यावपि ककया जाएगा।

151. **मनीऑडार का पुननानादेशन.-** (1) यदि आााि्ा पहचान प्रमाण के सार् प्रशासननक अनुि्ेशों द्ारा यर्ावर्ननदिवष्ट अनुरोि करिा है ि्ो आााि्ा के ककसी अन्द्य पि पर ननःशुल्क मनीऑडवर पुननानविलशि ककया जा सकेगा।

(2) मनी आडवर में आााि्ा के नाम में कोई पररर्िवन अनुज्ञाि नहीं ककया जाएगा।

(3) मनीऑडवर को ऐसी क्स्नि में रोका जा सकेगा और ि्नप्रेि्णकिाव को ननःशुल्क लौटाया जा सकेगा, यदि ि्नप्रेि्णकिाव प्रशासननक अनुि्ेशों द्ारा वर्ननदिवष्ट कोई अनुरोि करिा है, जब ि्क कक डडललर्री डाकघर उसे डडललर्री के ललए डाककया को जारी नहीं करिा है, और ऐसी ि्शा में, मनीऑडवर की रकम, उसके कमीशन के लसर्ाय, ि्नप्रेि्णकिाव को र्ापस कर ि्ी जाएगी।

(4) ककसी र्ी ि्शा में, डाकघर ि्नप्रेि्णकिाव के अनुरोि के अनुसार मनीऑडवर के संि्ाय को रोकने में असमर्विा या असिलिा के ललए उत्तरिायी नहीं होगा।

(5) यदि ककसी मनीऑडवर का आााि्ा उसे प्रस्ि्ुि करने पर संि्ाय लेने से इनकार करिा है, ि्ो मनीऑडवर की रकम उसके कमीशन के लसर्ाय, ि्नप्रेि्णकिाव को र्ापस कर ि्ी जाएगी:

परन्द्ि्ु यदि आााि्ा जो उसे प्रस्ि्ुि ककए जाने पर संि्ाय लेने में असमर्व है, मनीऑडवर के प्रनिि्ारण के ललए जो प्रशासननक अनुि्ेशों द्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जाए, आर्ि्ेन करिा है या आााि्ा मनीऑडवर पर दिए गए पि पर नहीं पाया जाि्ा है ि्ो मनीऑडवर आााि्ा को, यर्ाक्स्नि, प्रस्ि्ुि ककए जाने की ि्ारीि से या संि्ाय के ललए र्ेजे जाने की ि्ारीि से अनधिक साि दिन की अर्धि के ललए डाकघर में प्रनिि्ाररि ककया जाएगा और यदि आााि्ा साि दिन की उति अर्धि के र्ीिर डाकघर से मनीऑडवर का संि्ाय लेने में असिल रहिा है, ि्ो मनीऑडवर साि दिन की उति अर्धि की समाक्प्ि के ि्ुरंि पश्चाि्् आने र्ाले पहले कायव दिर्स पर ि्नप्रेि्णकिाव को र्ापस कर दिया जाएगा।

(6) यदि मनीऑडवर के आााि्ा की मृत्यु हो चुकी है, ि्ो मनीऑडवर की रकम प्रेि्णकिाव को र्ापस कर ि्ी जाएगी:

परंि्ु कक मनीऑडवर के प्रेि्णकिाव का ननिन हो गया है, मनीऑडवर की रकम प्रेि्णकिाव के वर्धिक उत्तराधिकारी को, जो प्रशासननक अनुि्ेशों द्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जाए, संि्त्त की जाएगी ।

152. **मनीऑडार के संबंि् में डाकघर के दानयत्ि् से छूट.**– (1) डाकघर ि्नप्रेि्णकिाव द्ारा आााि्ा के नाम और पि के रूप में गलि या अपूणव जानकारी दिए जाने के कारण मनीऑडवर के गलि संि्ाय के ललए उत्तरिायी नहीं होगा।

(2) मनीऑडवर के संि्त्त हो जाने के पश्चाि््, चाहे र्ह संि्ाय के ललए हो या न हो, डाकघर ककसी अनिररति ि्ार्े के ललए उत् ि्रिायी नहीं होगा।

153. अपररदत्त मनीऑडार.- अपररित्त मनीऑडवर प्रेि्णकिाव को र्ापस दिया जाएगा और मनीऑडवर की रकम उसके कमीशन के लसर्ाय ि्नप्रेि्णकिाव को संि्त्त की जाएगी।

154. अमान् य मनीऑडार. – जब, ककसी कारण से, कोई मनीऑडवर, या ि्ो आााि्ा को या ि्नप्रेि्णकिाव को उसके जारी होने के मास के पश्चाि्् ि्ूसरे मास के अंि ि्क असंि्त्त रहिा है, ि्ो इसे जारी करने के कायावलय द्ारा अमान्द् य माना जाएगा।

155. **मनीऑडार रकम का समपहरण.-** बुककंग की ि◌ारीि से ि◌ीन र्◌िव से अधिक समय ि◌क असंि◌त्त मनीऑडवर की रकम या मूल्य समपहृि कर ललया जाएगा और उति अर्धि की समाक्प्ि के पश्चाि◌् ऐसी रकम या मूल्य को र्◌ारि सरकार के राजस्व के रूप में माना जाएगा।

156. **सेि◌ा का ननलंबन. -** ककसी वर्शेि डाकघर या डाकघरों के समूह द्र◌ारा वर्शेि पररक्स्नियों में मनीआडवरों की सेर्◌ाओं को सकवल प्रमुि द्र◌ारा ललखिि आि◌ेश द्र◌ारा ननलंबबि ककया जा सकेगा।

157. पोस् टल आडार.- (1) र्ह रकम क्जसके ललए एकल पोस्टल ऑडवर जारी ककया जा सकेगा, ि◌िस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये या एक सौ रुपये के मूल्यर्गव में होगी।

(2) र्ह रकम क्जसके ललए इलेतट्रॉननक-र्◌ारिीय पोस्टल ऑडवर जारी ककया जा सकेगा, ि◌िस रुपये होगी।

(3) पोस्टल ऑडवर के संबंि◌ि में ललया जाने र्◌ाला कमीशन अनुसूची-V की सारणी-।। में यर्◌ाउक्ल्लखिि होगा।

(4) टूटी हुई रकम को पोस्टल ऑडवर के पटल के र्◌ाग पर अप्रयुति डाक दटकटों को धचपकाकर क्जसकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी, या जहां उस ओर का स्र◌ान पयावप्ि नहीं है, उसके पीछे र्◌ाले र्◌ाग पर धचपकाकर पूरा ककया जा सकेगा :

परंि◌ु प्रत्येक ऑडवर पर धचपकाए गए दटकटों की कुल रकम नौ रुपये से अधिक नहीं होगी और ऑडवर पर ि◌ि◌ेय कुल रकम एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसा व्यक्ति क्जसको पोस्टल ऑडवर जारी ककया जाि◌ा है, उसे ि◌ि◌ेने से पहले अंग्रेजी या संवर्◌ान की आठर्◌ीं अनुसूची में उक्ल्लखिि ककसी अन्य र्◌ाि◌ा में नाम र्रेगा और ऑडवर के ि◌ो जाने या चोरी होने के वर्रूद्ि पूर्◌ोपाय के रूप में संि◌ाय के कायावलय का नाम र्रने की लसिाररश की जाि◌ी है।

(6) यहां ि◌क की जहां बैंक के माध्यम से संि◌ाय के उद्ि◌ेश्य से पोस्टल ऑडवर रेि◌ाि◌ंककि ककया जाि◌ा है, आिाि◌ा का नाम र्रा जाएगा।

158. **मुद्रा अिधि.-** (1) जारी करने के मास के अंनिम दिन से चौबीस मास के र्◌ीि◌र प्रस्ि◌ुि◌ ककए गए पोस्टल ऑडवर, ि◌ूसरे कमीशन के बबना र्◌ुनाये जा सकेंगे।

(2) जहां पोस्टल ऑडवर जारी करने के मास के अंनिम दिन से चौबीस मास के र्◌ीि◌र संि◌ाय के ललए प्रस्ि◌ुि◌ नहीं ककया जाि◌ा है, अनुसूची-V की सारणी-।। में उक्ल्लखिि ि◌र पर ि◌ूसरा कमीशन प्रर्◌ाररि ककया जाएगा, क्जसे पोस्टल ऑडवर के पीछे धचपकाए गए डाक दटकट में या नकि रसीि◌ि के माध्यम से संि◌त्त ककया जाएगा।

159. समपहरण.- जारी करने के मास के अंनिम दिन के पश्चाि◌् छत्तीस मास से परे प्रस्ि◌ुि◌ पोस्टल ऑडवर समपहृि कर ललया जाएगा और संि◌त्त नहीं ककया जाएगा।

160. **पोस्टल ऑडार का प्रनतसंदाय.-** (1) पोस्टल ऑडवर का क्रेि◌ाि◌ा, इसे जारी करने के मास के अंनिम दिन से चौबीस मास के र्◌ीि◌र, उस डाकघर में जहां से पोस्टल ऑडवर ि◌रीि◌ा गया र्◌ा, पोस्टल ऑडवर और प्रनिपणव को प्रस्ि◌ुि◌ करने पर उसके मूल्य का प्रनिसंि◌ाय, ककंि◌ु कमीशन को छोड़कर। प्राप्ि करने का हकिार होगा।

(2) क्रेि◌ाि◌ा इसके मूल्य का प्रनिसंि◌ाय, जारी करने के मास के अंनिम दिन से चौबीस मास के पश्चाि◌् ककन्द्ि◌ु छत्तीस मास के पश्चाि◌् नहीं, यदि अनुसूची-V की सारणी-।। में यर्◌ाउक्ल्लखिि ि◌र पर ि◌ूसरा कमीशन संि◌त्त ककया जाि◌ा है, का हकिार होगा।

(3) यदि बैंक के माध्यम से संि◌ाय के ललए प्रेविि ऑडवर को क्रेि◌ाि◌ा पहले पोस्टल ऑडवर के पटल पर "कृपया नकि संि◌ाय करें" शब्ि◌ि ललिकर और अपने आद्याि◌र जोड़कर रेि◌न को रद्ि◌ि कर ि◌ि◌ेगा।

(4) आिाि◌ा को एक बार पोस्टल ऑडवर संि◌त्त करने के पश्चाि◌्, डाकघर ककसी र्◌ी अनिररति ि◌ार्◌े के ललए उत् ि◌िरियी नहीं होगा।

161. **आदाता का नाम आिश्यक.-** बैंक द्र◌ारा संि◌ाय के ललए प्रस्ि◌ुि◌ ककए जाने पर र्◌ी पोस्टल ऑडवर का संि◌ाय ि◌ब ि◌क नहीं ककया जाएगा जब ि◌क कक आिाि◌ा का नाम पोस्टल ऑडवर के मुख्य र्◌ाग में नहीं डाला गया हो।

162. बैंक के माध्यम से संदाय. - यदि कोई पोस्टल ऑडवर रेि◌ाांककि ककया गया है, ि◌ो संि◌ाय केर्ल बैंक के माध्यम से ककया जाएगा, और यदि बैंक का नाम जोड़ा जाि◌ा है, ि◌ो संि◌ाय केर्ल उसी बैंक के माध्यम से ककया जाएगा।

163. रेखांककत (क्रॉस् ड) पोस्टल ऑडार का संदाय. - यदि कोई पोस्टल ऑडवर, क्जस पर बैंक का नाम अंककि हो या न हो, बैंक द्◌ारा या उसके माध्यम से संि◌ाय के ललए प्रस्ि◌ुि ककया जाि◌ा है, क्जसके मुख्य पृष्ठ पर ऐसे बैंक का नाम ललिा हुआ या मुहर लगी हुई है, र्ह नाम पोस्टल ऑडवर की रकम के ललए पयावप्ि रसीि◌ के रूप में स्◌ीकार ककया जा सकेगा और पोस्टल ऑडवर बबना ककसी अन्द्य रसीि◌ के संि◌ित्त ककया जा सकेगा।

164. कटे-फटे पोस्टल ऑडार. - यदि पोस्टल ऑडवर में कोई कांट-छांट या पररर्ि◌वन ककया जाि◌ा है, या यदि काट दिया जाि◌ा है, वर्रूवपि या वर्कृि◌ हो जाि◌ा है, ि◌ो उसका संि◌ाय अस्◌ीकार ककया जा सकेगा।

165. इलेतरॉननक पोस्टल ऑडार. - वर्ननयम 157 के उपवर्ननयम (2) और वर्ननयम 158 और वर्ननयम 159 में उक्ल्लखिि उपबंि◌ इलेतट्रॉननक पोस्टल ऑडवर पर यर्◌ाश्र्यक पररर्ि◌वन सदहि लागू होंगे।

ख. अन्तरााष्ट्र य

166.विदेशी मनीऑडार.- (1) वर्ि◌ेशी मनीऑडवर ननम्नललखिि प्रर्गव के होंगे, अर्◌ावि्:-

(क) इलेतट्रॉननक मनीऑडवर; और

(ि◌) अन्द्ि◌रावष्ट्रीय वर्त्तीय प्रणाली या यूननर्सवल पोस्टल यूननयन इंटरकनेतशन प्लेटॉमव (यूपीयू-आईपी) के माध्यम से पश्च अंि◌रण ।

(2) प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा समय-समय पर यर्◌ावर्ननदिवष्ट ि◌ेश और राज्यित्र क्जनके सार् द्वर्पिीय या बहुपिीय करार करके प्रत्येक प्रकार के मनीऑडवर का आिान-प्रिान ककया जाि◌ा है।

(3) र्◌ागीि◌ार डाक ि◌ेशों या राज्यित्रों के सार् वर्ि◌ेशी मनीऑडवर करार को केंरीय सरकार द्◌ारा सकक्रय या ननक्ष्क्रय ककया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक वर्ि◌ेशी मनीऑडवर को, प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा समय-समय पर यर्◌ावर्ननदिवष्ट, सेर्◌ा के ललए ि◌ीस के सार् प्रेविि◌ की जाने र्◌ाली रकम के संि◌ाय पर बुक ककया जाएगा ।

(5) ि◌ो र्◌ागीि◌ार ि◌ेशों या राज्यित्रों के बीच वर्ि◌ेशी मनीऑडवर के आिान-प्रिान के ललए प्रचालन और अन्द्य सामान्द्य शिें केंरीय सरकार द्◌ारा समय-समय पर अर्ि◌ाररि की जाएंगी।

(6) एक कैलेंडर र्◌ि◌व में मनीऑडवर के माध्यम से ि◌नप्रेि◌णकिाव द्◌ारा ककए गए प्रेि◌ण की अधिकिम और न्द्यूनिम रकम और संख्या र्ह होगी जो प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट की जाए।

167. विदेशी मनीऑडार के प्रेषक को सूचना –वर्ि◌ेशी मनीऑडवर का प्रेि◌क ि◌ीस का संि◌ाय करके, प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा यर्◌ावर्ननदिवष्ट अपने संि◌ाय की सूचना प्राप्ि◌ करने का हकिार होगा और ऐसी ि◌ीस वर्ि◌ेशी मनीऑडवर पर प्रर्◌ायव ि◌ीस केअनिररति होगी।

168. संदाय के भलए प्रेषक द्◌ारा नाम या पता पररनितात करना .- (1) वर्ि◌ेशी मनीआडवर का प्रेि◌क, द्वर्ि◌ीय ि◌ीस के संि◌ाय द्◌ारा, मनीऑडवर गंि◌व्य पर संि◌ित्त ककए जाने ि◌क शिों के अनुसार, प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा समय-समय पर यर्◌ावर्ननदिवष्ट, आिा◌ि◌ा का नाम या पिा पररर्निेवि कर सकेगा।

(2) ि◌नप्रेि◌णकिाव, वर्ि◌ेशी मनीऑडवर का संि◌ाय रोक सकेगा, यदि संि◌ाय नहीं ककया जा सका है, और शिों के अनुसार, प्रशासननक अनुि◌ेशों द्◌ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट अनुरोि◌ कर सकेगा कक प्रेविि◌ रकम र्◌ापस कर ि◌ी जाए।

(3) डाकघर को ककसी र्◌ी ि◌िा में उपवर्ननयम (1) और उपवर्ननयम (2) के आिीन प्रेि◌क के अनुरोि◌ को पूरा करने में असमर्वि के ललए उत् ि◌ियी नहीं ठहराया जाएगा, ककन्द्ि◌ु ऐसी ि◌िा में ि◌ूसरी ि◌ीस र्◌ापस कर ि◌ी जाएगी ।

169. आिक विदेशी मनीऑडर.- (1) आर्क वर्ि्ेशी मनीऑडवर का संि्ाय, घरेलू इलेतट्रॉननक मनीऑडवर की रीनि से, लसर््ाय प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा अन्धर्ा वर्ननदिवष् ट, र्ुगिान ककया जाएगा।

(2) वर्ि्ेशी आर्क मनीऑडवर, अपररिय होने के कारण, मूल ि्ेश या राज्यिेत्र को र््ापस कर दिया जाएगा।

(3) वर्ि्ेशी जार्क मनीऑडवर, गंि्य ि्ेश या राज्यिेत्र द्र्ारा अपररिय के रूप में र््ापस ककए जाने पर, ि्नप्रेि्णकिाव को र््ापस कर दिया जाएगा।

(4) ि्नप्रेि्णकिाव को मनीऑडवर र््ापस करने में असमर्वि की क्स्नि में, मनीऑडवर पर वर्ननयम 154 और वर्ननयम 155 के सुसंगि उपबंि्ों के अनुसार कारवर््ाई की जाएगी।

अध्याय XI

व्या्िसानयक समा्ि्ान

क. अभी बुक करें बाद में भुगतान करें

170. अभी बुककरें बाद में भुगतान करने की सुवि्ि्ा.– (1) कॉरपोरेट ग्राहक, जो डाकघर के संबंधि् प्राधिकरण के सार् एक करार पर हस्ि्ाि्र करि हैं, अर्ी बुक करें बाि् में र्ुगिान करें (बीएनपीएल) सुवर्ि्ा के अिीन प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा यर््ावर्ननदिवष्ट र्स्ि्ुओं पर डाक और अन्ध ि्ीस या प्रर््ार के संबंि् में क्रेडडट सुवर्ि्ा के ललए पात्र होंगे।

स्पष्ट करण: इस उपवर्ननयम के प्रयोजनों के ललए "कॉरपोरेट ग्राहक" से अलर््रे्ि् है, जो प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट जो एकल या एकाधिक अर्स््ानों पर बुककंग कायावलय में एक कैलेंडर मास में न्द्यूनिम व्यार्सानयक मूल्य का डाक-शुल् क और अन्ध ि्ीस या प्रर््ार प्रिान करिा है।

(2) ि्ेत्रीय प्रमुि् को ऐसी शिों के अध्ीन रहि हुए, प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट, डाक और अन्ध ि्ीस या प्रर््ारों का मालसक व्यर्साय प्रिान करने की सीमा को लशधर्ल करने के ललए प्राधिकृि् ककया जाएगा।

(3) सकवल या ि्ेत्र के र््ीि्र एकाधिक अर्स््ानों पर बुककंग के सार् बुक अर््ी करें, बाि् में संि्ाय करें (बीएनपीएल) की सुवर्ि्ा चाहने र््ाले ग्राहकों के ललए पात्रिा, प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट, सर््ी अर्स््ानों को सक्म्मलि करि हुए, मालसक व्यर्साय होगी:

परंि्ु अपर््ाि् के मामले में, यर््ाक्स्नि, सकवल प्रमुि् या ि्ेत्रीय प्रमुि् के अनुमोि्न से ऐसे मामलों में सीमा लशधर्ल की जा सकेगी :

171. अनुमोदन के भलए प्राधिकृत प्राधिकार .– (1) प्रर््ागीय प्रमुि् को क्रेडडट सुवर्ि्ा के अिीन कॉरपोरेट ग्राहक के नामांकन को अनुमोदि् करने और समय-समय पर, नामननदिवष्ट कायावलय और नामननदिवष्ट स््ान वर्ननदिवष्ट करने के ललए प्राधिकृि् ककया जाएगा, जहां क्रेडडट सुवर्ि्ा का लार् उठाने र््ाले ऐसे ग्राहक की र्स्ि्ुओं को उनकी अधिकारिरा के अिीन आने र््ाले अन्ध सर््ी मामलों के संबंि् में बुक ककया जा सकेगा या मंगर््ाया जा सकेगा।

(2) जनरल डाकघर (जीपीओ) या प्रर्म र्गव प्रिान डाकघर (एचओ) की ि्िशा में, उपवर्ननयम (1) के अिीन प्रर््ागीय प्रमुि् की शक्तियों का प्रयोग, यर््ाक्स्नि, ननिेशक या मुख्य डाकपाल द्र्ारा ककया जा सकेगा।

(3) संबंधि् सककवल या ि्ेत्र के सककवल प्रमुि् या ि्ेत्रीय प्रमुि् ककसी सककवल या ि्ेत्र के र््ीि्र एकाधिक स््ानों पर बुककंग के सार् बुक अर््ी करें, बाि् में संि्ाय करें (बीएनपीएल) सुवर्ि्ा चाहने र््ाले ग्राहक से संबंधि् मामलों के ललए अनुमोि्न प्राधिकारी होगा।

ख. राष्ट्र य खाता सुवि्ि्ा (एनएएफ)

172. राष्ट्र य खाता सुवि्ि्ा.- (1) क्जन ग्राहकों को एक से अधिक सककवल से अपनी र्स्ि्ुओं को र््ेजने की आर्श्यकिा हो्ी है, र््े, र्स्ि्ुओं पर डाक और अन्ध ि्ीस या प्रर््ार के संबंि् में राष्ट्रीय ि्ाि्ा सुवर्ि्ा के ललए पात्र होंगे, जो प्रशासननक अनुि्ेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट की जाए।

(2) राष्ट्रीय िंाि्ा सुवर्ि्ा के िहि ग्राहक को नामांकिक करने के ललए पात्रिा और आर्ेिन की प्रकक्रया, र्ह होगी जो प्रशासननक अनुिेशों द्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट की जाए।

ग. अधग्रम संदाय

173. अधग्रम संदाय की सुविि्ा.- (1) संवर्ि्ात्मक ग्राहक, जो डाकघर के संबंधिि प्राधिकारी के सार् करार करिा है, स्ि्ुओं पर प्रशासननक अनुिेशों द्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट डाक और अन्य िीस या प्रर्ारों के संबंि में अधग्रम संि्ाय सुवर्ि्ा प्राप्ि करने के ललए पात्र होंगे। बशि कक बुककंग डाटा ऐसे ग्राहक द्ारा बुककंग कायावलय को वर्ननदिवष्ट इलेतट्रॉननक रूप-वर्ि्ान में उपलब्ि कराया गया हो।

(2) अधग्रम संि्ाय के िहि ग्राहक को नामांकिक करने के ललए पात्रिा और आर्ेिन की प्रकक्रया र्ह होगी, जो प्रशासननक अनुिेशों द्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट की जाए।

अध्याय XII

सहयोग के माध्यम से प्रदान ककए जाने ि्ाले उत्पाद और सेि्ाएं

174. नागररक केंटद्रत सेि्ाओं के भलए डाकघर नेटिका.- (1) डाकघर, केन्द्रीय सरकार के अिीन ककसी र्ी मंत्रालय या वर्ि्ाग द्ारा ि्ी जाने र्ाली नागररक केक्न्द्र सेर्ा प्रिान करने के ललए पारस्पररक रूप से सहमि ननबंिनों और शिों के अनुसार अपना नेटर्कव उपलब्ि कराएगा।

(2) र्ागीि्ारी या करार करने र्ाले डाकघर का संबंधिि प्राधिकारी, पारस्पररक रूप से सहमि ननबंिनों और शिों के अनुसार राज्य सरकार, स्ानीय ननकायों, सार्वजननक या ननजी संस्ाओं की नीनियों के प्रचार या कायावन्द्यन संबंि्ी उत्पाि या सेर्ा प्रिान करेगा।

(3) उप-वर्ननयम (1) और उप-वर्ननयम (2) के अनुसार इन र्ागीि्ाररयों या करार के प्रचालन के ललए प्रर्ार, प्रचालन और लेि्ा प्रकक्रयाएं, महाननिेशक द्ारा समय-समय पर जारी प्रशासननक अनुिेशों के अनुसार होंगी।

अध्याय XIII
विविि

क. वपनकोड

175. पोस्टल इंडेतस नंबर.- (1) वपन कोड (पोस्टल इंडेतस नंबर कोड) डाकघर के सार् मैप ककए गए िेत्र-वर्ेि के ललए छह अंकों का पोस्टकोड है, जो अपने अधिकाररि के अिीन परिान के ललए डाक स्ि्ु प्राप्ि करिा है।

(2) वपन कोड समय-समय पर महाननिेशक द्ारा वर्ननदिवष्ट ककया जाएगा।

(3) डाक द्ारा पारेि्ण के ललए, प्रत्येक डाक स्ि्ु पर वपन कोड ललिना अननर्ायव होगा।

ख. दूर से प्रबंधित फ्रैंककंग मशीन

176. फ्रैंककंग मशीनें.- (1) ऐसे वर्क्रे्ि्ाओं और मॉडलों की फ्रैंककंग मशीनें (िूरस् रूप से प्रबंधिि), जो महाननिेशक द्ारा प्राधिकृि हैं, का उपयोग केर्ल स्ि्ुओं पर उधचि डाक मूल्य फ्रैंक करने के ललए ककया जाएगा।

स्पष्ट करण.- इस वर्ननयम के प्रयोजनों के ललए, "फ्रैंककंग मशीन" से महाननिेशक द्ारा प्राधिकृि ऐसी मशीन अलर्ेि है, जो एक अद्वर्ि्ीय फ्रैंक छाप के माध्यम से ककसी डाक स्ि्ु के संबंि में डाक के संि्ाय के ललए एक आनुकक्ल्पक ढंग प्रिान करिी है और क्रेडडट या डाक मूल्य अपलोड करने के ललए सर्र के माध्यम से िूरस् अस्ि्ान से प्रबंधिि की जा सकिी है और इसे "िूरस् रूप से प्रबंधिि फ्रैंककंग मशीन" र्ी कहा जाि्ा है।

(2) डाकघर ककसी गैर-अनुमोदिि मॉडल या ि्ोिपूणव मशीन की िरीि या मशीन को हुई िनि के कारण अनुज्ञक्प्ि्ारी को हुई ककसी र्ी िनि या हानन को र्ंन करने के ललए उत्तरिायी नहीं होगा।

(3) कोई र्ी व्यक्ति, संगठन या प्राधिकरण स्ि्ुओं पर डाक मूल्य को फ्रैंक करने के ललए फ्रैंककंग मशीन का उपयोग करने के ललए अनुज्ञक्प्ि ले सकेगा।

(4) प्रर्ागीय प्रमुि या डाकघर के स्र्िंत्र राजपबत्रि डाकपाल, जो प्रशासननक अनुिेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट की जाने र्ाली कनिपय िीसों पर फ्रैंककंग मशीन (आरएमएिएम) का उपयोग करने के ललए अनुज्ञक्प्ि जारी करने हेिु अनुज्ञापन प्राधिकारी होंगे।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी को, फ्रैंककंग मशीन का उपयोग करने के ललए जारी की गई अनुज्ञक्प्ि को जारी करने या नर्ीनीकृि करने या ननलंबबि करने या रद्ि करने के ललए प्राधिकृि ककया जाएगा।

(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी ककसी र्ी समय सुनर्ाई का अर्सर िेने के पश्चाि् और ललखिि रूप में अलर्ललखिि ककए जाने र्ाले कारणों के ललए अनुज्ञक्प्ि जारी करने या नर्ीनीकरण से इनकार करने और अनुज्ञक्प्ि को रद्ि करने का अधिकार सुरक्षिि रि सकेगा।

(7) फ्रैंक डाक केर्ल अनुज्ञक्प्ि जारी करने के समय पर पहचान ककए गए नामननदिवष्ट डाकघर में प्रस्िुि ककया जाएगा|

(8) ककसी वर्शेि दिन पर फ्रैंक की गई डाक को उसी िारीि को या अगले कायव दिर्स पर (यदि वर्शेि पररक्स्र्नियों के कारण प्रस्िुि नहीं ककया जा सका हो) डाक के वर्र्ण के सार् नामननदिवष्ट डाकघर में प्रस्िुि ककया जाएगा:

परंिु अनुज्ञापन प्राधिकारी, वर्शेि पररक्स्र्नियों के अिीन और ललखिि में अलर्ललखिि ककए जाने र्ाले कारणों के ललए, डाकघर में फ्रैंक डाक की प्रस्िुनि की अर्धि को लशथर्ल कर सकेगा।

(9) फ्रैंककंग मशीन (आरएमएिएम) के संबंि में कायव करने की प्रकक्रया, ररचाजव करने और जांच करने की शिें, र्ह होगी जो प्रशासननक अनुिेशों द्र्ारा समय-समय पर वर्ननदिवष्ट की जाएं।

177.िावषाक रूप से विननयमों का अद्यतन संस्करण जार करना.- इन वर्ननयमों में ककए गए सर्ी संशोिनों को संकललि ककया जा सकेगा और इन वर्ननयमों के अद्यिन संस्करण को आगामी र्िव के जनर्री मास में प्रकालशि ककया जाएगा, क्जसमें ककसी वर्शेि र्िव के िौरान ककए गए सर्ी संशोिन सक्म्मललि होंगे।

178. डाक प्रचालन आदेश.– (1) इन वर्ननयमों के अिीन वर्ननदिवष्ट ककए जाने र्ाले सर्ी कायवपालक या प्रशासननक आिेश, र्ारि सरकार के डाक वर्र्ाग द्र्ारा आिेशों अर्ाव् "डाक प्रचालन ऑपरेशन आिेश" या "पीओ आिेश" के माध्यम से जारी ककए जाएंगे।

(2) जारी ककए गए सर्ी डाक प्रचालन आिेशों को र्ी अिर्ाविक आिार पर संकललि ककया जाएगा और ऐसे संकलन क्रमशः जनर्री से जून और जुलाई से दिसंबर के िौरान जारी ककए गए आिेशों के ललए क्रमशः जुलाई और जनर्री के मास में जारी ककए जाएंगे।

अध्याय XIV

डाक जीिन बीमा

179. बीमा सेिाएं.– (1) संचार मंत्रालय में डाक वर्र्ाग द्र्ारा प्रिान की गई जीर्न बीमा या ककसी अन्य बीमा सदहि बीमा सेर्ाओं का प्रशासन, संबंधिि ननधियों के सार्, महाननिेशक में ननदहि होगा, जो ऐसी बीमा सेर्ाओं के प्रचालन के ललए प्रशासननक अनुिेशों और मागविशवक लसद्िांि जारी करने के ललए प्राधिकृि होंगे।

(2) जीर्न बीमा या डाकघर द्र्ारा प्रिान ककए गए ककसी अन्य बीमा सदहि बीमा सेर्ाओं के नीनिगि मामलों को केंरीय सरकार के पूर्व अनुमोिन से महाननिेशक द्र्ारा वर्ननक्श्च ककया जाएगा।

अध्याय XV

वित्तीय सेिाएं

180. वित्तीय सेिाओं के भलए प्रशासननक अनुदेश .- डाकघर के माध्यम से प्रिान की गई बचि स्कीम के ललए प्रकक्रयात्मक मागविशवक लसद्िांि और प्रशासननक अनुिेश, र्े होंगे जो महाननिेशक द्र्ारा समय प्रर्ृत्त सुसंगि वर्धियों के अिीन केंरीय सरकार के अनुिेशों या मागविशवक लसद्िांिों के अनुसार जारी ककए जाएं।

अनुसूची I

घरेलू स्र्िुओं के ललए डाक शुल्क और िीस

[वर्ननयम 17(2), वर्ननयम 46(1), वर्ननयम 47(1), वर्ननयम 55(1), वर्ननयम 71, वर्ननयम 73(3), वर्ननयम 88(16), वर्ननयम 90(2), वर्ननयम 91(3), वर्ननयम 92 (3), वर्ननयम 94(5), वर्ननयम 95(3), वर्ननयम 96(11), वर्ननयम 98(2) और वर्ननयम 134 िेे]

सारणी I

नीचे उक्ललखिि र्स्िुओं पर डाक की ननम्नललखिि िरें प्रर्ायव होंगी:-	
(क) पत्र	
(i) बीस ग्राम से अनधिक र्जन के ललए	₹ 5/-
(ii) प्रत्येक बीस ग्राम या उसके अंश के ललए	₹ 5/-
(ख) पत्र काडा	
पत्र काडव के ललए	₹ 2.50/-
(ग) पोस्टकाडा	
पोस्टकाडव के ललए	50 पैसे
(घ) **बुक पोस्ट**	
(i) पहले पचास ग्राम या उसके अंश के ललए	₹ 4/-
(ii) प्रत्येक अनिररति पचास ग्राम या उसकेअंश के ललए पचास ग्राम से अधिक	₹ 3/-
(ड) आर्धिक पोस्ट	
(i) ₹ 1/- स ₹ 20/- मलय िक क आरधिक क ललए	पहल 100 गाम और उसक राग क ललए ₹ 2/- और प्रत्येक अनिररति 100 ग्राम और उसके र्ाग के ललए ₹ 3/-
(ii) ₹ 21/- स ₹ 50/- मलय िक क आरधिक क ललए	पहल 100 गाम और उसक राग क ललए 4/- रुपये, और प्रत्येक अनिररति 100 ग्राम और उसके र्ाग के ललए 5/- रुपये
(iii) 51/- रु. और उससे अधिक मूल्य की आर्धिक पबत्रकाओं के ललए	प्रर्म 100 ग्राम और उसके र्ाग के ललए 8/- रु. िर्ा प्रत्येक अनिररति 100 ग्राम और उसके र्ाग के ललए 9/- रु.
(च) नेत्रहीनों के ललए सादहत्य	
नेत्रहीनों के ललए सादहत्य को डाक महसूल से छूट िी जाएगी	
(छ) रक्जस्ट्रीकृि समाचार पत्र	
(क) रक्जस्ट्रीकृि समाचार पत्र की एकल प्रनि की िशा में	
(i) पचास ग्राम से अधिक र्जन के ललए	25 पैसे
(ii) पचास ग्राम से अधिक ककन्द्िु एक सौ ग्राम से अनधिक र्ाले र्जन के ललए	50 पैसे
(iii) प्रत्येक अनिररति एक सौ ग्राम या उसके एक सौ ग्राम से अधिक अंश के ललए	20 पैसे

(ि) ककसी रक्जस्ट्रीकृि समाचारपत्र के एक ही अंक की एक से अधिक प्रनियां एक ही पैकेट में रि जाने की िशा में: -	
(i) 100 ग्राम से अधिक र्जन के ललए	50 पैसे
(ii) प्रत्येक अनिररति एक सौ ग्राम या उसके एक सौ ग्राम से अधिक अंश के ललए। 20 पैसे	नही दिया जाएगा, ककि डाकघर म ककसी मानयिा

सारणी II

एयर मेल फीस (घरेलू)	
र्ारि में ककसी र्ी डाकघर में हर्ाई मागव से प्रेि णि हेि ु र्ेजी गई स्ि ुओं पर संि ेय डाक महसूल और अन्द्य ि ीस के अनिररति प्र्ायव हर्ाई डाक ि ीस	पहले पचास ग्राम के ललए 2/- रु. या उसका अंश; ि र्ा प्रत्येक अनिररति पचास ग्राम या उसके अंश के ललए 1/- रु.

सारणी III

भारतीय डाक पासाल - ररटेल

(i) पांच सौ ग्राम से अधिक र्जन के ललए	36.00
(ii) प्रत्येक पांच सौ ग्राम या उसके 500 ग्राम से अधिक अंश के ललए।	16.00

भारतीय डाक पासाल - संविदागत

र्जन स्लैब ि ूरी	2 ककलोग्राम ि क ि क प्रत्येक अनिररति	5 ककलोग्राम ि क 1 ककलोग्राम के ललए	5 ककलोग्राम से ऊपर प्रत्येक अनिररति 1 ककलोग्राम के ललए
स्र्ानीय	45 रु.	12 रु.	14 रु.
राज्य के अंि र	80 रु.	20 रु.	22 रु.
पड़ोसी राज्य	100 रु.	25 रु.	28 रु.
अन्द्य राज्य	115 रु.	30 रु.	32 रु.
मेट्रो और राज्यों की राजिानी के मध्य*	105 रु.	25 रु.	28 रु.
राष्ट्रीय राजिानी ि ेत्र - दिल्ली/गाक्जयाबाि/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/ि रीि ाबाि	70 रु.	15 रु.	18 रु.

* बशि कक इसे राज्य या पड़ोसी राज्य में कर्र न ककया गया हो।

सारणी IV

स्पीड पोस्ट दस्ताि ेज़ और पासाल

क्र.सं.	र्ि	स्ानीय	200 ककमी िक	201 से 1000 कक.मी. िक	1001 से 2000 कक.मी. िक	2000 ककलोमीटर से अधिक
(1)	50 ग्राम िक	15 रु.	35 रु.	35 रु.	35 रु.	35 रु.
(2)	51 ग्राम से 200 ग्राम िक	25 रु.	35 रु.	40 रु.	60 रु.	70 रु.
(3)	201 ग्राम से 500 ग्राम िक	30 रु.	50 रु.	60 रु.	80 रु.	90 रु.
(4)	अनिररति 500ग्राम या उसका र्ाग	10 रु.	15 रु.	30 रु.	40 रु.	50 रु.

सारणी V

घरेलू मदों के भलए प्रनतकर	
(i) मि की परिान में ि्ेरी की क्स्नि में सं्ेय प्रनिकर	
स्पीड पोस्ट (घरेलू)	स्पीड पोस्ट सं्ित्त डाक महसूल
(ii) हानन या मि की ि्नि या आंलशक ि्नि की क्स्नि में सं्ेय प्रनिकर	
स्पीड पोस्ट (घरेलू)	स्पीड पोस्ट द्ारा सं्ित्त की गई डाक महसूल का ि्ोगुना या 1000रु., जो र्ी र्ास्ि्वर्क मूल्य पर ननर्वर करि हुए कम हो।
रक्जस्ट्रीकृि मि	100 रु. या ि्ोए या ि्निग्रस्ि माल या सामग्री का र्ास्ि्वर्क मूल्य, जो र्ी कम हो।

सारणी VI

पुनः ननदेशन	
ककसी मि को र्ापस मंगाने, या उसके प्राप्ि्किाव के पि या नाम में पररर्ि्वन करने के ललए प्रर्ायव ि्ीस	छह रुपये प्रनि मि

सारणी VII

नीचे वर्ननदिवष्ट उर्रा हुआ (एम्बॉसड) ललिाि्ा और रक्जस्ट्रीकरण ललिाि्े ननम्नललखिि कीमिों पर बेचे जाएंगे, अर्ावि:	
उभरे हुए भलफाफे	
प्रत्येक (घरेलू) ललिाि्े के ललए	5/- रु.

रक्जस्र करण भलफाफे	
(i) प्रत्येक छोटे ललिाि के ललए	22/- रु. + 50 पैसे स्टेशनरी ि ीस
(ii) प्रत्येक बड़े ललिाि के ललए	22/- रु. + 1/-स्टेशनरी ि ीस

सारणी VIII

ननम्नललखिि िरें उन मि के परररान पर लागू होंगी, जहां डाक महसूल या हर्ाई मेल ि ीस अधग्रम संित्त नहीं ककया गया है या अपयावप्ि रूप से अधग्रम संित्त ककया गया है :	
(1) ककसी असंित्त मि पर	अधग्रम संित्त ि र ि ोगुनी करें
(ii) अपयावप्ि संित्त मि पर कमी ि ोगुनी हो जाएगी ल या हराई डाक ि ीस ककसी री कसरनि म एक	

सारणी IX

पोस्ट बॉतस और पोस्ट बैग	
(ए) पोस्ट बॉतस या बैग यदि अलग से ललया जाए	
(i) यदि पूरे वर्त्तीय र्ि व के ललए ककराए पर दिया गया हो	150
(ii) ि ीन कैलेंडर मास या उसके र्ाग के ललए, यदि पूणव वर्त्तीय र्ि व से कम अर्धि के ललए ककराए पर दिया गया हो।	50
(बी) पोस्ट बॉतस और बैग को एक सार् लमलाकर समान या अलग संख्या में	
(i) यदि पूरे वर्त्तीय र्ि व के ललए ककराए पर दिया गया हो	250
(ii) ि ीन कैलेंडर मास या उसके र्ाग के ललए, यदि पूणव वर्त्तीय र्ि व से कम अर्धि के ललए ककराए पर दिया गया हो।	80

अनुसूची II

अन्य डाक मदों के भलए डाक महसूल और फीस

[वर्ननयम 102(4), 103(5) और 106(6) ि ेखिए]

सारणी I

डायरेतट पोस्ट			
डायरेतट पोस्ट मि 1 की कीमि	प्रनि मि 20 ग्राम		प्रनि मि
	स्र्ानीय	इंटर लसटी	
	1.50 रु.	2.00 रु.	प्रत्येक अनिररति 20 ग्राम या उसके र्ाग के ललए स्र्ानीय और अंि र-शहरी ि ोनों के ललए 1 रुपए

सारणी II

मीडडया पोस्ट			
मीडडया	ि र (प्रनि कीमि)	वर्ज्ञापन	न्द्यूनिम ऑडवर की मात्रा

	एकल रंग	बहु रंग	स्ान (से.मी. में)	बहु रंग के एक लमललयन नग के ललए
पोस्ट काडव	10 पैसे	20 पैसे	3*2.2	वर्ज्ापन
पत्र काडव	15 पैसे	30 पैसे	9*2.5	एकल रंग के 0.5 लमललयन नग के ललए
एरोग्राम	20 पैसे	40 पैसे	4*5.5	वर्ज्ापन
ललिाि े		30 पैसे	9*2.5	
मनीऑडवर ि ॉमव	10 पैसे		2*4.25	1 लमललयन
डाकघर बचि पासबुक	10 पैसे		9*2.25	0.5 लमललयन

सारणी III

ई-पोस्ट	
	डाक महसूल
ि ुि ा	(क) ए4 आकार के कागज पर प्रनि पृष्ठ रु.10/- + जीएसटी 18% - जब संि ेश डाकघर के माध्यम से र् ेजा जाि ा है (ि) रु.6/-+जीएसटी 18% प्रनि पृष्ठ - यदि ग्राहक अपने स्यं के पररसर का उपयोग करि है
ननगलमि	(क) ए4 आकार के कागज पर प्रनि पृष्ठ रु.6/+ जीएसटी 18% (ि) ए4 आकार के कागज पर प्रनि पृष्ठ 5 रुपये + जीएसटी @ 18% - यदि कोई कॉपोरेट ग्राहक एक बार में 50 या अधिक संि ेश र् ेजि है
संि ेश (अनेक से एक) (संि ेश प्राप्ि किाव के ईमेल बॉतस में र् ेजा जाएगा)	(क) प्रर्म प्रेि क के ललए ए4 आकार के प्रनि पृष्ठ रु.5/- + जीएसटी @ 18% (ि) रु.5/- +जीएसटी @ 18% प्रनि अनुलग्नक (1 एमबी ि क) (ग) प्रत्येक आगामी प्रेि क के ललए रु.5/- + जीएसटी 18%
संि ेश (अनेक से एक) (संि ेश प्राप्ि किाव के ईमेल बॉतस में र् ेजा जाएगा)	(क) प्रर्म 10 प्राप्ि किाव के ललए ए4 आकार के प्रनि पृष्ठ रु.5/- + जीएसटी @ 18% (ि) रु.5/-+जीएसटी @ 18% प्रनि अनुलग्नक (1 एमबी ि क) (ग) अगले 11 से 20 प्रत्येक आगामी प्राप्ि किाव के ललए 3/-रु.+ जीएसटी 18%

सारणी IV

	मैगजीन पोस्ट		
क्र. सं.	**वि िरण**	**200 ग्राम तक**	**प्रत्येक अनतररतत 100 ग्राम या उसके भाग के भलए**
(i)	पोक्स्टंग स्ानों के नगरपाललका ि ेत्र के बाहर वर्ि रि की जाने र् ाली मैगजीन के ललए	रु 12/-	रु. 3/-

(ii)	(ii) पोकसटग सरानो क नगरपाललका ित के र्ीिर वर्िरिर की जाने र्ाली मैगजीन के ललए	रु 8/-	रु 3/-

अनुसूची III

अंतराष्ट्र य मदों के भलए डाक महसूल और फीस

[वर्ननयम 31(2), 72(1), 78(3), 108(3), 109(4), 110(3), 111(3), 112(5), 113(5), 114(7), 116(4), 117(5), 118(4), 119(1), 126(3), 127(3) और 143(1) ि ेखिए]

सारणी I

सिह मागव से र् ेजी जाने र्ाली डाक मिों पर, जहां डाक महसूल पूर्व संि त्त ककया गया है, ननम्नललखिि डाक महसूल लागू होगा, अर्ावि: -

क. स.	उतपादो का नाम	देश का नाम	भार स्लैब	दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**पत्र**	संयुति राज्य अमेररका	क. पहले 20 ग्राम ि क	32.00
			ि. प्रत्येक अनिररति 20 ग्राम या उसके 2000 ग्राम ि क के र्ाग के ललए	22.00
		संयुति राज्य अमेररका के लसर्ाय सर्ी ि ेशों के ललए	क. पहले 20 ग्राम ि क	25.00
			ि. प्रत्येक अनिररति 20 ग्राम या उसके र्ाग के ललए 2000 ग्राम. क. प्रर्म 100 ग्राम ि क	15.00
2.	**छोटे पैकेट**	संयुति राज्य अमेररका	क. प्रर्म 100 ग्राम ि क	115.00
			ि. प्रत्येक अनिररति 100 ग्राम या उसके 2000 ग्राम ि क के र्ाग के ललए	105.00
		संयुति राज्य अमेररका के लसर्ाय सर्ी ि ेशों के ललए	क. प्रर्म 100 ग्राम ि क	80.00
			ि. प्रत्येक अनिररति 100 ग्राम या उसके 2000 ग्राम ि क के र्ाग के ललए।	70.00
3.	**मुटद्रत कागज**	संयुति राज्य अमेररका	क. पहले 20 ग्राम ि क	35.00
			ि. प्रत्येक अनिररति 20 ग्राम या उसके 2000 ग्राम ि क के र्ाग के ललए	25.00
		संयुति राज्य	क. पहले 20 ग्राम ि क	27.00

		अमेररका के लसर्ाय सर्ी िेशों के ललए	ि. प्रत्येक अनिररति 20 ग्राम या उसके 2000 ग्राम िक के र्ाग के ललए	17.00
4.	**नेत्रह नों के भलए साटहत्य संबंिी पैकेट**	सर्ी िेशों के ललए		डाक महसूल से छूट प्राप्ि
5.	**पोस्ट काडा (एकल)**	पाककस्िान, नेपाल, बांग्लािेश और र्ूटान		8.00
		एपीपीयू िेश (पाककस्िान, नेपाल, बांग्लािेश और र्ूटान के लसर्ाय)		10.00
		यूपीयू िेश (एपीपीयू िेशों के लसर्ाय)		12.00

सारणी II

जब डाक महसूल पूर्व संित्त ककया जाि ा है ि ो मुदरि सामग्री के एम बैग के सकल र्ार पर ननम्नललखिि डाक महसूल िरें लागू होंगी, अर्ावि: -

क्र. सं.	उत्पादों का नाम	देश का नाम	भार स्लैब	दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**एम बैग**	सर्ी िेशों के ललए	(क) 5 कक.ग्रा. र्न से अधिक नहीं	700
			(ि) प्रनि ककग्रा या 5 ककग्रा से अधिक 30 ककग्रा िक का र्ाग	150

सारणी III

सिही र्ायु-पररर्हन (एसएएल) मेल द्र्ारा र्ेजी जाने र्ाली डाक मिों के ललए सामान्य सिही मेल िरों के अनिररति ननम्नानुसार ि ीस प्रर्ायव होगी : -

क्र. सं.	सेतटर	प्रत्येक 20 ग्राम या उसके भाग की फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	एलशया के िेश	3.00
2.	यूरोप के िेश	4.00

3.	अफ्रीका के िेश	4.00
4.	उत्तरी अमेररका और ऑस्ट्रेललया के िेश	7.00
5.	िक्षिण अमेररका के िेश	9.00

सारणी IV

र्ायु द्र्ारा र्ेजी जाने र्ाली डाक मिों के ललए, सामान्य सिह मेल िरों से अनिररति र्ायु अधिर्ार ि ीस ननम्नानुसार प्रर्ाररि होगी, : -

क्र. सं.	सेतटर	प्रत्येक 20 ग्राम या उसके भाग की फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	एलशया के ि◌ेश	4.00
2.	यूरोप के ि◌ेश	5.00
3.	अफ्रीका के ि◌ेश	5.00
4.	उत्तरी अमेररका और ऑस्ट्रेललया के ि◌ेश	8.00
5.	ि◌क्षिण अमेररका के ि◌ेश	10.00

सारणी V

क्र. सं.	उत्पादों के नाम	देश का नाम	दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**ि◌ायु मेल डाक काडा**	पाककस्ि◌ान, नेपाल, बांगलाि◌ेश और र्◌ूटान	10.00
		अन्द्य ि◌ेश	15.00
2.	**ऐरोग्राम**	अन्द्य ि◌ेशों के ललए	20.00

सारणी VI

ि◌ायु पासाल –देशों/ि◌ेत्रों की सूची तथा डाक महसूल			
क्र. सं.	देश/ि◌ेत्र	डाक महसूल (आईएनआर में)	
		पहले 250 ग्रा.	अनतररतत 250 ग्रा. या भाग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ऑस्ट्रेललया	1005	170
2	कनाडा	1125	165
3	चीन	860	85
4	फ्रांस	1170	80
5	जमवनी	1520	85
6	ग्रेट बब्रटेन	1470	125
7	इजराइल	925	80
8	इटली	990	80
9	जापान	905	95
10	कोररया (गणराज्य)	985	80
11	मलेलशया	835	70

12	न्द्यूि्लैंड	1130	195
13	रूसी ि्डरेशन	1455	120
14	सऊिी अरब	655	60
15	लसंगापुर	825	70
16	स्पेन	1080	90
17	श्ीलंका	610	45
18	क्स्ट्िरलैंड	880	115
19	संयुति अरब अमीरािि	660	50
20	संयुति राज्य अमेररका	955	175
21	अफ़गाननस्ि्ान	1030	100
22	अल्बाननया	935	130
23	एलजीररया	855	125

24	अंगोला	885	130
25	अण्टीगुआ और बारबूडा	800	290
26	अरूबा	865	230
27	अजेनटीना	1100	255
28	आमीननया	1205	155
29	ऑक्स्ट्रया	1090	100
30	आि़रबाइजान	1075	160
31	बहामास	840	245
32	बहरीन	735	60
33	बांग्लाि्ेश	600	50
34	बारबाडोस	810	270
35	बेलारूस	1275	175
36	बेक्ल्जयम	1510	120
37	बेलीि़ि	1150	260
38	बेननन	800	170
39	र्ूटान	870	50
40	बोलीवर्या	1230	320
41	बोक्स्नया और हजेगोवर्ना	920	130
42	बोत्सर्ाना	1260	155

43	ब्राजील	1135	250
44	ब्रुनेई िारएस्सलाम	625	120
45	बुल्गाररया (गणराज्य)	815	95
46	बुककवना िासो	1005	165
47	बुस्नन्द्डी	1235	180
48	कंबोडडया	645	70
49	कैमरून	990	160
50	केप र्डव	1040	175
51	केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य	1055	150
52	चेड	850	150
53	धचली ईस्टर	1020	420
54	धचली	1210	325
55	हांगकांग	1225	90
56	मकाउ	1190	105
57	कोलंबबया	1095	290
58	कोमोरोस	835	190
59	कांगो (गणराज्य)	880	200
60	कोस्टा ररका	1220	330
61	कोटे डी आइर्र गणराज्य	1110	230
62	क्रोएलशया	740	105
63	तयूबा	930	255
64	साइप्रस	910	110
65	चेक ररपक्ब्लक	845	115
66	कोररया लोकिांबत्रक, जन गणराज्य	995	115
67	कांगो लोकिांबत्रक गणराज्य	1105	185
68	डेनमाकव	1140	115
69	क़्िबूटी	970	205
70	डोलमननका	840	245
71	डोलमननकन गणराज्य	720	270
72	इतर्ेडोर	1005	280
73	लमस्र	930	110

74	अल साल्ाडोर	810	260
75	इतर्ेटोररयल धगनी	595	135
76	इररदट्रया	870	110
77	इधर्योवपया	625	115
78	कफ़जी	975	260
79	किनलैंड	1365	110

80	फ्रेंच गुयाना	1410	235
81	फ्रेंच पोललनेलशया	1480	365
82	ग्ाडेलोप	1405	225
83	माटीननक	1405	260
84	न्द्यू कैलेडोननया	1640	385
85	री-यूननयन	1440	265
86	सेंट वपयरे और लमकेलॉन	1375	190
87	र्ालीस और फ़्युटुना	1215	370
88	गैबॉन	965	175
89	गाक्म्बया	1065	170
90	जॉक्जवया	1185	105
91	घाना	1210	170
92	एंगुइला	810	260
93	एसेन्द्शन	800	225
94	बरमूडा	1130	270
95	केमैन द्ीप	1035	285
96	फ़ॉकलैंड द्ीप (माक्ल्नास)	1045	320
97	क्जब्राल्टर	790	160
98	मोंटेसेराट	865	225
99	वपटकेनव द्ीप	1460	425
100	सेंट हेलेना	900	260
101	दट्रस्टन ि ा कुहना	825	275
102	ि ुकव और कैकोस द्ीप	780	225
103	बब्रदटश क्जवन द्ीप	815	260

104	ग्रीस	880	110
105	ग्रेनेडा	905	235
106	ग्ाटेमाला	870	295
107	धगनी	940	185
108	धगनी-बबसाऊ	1230	170
109	गुआना	960	280
110	हैि ी	850	235
111	होंडुरास गणराज्य	920	285
112	हंगरी	1100	120
113	आइसलैंड	1535	160
114	इंडोनेलशया	920	135
115	ईरान (इस्लालमक गणराज्य)	1190	80
116	इराक	645	80
117	आयरलैंड	930	135
118	जमैका	920	280
119	जॉडवन	665	85
120	कजाककस्ि ान	1185	115
121	केन्द्या	815	115
122	ककररबाि ी	935	285
123	कुर्ैि	750	65
124	ककधगव़िस्ि ान	855	145
125	लाओस जनर्ाि ी लोकिांबत्रक गणराज्य	840	130
126	लाि वर्या	745	130
127	लेबनान	820	85
128	लेसोर्ो	980	160
129	लाइबेररया	820	190
130	लीबबया राज्य	815	150
131	ललर्ुआननया	1035	130
132	लतसमबगव	1000	115
133	मेडागास्कर	1260	190

134	मलार्ी	1080	190
135	मालीर्	760	65
136	माली	1000	200
137	माल्टा	945	125
138	मॉररटाननया	1115	195
139	मॉरीशस	790	115
140	मेक्तसको	840	255
141	मोलिोर्ा	1010	115
142	मंगोललया	960	110
143	मोंटेनेग्रो	1045	130
144	मोरतको	980	170
145	मो़ाम्बक	1265	185
146	म्यांमार	655	55
147	नालमबबया	930	165
148	नाउरू	840	250
149	नेपाल	550	40
150	नीरलैंड	1020	125
151	ननकारागुआ	960	295
152	नाइजर	810	170
153	नाइजीररया	1125	165
154	नॉर्े	1570	130
155	ओमान	805	55
156	पाककस्ान	680	70
157	पनामा (गणराज्य)	745	260
158	पापुआ न्द्यू धगनी	1560	330
159	परागुआ	800	280
160	पेरू	1135	315
161	किललपींस	630	105
162	पोलैंड	1085	120
163	पुिवगाल	1275	155

164	किर	690	60
165	रोमाननया	1310	120
166	रर्ांडा	965	200
167	सेंट कक्रस्टोिर और नेवर्स	875	240
168	सेंट लूलसया	875	235
169	सेंट वर्ंसेंड एंड ि ग्रेनेडाइंस	965	245
170	समोआ	925	290
171	साओ टोम और वप्रंलसपे	790	160
172	सेनेगल	800	170
173	सबबवया	1080	150
174	सेशल्स	840	215
175	सेरा ललओन	890	185
176	स्लोर्ाककया	800	105
177	स्लोर्ेननया	835	110
178	सोलोमन द्र्ीप	865	235
179	सोमाललया	550	110
180	िक्षिण अफ़्रीका	995	160
181	सूडान	1045	190
182	सूरीनाम	760	235
183	एस्र्ि्ीनी	840	165
184	स्र्ीडन	1300	115
185	सीररयाई अरब गणराज्य	690	110
186	िजाककस्ि्ान	905	155
187	ि्ंजाननया (संयुति गणराज्य)	945	205

188	ि्ाइर्ान	1070	100
189	र्ाईलैंड	790	75
190	उत्तर मैसेडोननया	855	130
191	निमोर लेस्ि्े (लोकिांबत्रक गणराज्य)	720	120
192	टोगो	875	150
193	टोंगा (नुअिो'ओउ सदहि)	885	250

194	बत्रननिाि और टोबैगो	765	280
195	ट्यूनीलशया	1065	150
196	टकी	1200	125
197	ि्ुकवमेननस्ि्ान	815	150
198	ि्ुर्ालू	830	260
199	युगांडा	935	190
200	यूक्रेन	1440	130
201	उरुग््े	1310	280
202	उज़्बेककस्ि्ान	1585	170
203	र्ानुअि	830	250
204	र्ेदटकन	905	120
205	र्ेनेि्ुएला	830	250
206	वर्ियिनाम	695	90
207	यमन	655	110
208	जाक्म्बया	915	205
209	क़्ि्म्बाब््े	1140	220
210	कुराकाओ	1030	225
211	एस्ि्ोननया	940	130
212	ललकटेंस्टाइन	1240	370
213	बोनेयर ,लसंट यूस्टैदटयस और सबा	1000	220
214	कुक आइलैंड	1285	270
215	किललस्ि्ीन	705	70
216	लसंट माटेन	815	190
217	ि्क्षिण सूडान	780	205
218	जसी	1395	135
219	मैयट	1400	220

ताभलका VII

अंतराष्ट्र य स्पीड पोस्ट की डाक शुल्क संरचना (ईएमएस)			
क्र .	**देश/महाद्ि्ीप/उपमहाद्ि्ी**	**दस्ताि्ेज़**	**व्यापार**

सं.	प	प्रथम 250ग्राम या उसका भाग (भारतीय रुपया)	प्रत्येक अनतररतत 250ग्राम या उसके भाग के भलए (भारतीय रुपया)	प्रथम 250 ग्राम या उसका भाग	प्रत्येक अनतररतत 250ग्राम या उसके भाग के भलए
				भारतीय रुपया	भारतीय रुपया
1	अफ़गाननस्ि◌ान	1390	100	1390	100
2	अजेंटीना	1345	295	1345	295
3	ऑस्ट्रेललया	1125	230	1125	230
4	ऑक्स्ट्रया	1430	95	1430	95
5	बहरीन	1415	50	1415	50
6	बांग्लाि◌ेश	765	50	765	50
7	बारबाडोस	1330	270	1330	270
8	बेलोरूस	1450	100	1450	100
9	बेक्ल्जयम	1430	110	1430	110
10	बरमूडा	1050	215	1050	215
11	र्◌ूटान	910	70	910	70
12	बोक्स्नया और हजेगोवर्ना	1205	150	1205	150
13	बोत्सर्◌ाना	1500	130	1500	130

14	ब्राक़्◌िल	1595	230	1595	230
15	ब्रूनेई ि◌ारूस्सलाम	750	120	750	120
16	बुल्गाररया	1200	85	1200	85
17	कंबोडडया	730	65	730	65
18	कनाडा	1180	180	1180	180
19	केप र्डव	1345	230	1345	230
20	केमन द्र्◌ीपसमूह	1360	235	1360	235
21	चीन	680	115	680	115
22	तयूबा	1340	225	1340	225
23	साइप्रस	1310	110	1310	110
24	कांगो लोकिांबत्रक गणराज्य	1490	160	1490	160

25	डेनमाकव	2190	100	2190	100
26	इतर्ेडोर	1370	290	1370	290
27	लमस्र	1190	75	1190	75
28	अल साल्ाडोर	1810	315	1810	315
29	इररदट्रया	1440	110	1440	110
30	एस्िोननया	1280	130	1280	130
३१	इधर्ोवपया	1570	100	1570	100
32	किजी	980	240	980	240
33	किनलैंड	1615	90	1615	90
34	फ्रांस-फ्रेंच एंदटलीि के ललए (ग्ाडेलूप, माटीननक), रीयूननयन, कोलसवका, न्द्यूकैलेडोननया, मैयट, फ्रेंचपोललनेलशया, सेंटवपयरेएटलमकेलॉन	4140	340	4140	340
35	फ़्रांस– शेि फ़्रांस	1275	105	1275	105
36	जॉक्जवया	1425	120	1425	120
37	जमवनी	1860	80	1860	80
38	घाना	1760	140	1760	140
39	ग्रेट बब्रटेन	1965	90	1965	90
40	ग्रीस	1450	85	1450	85
41	गुयाना	1810	280	1810	280
42	हांगकांग	1230	90	1230	90
43	हंगरी	1455	90	1455	90
44	आइसलैंड	2350	125	2350	125
45	इंडोनेलशया	1200	90	1200	90
46	ईरान (इस्लालमकगणराज्य)	1445	80	1445	80
47	इराक	920	80	920	80
48	आयरलैंड	1610	120	1610	120
49	इजराइल	1690	80	1690	80
50	इटली	1530	105	1530	105

51	जापान	700	80	945	80
52	जॉडवन	1435	70	1435	70
53	कजाि स्ि ान	1650	110	1650	110
54	केन्द्या	1455	90	1455	90
55	कोररया (गणराज्य)	1685	70	1685	70
56	कुर्ै ट	1040	50	1040	50
57	लाि वर्या	1075	130	1075	130
58	ललर्ु आननया	1200	150	1200	150
59	लतसमबगव	1150	105	1150	105
60	मकाउ	1430	90	1430	90
61	मलार्ी	1175	190	1175	190
62	मलेलशया	1610	60	1610	60
63	मालीर्	1165	50	1165	50

64	मॉरीशस	1210	110	1210	110
65	मेक्तसको	1605	235	1605	235
66	मंगोललया	1170	110	1170	110
67	मोरतको	1480	180	1480	180
68	नालमबबया	1000	140	1000	140
69	नाउरू	1025	165	1025	165
70	नेपाल	670	40	670	40
71	नीि रलैंड	1375	105	1375	105
72	न्द्यूि ीलैंड	1040	270	1040	270
73	नाइजर	1180	195	1180	195
74	नाइजीररया	1310	140	1310	140
75	उत्तर मैसेडोननया	1265	150	1265	150
76	नॉर्े	2250	100	2250	100
77	ओमान	1395	40	1395	40
78	पाककस्ि ान	885	70	885	70
79	पनामा (गणराज्य)	1610	245	1610	245
80	पापुआ न्द्यू धगनी	1585	220	1585	220

81	किललपींस	1180	70	1180	70
82	पोलैंड	1205	90	1205	90
83	पुिवगाल	1115	130	1115	130
84	किर	1340	100	1340	100
85	रोमाननया	1250	80	1250	80
86	रूसी संघ	1040	120	1040	120
87	रर्ांडा	1340	100	1340	100
88	सऊिी अरब	1535	60	1535	60
89	सेनेगल	1270	160	1270	160
90	लसंगापुर	1175	65	1175	65
91	िक्षिण अफ़्रीका	1310	195	1310	195
92	स्पेन – कैनरी द्ीप	2180	120	2180	120
93	स्पेन – शेि स्पेन	1425	120	1425	120
94	श्ीलंका	790	55	790	55
95	सूडान	1450	120	1450	120
96	स्ीडन	2220	95	2220	95
97	क्स्ट्िरलैंड	1910	105	1910	105
98	िाइर्ान	810	80	810	80
99	िंजाननया	1590	100	1590	100
100	र्ाईलैंड	1095	60	1095	60
101	ट्यूनीलशया	1345	120	1345	120
102	टकी	1030	85	1030	85
103	युगांडा	1460	95	1460	95
104	यूक्रेन	1695	130	1695	130
105	संयुति अरब अमीराि	1400	40	1400	40
106	संयुति राज्य अमेररका	1820	150	1820	150
107	वर्यिनाम	800	70	800	70
108	यमन	800	110	800	110

ताभलका VIII

अंतराष्ट्र य रैतड पैकेट सेि ा (आईट पीएस) की डाक शुल्क संरचना

क्रम सं.	देश/महाद्ि◌ीप/उपमहाद्ि◌ीप	प्रथम 100 ग्राम या उसका भाग (रुपये में)	प्रत्येक अनतररतत 100 ग्राम या उसके भाग के भलए (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अरूबा	340	60
2.	ऑस्ट्रेललया	425	45
3.	बेलोरूस	325	40
4.	र्◌ूटान	350	20
5.	कनाडा	400	35
6.	कंबोडडया	355	20
7.	धचली	350	65
8.	चीन	305	20
9.	कुराकाओ	340	55
10.	डोलमननकन गणराज्य	340	55
11.	लमस्र	310	25
12.	एस्◌ोननया	340	30
13.	फ्रांस	335	30
14.	जॉक्जवया	305	20
15.	जमवनी	290	25
16.	क्जब्राल्टर	325	40
17.	ग्रेट बब्रटेन	360	25
18.	हांगकांग	290	25
19.	इंडोनेलशया	360	25
20.	जापान	360	30
21.	जसी	335	35
22.	कोररया (गणराज्य)	360	25
23.	ललर्◌ुआननया	310	25
24.	मलेलशया	355	25
25.	मंगोललया	375	35
26.	मोरतको	325	40
27.	म्यांमार	305	20

28.	नीिरलैंड	330	30
29.	न्द्यूि ीलैंड	430	55
30.	ओमान	315	15
31.	किललपींस	360	25
32.	लसंगापुर	355	25
33.	सोलोमन द्र्ीप	340	55
34.	श्ीलंका	350	20
35.	स्ालबाडव और जान मायेन	320	35
36.	र्ाईलैंड	355	20
37.	ि ुर्ालू	345	60
38.	यूक्रेन	315	25
39.	संयुति अरब अमीराि	300	15
40.	संयुति राज्य अमेररका	550	45
41.	वर्ियनाम	355	25

ताभलका IX

अंतराष्ट्र य मदों के भलए प्रनतकर	
मदों के गुम हो जाने की क्स्थनतमें संदेय प्रनतकर:--	
उत्पाद का नाम	**प्रनतकर**
रक्जस्ट्रीकृि मि	अंि वर्स्ि ु का घोवि मूल्य या 30 एसडीआर जो र्ी कम हो और र्ुगिान ककया गया डाक शुल्क।
अंि रावष्ट्रीय पासवल	40 एसडीआर प्रनि मि जमा 4.5 एसडीआर प्रनि ककलोग्राम या अंि र्वस्ि ु का घोवि मूल्य, जो र्ी कम हो, 130 एसडीआर की अधिकिम सीमा जमा संि त्त ककए गए डाक शुल्क के अध्धीन ।
अंि रावष्ट्रीय एतसप्रेस मेल सेर्ा (ईएमएस मचेंडाइज)	अंि र्वस्ि ु सामग्री के घोवि मूल्य या 130 एसडीआर (जो र्ी कम हो) जमा संि त्त डाक शुल्क ि क सीलमि।
अंि रावष्ट्रीय एतसप्रेस मेल सेर्ा (ईएमएस ि स्ि ार्ेंृि)	केर्ल संि त्त डाक शुल्क ि क सीलमि।
अंि रावष्ट्रीय ट्रैतड पैकेट सेर्ा (आईटीपीएस)	अधिकिम सीमा रु. 1000/- या ि निग्रस्ि या गुम हुई सामग्री का र्ास्ि वर्क घोवि मूल्य ,जो र्ी कम हो।
(ii) मिों की ि नि या आंलशक ि नि की क्स्नि में संि ेय प्रनिकर:--	
उत्पाद का नाम	**प्रनतकर**

रक्जस्ट्रीकृि मि	गुम हुई या िनिग्रस्ि अंिर्वस्ि के घोविि मूल्य िक सीलमि। दटप्पण 1 : ककसी र्ी मामले में, यह रालश हानन, पूणव चोरी या पूणव िनि के मामले में अंिरावष्ट्रीय रक्जस्ट्रीकृि मि के ललए उक्ल्लखिि ित्समान रकम से अधिक नहीं होगी। दटप्पण 2 : इस मामले में प्रेिक द्रारा संित्त डाक शुल्क र्ापस नहीं ककया जाएगा।
अंिरावष्ट्रीय पासवल	गुम हुई या िनिग्रस्ि अंिर्वस्ि के घोविि मूल्य िक सीलमि। दटप्पण 1: ककसी र्ी मामले में, यह रालश हानन, पूणव चोरी या पूणव िनि के मामले में अंिरावष्ट्रीय पासवल के ललए उक्ल्लखिि ित्समान रकम से अधिक नहीं होगी। दटप्पण 2: इस मामले में प्रेिक द्रारा संित्त डाक शुल्क र्ापस नहीं ककया जाएगा।
अंतराष्ट्र य एतसप्रेस मेल सेिा (ईएमएस मचेंडाइज)	गुम हुई या िनिग्रस्ि अंिर्वस्ि के घोविि मूल्य िक सीलमि। दटप्पण 1: ककसी र्ी मामले में, यह रालश हानन, पूणव चोरी या पूणव िनि के मामले में एतसप्रेस मेल सेर्ा (अंिरावष्ट्रीय स्पीड पोस्ट) माल के ललए उक्ल्लखिि ित्समान रकम से अधिक नहीं होगी। दटप्पण 2: इस मामले में प्रेिक द्रारा संित्त डाक शुल्क र्ापस नहीं ककया जाएगा।
अंिरावष्ट्रीय एतसप्रेस मेल सेर्ा (ईएमएस ि्स्ि्ार्े़ि)	केर्ल संित्त डाक शुल्क िक सीलमि।
अंिरावष्ट्रीय ट्रैतड पैकेट सेर्ा (आईटीपीएस)	रु. 1000/- िक सीलमि या िनिग्रस्ि या गुम हुई सामग्री का र्ास्िवर्क घोविि मूल्य जो र्ी कम हो

ताभलका X

वर्िेश डाक द्रारा प्राप्ि अंिरावष्ट्रीय मिों के परिान पर ननम्नललखिि िरें िब प्रर्ायव होंगी, जब डाक या हर्ाई मेल शुल्क का अधग्रम संिाय नहीं ककया गया हो या अपयावप्ि रूप से अधग्रम संिाय ककया गया हो:	
(i) जब डाक या हर्ाई मेल शुल्क का अधग्रम संिाय न ककया गया हो	पूर्व संित्त िर का िुगना
(ii)जब डाक या हर्ाई मेल शुल्क का अधग्रम संित्त अपयावप्ि रूप से ककया गया हो	कमी का िुगना
परंिु र्ास्िवर्क रूप से प्रर्ारिि डाक या हर्ाई डाक शुल्क ककसी र्ी िशा में एक रुपये से कम नहीं होगा।	

ताभलका XI

क्र .सं.	विलंब शुल्क प्रभार	
	अंतरराष्ट्र य एयर पासाल के भलए विलंब शुल्क प्रभार	
1.	वर्लंब शुल्क प्रर्ार आठर्ें दिन से आरंर् होकर, प्रेविि ी से संग्रहीि ककया जाएगा, यदि अंिरराष्ट्रीय एयर पासवलका प्रेविि ी उसके प्रर्म प्रस्ि ुनिकरण की ि ारीि या उसके आगमन की सूचना के उसे या उसके मान्द्याप्राप्ि अलर्कािव को परिान की ि ारीि के बाि साि दिनों के र्ीिर परिान लेने में वर्ि ल रहा है।	**प्रनतटदन एक रुपया (अधिकतम चौबीस रुपए और पचास पैसे के अध्यीन)**
2. वर्लंब शुल्क प्रर्ार आठर्ें दिन से आरंर् होकर, प्रेविि ी से संग्रहीि ककया जाएगा, यदि "पोस्टे रेस्टांटे" पि र्ाले ककसी अंिरराष्ट्रीय एयर पासवलका प्रेविि ी उसके प्रर्म प्रस्ि ुनिकरण की ि ारीि या उसके आगमन की सूचना के उसे या उसके मान्द्याप्राप्ि अलर्कािव को परिान की ि ारीि के बाि साि दिनों के र्ीिर परिान लेने में वर्ि ल रहा है। **तरराषर य पकट (या बग) अथिा मटदत पपर अथिा आिक अतरराषर यआिक अतरराषर य बीभमत पत अथिा बीभमत बॉतस क भलए विलब शल** **प्रनतटदन एक रुपया** **छोटा पकट अथिा क पभार**		
3.	वर्लंब शुल्क, आठर्ें दिन से शुरू होकर, परिान के समय प्राप्ि ाकिाव से संग्रहीि ककया जाएगा, यदि (क) ककसी आर्क अंिरराष्ट्रीय पैकेट (या र्ैला) या मुदरि कागज या (ि) ककसी आर्क अंिरराष्ट्रीय छोटे पैकेट या (ग) ककसी आर्क अंिरराष्ट्रीय बीमाकृि पत्र या बीमाकृि बॉतस का प्रेविि ी, इसकी पहली प्रस्ि ुनि की ि ारीि के बाि या उसके आगमन की सूचना के ललए उसे या उसके मान्द्याप्राप्ि अलर्कािव को परिान की ि ारीि से साि दिनों के र्ीिर इसका परिान लेने में वर्ि ल रहा है, और यदि इसका र्जन 500 ग्राम से अधिक है।	**दस रुपए प्रनतटदन**
4.	वर्लंब शुल्क प्रर्ार, आठर्ें दिन से आरंर् होकर, परिान के समय प्रेविि ी से संग्रहीि ककया जाएगा, यदि (क) मुदरि कागजों या आर्क अंिरराष्ट्रीय पैकेट (या र्ैले), या (ि) आर्क अंिरराष्ट्रीय छोटा पैकेट, या (ग) "पोस्टे रेस्टेंटे" पि र्ाले आर्क अंिरराष्ट्रीय बीमाकृि पत्र या बीमाकृि बॉतस का प्रेविि ी परिान के कायावलय में उसके पहुंचने की ि ारीि से साि दिनों के र्ीिर उसका परिान लेने में वर्ि ल रहा है, और यदि उसका र्जन 500 ग्राम से अधिक है,	**दस रुपए प्रनतटदन**

ताभलका XII

सीमाशुल्क ननकासी

सीमा शुल्क के माध्यम से ननकासी के ललए, सीमा शुल्क उिग्रहण करने के बाि जारी ककए जाने पर, प्रेविि ी से ननम्नललखिि ि र पर शुल्क संग्रहीि ककया जा सकेगा (क) प्रत्येक वर्ि ेश पत्र पैकेट या बीमाकृि बॉतस के ललए; ि र्ा (ि) ऐसी मुदरि सामग्री के प्रत्येक वर्ि ेश पासवल या र्ोक बैग के ललए क्जसका र्जन 500 ग्राम से अधिक है,	ि ीस रुपए ि ीस रुपए

अनुसूची IV

मूल्य ि धिात सेि ाएं

[विननयम 132(1), 133(1), 135(1), 136(1), 137,138(3), 139(2) और 144(1) देखें]

घरेलू

ताभलका I

घरेलू मदों का रक्जस्र करण	
डाक शुल्क के अनिररति, ककसी र्ी मि के **रक्जस्र करण** के ललए प्रर्ायव शुल्क	रु. /-17
अनुप्रमाखणत प्रनत प्राप्त करने का शुल्क	
रक्जस्ट्रीकरण मि के ललए प्रेविि ी द्र्ारा हस्ि ाि रिरि मूल रसीि की सत्यावपि प्रनि प्राप्ि करने के ललए शुल्क	ि ो रुपए

ताभलका II

बीमा शुल्क (घरेलू)	
डाक शुल्क और रक्जस्ट्रीकरण शुल्क के अनिररति, बीमा के ललए प्रर्ायव अनिररति शुल्क ननम्नानुसार हैं:	
(i) स्पीड पोस्ट पासवल के बीमा के ललए:	
(क) बीभमत मूल्य 200रु. तक	4 रु.
(ख) बीमाकृत मूल्य 200 रु. से अधिक	4 रु. + 200 रु. से अधिक बीलमि मूल्य का 1.50%
(ii) स्पीड पोस्ट पासवल के अनिररति अन्द्य मिों की बीमा के ललए :	
(क) जब बीमाकृत मूल्य 200/- रु. से अधिक न हो	10रु.
(ि) प्रत्येक अनिररति 100/- रु. या 200/- रु. से अधिक उसके अंश के ललए	6/-रु.

ताभलका III

पररदान के समय नकद भुगतान (सीओडी)	
प्रेविि ी से र्ूल की जाने र्ाली रालश	शुल्क की अनुसूची
6,500/ रु. ि क	र्ूल की गई रालश का% 1.6

6, 500/- रुपये से अधिक	रु. 100/- + 6,500/-रु. से अधिक रालश का 1%

ताभलका IV

पररदान का सबूत	
मिों के परिरान के प्रमाण पर संि्ेय शुल्क	डाक शुल्क एरं अन्द्य लागू शुल्क के अनिररति प्रनि मि ि्स रुपए।

ताभलका V

मेल भेजने से पहले की गनतविधियाँ			
क्रम सं.	**गनतविधि**	**दरें (रुपये में)**	
		अ-रक्जस्र कृत	**रक्जस्र कृत**
1	पररसर से संग्रहण	0.30	0.50
2	फ्रैंककंग	0.40	0.50
3	पिा ललिना	0.50	0.50
4	सील लगाना	0.20	0.20
5	ललिाि्े में डालने के ललए (ललिाि्े में डालने के ललए प्रनि ललिाि्ा)	0.20	0.20
6	ललिाि्े में डालने से पहले मोड़ने के ललए	0.10	0.20
7	ननरंि्र स्टेशनरी के ललए क्जसे काटने की आर्श्यकिा होि्ी है	0.05	0.05
8	गोंि् लगे हुए कम्प्यूटरीकृि् पिा लेबल धचपकाने के ललए	0.05	0.05
9	कम्प्यूटरीकृि् पिा लेबल धचपकाना, क्जसमें पहले से गोंि् न लगी हो	0.10	0.10
10	ललिाि्े में डालने र्ाले ऐसे कागज, क्जनका लमलान ललिाि्े पर ललि पि से ककया जाना है	0.15	0.15
11	100गाम ि्क रजन राली मिो क ललए वरशि हडललग	0.30	0.70
12	प्रत्येक अनिररति 100 ग्राम या र्ाग के ललए वर्ोंि् हैंडललंग	0.20	0.20

अंतरराष्ट्र य

ताभलका VI

अंतरााष्ट्र य मदों का रक्जस्र करण
डाक शुल्क के अनतररत, मदों के रक्जस्र करण हेतु शुल्क (विदेश डाक द्ि्ारा भेजा गया)

क्रम संख्या	मद	शुल्क
(1)	(2)	(3)
1	पत्र, पोस्ट काडव, छोटे पैकेट, मुदरि कागज, एरोग्राम	150 रु.
2	मदरि सामगी का एम बग (कजस पहल बलक बगकहा जाि◌ा र◌ा)	750 रु.

ताभलका VII

बीमा शुल्क (अंतरराष्ट्र य)		
डाक शुल्क के अनिररति, बीमा के ललए ननम्नललखिि प्रर◌ाररि ककया जाएगा:-		
(i)	जब बीलमि मूल्य 500/- रु. ि◌क का हो	210 रु.
(ii)	प्रत्येक अनिररति 500/- रु. या 500/- रु से अधिक उसके अंश के ललए	10 रु.
(ख) अंतरराष्ट्र य पासाल के भलए		
(i)	जब बीलमि मूल्य 500/- रु. ि◌क का हो	10 रु.
(ii)	प्रत्येक अनिररति 500/- रु. या 500/- रु से अधिक उसके अंश के ललए	10 रु.
(ग) एतसप्रेस मेल सेि◌ा (ईएमएस) / अंतरराष्ट्र य स्पीड पोस्ट		
(i)	जब बीलमि मूल्य 500/- रु. ि◌क का हो	10 रु.
(ii)	प्रत्येक अनिररति 100/- रु. या 200/- रु से अधिक उसके अंश के ललए	6 रु.

ताभलका VIII

पररदान शुल्क की सलाह

भूटान और नेपाल के भलए 10 रु.

अन्य बाह्य देशों के भलए 20 रु.

अनुसूची V

ि◌न प्रेषण सेि◌ाएं

[विननयम 145(3), 157(3), 158(1) और 160(2) देखें] घरेलू

ताभलका I

मनीआडार
मनीऑडवर पर प्रर◌ायव कमीशन ननम्नानुसार होगा :

प्रेिण रकम के प्रत्येक बीस रुपए या उसके अंश के ललए	1 रु.

ताभलका II

पोस्टल ऑडार		
पोस्टल ऑडवर पर प्रर्ायव कमीशन ननम्नानुसार होगा :		
कम स.	**कीमत**	**कमीशन**
(1)	10रु.के ललए	**1/-** रु.
(2)	20रु. िक	**2/- रु.**
(3)	50रु. िक	**5/-** रु.
(4)	100रु. िक	**10/-** रु.

[फा. सं. 01-02/2024-पीओ]

वर्िक कुमार िि, उप महाननिशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2024

S.O. 5440(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Post Office Regulations, 2024.

(2) They shall come in to force on the 16th day of December, 2024.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) **"accountable items"** means such items that provide a receipt at the time of booking for track and trace (stage wise electronic data on movement of item) and require the signature (in ink or digital) of the addressee, the payee, or their authorised person upon receipt of an item, to provide evidence of delivery and include items such as India Post Parcel, Speed Post, Magazine Post, International Speed Post Services (EMS), International Air Parcels, International Tracked Packets, International Registered Letter items, Money Order and items with value added services like registration, insurance and cash on delivery (COD);

(b) **"Act"** means the Post Office Act, 2023 (43 of 2023);

(c) **"addressee"** means the intended recipient or the person to whom any item is to be delivered;

(d) **"administrative instructions"** means the executive or administrative orders or instructions including guidelines issued by the Central Government or, as the case may be,

the Director General as specified under regulation 178 or regulation 179 or regulation 180, as the case may be;

(e) **"authorised person"** means a person, duly authorised by the addressee to receive the item or by a payee to receive the money on his behalf**;**

(f) **"delivery"** means the delivery of an item at the address of the addressee, or to the addressee or other person or location considered to be authorised to receive the item according to the usual manner of delivering items to the addressee;

(g) **"Director (Postal Services)"** means the Director in any administrative office of the Post Office or an officer exercising the powers of Director (Postal Services);

(h) **"in course of transmission by post"** means the period starting from receipt of an item by the post office to its delivery to the addressee or return to the sender or otherwise disposed of;

(i) **"letter box"** means a box installed in post offices or mail offices or at public places, for posting of fully prepaid letters, postcards, letter cards and book post items;

(j) **"payee"** means the person who intends to receive money through money remittance services;

(k) **"post"** means any system for collection, clearance, sorting, dispatch, conveyance, and delivery of items by the postal network;

(l) "**Postmaster"** means the Director or Chief Postmaster of general post office, or Senior Postmaster or Head Postmaster of head post office, or an officer exercising the powers of Postmaster, as the case may be, who is the head of such post office;

(m) **"redirection"** means action of assigning or directing an item to an address, other than the one to which it was initially addressed, for a specific reason;

(n) **"remitter"** means the person who remits money through money remittance services;

(o) **"rules"** means the Post Office Rules, 2024 and the expression "rule" shall mean a rule of the said rules;

(p) **"schedule"** means the schedule annexed to these regulations;

(q) **"sender"** means a person who sends any item;and

(r) "**weight"** means gross weight or volumetric weight, whichever is higher, except when stated otherwise.

(2) Words and expressions used herein but defined in the Act or the Post Office Rules, 2024, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

CHAPTER II

GENERAL

3. Business hours.- (1) The business hours in a post office, during which business is transacted with the public, shall generally be as under on normal weekdays, which are not holidays for the Post Office or the Government holidays, namely: -

Sl. No.	Work	Business Hours
(i)	For references and enquiries	During the entire working hours of the office
(ii)	Counter services including booking and posting of items, premium collection of insurance premiums	Six hours

(iii)	Money remittance- Electronic Money Order, Indian Postal Order etc.	Six hours
(iv)	Savings Bank	Six hours

(2) Branch post offices shall be kept open for a maximum period of five hours in a day.

4. (1) The Circle Head, Regional Head and Divisional Head are empowered to specify the period of each of the post offices under their jurisdiction, during which business is transacted with the public or customer and the time at which items are delivered and dispatched, keeping in view, the maximum working hours, business hours, local convenience and the arrival and departure timings of the items and working of the post office counters.

(2) The Circle Head or Regional Head may, if it is necessary or expedient to meet the requirement of the public, or in any special circumstances, specify-

(a) the business hours and the days other than the working days including Sundays and holidays, during which the post offices shall be opened for business;

(b) the kind of transactions available during such business hours; and

(c) the maximum number of items that may be tendered for booking during business hours to meet the rush of work in a post office and to ensure the equitable availability of facilities to the public.

5. **Payment of postage and other sums chargeable on items.-** (1) Postage shall generally be paid by modes mentioned in rule 9.

(2) The pre-payment of postage and other sums payable on an item shall be mandatory except otherwise mentioned in these regulations.

6.Postage on unaccountable items and unpaid items.- (1) If the postage required on unaccountable items, which have embossed postage on it, is more than the value of the stamp printed on them, the difference shall be made good by affixing additional postage stamps of the requisite value.

(2) Unpaid or insufficiently paid items are liable to be kept on hold for charging the postage due on them.

7. **Postage and chargeable sums not deemed to be prepaid.-** The postage and other sums chargeable on an item shall not be deemed to be prepaid by means of a proper stamp or franking impression or point of sale receipt if-

(a) the stamp or impression of a stamp or impression which has not been provided for use as a postage stamp or franking impression or point of sale receipt under these regulations or rules;

(b) the stamp has been obliterated, defaced, torn, cut or otherwise rendered imperfect;

(c) the stamp or franking impression or point of sale receipt has upon it, any word, letter, figure or design, printed or impressed upon it, otherwise than by the Director General before posting; or

(d**)** the stamp has been cut, or otherwise, separated from an embossed envelope, or from a postcard or wrapper:

Provided that nothing in this regulation shall prevent the perforation of postage stamps with initials, or other identifying marks, traced in minute holes:

Provided further that nothing in this regulation shall prevent the transmission of Book Now Pay Later (BNPL) items or other items as specified by administrative instructions from time to time.

8.Supply of postage stamps.- (1) The operational guidelines for supply, custody and sale of postage stamps, shall be specified by administrative instructions from time to time.

(2)No person or entity or institution or organisation or electronic platform shall sell or distribute postage stamps or deal in any other manner in postage stamps, except with the prior permission of the Director General.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-regulation (2) above or any term or condition of permission issued thereunder shall be punishable under the relevant provisions of the applicable law of the land for the time being in force.

9. Fraudulent usage of stamp.- (1) The act of usage of previously used postage stamp, fraudulently or with intent to cause loss to the Government, shall be punishable under the applicable law of the land for the time being in force.

(2) If such postage stamp is detected on an item already posted, the item shall not be delivered and dealt with in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

10. **Illegal manufacture or usage of postage stamps.-** (1) The illegal manufacturing and usage of the postage stamp such as forged, counterfeit, or fictitious postage stamps shall be punishable under the applicable law of the land for the time being in force.

(2) Reproduction of stamps shall only be allowed for illustration purposes in a philatelic publication, or in an item or section relating wholly to postage stamps that may appear in a publication or a general character, and such reproductions shall only be in such form as may be specified by administrative instructions from time to time.

11.Philately.- (1) Philately is a study and collection of stamps, postal stationery, postmarks and other philatelic materials.

(2) The operational procedures related with the philately shall be specified by administrative instructions from time to time.

12. **Philatelic materials.-** (1) Philatelic materials shall be issued by the Post Office as per administrative instructions specified from time to time.

(2) Philatelic materials include —

(a) philatelic stamps;

(b) first day covers, brochures or information sheets, special covers, maxim cards, annual packs, postal stationeries and various Philatelic publications and ancillaries;

(c) artworks, proofs, progressive sheets, printed sheets and printing plates of philatelic stamps; and

(d) postmarks, slogan dies and other artifacts used in connection with the production of philatelic stamps.

(3) The Director General shall specify by administrative instructions the philatelic material to be sold in post offices.

(4) All the activities corresponding to production and issue of philatelic materials shall be carried out as per administrative instructions issued from time to time.

13. Issuance of postage stamps.- The postage stamps shall be issued in the following types, namely:-

(a) Definitive Stamps: Definitive Stamps are postage stamps, specifically issued to meet the day-to-day postage needs and are made available for sale for a period till stocks of a particular series last, which shall be printed and reprinted in different denominations as per the requirement of the post office.

(b) Commemorative Stamps:

(i) Commemorative Stamps are postagestamps issued to commemorate an event, institution, theme and personages, which shall be printed only once, in limited numbers and are sold for a limited period, as may be specified by administrative instructions from time to time, through philatelic bureaus, philatelic counters, online channels or authorised offices.

(ii) The Commemorative Stamps may be kept as collectible items and may be used for payment of postage.

(c) Special Stamps: Special Stamps are postage stamps which are thematic like flora, fauna, architecture or art without commemorating any specific event.

(d) Joint Issue Stamps: Joint Issue Stampsare postage stamps which are issued by India and any other country on mutually agreed terms and conditions.

(e) My Stamps: My Stamps are such stamps which are issued on the basis of personalised or customised printing elements provided by the customer or proponent, subject to confirmation with administrative instructions specified from time to time.

14. (1) **Issuance of Commemorative Postage Stamp**.- Any citizen of India may tender a proposal for issue of Commemorative Postage Stamp in accordance with the administrative instructions specified from time to time.

(2) All such proposals shall be examined on the basis of the administrative instructions specified by the Central Government from time to time.

(3) Proponents for issue of a commemorative stamp relating to institutions or events or organisations are required to make a mandatory purchase of number of such stamps as specified by administrative instructions from time to time:

Provided that in exceptional and deserving cases, Central Government may relax this condition.

(4) The denominations of postage stamps shall be in consonance with domestic and international postal postage.

(5) No postage stamp shall be issued on a living personality.

(6) Stamp design and denomination shall be as approved by the Central Government.

(7) All philatelic stamps, brochures, first day covers and philatelic ancillaries shall be sold by the Post Office on the denoted value or on the value specified by administrative instructions from time to time.

15. Philatelic Advisory Committee.- (1) The Philatelic Advisory Committee shall advise on the issue of Commemorative Stamps, Special Stamps, and other allied matters related thereto.

(2) The Union Minister-in-Charge of the Ministry of Communications shall be the *ex officio* Chairperson of the Philatelic Advisory Committee and shall nominate the official and non-official members of the Committee as per the administrative instructions specified from time to time.

16.Manner of affixing postage stamps.- (1) Stamps affixed to an item must be completely adherent to the item itself and not to any part of its contents or any separate label or other device tied or attached to the item.

(2) The stamps should be affixed to the right-hand top corner of the address side.

(3) The provisions of this regulation shall apply to franking of items in toto.

17.Price of postage stamps and stationery.- (1) Postage stamps, postcards, letter card and aerogramme shall be sold for the denoted value of the stamps which they bear. (2) The

embossed envelopes and the registration envelopes shall be sold at the prices mentioned in Table VII of Schedule I.

(3) Special Rakhi Envelopes shall be sold at the prices as the Circle Head concerned may determine.

18. Standards for addressing on domestic items.- (1) An item shall not have more than one delivery address;

Provided that nothing in this sub-regulation shall prevent the delivery of an item to another address as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The address, either handwritten or machine printed, shall contain such elements and, in such order, as given below: -

Name
C/o, D/o, S/o, W/o, H/o
Mobile Number (optional)
House/ Building (including floor)/ Apartment (including floor) Street
/Road /Lane
Landmark
Area / Locality/ Sector
Village/ Town/City
Post Office
District
State
PIN code/ Postcode

(3) The address of the addressee shall be written in the centre of the front side and address of the sender shall be written on the lower left of the front side of an envelope.

(4) Address of the addressee and the sender should be started from the words “To” and “From”, respectively.

(5) Blank space of minimum 15mm shall be kept from left, bottom and right side of envelope and the address block of addressee shall have minimum gap of 40 mm from top.

(6) Stamps or Frank impressions shall be affixed in maximum area of 74 mm on the upper right corner.

(7) The address of addressee and sender should be positioned parallel to the length of the envelope.

(8) A zone of 10mm around the address block should be free from any printing or writing.

(9) Non-address information such as sender's code, serial or account numbers or other information are not to be generally included in the address of the addressee and if necessary, it should be printed above the first line but never below the last line of the address.

(10) The spacing between the address lines shall be uniform and be more than 1mm and less than 5mm.

(11) The maximum number of characters per line is 40 characters, excluding spaces between words.

(12) An accountable item tendered at a post office for transmission shall not be accepted unless they are addressed to a particular person or firm or institution.

(13) Such items addressed to a particular person or firm, care of post box and the name of the office where the post box is located shall also be accepted, provided they are addressed to persons or firms in whose names the post box stands registered;

Provided that in the office of delivery, if it is found that there is no post box in the name of the addressee, or the addressee has ceased to be a renter of a post box, the item shall be returned to the sender.

19.Mails for defence services personnel.- The following particulars shall be furnished in the address in the case of items for the personnel of the defence services, which are to be delivered through the army post offices: -

No.

Rank

Name

Unit

Such items should be addressed to Care of (C/o) 56 A.P.O. or Care of (C/o) 99 A.P.O.

20.Exemption in method of addressing of an item in certain cases.- Item(s) addressed to such authorities and with specified superscription on the envelope, tendered at a post office, shall be accepted for transmission without the name and complete address of the sender as may be specified by administrative instructions from time to time.

21. **Standards for addressing on international items.-** (1) An item shall not have more than one delivery address:

Provided that nothing in this sub-regulation shall prevent the delivery of an item to another address as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The address, either handwritten or machine printed, shall be worded in a precise, complete and legible manner to ensure the easy transmission of the item and its delivery at the country or territory of destination to the addressee.

(3) The address of the sender and the addressee must be written in roman letters and in Arabic numerals, and wherever required, the address of the addressee may also be written in the language of country or territory of destination.

(4) The name of the place of destination and the country or territory of destination shall be written in capital letters together with the correct postcode number or delivery zone number, whichever applicable.

(5) The address of the sender and addressee shall contain such elements, whichever applicable, and, in such order, as given below, unless otherwise specified: -

Name

Mobile Number (optional)

Building (door, floor, stairwell, wing, building, distinct instances)

Street (street name/number/type, primary thoroughfare, secondary thoroughfare)

PO Box

Post Office

City/town/Rural Area

Administrative Areas (region level)

Postcode

Country/Territory

(6) The address of the addressee shall be written on right of front side and address of the sender shall be written on lower left of front side on an envelope.

(7) The address of the addressee and the sender should be started from the words “To” and “From”, respectively.

(8) Blank space of minimum 15mm shall be kept from left, bottom and right side of envelope and the address block of addressee shall have minimum gap of 40 mm from top. Stamps or Frank impressions shall be affixed in maximum area of 74 mm on the upper right corner.

(9) A zone of 10mm around the address block should be free from any printing or writing.

(10) Non-address information such as sender's code, serial or account numbers or other information are not to be generally included in the address of the addressee and if necessary, it should be printed above the first line but never below the last line of the address.

(11) The spacing between the address lines shall be uniform and be more than 1mm and less than 5mm.

(12) The maximum number of characters per line is 40 characters, excluding spaces between words.

(13) An accountable item tendered at a post office for transmission shall not be accepted unless they are addressed as per regulations 18, 19 and sub-regulation (5).

22. Posting of items.- The following modes may be used for posting of items: -

(a) **Letter Boxes** – Letters, letter cards, aerogramme, postcards, airmail postcards, book post, small packets, printed papers and literature for the blind, shall be posted in the letter boxes, provided the postage chargeable is fully prepaid.

Note 1: Registered newspaper items, periodical post items and franked items shall not be posted in these letter boxes and, if posted, these shall be treated as unpaid and shall be dealt as per regulation 71.

Note 2: Accountable items shall also not be posted in the letter boxes.

Note 3: Large items, which owing to their size cannot be posted in the letter-boxes, may be received by hand at the window of the post office. However, such items shall not be deemed to be accountable items.

(b) **Post office counter** - All the accountable items shall be presented at the counter of post office for transmission by post.

(c) **Franchisee Outlet**- Items as specified by administrative instructions from time to time, may be presented through the franchisee outlet of the Post Office.

(d) **Self-Booking Kiosk**- Self-booking kiosk available at the designated post offices may be used for posting of items as may be specified by administrative instructions.

Note: The Regional Head is authorised to designate the post offices, where the service of self-booking kiosk is available.

(e) **Web or Mobile Application**- The authorised web portal or mobile application may be used for posting of items as may be specified by administrative instructions from time to time.

23.Receipt for transmission by post.- A receipt shall be given to the person who presents an accountable item for transmission by post.

24. Ownership of items.- (1) For domestic items, an item shall remain the property of the sender until it is delivered to the rightful addressee, except in the case of seizure of the item under the applicable law of the land for the time being in force.

(2) For international items, an item shall remain the property of the sender until it is delivered to the rightful addressee, except in the case of seizure of the item under any law of the land of the country or territory of origin or transit or destination.

25. Prohibition of domestic items. - (1) Subject to the provisions of these regulations, no person shall send by post, -

(a) any explosive, dangerous, filthy, noxious or deleterious substance, any sharp instrument not properly protected, or any living creature which is either noxious or likely to injure items in course of transmission by post or any officer of the Post Office; or

(b) anything likely to injure, any item during transmission by post, or any officer of the Post Office; or

(c) any ticket, proposal, advertisement or any other matter relating to a lottery, except the case where the lottery is organised or authorised by the Central Government or State Government; or

(d) any indecent, immoral or obscene printing, painting, photograph, lithograph, engraving, book or card, or any other digital media, or any other indecent, immoral, or obscene item; or

(e) any item having thereon, or on the cover thereof, any words, marks or designs of an indecent, obscene, seditious, scurrilous, threatening or grossly offensive character; or

(f) any item having thereon, or on the cover thereof, any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order; or

(g) any item having thereon, or on the cover thereof, any pictorial representation of a person who is a proclaimed offender, or who has been convicted of an offence punishable under any applicable law of the land for the time being in force; or

(h) any item having thereon, or on the cover thereof, anything written, printed, or otherwise impressed upon or attached to its address side, which, either on account of its being likely to be mistaken for stamps used for the payment of postage or by inconvenient proximity to any such stamp or by tending to prevent the easy and quick reading of the address; or

(i)narcotics and psychotropic substances, as defined by the International Narcotics Control Board, or other illicit drugs which are prohibited in the country or territory of destination, the country or territory of origin, the Central Government, State Governments, or any authorised agency; or

(j) counterfeit and pirated items; or

(k) anything which, by their nature or their packing, may expose officials or the general public to danger, or soil or damage other items, postal equipment, or third-party property; or

(l) dangerous goods, narcotics and psychotropic substances, prohibited drugs and cosmetics items, items prohibited by or under International Air Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organisation (ICAO), Department of Wildlife and the Drug and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or items prohibited by any law of the land; or

Explanation.- For the purpose of this clause, “dangerous goods" means items or substances that are capable of posing a risk to health, safety, property or environment, which include explosives, gases, flammable liquids, toxic and infectious substances, corrosives and other miscellaneous items which may cause health and safety hazards :

Providedthat battery and other items, the transmission of which, by air, is prohibited, shall be sent to the addressee through surface mode only; or

(m) live animals except otherwise permitted in these regulations; or

(n) coins, banknotes and other valuable items, except permitted through a special process:

Provided that the order shall be in consonance with Reserve Bank of India guidelines, Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 made under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), or any other applicable law of the land for the time being in force on the subject:

Provided further that currency notes, coins, or bank notes, shall invariably be transmitted as insured items; or

(o) other items, the importation or circulation of which is prohibited in the country or territory of origin or destination; or

(p) documents having the character of current and personal correspondence, with the exception of archived materials, exchanged between persons other than the sender and the addressee or persons living with them; or

(q) anything prohibited in International Postal Services by the Universal Postal Union (UPU) or any other organisation; or

(r) any other thing, prohibited by Central Government from time to time.

26. Prohibition of international items. - International items not fulfilling the conditions laid down in these regulations shall not be admitted and items sent in furtherance of a fraudulent act or with the intention of avoiding payment of the postage or other postal fee, shall not be admitted.

27. Application of regulation 25 on international items. - Regulation 25 shall apply to International items to be transmitted by post to or from any foreign country or territory, except in the following cases, namely: -

(a) such dangerous goods which may be transmitted by post between the country or territory of origin and destination that have declared their willingness to admit them either reciprocally or in one direction, provided that they comply with national and international relevant laws;

(b) live animals which shall be admitted in-

(i)letter post items other than insured items:bees, leeches and silk-worms; parasites and destroyers of noxious insects intended for the control of those insects and exchanged between officially recognised institutions; flies of the

family drosophilidae for biomedical research exchanged between officially recognised institutions;

(ii) parcels: live animals whose conveyance by post is authorised by the postal regulations or applicable laws of the countries or territories concerned.

28. **Transmission of precious metals and precious stones.-** (1) Precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these, whether manufactured or not, coins, bank notes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, travellers' cheques, except as otherwise specified, shall, in no case, be transmitted by post in an uninsured letter-post item.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), any country or territory may prohibit the enclosure of gold bullion in insured or uninsured parcels originating from or addressed to its territory or sent in transit à découvert (open transit) across its territory; to the actual value of the items so transmitted.

29. **Items for blind prohibited in certain cases.-** The items shall be prohibited from being transmitted as printed papers and literature for the blind under the following conditions, namely:-

(a) shall not bear any inscription or contain any item of correspondence;

(b) shall not contain any postage stamp or form of prepayment, whether cancelled or not, or any paper representing a monetary value, except in cases where the item contains as an enclosure, a card, envelope or wrapper, bearing the printed address of the sender of the item or his authorised person in the country or territory of posting or destination of the original item, which is prepaid for return.

30.Items transmitted in contravention of regulation 27.- (1) An item in contravention of regulation 27 shall, in no circumstances, be forwarded to their destination, delivered to the addressees, or returned to origin whichever is applicable.

(2) Where, any item referred to in sub-regulation (1) is discovered during transit, it shall be handled under the applicable law of the country or territory of transit.

(3) Where, any item referred to in sub-regulation (1) is discovered during transmission, it shall be liable to be removed and disposed of in the manner as may be specified by administrative instructions and the remainder of the items shall be forwarded to its destination, together with information about the disposal of such inadmissible item.

31. Customs control.- (1) All international outbound items tendered at the post office shall be subject to customs control and the applicable laws of the country or territory of origin and the country or territory of destination.

(2) All international inward items shall be subject to customs' control and the applicable law of the land for the time being in force.

(3) Any custom duty imposed by the customs department, along with an additional postal fee as mentioned in Table XII of Schedule III, shall be charged from the addressee at the time of delivery.

32.Post Office authorised to collect customs duty, etc.- The Post Office shall be authorised to collect from the sender or addressee of items, as the case may be, the customs duty and all other fees which may be due.

33. **Items sent in contravention of any law.-** Any item sent by post in contravention of any Act, rules, regulations, or any other law of the land for the time being in force, may be detained and disposed of in the manner as directed by the enforcement agency or authority or officer, as the case may be.

34. Disposal of intercepted items.- (1) If an official or officer of the Post Office suspects on reasonable grounds that an item in the course of its transmission —

(a) contains anything in respect of which an offence is being committed or an attempt to commit an offence is being made; or

(b) contains anything that will afford evidence of the commission of an offence; or

(c) is being sent to further the commission of an offence; or

(d) needs to be obtained and examined in the interests of defence, public safety or public order,

Such official or officer shall inform the competent authority for directions to detain the item for the purpose of examination by the concerned law enforcement authority in accordance with the provisions of the rules.

(2) If, on examination of an item under sub- regulation (1), the suspicion that gave rise to its examination—

(a) is substantiated, the item may be detained for the purposes of evidence in a criminal prosecution or destroyed or dealt with in such other manner as may be authorised in the orders of the law enforcement authorities;

(b) is not substantiated, the item shall be delivered to the person to whom it is addressed or to the authorised person.

35. **Items suspected to contain dangerous substances.-** (1) Where an item is suspected to contain any explosive, dangerous, obnoxious, deleterious or filthy substance, or anything likely to injure the mails or any officer of the Post Office, it shall be intercepted and detained at the point of transmission, where it is so detected and the officer-in-charge of the post office shall immediately inform the matter to the police authorities, post office authorities and other designated authorities, as may be applicable.

(2) Further necessary action in respect of the item, shall be taken in accordance with the directions of the authorities as referred in sub-regulation (1).

36. Restriction on disclosure.- No person may disclose any communication or information, which is obtained in the exercise of his powers or the performance of his duties in terms of these regulations, except—

(a) to any other person, who of necessity requires it for the like exercise or performance of their functions in terms of these regulations;

(b) information which is required to be disclosed in terms of any law or as evidence in any court of law.

37. Disposal of items opened.- (1) If any item opened or examined by designated postal officer under the rules is found to be an unlawful item or prohibited item, the items shall be disposed of in accordance with the directions of the designated authorities.

(2) If the item referred to in sub-regulation (1) is found not to be an unlawful or prohibited one, it shall be forwarded to its destination as if it had not been so opened or examined.

38.Notice of opening of an item. - Where an item that is found to be unlawful, is opened by a postal officer or official under section 9 of the Act, a notice shall be sent to the sender, and if not found, to the addressee.

39.No relief from liability. - The detention, opening, examination, destruction or disposal of an item under the Act or rules or these regulations shall not relieve any person from the liability for any offence against these regulations.

40. **No right to compensation**. - No person shall have any right to compensation, nor shall any liability be incurred by the Department of Posts in the Ministry of Communications or any of its officers or officials, by the reason of the detention, opening, examination, forfeiture, destruction or disposal of an item or its enclosure, under the powers conferred by the Act or rules or regulations or the applicable law of the land for the time being in force.

CHAPTER III

MANNER OF DELIVERY OF ITEMS

41. **Accountable items**.- The delivery of the accountable items shall be made-

(a) to the addressee or the authorized person in case of registered item, insured item, Cash on Delivery, Money order;

(b) to the authorised person or on the address in case of speed post item, India post parcel, etc.

42. Accountable items to be issued for delivery.- (1) An accountable item shall be issued for delivery and if it is not delivered due to any reason on its first presentation, it shall be issued once again for delivery. In case of inability to deliver after two attempts, it shall, in no case, be issued again for delivery.

(2) A notice of arrival of the accountable item, shall, however, be issued to the addressee for taking delivery of such item himself or by authorised person from the post office.

43. Addressee to sign in receipt.- (1) The addressee of an accountable item or an authorised person, shall sign in the receipt and proof of delivery, in case relating thereto, of the item, unless the outward appearance of the cover gives rise to suspicion of tampering.

(2) Where the outward appearance of the cover of the accountable item is suspected to be tempered, the item shall be opened at the post office, in the presence of the Postmaster, and to have its contents entered in an inventory, which shall be prepared in duplicate and shall be signed by the addressee.

(3) One copy of the signed inventory shall be forwarded by the post office to the sender with unsigned proof of delivery attached to it and in case, the addressee or authorised person is not known to the staff of the post office from which the item is to be delivered, the identification of the addressee or authorised person by a person known to the post office staff, or the production of evidence which will establish his identity to the satisfaction of the Postmaster, shall be necessary if so, required by the delivering post office official.

44.Letter delivery box of items other than accountable items.- (1) Items may be delivered in the post box or post bag for such addressee who has availed the facility of post box or post bag.

(2) In cases of non-availing of post box or post bag, items shall be delivered through a letter delivery box installed in the premises of the addressee.

(3) A letter delivery box with the name and address superscribed thereon and of such dimension as per the requirement of the addressee, shall be installed by the addressee on the ground floor of each of the house or buildings referred to in sub-regulation (2) in which the addressee is located and such letter delivery boxes shall be located at a convenient place which is easily accessible to the Postman or delivery person.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,the term “building” refers to construction having two storeys or more, including high-rise buildings, and are in existence or construction of which has been completed;

Provided that a single letter delivery box may be provided as a common letter box by one or more or all the addressees located in a building or same floor of the building:

Provided further that where an item required to be delivered against receipt remains undelivered due to non-availability of the addressee, an intimation relating thereto may be given through the letter delivery box or through digital communication.

(4) Every such letter delivery box shall be provided with a posting aperture located at the top and facing the front, incorporating a horizontal ledge projecting inwards from the lower edge of the posting aperture.

(5) Where such a letter delivery box is not installed, the delivery of such items shall only be effected at the post office till the time the letter delivery box is installed.

(6) Where there is a genuine difficulty in complying with the provisions of this order in a particular building, the Divisional Head, for reasons to be recorded in writing, exempt the said building from the provisions of this regulation.

(7) Items of such size that cannot be delivered in a letter delivery box, and unpaid or insufficiently paid items shall be delivered to the addressee or authorised person or on the address, through the Postman or delivery person.

(8) The delivery of the unpaid or insufficiently paid items shall be made only after collection of the postage, required to be collected.

45.Window delivery.- The addressee of an item may avail the facility of receiving items at the post office during business hours without having the facility of post box or post bag system, by giving a written request to the Postmaster without any charge and in such case, the item shall not be given to Postman for doorstep delivery.

46.Post box.- (1) A person, a firm, or other body, may avail the facility of post box at certain post offices by an application accompanied by the applicable fee as mentioned in Table IX of Schedule I, for delivery of fully prepaid items bearing the post box number, through the post box.

(2) The conditions related to the post box shall be specified by administrative instructions from time to time.

47.Post bags .- (1) A person, a firm or other body, may avail the facility of post bag at any post office by making an application accompanied by the applicable fee as mentioned in Table IX of Schedule I, for receiving and delivery of fully prepaid items bearing the post bag number, through the post bag.

(2) The conditions related to the post bag shall be as specified by administrative instructions from time to time.

48.Smart delivery box.- (1) The Circle Head is authorised to designate the post offices or other locations, where the services of the smart delivery box are available.

(2) The service shall be availed by anyone by applying to the post office along with the fee or charge as specified by administrative instructions from time to time.

(3) The smart delivery box shall be used for delivery of such items addressed to the assignee of the box as specified by administrative instructions from time to time.

49. Delivery to public officers.- (1) Items superscribed "On India Government Service", and containing in the address both the name and official designation of a public officer or does not contain the official designation, shall be delivered or redirected according to the official designation even when the person named no longer holds the appointment designated or has left the station.

(2) Items which do not bear the superscription "On India Government Service", but contain in the address both the name and official designation of a public officer, shall be delivered or redirected according to the name, whereas items which do not contain the name in the address, shall be delivered according to the official designation of the addressee.

50. Special procedure for delivering items to firms, etc.- (1) The items addressed for delivery to a firm or company, shall be delivered to the authorised person by the owner, partner, or proprietor, as the case may be.

(2) The authority letter shall be given by the owner or proprietor or partner, as the case may be, to the Postmaster of the delivery post office of the area where the office of the firm or company is situated.

51. Items addressed to deceased persons.- Items addressed to persons who are dead, shall be treated as if they were unclaimed and disposed of as per provisions of sub-regulation (2) of regulation 65.

52. Delivery of damaged item.- Where an accountable item is received in the office of delivery in a damaged condition, a notice shall be sent to the addressee requesting

him to attend the post office within seven days in the case of domestic item and fifteen days in the case of international item to take delivery and the delivery or disposal of such item shall be effected as may be specified by administrative instructions.

53.Intimation to addressee.- The intimation to the addressee shall be served by the Postman for accountable items as may be specified by administrative instructions from time to time.

54.Seeking identification of addressee, if needed.- (1) The postman or delivery person may seek the identification of the addressee or authorised person before delivering the item, in case, the addressee or the authorised person is not known to him.

(2) The delivery of accountable items containing passport, Permanent Account Number (PAN) card, driving licence, and other items, shall be delivered only after seeking the identification of the recipient in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

55. Redirection of items.- (1) The sender of an item may avail the following facility in respect of the accountable domestic item and international inward item, by paying a postal fee as mentioned in Table VI of Schedule I, without reference to the consent of the addressee, namely :-

(a) recall of the item from the post:

Provided that the item may be cancelled before it has been dispatched from the office of booking for any reason as may be specified by administrative instructions from time to time; or

(b) alteration in address or name of the addressee.

(2) The addressee of an item may avail the facility of alteration in address, free of charge in case where the original address and the substitute address are within the delivery area of the same post office; or otherwise by paying a postal fee, as mentioned in sub-regulation (1).

(3) The Post Office shall give a receipt of the applicable fees.

56. Request to avail certain facilities.- No request of the sender or addressee of an item, under regulation 57 shall be entertained if the item is out for delivery at the destination post office, or has been seized, or confiscated, or destroyed under any applicable law of the land concerned.

57. Manner of making request.- (1) A sender or addressee or authorised person may make a written request for availing the facilities mentioned in regulation 55, with reasons, accompanied by the applicable fee, to the post office:

Provided that no such request shall be entertained in case of an item addressed to a foreign country or territory unless such item is addressed to a country or territory as may be specified by administrative instructions in this regard.

(2) Postage and applicable fee, once paid, shall, in no circumstances, be refunded.

58. Post Office not liable for non-fulfilment of request.- Subject to the conditions mentioned in regulations 55 and 56, the Post Office shall not be liable for non-fulfilment of the request of the sender and shall not incur any liability by reason of delivery of any item contrary to an application made in this regard:

Provided that, in such cases, the fee charged for such a request shall be refunded.

59.Postage payable on delivery .- The Postmaster or officer in-charge, shall ensure that the following classes of items are properly charged with postage in their presence:

(a) insufficiently paid items that have been treated as fully prepaid;

(b) unpaid items that are not impressed with the postage due stamp; and

(c) items that have not been charged by the offices of dispatch with the full amount of postage due on them.

60. Postage-due stamp.- (1) The postage-due stamp shall be impressed on the items mentioned in regulation 59 and the amount shown by the impression of the postage-due stamp

of the office of dispatch shall be mentioned under the initials of the Postmaster or the officer in-charge or the authorised office or official.

(2) In the case of an item received by foreign post, postage shall not, under any circumstances, be charged by any post office other than the foreign post office through which it passes.

(3) If an unpaid item of the foreign post, which has not been impressed with the T - stamp by the office of origin and has not been taxed by the foreign post office through obvious error, is received in a post office for delivery, then such item shall be sent back to the foreign post office concerned to be properly taxed and shall be delivered on receipt back after recovery of the postage due:

Provided that items received with just printed impressions indicating the country or territory of origin and the phrase "Tax persue" meaning "charge collected", "Port paye" meaning "Postage Paid", or a similar expression in the language of the country or territory of origin, without any amount of the postage collected being indicated, shall not be taxed either by the offices of exchange or by the offices of delivery and shall be delivered as if fully prepaid.

61. Delivery of items on which customs duty is due.- Items on which customs duty to be recovered is in excess of the amount as specified by administrative instructions from time to time, shall ordinarily be delivered at the post office window and such duty may be paid either in cash or by cheque or by any other specified mode.

62.Refusal of items.- (1) The addressee of an item shall not be bound to pay the amount due on it to the post office, if he does not want to take delivery of it and in such case, the word “Refused” shall be written by the Postman across the cover.

(2) Unclaimed and refused items shall be returned, at once, direct to the offices of posting for delivery to the sender and if the sender of such items so returned to the office of posting cannot be found, the items shall then be sent to the Returned Letter Office.

(3) In respect of international item, such item shall be returned to the foreign post office for further disposal.

63.Obligation to pay sum charged.- When a person takes delivery of an item on which any sum is due to the Post Office, he shall pay the amount marked upon it.

64.Detention and disposal of undelivered items at post officeof addressee.- (1) An item shall ordinarily be kept in deposit in the post office to which it is addressed for a period of seven days after all enquiries to find the addressee have proved unsuccessful.

(2) An item, on instructions for deposit at the post office received from the addressee, shall remain in the post office to which it is addressed, for a period as may be specified by administrative instructions from time to time.

65. Undelivered items to be returned in certain cases.- (1) An undelivered item, of which the addressee-

(a) has refused, or after due notice omitted, to take delivery, or the addressee does not take delivery within the period as specified by administrative instructions from time to time; or

(b) is known to have left address without intimation to the post office as to the redirection of his correspondence; or

(c**)** is dead and there is no person to whom the item could properly be delivered,

shall not be detained in the post office to which it is addressed and shall be returned to the sender if the item bears clearly on the outside, the name and address of the sender, or otherwise sent to the Returned Letter Office concerned.

(2) The item referred to in sub-regulation (1) shall be delivered to the sender or authorised person and any proof of delivery attached thereto shall not be delivered and destroyed.

(3) In case of the item being undelivered to the sender, such item shall be sent to the Returned Letter Office (RLO) concerned.

66. Standard remarks on undelivered items.- (1) The reasons for non-delivery shall be recorded by use of the standard remarks, as specified by administrative instructions from time to time.

(2) The production of an item, having thereon the official mark of the Post Office denoting that the item has been dealt with as indicated by any of the standard remarks, as specified in sub-regulation (1) shall be proof of the fact so denoted and the person from whom the item is purported to have come, shall, until the contrary is proved, be deemed to be the sender thereof.

67. Detention and disposal of undelivered items at Returned Letter Office (RLO).-The items that remain undelivered to the address as well as the sender, shall be detained at Returned Letter Office for a period of -

(a)fifteen days when they are unaccountable; and

(b)thirty days when they are accountable.

Explanation.- For the purpose of this rule,"Returned Letter Office" means an office that deals with unclaimed and refused items, or items without addresses, or with undecipherable or incomplete addresses.

68. Procedure in case of dealing undelivered items.- (1) The undelivered items referred to in regulation 64 to 66 shall be dealt with as follows: -

(a) items without intrinsic value, such as, items containing printed or handwritten papers, shall be disposed of forthwith by selling it as waste paper or destroyed;

(b) magazines, periodicals and newspapers may, at the option of the Regional Head, be used for any public purpose;

(c) items with intrinsic value shall be disposed of through auction;

(d) postcards and letter cards on which the postage has not been prepaid shall be destroyed forthwith;

Provided that nothing in this regulation shall prevent the immediate destruction of any item deemed necessary for public good.

(2) On the expiration of the period specified in regulation 67, the item shall be disposed of, in a manner as deemed fit by the Circle Head or the Regional Head concerned, in the Returned Letter Office.

69. Period for which intimation regarding change in address remain valid.- (1) A resident can give written intimation, regarding change in his residential or official address, to the concerned post office for delivery of the items addressed to him or to his address to the new address.

(2) Such intimation shall remain valid for a period not exceeding three months.

(3) the provisions of sub-regulation (2) of regulation 55 shall *mutatis mutandis* be applicable for delivery of items.

70.Officers or officials authorised to make an official mark.- (1) The following officers or officials are authorised to make an official mark on items denoting that any postage or other sum is due in respect thereof to the Post Office and such mark shall be the proof that the sum so denoted is due; and that the item has been refused or rejected or unclaimed, or cannot for any other reason be delivered: -

(a) Postmaster of the office;

(b) concerned supervisor and officials, who have been assigned with the work of delivery of the items;

(c) Postman or the authorised delivery person.

(2) In the cases related with branch post offices, the delegation of work, as referred to in sub-regulation (1) performed by the Post Master and Postman or authorised delivery person shall be performed by the Grameen Dak Sevak Branch Postmaster and Grameen Dak Sevak performing the work of delivery of items respectively.

(3) The procedure for the purposes of these regulations shall be as specified by administrative instructions from time to time.

71. Recovery of dues in respect of unpaid and insufficiently paid domestic items.-Any item on which the postage or airmail fee thereon is not prepaid, or is insufficiently prepaid, shall, on delivery of the postal articles to the addressee or, in case of undeliverable, to the sender, be charged with the rates as mentioned in Table VIII of Schedule I.

72.Recovery of dues in respect of unpaid and insufficiently paid international items.- (1) Any inward international item on which the postage or airmail fee thereon is not prepaid or is insufficiently prepaid, shall, on delivery of the postal articles to the

addressee or, in case of undeliverable, to the sender, be charged with the rates as mentioned in Table X of Schedule III.

(2) Any outward international item on which the postage or airmail fee thereon is not prepaid or is insufficiently prepaid, shall not be forwarded to the destination but shall be delivered to the sender without any charge.

CHAPTER-IV

COMPENSATION

73. Compensation in respect of domestic items.- (1) The compensation shall be payable to the sender of the item by Department of Posts in the Ministry of Communications in event of loss of, damage to, part loss of or delay of an item, subject to the conditions mentioned in these regulations except as otherwise specified. (2) The compensation shall be given in the event of loss of, damage to, part loss of or delay of an item, unless that item-

(a) is considered to be undeliverable in the following circumstances, namely: -

(i) following a failed delivery, the addressee has not taken advantage of the opportunity under “intimation served” within the holding period; or

(ii) the address is unsafe or unsecured or if access to the delivery point has been prevented or impeded; or

(iii) the address to which the item is to be delivered is not permanently occupied by any person; or

(iv) the item is not fully and correctly addressed in a manner which includes all the elements of the address, written clearly on the front, or on a label securely attached to the front of the cover (or otherwise in a manner such that the address is clearly visible in its entirety as if it had been written on the front of

the cover); or

(v) the address is illegible; or

(vi) the health and safety of any individual may be put at risk; or

(vii) for any other reason, if found it is impracticable or unreasonable to deliver the item;

(b) has not fully met all of the conditions mentioned in these regulations;

(c) has insufficient or no postage paid for the service requested;

(d) is one that contains prohibited items or restricted items by any law of the land or under the Act or these regulations;

(e) for which the claim is submitted is undelivered due to situations outside the control, including exceptionally severe weather conditions, acts of terrorism or vandalism;

(f) is one where the loss, damage or delay is due to a latent or inherent defect or natural deterioration.

(3) The compensation payable in the event of delay in delivery, loss or damage or part damage of domestic item are as mentioned in Table V of Schedule I.

74.Compensation in respect of insured items.- There shall be payable to the sender of an insured item, compensation by Department of Posts in the Ministry of Communications not exceeding the amount for which the item has been insured, for the loss of an item or any of its contents or for any damage caused to it in the course of transmission by post, except in cases as specified by administrative instructions from time to time:

Provided that the compensation shall in no case exceed the value of the item or any of its contents lost, or the amount of the damage caused, and provided that in the case of loss, the sender shall furnish full particulars of the contents of the item and its value.

75. Complaint in respect of domestic or insured items.- (1) The sender, as well as, the addressee of an item may make a complaint-

(a) after fifteen days and within sixty days of booking the item for non-receipt of the item;

(b) within two days of receipt of the item, in case of damaged or loss in the item.

(2) No claim for compensation shall be admitted, if it is made more than sixty days after the item was posted.

76. Filing of complaint. - (1) Filing of complaint shall be in accordance with the administrative instructions specified from time to time.

(2) Complaints may be made through the modes as specified in regulation 82.

77. Items treated as lost.- (1) The maximum period after which an item may be treated as lost in the absence of final delivery status for the purpose of payment of compensation, shall be sixty days from the date of booking or thirty days from the date of receipt of the complaint, whichever is later, provided that the complaint is made within the said period .

(2) The compensation against a claim to the sender of the item, so declared as lost, shall be paid thereafter within a period of ten days.

(3) The sender or addressee may claim compensation prescribed under these regulations on submission of a valid proof of booking along with the requisition in writing.

78. Compensation in case of international items.- (1) The compensation shall be payable by Department of Posts in the Ministry of Communications in the cases involving accountable international items only subject to the conditions mentioned in these regulations, except as otherwise provided.

(2) The compensation shall be given in the event of loss of, damage to, part loss of or delay of an item, unless that item-

(a) is considered to be undeliverable in the following circumstances, namely: -

(i) following a failed delivery, the addressee has not taken advantage of the opportunity under "intimation served" within the holding period; or

(ii) the address is unsafe or unsecured or if access to the delivery point has been prevented or impeded; or

(iii) the address to which the item is to be delivered is not permanently occupied by any person; or

(iv) the item is not fully and correctly addressed in a manner which includes all the elements of the address or as per the S42 addressing standard of the Universal Postal Union, written clearly on the front or on a label securely attached to the front of the cover (or otherwise in a manner such that the address is clearly visible in its entirety as if it had been written on the front of the cover).

Explanation. - For the purposes of this clause, "S42" means an addressing standard specified by the Universal Postal Union;

(v) the address is illegible; or

(vi) the health and safety of any individual may be put at risk; or

(vii) for any other reason, if found it is impracticable or unreasonable to deliver the item;

(b) all of the conditions mentioned in these regulations are not complied with;

(c) insufficient (or no) postage has been paid for the service requested;

(d) contains prohibited items or restricted items by any law of the land for the time being in force, or under the Act or these regulations, and it is either destroyed or seized by the competent authority;

(e) an item for which claim is submitted is undelivered due to situations outside the control *(force majeure)* including exceptionally severe weather conditions, acts of terrorism or vandalism, the country or territory of destination has a right to decide whether the circumstances are beyond control as per its domestic law;

(f) where the loss, damage, or delay is due to a latent or inherent defect or natural deterioration;

(g) the item is a registered bulk bag (M Bag);

(h) disposal of the item is unable to be traced due to destruction of records in circumstances beyond control unless the liability is proved by other means;

(i) the item could not be delivered due to decision of the Customs' or the decision of any competent authority;

(j) the item is lost and when such loss or damage has been caused by the fault or negligence of the sender, or arises from the nature of the contents;

(k) the item is insured and in the case of insured items which have been fraudulently insured for a sum greater than the actual value of the contents;

(l) the item is not delivered and the sender has made no inquiry within six months for registered, International Tracked Packet Service, and parcel; and within four months for Express Mail Service from the date on which the item was posted;

(m) in the case of prisoner-of-war or civilian internee parcels;

(n) where the sender's actions may be suspected of fraudulent intent, aimed at receiving compensation, complete investigation shall be made within a period of thirty days and if the malicious intent of the sender is established as per the inquiry, then no compensation shall be paid;

(o) the item is seized under the national legislation of the country or territory of destination, as notified by the member country or territory or its designated operator;

(p) Where the national regulations of the destination country permit the designated operators of that country to deliver the registered item to a private mailbox or postbox and the addressee declares that he did not receive the item;

(q) where any item is seized by an intermediate country or territory during airline transmission, as such item was prohibited to be transmitted through air, no compensation shall be payable.

(3) The compensation payable in the event of delay in delivery, loss or damage or part damage of international item are mentioned in Table IX of Schedule III.

79. Complaint in respect of international items.- (1) The sender, as well as the addressee of an item may make a complaint-

(a) within twenty-four hours of receipt of the item, in case of damaged or partial loss or theft;

(b) in case of parcels or registered or insured items posted, within a period of six months from the day on which the item was posted;

(c) in case of Express Mail Service items posted, within a period of four months from the date on which the item was posted.

(2)No claim for compensation shall be admitted if it is made after the timelines specified in sub-rule (1).

80. No compensation to be paid in certain cases.- (1) No compensation shall be payable by Department of Posts in the Ministry of Communications under following instances, namely: -

(a) where the loss or damage has been caused by the fault or negligence of the sender, or arises from the nature of the item;

(b) where the insurance has been fraudulently made for a sum above the real value of the contents, or there has been any other fraud on the part of the sender or the addressee;

(c) where the insured item has been delivered to the addressee, or where the item is returned to the sender and the addressee or sender, as the case may be, has signed and returned the receipt therefor without protest, or in the case of an insured item, without immediately making a complaint of abstraction of or damage to the contents of the item to the administration of the office which delivered the item and proving that the abstraction or damage took place before the delivery of the letter;

(d) where the sender has not given intimation of the loss, abstraction or damage within six months following the day of posting;

(e) where the loss, abstraction or damage was due to improper or insecure packing;

(f) where there is no visible damage to the cover or seals;

(g) in cases beyond control such as tempest, shipwreck, earthquake or war;

(h) where the insured item cannot be traced in consequence of the destruction of the documents relating to it from causes beyond control, unless proof of liability of the Post Office to pay compensation in respect of the item has been furnished otherwise;

(i) where the insured item contained anything, the transmission of which by post, is prohibited;

Provided that compensation shall not be inadmissible by reason only of the fact that an insured parcel contained any correspondence;

(j) where the insured item is seized under any law for the time being in force in the country or territory of destination;

(k) when an insured letter or box or parcel is lost, or destroyed, or its contents are wholly abstracted;

(l) when by reason of damage attributable to the postal service, the addressee refuses to take delivery of an insured parcel;

(2) The sender of the letter, box or parcel for which compensation is not payable, shall be entitled to a refund of the charges and fees which have been paid, and when an error on the part of the post office gives rise to enquiry as to disposal of such letter, or parcel, to a further refund of, any fee paid on account of such enquiry; but the sender of such letter, box or parcel shall in no case be entitled to a refund of the fee paid for insurance.

(3) The Department of Posts in the Ministry of Communications shall not accept any liability to the sender or the addressee, other than that mentioned in these regulations in respect of loss of an insured inward or outward international letter post, or parcel post items or the abstraction of, or damage to, the contents thereof.

81. Period for settlement of compensation.- (1) The compensation shall be settled within the period of thirty days from the date of complaint or receipt of claim application:

Provided that in event of any delay for reasons to be recorded in writing, compensation shall be payable as specified by administrative instructions from time to time.

(2) Filing of complaint shall be in accordance with the administrative instructions specified from time to time.

(3) The sender or addressee may claim for compensation prescribed under these regulations on submission of a valid proof of booking along with the requisition, as specified by administrative instructions.

82. Complaint, how to be made.- (1) A sender or addressee may make a complaint through the following means, namely: -

(a) suggestion and complaints book (A book for recording suggestions and complaints is available at all post offices, during the working hours of the office);

(b) web portal of the Post Office;

(c) social media websites;

(d) toll free numbers for the purpose; and

(e) written complaint.

(2) The Director General may, by administrative instructions, specify the officers of the Department of Posts in the Ministry of Communications as per the pecuniary and jurisdictional remits of the compensation claimed, who shall examine and dispose of the complaints for reasons to be recorded in writing, after giving a reasonable opportunity of being heard to the complainant.

83. Liability for compensation in *force majeure* circumstances. - The Department of Posts in the Ministry of Communications shall not be liable to provide compensation in lieu of delay in delivery of products and services in *force majeure* circumstances.

84.Suspension or restriction of transmission of items. - The Circle Head or the Regional Head may, at any time, in respect of any post office within his jurisdiction, suspend the acceptance or dispatch of all or any of the classes of items or description or both of all or any of the classes of items to be accepted or dispatched.

85.Treatment and transmission of items.- (1) All items, which are not accountable, shall be treated as unaccountable items and transmitted in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The items referred to in sub-regulation (1) shall be transmitted through the mode or in a manner, as specified by administrative instructions from time to time.

86. **Treatment of counterfeit currency**.- Counterfeit currency received by the post office for any purpose shall be dealt with in the manner mentioned under the instructions and guidelines relating to the detection and impounding of counterfeit currency, issued by the Reserve Bank of India or the Ministry of Finance.

CHAPTER V

DOMESTIC ITEMS

A. LETTER POST ITEMS

87. Letters.- (1)Letter is a communication in the nature of current and personal correspondence addressed to a person transmitted by post with pre-payment of postage.

(2) Every letter shall be posted in securely closed condition.

(3) The weight of the letter shall not exceed 500 grams.

(4) Every letter for transmission by post shall conform to the following maximum and minimum dimensions, namely:-

(i) Maximum dimensions:-

In roll form –

Single dimension 800 mm

Sum of length and twice diameter 1000 mm

In other than roll form –

Single dimension

600 mm Sum of

length and breadth and thickness combined 900 mm **(ii)**

Minimum dimensions:-

In roll form –

Single dimension 100 mm

Sum of length and twice diameter

170 mm In other than

roll form –

140 mm x 90 mm with tolerance of +- 2mm.

88. Letters in other than roll form.- (1)Letter in other than roll form shall be in envelopes of the following sizes;

(a) minimum 140 x 90 mm; and

(b) maximum 458 x 324 mm;

with tolerance of +-2 mm

(2) Every envelope shall have the flap either at the top on back of the longer side or at right or left.

(3) Every envelope shall be made of paper having thickness from 0.15 mm to 0.5 mm. (4) Surface of the envelope shall be levelled with uniform surface structure.

(5) Every envelope shall be continuously closed on all sides taking care to avoid a residue of gum on the envelope itself and metal clips or staples shall not be used for closing the envelope.

(6) Every envelope shall be made of minimum 70 Grams per Square Meter.

(7) Every envelope shall be flexible enough to bend into “U shape”.

(8) Every envelope with window shall have sizes of window between 35-50 mm (breadth) and 80-125 mm (length) and the contents shall be placed in such manner that only address block which includes bar code shall be visible through window.

(9) Glassine paper of 35 Grams per Square Meter, Cellophane paper of 40 Grams per Square Meter and Polyvinyl Chloride or Biaxially Oriented Polypropylene of 15-micron thickness shall be used as window material.

(10) Distance of left edge of window from left edge of envelope shall be minimum 15 mm, distance of top edge of window shall be minimum 40 mm, and distance of bottom edge of window from bottom edge of envelope shall be minimum 15 mm.

(11) Logo and name of the sender’s company may be written on top left corner and stamps or frank impression on top right corner having gap of minimum 10 mm from address block of recipient.

(12) 15 mm shall be left for bar code printing at the bottom of envelope and 5 mm quiet space around 2D barcode or Quick Response Code shall be provided and the sender’s logo size shall not exceed 25x50 mm in size and the 2D barcode or Quick Response Code shall have minimum size 18x18 mm.

(13) The size of printed bar code or digital code along with quiet zone shall be kept minimum 60 mm in length and 10 mm in breadth in a window of envelope and shall be clearly visible.

(14)In case of infringement of the conditions mentioned in regulation 87 and sub-regulation (1) to (13) of regulation 88, the letter shall be charged with double the postage and **any postage paid on it shall be taken into account in assessing the charges.**

(15) The discount and value additions to the customers for letters may be specified by administrative instructions in accordance with the norms determined by the Director General from time to time;

(16)The rates of postage chargeable on letters shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

89.Letter cards.- Letter cards may be transmitted by post, if it conforms to the following specifications, namely:-

(a) the postage shall be prepaid in full;

(b) the weight of the letter card shall not exceed five grams;

(c)the dimensions of the letter card including its flaps when unfolded or folded shall respectively be as follows: -

Unfolded

Maximum - 300 mm by 210 mm.

Minimum - 282 mm by 182 mm;

Flaps- Letter Card shall have three flaps, one each on the left and right side not exceeding 15 mm by 100 mm and another on the top side not exceeding 15 mm by 210

mm and the flaps may not be required if the letter card can be closed by any other effective process.

Folded

Maximum - 210 mm by 100 mm

Minimum - 152 mm by 90 mm;

(d) nothing shall be attached to or enclosed in a letter card;

(e)there shall be printed on the outside at the top left-hand corner on the address side of every folded letter intended for domestic transmission the words "Letter Card"; and

(f) **l**etter card shall be made of paper of minimum 70 Grams per Square Meter.

Explanation 1.- For the purposes of this regulation, "Letter card" means a sheet of paper of the kind ordinarily used for letter writing suitably folded and gummed.

Explanation 2.- Letter cards of private manufacture shall be suitably folded and fully closed on three sides by continuous gumming, glue or any other adhesive provided the dimensions and other conditions mentioned in this regulation are complied with.

90. Conditions where infringed.- (1) In case of infringement of the conditions specified in regulation 89, the letter card shall be treated as a letter and charged on delivery with double the deficiency between the postage already paid for such letter card and the postage payable for a letter.

(2) The rates of postage chargeable on letter cards shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

91. Postcards.- (1)Postcards may be transmitted by post, if it shall conform to the following conditions, namely: -

(a) the postage shall be prepaid in full;

(b) the weight of the post card shall not exceed five grams;

(c)their dimensions shall be 140 mm x 90 mm and they shall have the legend, "Post Card" written in Hindi or English or printed on the address side;

(d) as regards substance, they shall be neither thinner nor more flexible than the post cards issued by the Post Office;

(e) no post card shall be folded, enclosed in any cover, cut or otherwise altered except that the impressed postage stamp (if any) may be perforated with initials';

(f) the right-hand of the address-side of a postcard is in all cases reserved for the address of the recipient, for the postage stamp or impression of stamping machine necessary for prepayment, which may, so far as possible, be affixed in the upper right-hand corner, and for the postal directions but the left hand half of the address-side, as well as the back, may be used by the sender for the purpose of a communication or single colour or multi colour printed advertisement and address of the sender may be written on top left-hand corner of back, or may be otherwise disposed of, subject to the restriction mentioned in sub-regulation (g):

Provided that a small space marked off by lines or minute dots to indicate the place where the postage stamp is to be affixed, shall be allowed on the upper right- hand corner of the address-side of postcards;

(g) nothing shall be attached to a post card except-

(i) stamps in payment of postage or other postal fees which shall be affixed only to the address side of the post card;

(ii) a gummed label completely adherent to the card, and bearing the name and address of the person to whom the card is sent;

(iii) a similar label not exceeding 50 mm in length and 20 mm in width bearing the name and address of the sender of the card; and

(iv)engravings, illustrations, drawings and photographs on very thin paper and completely adherent to the card.

Provided that the items specified in sub-clauses (ii) and (iii) shall be affixed either to the back or the left-hand half of the address side.

Explanation.- For the purposes of this regulation, "Post card" means an open communication on a rectangular card of prescribed size, having a stamp of the prescribed value impressed on it**.**

(2) In case of infringement of any of the conditions specified in sub-regulation (1), the postcard shall be treated as a letter and charged on delivery with double the deficiency between the postage already paid for such postcard and the postage payable for a letter subject to a minimum of one rupee, and where such amount is a part of a rupee containing paise, the amount shall be increased to one rupee.

(3) The rates of postage chargeable on postcard shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

92. Book post.- (1) Item containing book, cards, magazines, journals, publications of all kinds, paper, sheets, bills, invoices, reports, or any document of commercial, legal or personal nature in single or multiple copies, may be transmitted by post as "book post", subject to the following conditions, namely: -

(a) a book post shall not exceed 5 kilograms in weight;

(b) the dimensions of a book post shall be subject to the following maximum and minimum limits: -

(i)Maximum.

In roll form –

length 800 mm

Sum of length and twice diameter 1000 mm

In other than roll form (ii) Minimum

In roll form –

600x300x300 mm

Single dimension 100 mm

Sum of length and twice diameter 170 mm

In other than roll form 140mm x 90mm

with tolerance of +- 2 mm;

(c) book post when sent open in card form, whether folded or not shall be neither thinner nor more flexible than postcard;

(d) book post shall be consigned in an unfastened envelope of the following sizes, provided its dimensions are not less than 140x 90 mm and not more than 353 x 250 mm; with tolerance of +- 2 mm;

(e) the item shall have the inscription "Book Post" on the address side of the item; (f) a book post shall be posted without a cover, or in an unfastened envelope, or in a cover under "Book Post", which can be easily removed for the purpose of examination without breaking any seal or tearing any paper or separating any adhering surfaces and a packet posted without a cover may not be fastened or otherwise treated so as to prevent easy examination;

(g) a book post shall not contain "paper money", which for the purposes of this regulation includes unobliterated postage or other stamps, hundies, cheques, bank post bills, bills of exchange, and all orders or authorities for the payment of money:

Provided that a book post may contain one stamped and addressed envelope, post card or wrapper bearing the name and address of the sender of the packet, or some other person named thereon;

(h) any document contained in the book post item shall not be addressed to an addressee nor stem from a sender other than those of the item:

Provided that all items posted as book post shall be treated as letter post if the weight is upto 500 gms, or as parcel post if the weight is more than 500 gms.

(2) In case of infringement of any of the conditions mentioned in sub-regulation (1), the book post shall be treated as a letter and on delivery, be charged with double the postage payable on letter or India post parcel according to whichever entails lower charge (subject to the conditions prescribed for such class of items being satisfied) and a**ny postage paid on it shall be taken into account in assessing the charges.**

(3) The rates of postage chargeable on book post shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

93. Literature for blind.- (1) Papers of any kind, periodicals, and books impressed in "Braille" or other special type for the use of the blind, shall be transmitted by post as "Literature for the Blind" items, provided that they are posted in accordance with the following conditions, namely: -

(a) such items shall consist only of materials specially impressed as described above for the use of the blind, and shall not contain any communication either in writing or printed in ordinary type, except the title and table of contents of the book or periodicals, and any key to, or instructions, for the use of the special type, or any enclosure except a label for the return of the packet;

(b) such items shall bear on the outside the inscription "Literature for the Blind" and written or printed name and address of the sender;

(c) such items shall be posted either without a cover, or in a cover open at both ends, which can easily be removed for the purpose of examination;

(d) the weight of a "Literature for the Blind" item shall not exceed 7 kilograms; and

(e) the dimensions of such item shall conform to the following maximum and minimum limits: -

(i) Maximum

In roll form - Length	800 mm
Sum of length and twice diameter	1000 mm
In other than roll form	
600 x 300 x 300 mm	

(ii) Minimum

In roll form - Length	100 mm
Sum of length and twice diameter	170 mm
In other than roll form	100 x 70 mm

Explanation.- Plates bearing the characters of writing sound records for the use of the blind and discs, films, tapes and wires, on which spoken messages for the blind have been recorded when sent by, or addressed to, an officially recognised institution for the blind shall be treated as "Literature for the Blind".

(2) No postage shall be chargeable on the literature for the blind, but air mail fee shall be chargeable for transmission by air.

(3) In case of infringement of any of the conditions mentioned in sub-regulation (1), the "Literature for the Blind" item shall be charged with double the postage as payable on relevant postal item, as applicable.

94. Periodical Post.- (1) Any publication may be transmitted by post as periodical post, if it is-

(a) covered under the definition of the term "periodical" under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);

(b) brought out, printed, or published in India only;

(c) registered with the Press Registrar General of India under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023) and possesses the certificate of registration allotted by the Press Registrar of General; and

(d) comply with the provisions of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023).

Provided that a book, or a journal including a book or journal of scientific, technical and academic nature shall not be transmitted by post as periodicals.

(2) No separate postal registration shall be required for transmission of periodicals by post.

Provided that for the periodicals which are covered under the definition of newspaper and wish to avail concessional rate of postage for transmission by post, a separate postal registration or license is required to be taken by the owner or publisher (under the authority of owner).

(3) The periodical shall bear in print on any convenient place either on the first or last page thereof, the superscription "Press Registrar of General of India under No……".

(4) In case of infringement of any of the conditions specified in sub-regulation (1) and (3), the item shall be treated and charged as a book post item and **any postage paid on it shall be taken into account in assessing the charges.**

(5) The rates of postage chargeable on periodical post shall be as mentioned in Table I of Schedule I.

95.Registered newspapers.- (1) A newspaper shall be eligible for postal registration for transmission by post as registered newspaper, if it is-

(a) covered under the definition of the term "newspaper" under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);

(b) brought out, printed, or published in India only;

(c) registered with the Press Registrar General of India under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023) and possesses the certificate of registration allotted by the Press Registrar of General; and

(d) comply with the provisions of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023).

(2) The administrative and operative guidelines related to registered newspaper shall be as specified by administrative instructions from time to time.

(3) The rates of postage on registered newspaper are mentioned in Table I of Schedule I.

PARCEL POST

96. India post parcel. - (1)The Post Office shall offer India post parcel to individual and bulk customers and all parcels shall be treated as accountable items.

(2) Any item shall be treated as an India post parcel, if it complies with at least one of the following conditions, namely: -

(a) which weighs more than 500 grams; or

(b) which has minimum dimensions of:

(i) 100 mm in roll form, sum of length and twice diameter 170 mm;

(ii) 140 x 90 mm in other than roll form;

With a tolerance of ± 2 mm; and

(c) whose length does not exceed 1.5 metres and the length and girth combined does not exceed 3 meters; and

(d) whose gross weight does not exceed 35 kgs or volumetric weight as defined;

Provided that where the item is not a letter item as defined in regulation sub-regulation (1) of 87 shall be declared as "merchandise" by the customer.

(3) Any India post parcel presented at the window shall have the inscription "India Post Parcel" on it with such value additions as may be paid for, by the sender.

(4) The postage on an India post parcel shall be fully pre-paid through any of the modes of payment as mentioned in rule 9.

Note 1: Franking Impressions of such models of franking machines of vendors approved by the Director General shall be deemed to be mode of prepayment of postage on an item.

Note 2: Nothing contained in this regulation shall prevent the booking of India post parcels where the postage is collected at a later stage as permitted by the Director General.

(5) India post parcel shall ordinarily be transmitted by surface only.

(6) The value-added services, that is, addressee specific delivery, cash on delivery, insurance and proof of delivery, shall be available for India post parcel on payment of a fee specified by administrative instructions from time to time.

(7) All India post parcels shall be packaged by the sender or by the post office as specified by administrative instructions from time to time and any India post parcel not packed in conformity with specifications shall not be accepted for booking.

(8) If any India post parcel in the course of transmission through post, is found to consist of anything the transmission of which is in contravention of the provisions of the Act or the rules, it shall be detained at the post office nearest to the place at which it is detected shall be dealt in the manner as specified by administrative instructions from time to time.

(9) Every India post parcel addressed to any part of India shall be accompanied by a declaration in a form as specified by administrative instructions from time to time.

(10) All India post parcels shall be booked, transmitted and delivered in the manner as specified by administrative instructions from time to time.

(11)The rates of postage chargeable on India post parcels are mentioned in Table III of Schedule I.

97. Logistic post. - (1) The Circle Heads are authorised to specify, by administrative instructions, from time to time, the designated office and designated place where the items under "Logistics Post" may be booked at or addressed to.

(2) The operational conditions for posting, booking, transmission and delivery of items under Logistics Post, shall be, as specified by administrative instructions from time to time.

98. Speed post. - (1) Every Speed post shall contain two classes of items for transmission by post, namely: -

(a) Speed Post Document; and

(b) Speed Post Parcel.

Note: A Document may contain a letter as defined in sub-regulation (1) of regulation 87 or any other communication, written, drawn, or printed, excluding the contents of merchandise

(2)The postage of speed post document and parcel shall be as mentioned in Table IV of Schedule I.

99. Speed post document. - (1) Every speed post document shall be transmitted by air:

Provided that, speed post document may be transmitted by surface on routes where it is determined to be faster than air transmission.

(2) The weight of an item for the speed post document shall not exceed 500 grams including volumetric weight.

(3) The postage and other fees chargeable on the speed post document item, shall be charged in accordance with the volumetric weight or gross weight, whichever is higher.

(4) The size of an item for speed post document shall not exceed the dimension of 420 mm, 297 mm and 24 mm in respect of length, breadth and thickness, respectively.

(5) The pick-up facility, proof of delivery, insurance, registration and other value-added services as specified by administrative instructions from time to time, shall be available for speed post item on payment of fees specified by administrative instructions from time to time.

(6) The item posted under the speed post shall generally be address specific that is it shall be delivered at the given address, unless otherwise specified.

100. Speed post parcel.- (1) Sub-regulations (1), (2), (4), (6), (7) to (10) of regulation 96, relating to India post parcels shall apply *mutatis mutandis* to speed post parcels, except as follows: -

(a) every speed post parcel shall be transmitted by air:

Provided that speed post parcel may be transmitted by surface routes where it is determined to be faster than transmission by air:

Provided further that speed post parcel, if transmitted by surface, shall be prioritised over India post parcel at every stage of transmission; and

(b) any speed post parcel presented at the window shall have the inscription “Speed Post Parcel” on it with such value additions as may be paid for, by the sender.

OTHER POSTAL PRODUCTS

101. Direct post.- (1) Direct post shall be an un-addressed mail, comprising of un-addressed items like letters, cards, brochures, questionnaires, pamphlets, samples, promotional items, coupons, posters, mailers or any other form of printed communication that is not prohibited by the Act or these regulations.

Explanation.- For the purposes of this regulation, “mail” means printed matter usually carrying a sales message or announcement, designed to elicit a response from a carefully selected consumer or business market.

(2) These items shall be accepted in bulk in designated post office and shall not be posted in a letter box.

(3) In case of items meant for delivery in other towns, direct post items shall be accepted in Postal Index Number (PIN) Code wise bundles.

(4) The operational conditions for availing direct post, including minimum quantity of mail, shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The rates chargeable on direct post are mentioned in Table I of Schedule II.

102. Media post.- (1) Media post shall be an advertising mechanism designed to help the Central Government or State Government and corporate clients for promoting their products and services as it offers a range of advertising mediums such as postal stationery and postal premises.

(2) The advertisement shall be displayed at the area identified for advertisement in the premises of the post office.

(3) The conditions for availing media post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(4) The rates chargeable under media post are mentioned in Table II of Schedule II.

103. e-Post.- (1) e-Post provides facility to send a message to any address in India with a combination of electronic transmission and physical delivery through a network of post offices.

(2) e-Post sends messages as a soft copy through internet and at the destination, it will be delivered to the addressee in the form of hard copy as an unaccountable letter item.

(3) This facility is available for retail as well as for bulk customers:

Provided thatbulk customers shall enter into an agreement with the concerned authority of the Post Office for availing the e-Post facility.

(4) The operational conditions for sending e-Post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The fee on services to be provided under the e- Post are mentioned in Table III of Schedule II.

104. e-Payment.- (1) e-Payment provides the services of collection of bill amount or other payments for third party through post offices by entering into an agreement with the concerned authority of the Post Office.

(2) The operational conditions and fee relating to e-Payment shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

105. Retail post.- (1) Retail post shall provide the sale of departmental and third party products or services with an aim to provide convenience to the general public by making these products or services available in their vicinity through post offices.

(2) Departmental products or services shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The third party products or services shall be offered through entering into an agreement with the concerned public sector and private sector entities.

(4) The Circle Head is authorised to enter into an agreement with the concerned public sector and private sector entities on behalf of the Post Office.

(5) The charges on services to be provided under the retail post shall be such as may be specified by administrative instructions by the Post Office after taking into consideration the aspects of the service to be provided.

(6) The Operational conditions for retail post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

106. Magazine post.- (1) Any publication may be transmitted by post as 'magazine post", if it is -

(a) covered under the definition of the term "periodical" under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);

(b) brought out, printed, or published in India only;

(c) registered with the Press Registrar of General of India under the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023) and possesses the certificate of registration allotted by the Press Registrar of General;

(d) adhere with the provisions of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);

(e) have a bonafide list of at least 500 subscribers; and

(f) posted with minimum 500 copies at a time.

(2) Every magazine post shall be delivered to the address mentioned on the post as an accountable item.

(3) The facilities of cash payment, Book Now Pay Later (BNPL) and advance payment may be availed by the customer for payment of postage chargeable on the periodicals under the magazine post.

(4) The operational conditions for magazine post shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) In case of infringement of conditions mentioned in sub-regulation (1), the item posted under the magazine post shall be treated and charged as a speed post item.

(6) The rates of postage chargeable on magazine post shall be as mentioned in Table IV of Schedule II.

CHAPTER VI
INTERNATIONAL ITEMS AND SERVICES

107.International post.- (1) In the international post, letter post shall include items such as letters, postcards, aerogramme, printed papers (including books and

registered newspapers, small packets, literature for the blind, M Bag (Bulk Bag), and International Tracked Packet Service (ITPS).

(2) In the international post, "parcel post" shall include items such as international air parcel, international surface airlifted parcels (SAL) and international surface parcels.

(3) Express Mail Service (EMS) shall be the fastest service for sending documents and merchandise worldwide.

A. LETTER POST ITEMS

108. Letters (International).- (1) Letter, which may contain a communication enclosed in an envelope and addressed with a weight limit up to 2 kgs, may be transmitted to or from addressees or senders in foreign countries or territories.

(2) Letters shall conform to the following maximum and minimum dimensions, namely:-

(a) **maximum dimensions**: length, width and depth combined: 900 mm, but the greatest dimension may not exceed 600 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll

form: length plus twice the diameter: 1,040 mm, but the greatest dimension may not exceed 900 mm, with a tolerance of 2 mm;

(b) **minimum dimensions:** surface measuring not less than 90 x 140 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll form: length plus twice the diameter: 170 mm: but the greatest dimension may not be less than 100 mm.

(3) The rates of postage chargeable on letters (International) are mentioned in Table I of Schedule III.

109. Aerogramme.- (1)Aerogramme which is a priority item consisting of a sheet of paper suitably folded and gummed on all sides, shall be transmitted exclusively by air to or from addressees or senders in foreign countries or territories**.**

(2) Aerogramme shall be sold by the post offices specified by the Circle Head: Provided that privately manufactured aerogramme shall not be transmitted by post.

(3) Aerogramme shall conform to the following maximum and minimum dimensions, namely:-

(a) the maximum size of an aerogramme shall not exceed 110 X 220 mm when folded and, in that form, its length shall be equal to or greater than its width multiplied by √2 (Approximate value: 1.4);

(b) the minimum size permissible for folded aerogrammes shall be same as for letters, i.e. 90 X 140 mm.

(4) The rates of postage chargeable on aerogramme shall be mentioned in Table V of Schedule III.

110. Post card (International).- (1) Postcard is an open communication transmitted by surface, on a sheet of paper with maximum dimensions of 120 x 235 mm, with a tolerance of 2 mm, provided they are sufficiently stiff to withstand processing without difficulties; and with minimum dimensions of 90 x 140 mm, with a tolerance of 2 mm.

(2) Postcards, either issued by the Post Offices or manufactured privately shall be accepted for transmission to foreign countries or territory:

Provided that privately manufactured postcards shall be rectangular and be made of material and dimensions similar to those used for the postcards issued by the Post Office.

(3) The rates of postage chargeable on postcard (International) shall be mentioned in Table I of Schedule III.

111. Airmail postcard.- (1) Airmail postcard is a postcard which is transmitted by air.

(2) The provisions of postcard as mentioned in sub-regulation (1) and (2) of regulation 110 shall be applicable to airmail postcard.

(3) The rates of postage chargeable on airmail postcard shall be mentioned in Table V of Schedule III.

SMALL PACKET

112. Small packet.- (1) Letter post items which contain small quantities of goods such as gifts, items of saleable value, and samples of merchandise, may be transmitted by post, as small packets.

(2) Small packets shall not bear any inscriptions or contain documents in the nature of current and personal correspondence or any document exchanged between persons other than the sender and the addressee.

(3) Small packets shall conform to the following maximum and minimum dimensions and prescribed for letters, namely:-

(a) **maximum dimensions**: length, width and depth combined: 900 mm, but the greatest dimension may not exceed 600 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll

form: length plus twice the diameter: 1,040 mm, but the greatest dimension may not exceed 900 mm, with a tolerance of 2 mm;

(b) **minimum dimensions:** to have a surface measuring not less than 90 x 140 mm, with a tolerance of 2 mm; in roll form: length plus twice the diameter: 170 mm: but the greatest dimension may not be less than 100 mm

(4) Small packets shall have maximum weight upto 2 kg and minimum weight of 100 gms.

(5) The rates of postage chargeable on small packets are mentioned in Table I of Schedule III.

113. Printed papers.- (1) Letter post items which contain only newspapers, may be transmitted by post as printed papers.

(2) Several printed papers may be sent together in a single item provided that they shall not bear the names and addresses of different addressees.

(3) Printed papers shall be made up in such a way that their contents are sufficiently protected while permitting quick and easy verification.

(4) Printed papers shall have a maximum weight upto 2 kg and a minimum weight of 20 gms.

(5) The rates of postage chargeable on printed papers are mentioned in Table I of Schedule III.

114. M-Bag (Bulk bag).- (1) M-Bag (Bulk bag) are special bags containing printed papers, newspapers, periodicals, books and similar printed documentation for the same addressee at the same address marked with the inscription “M” intended for transmission to or from addresses or senders in foreign countries or territory.

(2) The maximum permissible weight of an M-bag is 30 kg.

(3) Each M-Bag should be accompanied by Form CN22 or Form CN23 prepared by the sender;

Form CN22" or "Form CN23" means the relevant forms specified in this behalf by the Universal Postal Union.

(4) Every M-Bag shall be furnished with a rectangular address label provided by the sender and providing all the information concerning the addressee and the address label shall be made of sufficiently rigid material and shall not measure more than 90mmX140mm.

(5) The postage paid for the M-Bag shall be shown on the address label of the bag and the weight limits for M-Bags shall be up to 30 kg, which is subject to the maximum acceptable weight limit specified by the country or territory of destination, whichever is lower.

(6) M-Bags may also contain other contents as under:

(a) the contents (commercial samples shipped by manufacturers and distributors, or other non-dutiable commercial items or informational materials that are not subject to resale) are as list affixed to or otherwise combined with the accompanying printed papers;

(b) the contents relate exclusively to the printed papers with which they are being mailed;

(c) the weight of each content which is in combination with printed papers does not exceed 2 kg;

(d) the addressee's address shall be shown on each packet of printed papers included in the M Bag.

(7) The rates of postage chargeable on M-Bag shall be mentioned in Table II of Schedule III.

115.Literature for blind (International).- (1) Papers of any kind (including letters), periodicals, books and plates impressed in "braille" or any other special type for the use of the blind may be transmitted as literature for the blind (blind literature).

(2) Sound records shall be admitted for transmission as literature for the blind only if these are sent by, or addressed to, an officially recognised institute for the blind and a list of such institutions in India shall be published from time to time.

(3) The maximum weight for the blind literature shall be upto 7 kg.

(4) The literature for the blind shall be exempted from postage but surface airlift or air surcharge may be availed by paying the applicable fee.

116. International tracked packet service (ITPS).- (1) The Circle Head is authorised to specify, from time to time, the offices where the item called as international tracked packet may be booked subject to the following conditions, namely: -

(a) the maximum weight of an international tracked packet shall be 2 kg, provided that the said limit may be amended from time to time;

(b) the sum of the length, width and depth shall not exceed 90 cm and the largest dimension shall not exceed 60 cm.

(2) An international tracked packet shall be booked, transmitted and delivered in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The discount and value additions to the customers for international tracked packet shall be provided in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(4) The postage for International Tracked Packet shall be as mentioned in Table VIII of Schedule III.

B. PARCEL POST ITEMS

117. International air parcel.- (1) International air parcel provides economical and faster mode of transmission of documents and merchandise to all the Universal Postal Union member countries with track and trace facility.

(2) International air parcel may be booked in the post offices as may be specified by administrative instructions from time to time, subject to the following conditions, namely: -

(a) the maximum gross weight of an international air parcel shall be 20 kg, subject to the maximum acceptable weight limit specified by the country or territory of destination, whichever is lower or as amended from time to time;

(b) the maximum dimension shall not exceed 1.5 metre or 3 meters for the sum of the length and the greatest circumference measured in a direction other than that of length.

(3) No international air parcel shall be smaller than the minimum size prescribed for letters i.e. 90 mm X 140 mm.

(4) An international air parcel shall be booked, transmitted, and delivered in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The postage of international air parcel shall be as mentioned in Table VI of Schedule III.

C. INTERNATIONAL SPEED POST SERVICES (EMS)

118.International speed post.- (1) International speed post, globally known as Express Mail Service (EMS), is a postal express service for transmission of documents and merchandise, and shall be the best possible quickest postal service by physical means.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation:-

(a) "documents" includes documents of any kind containing information or data in alphabetical, numerical or technical form, which are not dutiable or saleable; and

(b) "merchandise" includes any article or thing, other than documents transmissible by post, the insurance of which is not compulsory.

(2) International speed post items (EMS) may be booked from all the post offices across the country.

(3) International Speed Post (EMS) may be availed subject to the following conditions, namely:-

(a) the maximum gross weight of an international speed post shall be 35 Kg, which is subject to the maximum acceptable weight limit prescribed by the country or territory of destination, whichever is lower or as amended from time to time;

Provided that the higher limit of weight of an international speed post service addressed to or from any other country or territory may be such as may be specified by administrative instructions;

(b) the size of an item for international speed post service shall not exceed 1.5 meter for any one dimension and 3 meters for the sum of the length and the greatest circumference measured in a direction other than the length;

(c) discount and value additions to the customers for international speed post shall be provided as may be specified by administrative instructions from time to time;

(d) an international speed post (EMS) shall be booked, transmitted and delivered in the manner as may be specified by administrative instructions from time to time;

(e) precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these whether manufactured or not, coins, bank notes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, travellers' cheques, shall be transmitted by insured Express Mail Service, and the value of such insurance shall not exceed ₹1,00,000;

Provided that the higher value of insurance may be specified in respect of any such item.

(4) The postage of international speed post services shall be as mentioned in Table VII of Schedule III.

D. COMMON REGULATIONS RELATED WITH INTERNATIONAL MAILS

119.Booking: (1) The postage payable for international items are as mentioned in Schedule III.

(2) The postage, special fee and air surcharges may be refunded to the sender in the event of suspension of services.

120.Electronic advance data (EAD).– (1)Items containing goods may be subject to specific import customs and security based requirements for providing electronic advance data at the country or territory of destination.

(2) The exchange of electronic advance data may be additionally governed by bilateral or multilateral agreements or protocols regarding the protection of personal data and other technical aspects relating to data exchanges.

(3) Each item for which electronic advance data is provided shall be accompanied by the appropriate customs declaration

Form CN22 or Form CN23:-

(a) CN 22- if the declared value of the international items less than or equal to 300 Special Drawing Rights (SDR);

(b) CN 23-If the declared value of the international items is greater than 300 Special Drawing Rights (SDR), a CN 23 shall also be provided.

Form CN22" or "Form CN23" means the relevant forms specified in this behalf by the Universal Postal Union.

(4) The sender of international mail is required to provide Know Your Customer (KYC) documents or electronic Know Your Customer (eKYC) documents for the booking of international mail containing merchandise.

(5) The electronic advance data necessary to meet the requirements under this regulation shall, in all cases, replicate data documented on the appropriate Universal Postal Union customs declaration form.

(6) Letters, postcards, printed papers (other than books) or letter-post items containing correspondence or items for the blind, which are not subject to customs duties, shall be exempted from electronic advance data requirements.

(7) Electronic advance data adoption requires mandatory submission of the following data elements, known as the 7+1 dataset to comply with required regulatory and security requirements:

(a) Consignor name

(b) Consignor address

(c) Consignee name

(d) Consignee address

(e) Number of packages

(f) Total gross weight (including measure unit qualifier)

(g) Brief merchandise or cargo description

(h) Identifier

121. Packaging.- (1) All items shall be made up securely and in such a way that there is no risk of other items getting trapped in the item and the packaging shall adapt to the shape, nature of the item and the condition of transport.

(2) Every item shall be made up in such a way as not to affect the health of officials and so as not to present any danger, if it contains items of a kind likely to injure the officials called upon to handle it or soil or damage other items or postal equipments.

(3) The detailed conditions of packaging for international items including value added services, shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

122.Delivery in country or territory of destination. - (1)Items shall be delivered in the country or territory of destination in accordance with their relevant laws or internal regulations.

(2) The Post Office shall not be responsible for the manner in which an item is delivered or returned undelivered, if it is done in accordance with the relevant laws or internal regulations of the country or territory of destination.

(3) The period of detention of undeliverable items shall also be governed by the relevant laws or internal regulations of the country or territory of destination.

E. OTHER FEATURES OF INTERNATIONAL MAIL ITEMS

123. Other features. - Any outward accountable item shall be presented to the post office and a receipt shall be given to the person who presents such item.

124. Track and trace service. - For every accountable international item, electronic exchange of data is available at item level, receptacle level and airlines level to facilitate transparency in the movement of items and receptacles, however, for registered letter items, this service is not available for some of the destination as per the internal regulations of destination.

125. Inward international mails. - (1) The conditions for transmission of items by post shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

Provided that the regulations relating to domestic registered newspapers shall be deemed to apply in the case of newspapers sent to any foreign country or territory.

(2) Any inward accountable item shall not be delivered to the addressee unless and until an authorised person has signed a receipt for it.

126. Failure to take delivery. -(1) If the addressee of an international air parcel fails to take delivery of it within seven days, following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to the authorised person of an intimation of its arrival, a demurrage charges, commencing from the eighth day, shall be collected from the addressee at the time of delivery:

Provided that in the case of an international air parcel, bearing an alternate address, if the parcel cannot be delivered at the original address, the demurrage charge due from the first addressee shall also be collected from the second addressee at the time of delivery.

(2) If the addressee of-

(a) an inward international packet (or bag) or printed papers;

(b) an inward International small packet; or

(c) an inward International insured letter or insured box

fails to take delivery of it within seven days following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his authorised person of an intimation of its arrival, and if its weighs more than 500 grams, a demurrage charge commencing from the eighth day, shall be collected from the addressee at the time of delivery.

(3) The demurrage charges as referred in sub-regulations (1) and (2), shall be as mentioned in the Table XI of Schedule III.

127. Failure to take delivery of Post Restante parcel. - (1) If the addressee of an international air parcel addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days following the date of its arrival in the office of delivery, a demurrage charge, commencing from the eighth day, shall be collected from the addressee at the time of delivery.

(2) If the addressee of –

(a) an inward international packet (or bag) of printed papers; or

(b) an inward International small packet; or

(c) an inward International insured letter or insured box,

addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days following the date of its arrival in the office of delivery, and if it weighs more than 500 grams, commencing from the eighth day shall be collected from the addressee at the time of delivery.

(3) The demurrage charges as referred in sub-regulations (1) and (2), shall be as mentioned in the Table XI of Schedule III.

CHAPTER VII
UNIVERSAL POSTAL SERVICE

128. Mail services under Universal Postal Service. - The Post Office shall offer the following products of mails services under the Universal Postal Services, namely: - **(a) Domestic**

(i) Letters

(ii) Letter card

(iii) Book Post
(iv) Periodical Post
(v) Registered Newspaper
(vi) Literature for Blind
(vii) India Post Parcel
(viii) Post Card

(b) International

(i) Letters
(ii) Aerogramme
(iii) Post Card
(iv) Airmail Post Card
(v) Small Packet
(vi) Printed Papers
(vii) Literature for Blind
(viii) International Air Parcel

CHAPTER VIII

OFFICIAL CORRESPONDENCE

129. On postal service. - Items of any class on the service of the Post Office by officers of the Post Office, Posts Audit Officers and such other officers, as may be authorised in this behalf, shall be transmitted free of postage and all other postal fees.

130. (1) The following items may be insured "On Postal Service", namely: -

(a) items having intrinsic value;

(b) important documents such as service book, Annual Performance Assessment Report (APAR) file, Official files, etc.;

(c) documents related to investigation, vigilance cases, examination etc.; and

(d) other important documents deemed fit to be sent as Insured Items.

(2) The following items shall be registered "On Postal Service", namely: -

(a) important official documents- Annual Performance Assessment Report (APAR), etc.;

(b) items required to be sent through registered post such as charge sheets, etc.; and

(c) other important documents deemed fit to be sent as registered items.

(3) "On Postal service" shall not be available for items posted under speed post.

131. **Postal ballot or election material. -** (1) The election material tendered by the Election Commission of India or the State Election Commission shall be booked, transmitted and delivered in accordance with the procedure as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The provisions of sub-regulation (1) shall be equally applicable to postal ballots.

(3)Every item referred to in sub-regulations (1) and (2) shall be deemed to be an official item for the purposes of this regulation and given priority accordingly.

CHAPTER IX

VALUE ADDED SERVICES

A. DOMESTIC ITEMS

132. Registration of domestic items. - (1) The items, as may be specified by administrative instructions, may be tendered for registration, on payment of a fee as mentioned in Table I of Schedule IV:

Provided that no fee shall be charged for the registration of blind literature item.

(2) The item, which is registered under this regulation, shall be addressee specific, and booked against a receipt, which shall be delivered to the addressee or an authorised person against a signed receipt.

(3) No such item shall be accepted for registration, where the item is insured or is intended to be insured for any specific sum.

133. Insurance of domestic items. - (1) Any accountable item, shall be insured for the value not exceeding one lakh rupees at identified booking centres or post offices and on payment of such fee as mentioned in Table II of Schedule IV.

(2) Where currency or bank notes are dispatched by insured post, the value shall not exceed twenty thousand rupees.

Provided that in no case such value shall exceed the real value of the contents of the item insured:

Provided further that items containing precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these in conformity with the definitions in the applicable law of the land for the time being in force or other valuable contents, shall be insured and for the actual value of the contents.

(3) Insurance service may also be provided by the Post Office through a third-party insurance provider as may be specified by administrative instructions.

(4)The sender shall declare on the item, the actual value of the contents at the time of booking of the item.

(5)Items to which the insurance system is applicable shall be those which contain bank notes, currency notes, bonds, coupons, securities, parcels containing valuables, and other documents of the kind.

(6) Documents of value such as deeds, plans, contracts, autographs, rare manuscripts, may also be sent by insured post, provided that where documents have value by reason of the cost of their preparation, the insured value may not exceed the cost of replacing them in case of loss limited to the maximum limit of Post Office.

(7) Insurance shall cover all risks, except acts of God, or occurrences such as war, riots, civil commotions, arrest or restrained or seizure under legal process, order, restriction or any prohibition imposed by the Central Government, in the course of transmission by post.

(8) The sender of an insured item under this regulation shall be entitled to obtain free of charge a proof of delivery of its delivery signed by the addressee or authorised person:

Provided further that in case, if the proof of delivery does not reach the sender of the registered item, then a certificate of delivery shall be issued by Post Master or officer-in-charge of the delivery post office, on demand of the customer and shall be given to the sender in electronic form.

(9) Items containing any of the following items may not be insured against damage, but they may be insured against loss only, on payment of fees on the same scale as those for insurance of other items against loss or damage, that is to say, liquids and substances which easily liquefy, perishable items and fragile items, such as, china glassware, millinery, gramophone records, etc.

(10) The sender of an item may waive his claim to compensation in favour of the addressee.

(11) The detailed conditions of packaging for insured items shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

(12) Compensation in respect of insured items shall be payable as mentioned in regulation 74.

134. Airmail service. - Items intended to be posted for transmission by air, shall be charged an airmail fee, in addition to the postage and other fee payable under the regulations, as mentioned in Table II of Schedule I.

135.Cash on delivery (COD) items. - (1) Cash on delivery shall be made available by the Post Office for a fee as mentioned in Table III of Schedule IV, where an amount is to be recovered from addressee on delivery of such item and shall be remitted to the sender in the manner as may be specified by administrative instructions.

(2) Cash on delivery may be availed for items, subject to the following conditions, namely: -

(a) retail customers and customers shall sign an agreement with the concerned authority of the Post Office;

(b) the amount specified for recovery from addressee shall be as may be specified by administrative instructions from time to time;

(c) such items do not contain any prohibited items; and

(d) insurance of Cash on Delivery items may be availed by sender.

136. Proof of delivery. - (1) The sender of any domestic accountable item may request for a proof of delivery, which shall be provided to him or her on delivery of the item on payment of fees as mentioned in Table IV of Schedule IV in addition to the postage or fees for any other value-added service.

(2) The proof of delivery, shall be signed in ink by the addressee or an authorised person, or if the addressee refuses to so sign, shall be accompanied by statement to the effect that the addressee or his duly authorised person has refused to so sign:

Provided that the Director General may specify by administrative instructions other means of recording proof of delivery and sharing the same with the sender.

(3) In case of a physical proof of delivery, the same shall be processed as an accountable item.

(4) The sender may obtain an attested copy of the original receipt on payment of prescribed fee, in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time:

Provided that no such fee shall be charged on blind literature item.

137. Services relating to pre-mailing activities. - Everypost office shall provide pre-mailing activities, which may include printing, collection, addressing and franking on various items as may be specified by administrative instructions from time to time and at the rates mentioned in Table V of Schedule IV.

B. INTERNATIONAL ITEMS

138. Registration of international items. - (1) Letters, post cards, small packets, printed papers, aerogrammes, literature for the blind and M-Bag may be registered at any post office for transmission to countries or territories and places served by the Post Office, subject to such exceptions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) Provisions relating to the registration of domestic items, shall be equally applicable to registered items sent or received by the foreign post.

(3) In addition to the postage, a fee shall be charged for the registration of the international items as mentioned in Table VI of Schedule IV:

Provided that no fees shall be payable for the registration of a blind literature packet.

139. Insurance of International items. - (1) International letter post, parcel post and express mail service items may be insured at any post office:

Provided that letter post item tendered for insurance, not required to be registered.

(2) The fee for insurance shall be as mentioned in Table VII of Schedule IV.

(3) Insurance service may also be provided by the Post Office through a third-party insurance provider as may be specified by administrative instructions.

140. International items with precious metals.- (1) An item containing precious metals (including gold, silver, platinum or other precious metals), precious stones (including diamond or other precious stones), jewellery or any combination of these, whether manufactured or not, coins, bank notes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, travellers' cheques, except as otherwise specified by administrative instructions, shall not be accepted for transmission by post, unless the sender also agrees to insure it at the actual value of the content, as specified by administrative instructions.

(2) Where an international insured letter post, parcel post, or express mail service item containing objects as mentioned in sub-regulation (1), is addressed to a country or territory where insurance is not available, such items shall be insured for its domestic transit within the limits of India for the actual value of the content.

(3) If an uninsured international item, declared to contain or manifestly containing any of the objects of the value specified in sub-regulation (1), is received from a foreign country or territory, the parcel shall be forwarded to the destination and delivered to the addressee subject to the payment of a fee for insurance on the declared value of the contents, or on the value assessed by the customs authorities, whichever is higher:

Provided that such item is refused by the addressee, it shall be returned to the country or territory of origin.

141. Redirected or returned international item. -Where an insured international parcel, which has been redirected or returned as undeliverable, is received in India subject to a fresh insurance fee by reason of its having been so redirected or returned, such fee shall be recoverable on delivery, as if it were postage due.

142.Compensation payable.- (1) When an international letter post or parcel post, has been posted in and insured by the post office and when such letter or parcel has been lost, or the contents thereof have abstracted or damaged in the course of transmission by post, compensation not exceeding the amount for which such letter or parcel has been insured, shall be payable to the sender except in the case of a parcel in respect

of which the administration of the country or territory of destination decides to pay compensation to the addressee under the same:

Provided that no compensation shall be paid in respect of letter post, parcel post or express mail service item sent by or addressed to -

(a) a prisoner of war, either directly or through a National Information Bureau or Central Information Agency referred to in Geneva Convention of the 12th August, 1949, relating to the treatment of prisoners of war;

(b) a belligerent, received and interned in a neutral country;

(c) a civilian internee, as defined in the Geneva Convention of the 12th August, 1949, relating to the protection of civilian persons in time of war, either directly or through a National Information Bureau or in Central Information Agency referred to in that Convention; and

(d) a National Information Bureau or a Central Information Agency regarding prisoners of war.

(2) Whenever an addressee has made reservations at the time of taking delivery of letter post, parcel post or express mail service items , the contents of which have been abstracted or damaged, or has, after taking delivery thereof, immediately made a complaint of abstraction or damage to the administration of the office of delivery and proved that the abstraction or damage did not take place after the delivery, the compensation payable shall be payable to the sender and no claim for the payment of compensation to the addressee shall be entertained.

(3) When a letter post, parcel post or an express mail service item insured by a foreign administration is lost, or the contents thereof are abstracted or damaged, compensation shall be payable by the Indian Post Office to the addressee up to an amount not exceeding that for which it has been insured, if he claims such compensation after having made reservation in taking delivery and if he furnished proof that the sender has waived his rights to such compensation in favour of the addressee.

(4) The compensation payable, in no case, exceeds actual value of the item, insured value, or amount of loss occasioned by the abstraction of, or damage to, the contents of the item, whichever is lower and any resultant loss of profits or other indirect loss shall not be taken into consideration in the assessment of such compensation.

143. Surface airlift and air surcharge. – (1) Letters, small packets, printed paper, literature for the blind, post card, and M-bag may be accepted at any post office for transmission-

(a) by surface airlifted, subject to such exceptions as may be specified by administrative instructions, on payment of fee for surface airliftas mentioned in Table III of Schedule III;

(b) by air, subject to such exceptions as may be specified by administrative instructions, on payment of fee for air surcharge as mentioned in Table IV of Schedule III.

(2) The fee specified in sub-regulation (1) shall be chargeable in addition to the postage and other applicable fee or charges.

144. Advice of delivery. - (1) The sender of a registered letter-post item, international air parcel, insured item, or express mail service item posted in India and addressed to any country or territory shall be entitled to apply for advice of delivery in the

form CN 07at the time of posting by paying a fee, in addition to the postage and other fee, at the rates as mentioned in Table VIII of Schedule IV. Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, "Form CN07" means the relevant forms specified in this behalf by the Universal Postal Union.

(2) When the sender enquires about an advice of delivery of an item which is not received within the normal period, as may be specified by administrative instructions from time to time, no fee shall be collected for inquiries and requests for information.

(3) When the sender of such item posted in India and addressed to any country or territory who is a member of Universal Postal Union, has not paid the fee for advice of delivery and desires to have an enquiry made by the Post Office regarding the disposal of item, he shall be entitled to this service without any charge.

(4) The advice of delivery of the items referred to in this regulation shall be returned to the sender by the quickest means which includes electronic exchange of advices of delivery.

CHAPTER X

MONEY REMITTANCE SERVICES

A. DOMESTIC

145. Domestic money order. - (1) Money order (MO) shall be an order issued by the Post Office for the payment of a sum of money to the person in whose name the money order is sent, by the remitter.

(2) The maximum amount for which a single money order may be issued shall not exceed ten thousand rupees and shall not include a fraction of a rupee:

Provided that total amount remitted through retail money order to a person in a month shall not exceed twenty-five thousand rupees.

(3) A commission payable on the issue of money order shall be charged at the rate as mentioned in Table I of Schedule V.

(4) The remittance of money through money order shall be made free of charge without payment of commission thereof for transmission of amount of contribution to the Prime Minister's Relief Fund, PM CARES Fund (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund) or Chief Minister's Relief Fund, or any other such fund as may be notified from time to time.

(5) Nothing in sub regulation (3) shall prevent transmission of service money order free of charge as may be specified by administrative instructions from time to time.

146.Period of currency of money order. - The currency period of the money order shall expire upon the end of the last day of the second month following the month of issue.

147.Categories of money order.- The money order shall be booked under the following categories, namely: -

(a) retail money order under which money shall be remitted from a person to another person within the country;

(b) bulk money order under which money shall be remitted in the following cases: -

(i) where money is remitted by one person to many persons; or

(ii) where money is remitted from many persons to one person; and

(c) service money order under which money shall be remitted for departmental or official purposes.

148. Booking of money order.- (1) The money order form as specified by administrative instructions, duly filled in by the remitter, together with the amount of the money order and the

commission payable and in case of money order referred to in of clause(b) of regulation 147 along with a valid identification proof, may be submitted by the remitter for availing the money order service.

(2) A receipt shall be given to the remitter for the amount paid by him on account of the money order and the commission thereof.

149. The remitter of a money order shall be entitled to obtain, free of charge,-

(a) an electronic intimation of the payment of the amount of the order in shape of short messaging service or any other digital mode; and

(b) a certificate of payment on the request of the remitter, subject to such request being made within three months from the date of booking.

150. Payment of money order. - (1) The payment of a money order shall ordinarily be made at the address of the payee -

(a) to the payee; or

(b) to any person authorised by the payee.

(2) If the payee of a money order is a minor or illiterate, or his physical or mental condition is such rendering him incapable of providing acquittance of having received the money, then the identity of the payee for the payment shall be verified in such manner as may be specified by administrative instructions by the Director General from time to time.

151. **Redirection of money order. -** (1) A money order may be redirected to another address of payee, free of charge, if the payee makes a request, as specified by administrative instructions along with the proof of identity.

(2) No alteration in the name of payee shall be permitted in the money order.

(3) A money order may be stopped and returned to the remitter, free of charge, if the remitter makes a request, as may be specified by administrative instructions, until the delivery post office issues it to the postman for the delivery, and in such a case, the amount of the money order, excluding the commission thereof, shall be refunded to the remitter.

(4) In no case, the Post Office shall be responsible for inability or failure to stop payment of a money order as per remitter's request.

(5) If the payee of a money order refuses to take payment on its presentation to him, the amount of the money order shall be returned to the remitter excluding the commission thereof:

Provided that if the payee who is unable to take payment on its presentation to him, makes an application, as may be specified by administrative instructions for retention of the money order or the payee is not found at the address given on the money order, the money order shall be retained in the post office for a period not exceeding seven days from the date of its presentation to the payee, or from the date it is sent out for payment, as the case may be, and if the payee fails to take payment of the money order from the post office within the said period of seven days, the money order shall be returned to the remitter on the first working day immediately following the expiry of the said period of seven days.

(6) If the payee of money order is dead, the amount of the money order shall be returned to the remitter:

Provided that the remitter of money order is dead, the amount of money order shall be paid to the legal heir of the remitter, as may be specified by administrative instructions.

152. **Exemption from liability of Post Office in respect of money order. –** (1) The Post Office shall not be responsible for the wrong payment of a money order by incorrect or incomplete information given by the remitter as to the name and address of the payee.

(2) After a money order has been paid, to whosoever it is meant for payment, the Post Office shall not be liable to any further claim.

153.Undelivered Money Order. - The undelivered money order shall be returned to the remitter and the amount of the money order shall be paid to the remitter excluding the commission thereof.

154. ***Void*** **money order. -** When, for any reason, a money order remains unpaid, either to the payee or the remitter, at the end of the second month following the month of its issue, it shall be treated as *void* by the office of issue.

155. **Forfeiture of money order amount. -** The amount or value of money order unpaid beyond three years from the date of booking shall be forfeited and after expiry of the said period, such amount or value shall be treated as revenue to the Government of India.

156. **Suspension of service. -** The services of money orders by any particular post office, or group of post offices, in special circumstances, may be suspended by the Circle Head, by order in writing.

157. Postal order. - (1) The amount for which a single postal order may be issued shall be in the denomination of ten rupees, twenty rupees, fifty rupees or one hundred rupees.

(2) The amount for which an electronic -Indian postal order shall be issued is ten rupees.

(3) The commission charged in respect of a postal order shall be as mentioned in Table II of Schedule V.

(4) Broken amounts may be made up by affixing unused postage stamps, not exceeding four in number on the face of the postal orders, or where the space on that side is not adequate on the reverse thereof:

Provided that the total of stamps affixed on each order shall not exceed nine rupees and the total amount payable on the order shall not exceed one hundred rupees.

(5) The person to whom a postal order is issued shall, before parting with it, fill the name in English or any other language mentioned in Eighth Schedule to the Constitution and is recommended to fill in the name of the office of payment as a precaution against the order being lost or stolen.

(6) Even where a postal order is crossed with a view to the payment through a bank, the name of the payee shall be filled in.

158. **Currency period. -** (1)The postal orders presented within twenty-four months from the last day of the month of issue, are encashable without second commission.

(2) Where postal order is not presented for payment within twenty-four months from the last day of the month of issue, a second commission at the rate mentioned in Table II of Schedule V, shall be charged, which shall be paid in postage stamp affixed to the back of the postal order or through cash receipt.

159.Forfeiture. - A postal order presented beyond thirty-six months after the last day of the month of issue shall be forfeited and shall not be paid.

160. **Repayment of postal order.-** (1) The purchaser of a postal order shall, within twenty-four months from the last day of the month of issue, be entitled to obtain repayment of its value, but not the commission, on presenting the postal order and the counterfoil at the post office from which the postal order was purchased.

(2) The purchaser shall also be entitled to repayment of its value after twenty-four months but not after thirty-six months from the last day of the month of issue, provided a second commission at the rate as mentioned in Table II of Schedule V, is paid.

(3) Should the order have been crossed for payment through a bank, the purchaser shall first cancel the crossing by writing across the face of the postal order the words “please pay cash” and add his initials.

(4) After a postal order has once been paid to the payee, the Post Office shall not be liable for any further claim.

161. **Payee's name essential. -** A postal order shall not be paid even though presented for payment by a bank unless the name of the payee is inserted in the body of the postal order.

162.Payment through bank. - If a postal order is crossed, payment shall be made only through a bank, and if the name of the bank is added, payment shall be made only through that bank.

163.Payment of crossed postal order. - If a postal order which is crossed with or without name of the bank, is presented for payment by or through a bank, with the

name of such bank written or stamped upon the face thereof, that name may be accepted as a sufficient receipt for the amount of the postal order, and the postal order may be paid without any other receipt.

164. **Mutilated postal orders. -** If any erasure or alteration is made, or if the postal order is cut, defaced or mutilated, payment thereof may be refused.

165.Electronic postal order. - The provisions mentioned in sub-regulation (2) of regulation 157 and regulations 158 and 159 shall apply *mutatis mutandis* to the electronic postal order.

B. INTERNATIONAL

166. Foreign money orders.- (1) Foreign money orders shall be of the following categories, namely: -

(a) electronic money order; and

(b) Pos transfer through International Financial System or Universal Postal Union Interconnection Platform (UPU-IP).

(2) The countries and territory with which money orders of each kind are exchanged by entering into bilateral or multilateral agreements, shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The foreign money order agreement with partner postal countries or territories may be activated or deactivated by the Central Government.

(4) Every foreign money order shall be booked on the payment of the amount to be remitted along with the fee for the service as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The operational and other general conditions for exchange of foreign money orders between two partner countries or territories shall be determined by the Central Government from time to time.

(6) The maximum and minimum amount, and number of remittances made by a remitter through money orders in a calendar year shall be such as may be specified by administrative instructions from time to time.

167. Advice to remitter of foreign money order. - The remitter of a foreign money order shall be entitled to receive an advice of its payment by paying a fee as may be specified by

administrative instructions and such fee shall be in addition to the fee chargeable on the foreign money order.

168. Remitter to change name or address for payment. - (1) The remitter of a foreign money order may, by payment of second fee, change the name or address of the payee, until the money order is paid at the destination, as per the conditions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The remitter may stop the payment of the foreign money order, if not paid, and may request that the remitted amount be returned to them as per the conditions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The Post Office shall, in no case, be held liable for inability to fulfill the request of the remitter under sub-regulations (1) and (2), but, in such cases, the second fee shall be refunded.

169. Inward foreign money orders. - (1) The payment of inward foreign money orders shall be as provided for domestic electronic money orders, except otherwise specified by administrative instructions.

(2) A foreign inward money order, being undeliverable, shall be returned to the country or territory of origin.

(3) A foreign outward money order, on being returned by the country or territory of destination as undeliverable, shall be returned to the remitter.

(4) In the event of inability to return the money order to the remitter, money order shall be dealt with as per the relevant provisions of regulations 154 and 155.

CHAPTER XI
BUSINESS SOLUTIONS
A. BOOK NOW PAY LATER

170. Book now pay later facility. – (1)The corporate customers, who sign an agreement with the concerned authority of a post office, shall be eligible for the credit facility in respect of postage and other fee or charges on the items, as specified by administrative instructions, under the book now pay later (BNPL) facility.

Explanation: For the purposes of this sub-regulation "corporate customer" means anyone who provides minimum business worth of postage and other fee or charges on the items, in a calendar month at a booking office at single or multiple locations, as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The Regional Head shall be authorised to relax the limit of providing the monthly business of postage and other fee or charges, subject to such conditions as may be specified by administrative instructions from time to time.

(3) The eligibility for customers seeking book now pay later (BNPL) facility with booking at multiple locations within a circle or region shall be the monthly business comprising all the locations, as specified by administrative instructions from time to time:

Provided that, in exceptional cases, the limit in such cases may be relaxed with the approval of the Circle Head or, as the case may be, the Regional Head.

171. Authority authorised to approve. – (1) The Divisional Head shall be authorised for approving the enrolment of corporate customer under credit facility and to specify, from time to time, the designated office and designated place where the items of such customer, availing the

credit facility may be booked at or addressed to in respect of all other cases falling under their jurisdiction.

(2) In case of general post office (GPO) or Class 1st head post office (HO), the powers of the Divisional Head under sub-regulation (1) may be exercised by the Director or Chief Post Master, as the case may be.

(3) The Circle Head or Regional Head of respective circle or region shall be the approving authority for cases involving customer seeking book now pay later (BNPL) facility with booking at multiple locations within a circle or region.

B. NATIONAL ACCOUNT FACILITY (NAF)

172. National account facility. - (1) The customers having requirement of posting their items from more than one circle, shall be eligible for the national account facility in respect of postage and other fee or charges on the items, as may be specified by administrative instructions from time to time.

(2) The eligibility and process of application for enrolling the customer under the national accounting facility shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

C. ADVANCE PAYMENT

173. Advance payment facility. - (1) The contractual customer, who enter into an agreement with the concerned authority of a post office, shall be eligible for availing

advance payment facility in respect of postage and other fee or charges on the items, as may be specified by administrative instructions, provided that the booking data are made available to the booking office by such customer in the specified electronic format.

(2) The eligibility and process of application for enrolling the customer under advance payment shall be as may be specified by administrative instructions from time to time.

CHAPTER XII

PRODUCTS AND SERVICES OFFERED THROUGH COLLABORATION

174. Post Office network for citizen centric services. - (1) Post Office shall provide its network for offering citizen centric service offered by any Ministry or Department under the Central Government in accordance with the mutually agreed terms and conditions.

(2) The concerned authority of a Post Office entering into a partnership or agreement, shall provide any product or service towards promotions or implementation of the policies of the State Government, local bodies, public or private entities, in accordance with the mutually agreed terms and conditions.

(3) The charges, operating and accounting procedures for operationalisation of these partnerships or agreement as per sub-regulations (1) and (2) above, shall be such as may be issued by administrative instructions by the Director General from time to time.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

A. PINCODE

175. Postal Index Number. - (1) PIN Code (Postal Index Number Code) is a six-digit postcode for the particular area mapped to the post office that receives the mail items for delivery under its jurisdiction.

(2) PIN Code shall be specified by the Director General from time to time.

(3) The writing of PIN code shall be mandatory on each item for transmission by post.

B. REMOTELY MANAGED FRANKING MACHINE

176. Franking machines. - (1) Franking machines (Remotely Managed) of such vendors and models, which are authorised by the Director General, shall only be used for franking an appropriate postage value on the items.

Explanation.- For the purposes of this regulation, "franking machine" means a machine authorised by the Director General, which provides an alternative mode for payment of postage in respect of an item through a unique frank impression and can be managed from a remote location through a server for uploading credits or postage value and are also called "remotely managed franking machines".

(2) The Post Office shall not incur any liability for any damage or loss, caused to the licensee due to the purchase of an unapproved model or defective machine or any damage done to the machine.

(3) Any person, organisation, or authority may take the license for using the franking machine for franking a postage value on the items.

(4) The Divisional Head or independent Gazetted Postmaster of the Post Office shall be the licensing authority for issuance of license for using franking machine (RMFM) on certain fees as may be specified by administrative instructions from time to time.

(5) The licensing authority shall be authorised to issue or renew or suspend or cancel a license issued for using a franking machine.

(6) The licensing authority may reserve the right to refuse the issue or renewal of a license and cancel a license at any time after giving an opportunity being heard and for reasons to be recorded in writing.

(7) The franked mail shall only be presented in the designated post office, identified at the time of issuance of license.

(8) The mail which is franked on a particular day shall be presented in the designated post office on the same date or on the very next working day (if is not presented due to special circumstances) along with statement of mailing:

Provided that the licencing authority may relax the period of presentation of franked mail in the post office under special circumstances and for the reasons to be recorded in writing.

(9) The conditions, procedure of working, recharging and checking in respect of franking machine (RMFM), shall be as such may be specified by administrative instructions from time to time.

177.Issuance of updated version of regulations annually. - All the amendments made to these regulations may be compiled and an updated version of these regulations containing all the amendments made during a particular year, shall be published in the month of January of the following year.

178. Postal operations order. – (1) All the executive or administrative orders, to be specified under these regulations, shall be issued by the Department of Posts in the Government of India through orders, namely "postal operations order" or "PO order".

(2) All postal operations orders issued shall also be compiled on half yearly basis and such compilation shall be issued in the month of July and January, for the orders issued during January to June and July to December, respectively.

CHAPTER XIV

POSTAL LIFE INSURANCE

179. Insurance services. – (1) The administration of insurance services including Life Insurance or any other insurance provided by the Department of Posts in the Ministry of

Communications with the respective funds shall be vested in Director General who shall be authorised to issue administrative instructions and guidelines for operationalisation of such insurance services.

(2) The policy matters of the insurance services including Life Insurance or any other insurance provided by the Post Office, shall be decided by the Director General with the prior approval of the Central Government.

CHAPTER XV

FINANCIAL SERVICES

180. Administrative instructions for financial services. - The procedural guidelines and administrative instructions for savings scheme provided through the Post Office, shall be such as may be issued by the Director General in accordance with the instructions or guidelines of the Central Government under the relevant laws for the time being in force.

SCHEDULE I

POSTAGE AND FEE FOR DOMESTIC ITEMS

[See regulations 17(2), 46(1), 47(1), 55(1), 71, 73(3), 88(16), 90(2), 91(3), 92 (3), 94(5), 95(3), 96(11),98(2) and 134**]**

TABLE I

The following rates of postage shall be chargeable on below mentioned items: -	
(a) Letters	
(i) For a weight not exceeding twenty grams	₹ 5/-
(ii) For every twenty grams or fraction thereof	₹ 5/-
(b) Letters Cards	
For a letter card	₹ 2.50/-
(c) Postcards	
For a Postcard	50 paise
(d) Book Post	
(i) For the first fifty grams or fraction thereof	₹ 4/-
(ii) For every additional fifty grams or fraction thereof in excess of fifty grams	₹ 3/-
(e) Periodical Post	
(i) For the value of periodical from ₹ 1/- to ₹ 20/-	₹ 2/- for first 100 gms and part thereof, and ₹ 3/- for every additional 100 grams and part thereof
(ii) For the value of periodical from ₹ 21/- to ₹ 50/-	₹ 4/- for first 100 gms and part thereof, and ₹ 5/- for every additional 100 gms and part thereof
(iii) For the value of periodical from ₹ 51/- and above	₹ 8/- for first 100 gms and part thereof, and ₹ 9/- for every additional 100 gms and part thereof

(f) Literature for the Blind
Literature for the blind shall be exempted from postage.
(g) Registered Newspapers
(a) In the case of a single copy of a registered newspaper

(i) For a weight not exceeding fifty grams	25 paise
(ii) For a weight exceeding fifty grams but not exceeding one hundred grams	50 paise
(iii) For every additional one hundred grams or fraction thereof exceeding one hundred grams	20 paise
(b) In the case of more than one copy of the same issue of a registered newspaper being carried in the same packet: -	
(i) For a weight not exceeding 100 grams	50 paise
(ii) For every additional one hundred grams or fraction thereof, exceeding one hundred gms.	20 paise
Provided that such a packet shall not be delivered at any addressee‘s residence but shall be given to a recognized agent at the post office.	

TABLE II

Air Mail fee (Domestic)	
Air mail fee chargeable in addition to the postage and other feepayable on items posted for transmission by air at any post office in India	₹ 2/- for the first fifty grams or fraction thereof; and ₹ 1/- for every additional fifty grams or fraction thereof

TABLE III

India Post Parcels - Retail	
(i) For a weight not exceeding five hundred grams	₹ 36.00
(ii) For every five hundred grams or fraction thereof exceeding 500 gms.	₹ 16.00

India Post Parcels - Contractual

Weight slab Distance	Upto 2 Kilograms	Every additional 1 Kilogram up to 5 Kilograms	Every additional 1 Kilogram above 5 Kilograms
Local	Rs. 45	Rs. 12	Rs. 14
Within State	Rs. 80	Rs. 20	Rs. 22
Neighbouring State	Rs. 100	Rs. 25	Rs. 28
Other State	Rs. 115	Rs. 30	Rs. 32
Between Metro and State Capital*	Rs. 105	Rs. 25	Rs. 28
National Capital Region-Delhi/Ghaziabad/Noida/Greater Noida/Faridabad	Rs. 70	Rs. 15	Rs. 18

* Provided it is not covered under, within State or neighbouring State

TABLE IV

Speed Post Document and Parcel						
Sl. No.	**Weight**	**Local**	**Upto 200 Kms.**	**From 201 to 1000 Kms**	**From 1001 to 2000 Kms**	**Above 2000 Kms**
(1)	Upto 50 grams	₹ 15	₹ 35	₹ 35	₹ 35	₹ 35
(2)	From 51 grams to 200 grams	₹ 25	₹ 35	₹ 40	₹ 60	₹ 70
(3)	From 201 grams to 500 grams.	₹ 30	₹ 50	₹ 60	₹ 80	₹ 90
(4)	Additional 500 grams or part thereof	₹ 10	₹ 15	₹ 30	₹ 40	₹ 50

TABLE V

COMPENSATION FOR DOMESTIC ITEMS	
(i) Compensation payable in event of delay in delivery of item	
Speed Post (Domestic)	Speed Post postage paid
(ii) Compensation payable in event of loss or damage or part damage of item	
Speed Post (Domestic)	Double the amount of Speed Post postage paid or ₹ 1000 whichever is less depending upon the actual value.

Registered Item	₹100 or the actual value of the item or the content lost or damaged, whichever is less.

TABLE VI

REDIRECTION	
Fee chargeable for recall, or alteration in address or name of the addressee of an item	Rupee six per item

TABLE VII

The embossed envelope and the registration envelopes specified below shall be sold at the following prices, namely:	
Embossed Envelopes	
For each (Domestic) envelope	₹ 5/-
Registration Envelopes	
(i) For each small envelope	₹ 22/- + 50 paise stationery charges

(ii) For each large envelope	₹ 22/- + ₹ 1/- stationery charge

TABLE VIII

The following rates shall be chargeable on the delivery of Items where the postage or air mail fee is not prepaid or is insufficiently prepaid:	
(i) On an unpaid item	Double the prepaid rate
(ii) On an insufficiently paid item	Double the deficiency
Provided that the postage or air mail fee actually charged shall in no case be less than rupee one.	

TABLE IX

Post Box and Post Bag	
(a) Post Boxes or Bags if taken separately	
(i) If rented for full financial year	150
(ii) For three calender months or part thereof, if rented for a period of less than a full financial year	50
(b) Post Box and Bag combined together with the same or different number	
(i) If rented for full financial year	250
(ii) For three calender months or part thereof, if rented for a period of less than a full financial year	80

SCHEDULE II

POSTAGE AND FEE FOR OTHER POSTAL ITEMS

[See regulations 102(4), 103(5) and 106(6)]

TABLE I

DIRECT POST			
Price of 1 Direct post item	**Per item for 20 grams**		**Per item**
	Local	**Inter City**	
	Rs. 1.50	Rs. 2.00	For every additional 20 grams or part thereof Rs. 1 for both local and inter-city

TABLE II

MEDIA POST				
Media	**Rate (per price)**		**Advertisement space (in cms)**	**Minimum order quantity One million pieces for multi colour**
	Single Colour	**Multi Colour**		
Post Card	10 paise	20 paise	3*2.2	advertisements
Letter Card	15 paise	30 paise	9*2.5	0.5 million pieces for single colour
Aerogramme	20 paise	40 paise	4*5.5	advertisements
Envelopes		30 paise	9*2.5	
Money Order Forms	10 paise		2*4.25	1 million

Post Office savings pass books	10 paise		9*2.25	0.5 million

TABLE III

E-POST	
	Postage
Retail	(a) Rs.10/- + GST @ 18% per page of A4 size paper - when message is sent through Post Office (b) Rs.6/- + GST @ 18% per page - in case customer uses his own premises

Corporate	(a) Rs.6/- + GST @ 18% per page of A4 size paper (b) Rs.5/- + GST @ 18% per page of A4 size paper - if a corporate customer sends 50 or more messages in one go
Messages (Many to one) (The message will be delivered in recipient's email box)	(a) Rs.5/- + GST @ 18% per page of A4 size for the 1st sender (b) Rs.5/- + GST @ 18% per attachment thereof (up to 1 MB) (c) Rs.5/- + GST @ 18% for each subsequent sender
Messages (One to many) (The message will be delivered in recipient's email box)	(a) Rs.5/- + GST @ 18% per page of A4 size for the first 10 recipients (b) Rs.5/- + GST @ 18% per attachment thereof (up to 1 MB) (c) Rs.3/- + GST @ 18% for each subsequent recipient from 11th to 20th recipient

TABLE IV

	MAGAZINE POST		
Sl. No.	**Description**	**Up to 200 grams**	**For every additional 100 grams or part thereof**
(i)	For magazines to be delivered outside the municipal area of the posting locations	Rs 12/-	Rs.3/-
(ii)	For magazines to be delivered within the municipal area of the posting locations	Rs 8/-	Rs 3/-

SCHEDULE III

POSTAGE AND FEE FOR INTERNATIONAL ITEMS

[See regulations 31(2), 72(1), 78(3), 108(3), 109(4), 110(3), 111(3), 112(5), 113(5), 114(7), 116(4), 117(5), 118(4), 119(1), 126(3), 127(3) and 143(1)**]**

TABLE I

The following rates of postage shall be chargeable on the postal items to be sent by surface where the postage is prepaid, namely: -

Sl. No.	Name of products.	Name of the Country.	Weight slab.	Rate (in rupees).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**LETTERS**	USA	a. Up to first 20 gms.	32.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	22.00
		For all countries except USA	a. Up to first 20 gms.	25.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	15.00
2.	**SMALL PACKETS**	USA	a. Up to first 100 gms.	115.00
			b. For every additional 100 gms or part thereof up to 2000 gms.	105.00
		For all countries except USA	a. Up to first 100 gms.	80.00
			b. For every additional 100 gms or part thereof up to 2000 gms.	70.00
3.	**PRINTED PAPER**	USA	a. Up to first 20 gms.	35.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	25.00
		For all countries except USA	a. Up to first 20 gms.	27.00
			b. For every additional 20 gms or part thereof up to 2000 gms.	17.00

4.	**Literature for the Blind packet**	For all countries	Exempted from postage
5.	**Post Card (Single)**	Pakistan, Nepal, Bangladesh and Bhutan	8.00
		APPU Countries (except Pakistan, Nepal, Bangladesh and Bhutan)	10.00
		UPU Countries (except APPU Countries)	12.00

TABLE II

The following rates for postage shall be chargeable on the gross weight of M Bag of printed matter when the postage is prepaid, namely: -

Sl.No.	Name of products.	Name of the Country.	Weight slab.	Rate (in rupees).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**M BAG**	For all Countries	(a) For weight not exceeding 5 Kg.	700
			(b) Per Kg or part exceeding 5 Kg. upto 30 Kg.	150

TABLE III

charged as under, in addition to normal surface mail rates: -

S. No	Sector	Feeof every 20gms or part thereof (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Countries in Asia	3.00
2.	Countries in Europe	4.00
3.	Countries in Africa	4.00
4.	Countries in North America & Australia	7.00
5.	Countries in South America	9.00

For the postal items to be sent by Surface Airlifted (SAL) mail the fee shall be

TABLE IV

For the postal items to be sent by air, the air surcharge fee shall be charged as under, in addition to normal surface mail rates: -

S. No.	Sector	Fee of every 20 gms or part thereof (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Countries in Asia	4.00
2.	Countries in Europe	5.00
3.	Countries in Africa	5.00
4.	Countries in North America and Australia	8.00
5.	Countries in South America	10.00

TABLE V

Sl. No.	Name of products	Name of the Country	Rate (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Airmail Post Card**	Pakistan, Nepal, Bangladesh and Bhutan	10.00
		Other countries	15.00
2.	**Aerogramme**	For all countries	20.00

TABLE VI

Air Parcel -List of Countries/Territories and Postage			
Sl. No.	**Country/Territory**	**Postage (in INR)**	
		First 250 gms	**Additional 250 gms or part**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Australia	1005	170
2	Canada	1125	165

3	China	860	85
4	France	1170	80
5	Germany	1520	85
6	Great Britain	1470	125
7	Israel	925	80
8	Italy	990	80
9	Japan	905	95
10	Korea (Republic)	985	80
11	Malaysia	835	70
12	New Zealand	1130	195
13	Russian Federation	1455	120
14	Saudi Arabia	655	60
15	Singapore	825	70
16	Spain	1080	90
17	Sri Lanka	610	45
18	Switzerland	880	115
19	United Arab Emirates	660	50
20	United States of America	955	175
21	Afghanistan	1030	100
22	Albania	935	130
23	Algeria	855	125
24	Angola	885	130
25	Antigua and Barbuda	800	290

26	Aruba	865	230
27	Argentina	1100	255
28	Armenia	1205	155
29	Austria	1090	100
30	Azerbaijan	1075	160
31	Bahamas	840	245
32	Bahrain	735	60
33	Bangladesh	600	50
34	Barbados	810	270
35	Belarus	1275	175
36	Belgium	1510	120
37	Belize	1150	260
38	Benin	800	170
39	Bhutan	870	50
40	Bolivia	1230	320
41	Bosnia and Herzegovina	920	130
42	Botswana	1260	155
43	Brazil	1135	250
44	Brunei Darussalam	625	120
45	Bulgaria (Republic)	815	95
46	Burkina Faso	1005	165
47	Burundi	1235	180
48	Cambodia	645	70
49	Cameroon	990	160
50	Cape Verde	1040	175
51	Central African Republic	1055	150
52	Chad	850	150
53	Chile Easter	1020	420
54	Chile	1210	325
55	Hong Kong	1225	90
56	Macau	1190	105
57	Colombia	1095	290

58	Comoros	835	190

59	Congo (Republic)	880	200
60	Costa Rica	1220	330
61	Cote d'Ivoire Republic	1110	230
62	Croatia	740	105
63	Cuba	930	255
64	Cyprus	910	110
65	Czech Republic	845	115
66	Democratic, People Republic of Korea	995	115
67	Democratic Republic of the Congo	1105	185
68	Denmark	1140	115
69	Djibouti	970	205
70	Dominica	840	245
71	Dominican Republic	720	270
72	Ecuador	1005	280
73	Egypt	930	110
74	El Salvador	810	260
75	Equatorial Guinea	595	135
76	Eritrea	870	110
77	Ethiopia	625	115
78	Fiji	975	260
79	Finland	1365	110
80	French Guiana	1410	235
81	French Polynesia	1480	365
82	Guadeloupe	1405	225
83	Martinique	1405	260
84	New Caledonia	1640	385
85	Re-union	1440	265
86	Saint Pierre and Miquelon	1375	190

87	Wallis and Futuna	1215	370
88	Gabon	965	175
89	Gambia	1065	170
90	Georgia	1185	105
91	Ghana	1210	170
92	Anguilla	810	260
93	Ascension	800	225
94	Bermuda	1130	270
95	Cayman Island	1035	285
96	Falkland Island (Malvinas)	1045	320
97	Gibraltar	790	160
98	Montserrat	865	225
99	Pitcairn Island	1460	425
100	St. Helena	900	260
101	Tristan da Cuhna	825	275
102	Turks and Caicos Island	780	225
103	British Virgin Island	815	260
104	Greece	880	110
105	Grenada	905	235
106	Guatemala	870	295
107	Guinea	940	185
108	Guinea-Bissau	1230	170
109	Guyana	960	280
110	Haiti	850	235
111	Honduras Republic	920	285
112	Hungary	1100	120
113	Iceland	1535	160

114	Indonesia	920	135
115	Iran (Islamic Republic)	1190	80
116	Iraq	645	80
117	Ireland	930	135

118	Jamaica	920	280
119	Jordan	665	85
120	Kazakhstan	1185	115
121	Kenya	815	115
122	Kiribati	935	285
123	Kuwait	750	65
124	Kyrgyzstan	855	145
125	Lao People's Democratic Republic	840	130
126	Latvia	745	130
127	Lebanon	820	85
128	Lesotho	980	160
129	Liberia	820	190
130	State of Libya	815	150
131	Lithuania	1035	130
132	Luxembourg	1000	115
133	Madagascar	1260	190
134	Malawi	1080	190
135	Maldives	760	65
136	Mali	1000	200
137	Malta	945	125
138	Mauritania	1115	195
139	Mauritius	790	115
140	Mexico	840	255
141	Moldova	1010	115
142	Mongolia	960	110
143	Montenegro	1045	130
144	Morocco	980	170
145	Mozambique	1265	185
146	Myanmar	655	55
147	Namibia	930	165
148	Nauru	840	250

149	Nepal	550	40
150	Netherlands	1020	125
151	Nicaragua	960	295
152	Niger	810	170
153	Nigeria	1125	165
154	Norway	1570	130
155	Oman	805	55
156	Pakistan	680	70
157	Panama (Republic)	745	260
158	Papua New Guinea	1560	330
159	Paraguay	800	280
160	Peru	1135	315
161	Philippines	630	105
162	Poland	1085	120
163	Portugal	1275	155
164	Qatar	690	60
165	Romania	1310	120
166	Rwanda	965	200
167	Saint. Christopher and Nevis	875	240
168	Saint. Lucia	875	235

169	Saint. Vincent and the Grenadines	965	245
170	Samoa	925	290
171	Sao Tome and Principe	790	160
172	Senegal	800	170
173	Serbia	1080	150
174	Seychelles	840	215
175	Sierra Leone	890	185
176	Slovakia	800	105
177	Slovenia	835	110
178	Solomon Islands	865	235

179	Somalia	550	110
180	South Africa	995	160
181	Sudan	1045	190
182	Suriname	760	235
183	Eswatini	840	165
184	Sweden	1300	115
185	Syrian Arab Republic	690	110
186	Tajikistan	905	155
187	Tanzania (United Republic)	945	205
188	Taiwan	1070	100
189	Thailand	790	75
190	North Macedonia	855	130
191	Timor Leste (Democratic Republic)	720	120
192	Togo	875	150
193	Tonga (including Niuafo'ou)	885	250
194	Trinidad and Tobago	765	280
195	Tunisia	1065	150
196	Turkey	1200	125
197	Turkmenistan	815	150
198	Tuvalu	830	260
199	Uganda	935	190
200	Ukraine	1440	130
201	Uruguay	1310	280
202	Uzbekistan	1585	170
203	Vanuatu	830	250
204	Vatican	905	120
205	Venezuela	830	250
206	Vietnam	695	90
207	Yemen	655	110
208	Zambia	915	205
209	Zimbabwe	1140	220

210	Curacao	1030	225
211	Estonia	940	130
212	Liechtenstein	1240	370
213	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	1000	220
214	Cook Island	1285	270
215	Palestine	705	70
216	Sint Maarten	815	190
217	South Sudan	780	205
218	Jersey	1395	135
219	Mayotte	1400	220

TABLE VII

Postage Structure of International Speed Post (EMS)					
S. No.	**Country/Continent/Sub-continent**	**Documents**		**Merchandise**	
		First 250 grams or part thereof INR	**For every additional 250 grams or part thereof INR**	**First 250 grams or part thereof INR**	**For every additional 250 grams or part thereof INR**
1	Afghanistan	1390	100	1390	100
2	Argentina	1345	295	1345	295
3	Australia	1125	230	1125	230
4	Austria	1430	95	1430	95
5	Bahrain	1415	50	1415	50
6	Bangladesh	765	50	765	50
7	Barbados	1330	270	1330	270
8	Belarus	1450	100	1450	100
9	Belgium	1430	110	1430	110
10	Bermuda	1050	215	1050	215
11	Bhutan	910	70	910	70
12	Bosnia and Herzegovina	1205	150	1205	150

13	Botswana	1500	130	1500	130
14	Brazil	1595	230	1595	230
15	Brunei Darussalam	750	120	750	120
16	Bulgaria	1200	85	1200	85
17	Cambodia	730	65	730	65
18	Canada	1180	180	1180	180
19	Cape Verde	1345	230	1345	230
20	Cayman Islands	1360	235	1360	235
21	China	680	115	680	115
22	Cuba	1340	225	1340	225
23	Cyprus	1310	110	1310	110
24	Democratic Republic of Congo	1490	160	1490	160
25	Denmark	2190	100	2190	100
26	Ecuador	1370	290	1370	290
27	Egypt	1190	75	1190	75
28	El Salvador	1810	315	1810	315
29	Eritrea	1440	110	1440	110
30	Estonia	1280	130	1280	130
31	Ethiopia	1570	100	1570	100
32	Fiji	980	240	980	240
33	Finland	1615	90	1615	90
34	France - for French Antilles (Guadeloupe, Martinique), Reunion, Corsica, New Caledonia, Mayotte, French Polynesia, Saint Pierre et Miquelon	4140	340	4140	340
35	France – Rest of France	1275	105	1275	105
36	Georgia	1425	120	1425	120
37	Germany	1860	80	1860	80
38	Ghana	1760	140	1760	140

39	Great Britain	1965	90	1965	90
40	Greece	1450	85	1450	85
41	Guyana	1810	280	1810	280

42	Hong Kong	1230	90	1230	90
43	Hungary	1455	90	1455	90
44	Iceland	2350	125	2350	125
45	Indonesia	1200	90	1200	90
46	Iran (Islamic Republic)	1445	80	1445	80
47	Iraq	920	80	920	80
48	Ireland	1610	120	1610	120
49	Israel	1690	80	1690	80
50	Italy	1530	105	1530	105
51	Japan	700	80	945	80
52	Jordan	1435	70	1435	70
53	Kazakhstan	1650	110	1650	110
54	Kenya	1455	90	1455	90
55	Korea (Republic)	1685	70	1685	70
56	Kuwait	1040	50	1040	50
57	Latvia	1075	130	1075	130
58	Lithuania	1200	150	1200	150
59	Luxembourg	1150	105	1150	105
60	Macau	1430	90	1430	90
61	Malawi	1175	190	1175	190
62	Malaysia	1610	60	1610	60
63	Maldives	1165	50	1165	50
64	Mauritius	1210	110	1210	110
65	Mexico	1605	235	1605	235
66	Mongolia	1170	110	1170	110
67	Morocco	1480	180	1480	180
68	Namibia	1000	140	1000	140
69	Nauru	1025	165	1025	165

70	Nepal	670	40	670	40
71	Netherlands	1375	105	1375	105
72	New Zealand	1040	270	1040	270
73	Niger	1180	195	1180	195
74	Nigeria	1310	140	1310	140
75	North Macedonia	1265	150	1265	150
76	Norway	2250	100	2250	100
77	Oman	1395	40	1395	40
78	Pakistan	885	70	885	70
79	Panama (Republic)	1610	245	1610	245
80	Papua New Guinea	1585	220	1585	220
81	Philippines	1180	70	1180	70
82	Poland	1205	90	1205	90
83	Portugal	1115	130	1115	130
84	Qatar	1340	100	1340	100
85	Romania	1250	80	1250	80
86	Russian Federation	1040	120	1040	120
87	Rwanda	1340	100	1340	100
88	Saudi Arabia	1535	60	1535	60
89	Senegal	1270	160	1270	160
90	Singapore	1175	65	1175	65
91	South Africa	1310	195	1310	195
92	Spain – Canary Island	2180	120	2180	120
93	Spain – Rest of Spain	1425	120	1425	120
94	Sri Lanka	790	55	790	55
95	Sudan	1450	120	1450	120
96	Sweden	2220	95	2220	95
97	Switzerland	1910	105	1910	105

98	Taiwan	810	80	810	80
99	Tanzania	1590	100	1590	100

100	Thailand	1095	60	1095	60
101	Tunisia	1345	120	1345	120
102	Turkey	1030	85	1030	85
103	Uganda	1460	95	1460	95
104	Ukraine	1695	130	1695	130
105	United Arab Emirates	1400	40	1400	40
106	United States of America	1820	150	1820	150
107	Vietnam	800	70	800	70
108	Yemen	800	110	800	110

TABLE VIII

Postage Structure of International Tracked Packet Service (ITPS)			
Sl. No.	**Country/Continent/Sub-Continent**	**First 100 gms or part thereof (in Rupees)**	**For every additional 100 gms or part thereof (in Rupees)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Aruba	340	60
2.	Australia	425	45
3.	Belarus	325	40
4.	Bhutan	350	20
5.	Canada	400	35
6.	Cambodia	355	20
7.	Chile	350	65
8.	China	305	20
9.	Curacao	340	55
10.	Dominican Republic	340	55
11.	Egypt	310	25
12.	Estonia	340	30
13.	France	335	30
14.	Georgia	305	20
15.	Germany	290	25
16.	Gibraltar	325	40

17.	Great Britain	360	25
18.	HongKong	290	25
19.	Indonesia	360	25
20.	Japan	360	30
21.	Jersey	335	35
22.	Korea (Republic)	360	25
23.	Lithuania	310	25
24.	Malaysia	355	25
25.	Mongolia	375	35
26.	Morocco	325	40
27.	Myanmar	305	20
28.	Netherlands	330	30
29.	New Zealand	430	55
30.	Oman	315	15
31.	Philippines	360	25
32.	Singapore	355	25
33.	Solomon Island	340	55
34.	Sri Lanka	350	20
35.	Svalbard and Jan Mayen	320	35
36.	Thailand	355	20
37.	Tuvalu	345	60

38.	Ukraine	315	25
39.	United Arab Emirates	300	15
40.	United States of America	550	45
41.	Vietnam	355	25

TABLE IX

COMPENSATION FOR INTERNATIONAL ITEMS	
(i) Compensation payable in event of loss of the items: -	
Name of the Product	**Compensation**
Registered item	The declared value of contents or 30 SDR, whichever is less, plus the postage paid.

International Parcel	Limited to 40 SDR per item plus 4.5 SDR per kg or the declared value of the contents, whichever is less subject to an upper ceiling of 130 SDR, plus the postage paid.
International Express Mail Service (EMS Merchandise)	Limited to the declared value of contents or 130 SDR, whichever is less, plus the postage paid.
International Express Mail Service (EMS Document)	Limited only to the postage paid.
International Tracked Packet Service (ITPS)	Restricted to ₹ 1000/- or the actual declared value of the contents damaged or lost whichever is less.
(ii) Compensation payable in event of damage or part damage of the items: -	
Name of the Product	**Compensation**
Registered item	Limited to the declared value of lost or damaged content. **Note 1**: In any case, it shall not exceed the corresponding amounts mentioned for International registered item in case of loss, total theft or total damage. **Note 2:** Postage paid by the sender shall not be refunded in this case.
International Parcel	Limited to the declared value of lost or damaged content. **Note1:** In any case, it shall not exceed the corresponding amounts mentioned for International Parcel in case of loss, total theft or total damage. **Note 2**: Postage paid by the sender will not be refunded in this case.
International Express Mail Service (EMS Merchandise)	Limited to the declared value of lost or damaged content. **Note 1:** In any case, it shall not exceed the corresponding amounts mentioned for Express Mail Service (International Speed Post) Merchandise in case of loss, total theft or total damage. **Note 2:** Postage paid by the sender will not be refunded in this case.
International Express Mail Service (EMS Document)	Limited only to the postage paid.
International Tracked Packet Service (ITPS)	Restricted to ₹ 1000/- or the actual declared value of the contents damaged or lost whichever is les

TABLE X

The following rates shall be chargeable on the delivery of international items received by the Foreign Post, when the postage or air mail fee is not prepaid or is insufficiently prepaid:	
(i) When the postage or air mail fee is not prepaid	Double the prepaid rate
(ii) When the postage or air mail fee is insufficiently prepaid	Double the deficiency

Provided that the postage or air mail fee actually charged shall in no case be less than rupee one.

TABLE XI

S. No.	Demurrage charges	
Demurrage charges for international air parcel		
1.	Demurrage charges, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee, in case, the addressee of an international air parcel fails to take delivery of it within seven days following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his accredited agent of an intimation of its arrival	Rupee one per day (subject to maximum of twenty four rupees and fifty paise)
2.	Demurrage charges, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee, in case, the addressee of an international air parcel, addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his accredited agent of an intimation of its arrival	Rupees one per day (subject to maximum of forty rupees)
Demurrage charges for an inward international packet (or bag) or printed papers; or an inward international small packet; or an inward international insured letter or insured box		
3.	Demurrage charge, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee at the time of delivery, if the addressee of (a) an inward international packet (or bag) or printed papers or (b) an inward international small packet or (c) an inward international insured letter or insured box, fails to take delivery of it within seven days following the date of its first presentation or the date of delivery to him or to his accredited agent of an intimation of its arrival, and if it weighs more than 500 grams	Rupees ten per day
4.	Demurrage charge, commencing from the eighth day, to be collected from the addressee at the time of delivery, if the addressee of (a) an inward international packet (or bag) or printed papers, or (b) an inward international small packet, or (c) an inward international insured letter or insured box, addressed "Poste Restante" fails to take delivery of it within seven days following the date of its arrival in the office of delivery, and if it weighs more than 500grams	Rupees ten per day

TABLE XII

CUSTOM CLEARANCE	
For clearance through the Customs, a fee, recoverable from the addressee, at the following rate if released after levying customs duty (a) for each foreign letter packet or insured box; and (b) for each foreign parcel or bulk bag of printed matter which weighs more than 500 grams,	 Rupees thirty Rupees thirty

SCHEDULE IV

VALUE ADDED SERVICES

[See regulations 132(1), 133(1), 135(1),136(1),137,138(3),139(2) and 144(1)**]**

DOMESTIC

TABLE I

REGISTRATION OF DOMESTIC ITEMS	
In addition to the postage, fee chargeable for the registration of any Item	₹ 17/-
FEE FOR OBTAINING AN ATTESTED COPY	
Fee for obtaining an attested copy of the original receipt signed by the addressee for registered item	Rupees two

TABLE II

INSURANCE FEE (DOMESTIC)	
In addition to the postage and the fee for registration, the further fees chargeable for insurance is as under:	
(i) For insurance of Speed Post parcels:	
(a) Insured value upto ₹ 200	₹ 4
(b) Insured value above ₹ 200	₹ 4 + 1.50% of insured value exceeding ₹ 200
(ii) For insurance of Items other than Speed Post Parcels:	
(a) When the value insured does not exceed ₹ 200/-	₹ 10/-
(b) For every additional ₹ 100/- or fraction thereof in excess of ₹ 200/-	₹ 6/-

TABLE III

CASH ON DELIVERY (COD)	
Amount to be recovered from addressee	**Schedule of fee**
Up to Rs. 6,500/-	1.6% of the amount recovered
Above Rs. 6,500/-	Rs. 100/- + 1% of amount exceeding Rs. 6,500/-

TABLE IV

PROOF OF DELIVERY

Fee payable on proof of delivery of items	Rupees ten per item in addition to postage and other applicable fee.

TABLE V

PRE-MAILING ACTIVITIES			
Sl. No.	**Activity**	**Rates (In Rs.)**	
		Un-Registered	**Registered**
1	Collection from Premises	0.30	0.50
2	Franking	0.40	0.50
3	Addressing	0.50	0.50
4	Sealing	0.20	0.20
5	For Inserting (per insertion)	0.20	0.20
6	For Folding before insertion	0.10	0.20
7	For Continuous stationery that requires cutting	0.05	0.05
8	For pasting pre-gummed computerized address label	0.05	0.05
9	Pasting computerized address labels that are not pre-gummed	0.10	0.10
10	For insertions that are to be matched with address on the envelope	0.15	0.15
11	Special handling for items weighing upto 100 gms	0.30	0.70
12	Special handling for every additional 100 gms or part	0.20	0.20

INTERNATIONAL

TABLE VI

REGISTRATION OF INTERNATIONAL ITEMS		
foreign post)		
Serial Number	**Item**	**Fee**
(1)	(2)	(3)
1	Letters, post cards, small packets, printed papers, aerogrammes	₹ 150
2	M Bag (Formerly referred as Bulk bag) of Printed Matter	₹ 750

In addition to the postage, the fees for registration of the items (sent by

TABLE VII

INSURANCE FEE (INTERNATIONAL)
In addition to postage, the following fees shall be charged for insurance:-

(a) For International Letter Post		
(i)	For the value insured up to ₹ 500	₹210
(ii)	For every additional ₹ 500 or part thereof in excess of ₹ 500	₹10
(b) For International Parcel		
(i)	For the value insured up to ₹ 500	₹10
(ii)	For every additional ₹ 500 or part thereof in excess of ₹ 500	₹10
(c) For Express Mail Service (EMS)/ International Speed Post		
(i)	For the value insured up to ₹ 200	₹10
(ii)	For every additional ₹ 100 or part thereof in excess of ₹ 200	₹6

TABLE VIII

ADVICE OF DELIVERY FEE

For Bhutan and Nepal Rs. 10

For other foreign countries Rs. 20

SCHEDULE V
MONEY REMITTANCE SERVICES
[See regulations 145(3),157(3),158(1) and 160(2)]

DOMESTIC
TABLE I

MONEY ORDER	
Commission chargeable on Money Order shall be as under: -	
For every twenty rupees of the amount of remittance or fraction thereof	₹ 1

TABLE II

POSTAL ORDER		
Commission chargeable on Postal Order shall be as under: -		
Sl No	**Value**	**Commission**
(1)	For ₹ 10	₹ 1/-
(2)	Upto ₹ 20	₹ 2/-
(3)	Upto ₹ 50	₹ 5/-
(4)	Upto ₹ 100	₹ 10/-

[F.No. 01-02/2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.12.17 14:58:17 +05'30'